Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

SJIF - 4.076

Shodh Chetna

शोध चेतना

The International Reffered, Reviewed & Multifocal Research Journal

Year : 5 July-Dec. 2019 Vol - 3-4

ADVISORY BOARD

- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Safat Ahmad *(SHUATS, Naini, Prayagraj)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(Principal Scientist, IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. R.K. Singh, Prog. Coordinator *(KVK Barellei, Govt. of India)*
- Prof. S.P. Singh *(CM.P. Degree College, Prayagraj)*
- Dr. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Dr. Surya Narayan Gautam *(Shri JJT University, Jhunjhunu, Raj.)*
- Shri Ajay Srivastava *(State Central Library, Rewa)*
- Prof. D.N. Triapthi *(D.S. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob. : 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha, Prayagraj
R.L. Vishwakarma, Rewa

Editor
Dr. Sheetla Prasad Verma
KAPG College, Prayagraj

Sub Editors
1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT Univ., Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa)
6. Dr. Dilip Singh (CMP Degree College, Prayagraj)
7. Dr. Gaurav Patel (Asstt. Prof. Law, CMP Degree College, Prayagraj)
8. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
9. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa)
10. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa)
11. Dr. Preeti Vishwakarma (Govt. Naveen Degree College, Chhatarpur, M.P.)

© *Publishers*

Processing Fee : **Rs. 1500.00**

Single Copy **Rs. 250.00 (Individual)**

Annual (4 Issues) **Rs. 1000.00 (Institution)**

Life Member Fee (Individual) **Rs. 5000.00**

Life Member Fee (Institution) **Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of

G. H. PUBLICATION
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394301010122432
IFSC-UBIN 0539431

Special Appearence
R.L. Vishwakarma, Rewa
(Mob. : 9827262820)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित। प्रधान संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN : 2350-0441

SHODH-CHETNA

शोध चेतना

The International Referred & Reviewed
Multifocal Research Journal
Frequency - Quarterly

We are providing a plateform

For

The Publication of
Original Unpublished Research Paper,
Summary of Research Project,
Thesis and Book

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003
e-mail : ghpublication@gmail.com
website : www.shodhchetna.com
Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि
हमारी त्रैमासिक, अन्तर्राष्ट्रीय पंजीकृत पत्रिका

''शोध-चेतना''

में प्रकाशित माननीय लेखकों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों
(केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय),
शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों
के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से भेजी जा रही है जिससे,
इन शोध दृष्टियों से

'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'

का

उद्देश्य पूर्ण हो सके।

...प्रकाशक

आज ही आदेश करें।

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

अनुक्रम

1. **Caucasia : A Commentary on Racial Discrimination in the Contemporary American Society** — **9-11**
Prof. Karunesh Jha
Ms. Archana Singh

2. **Ecophisiological Study of *Lipidum sativum* L with particular reference to Kymore Plateau Region** — **12-17**
Ashish Dwivedi

3. **''रहीम का लोकवादी दृष्टिकोण''** — **18-20**
चन्द्रकान्त मिश्रा

4. **''भूमण्डलीकरण में किसानों की करुण-दारुण और त्रासद कथा का महाआख्यान : गोदान का पुनर्पाठ फाँस''** — **21-26**
जमुना प्रसाद द्विवेदी

5. **समृद्ध महिलाएँ : महिला सशक्त समाज** — **27-32**
डा. विभा सिंह

6. **नलचम्पू का समाज विधान** — **33-37**
डा. नर्मदा प्रसाद शर्मा

7. **महिलाओं के शैक्षिक जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव** — **38-42**
सुनीता शुक्ला

8. **बघेलखण्ड एवं भारत छोड़ो आन्दोलन** — **43-45**
रिया सिंह

9. **महिला सशक्तीकरण में संचार माध्यमों का प्रभाव** — **46-51**
डॉ महानंद द्विवेदी
रुचि मिश्रा

10. **लोकायुक्त के कार्य (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में)** — **52-59**
उत्तम कुमार आर्य
डॉ. राजाराम मिश्र

11. जैव विविधता का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व : एक अध्ययन **60-64**
गौरीशंकर यादव, डॉ. बिजेन्द्र यादव

12. Chemistry of Animal Behaviour **65-70**
Dr. Sheetla Prasad Verma, Pankaj Kumar

13. Effect of gibberellic acid, zinc sulphate and their interactions on bulb production of tuberose (*Polianthes tuberosa L.*) **71-73**
Pankaj Kumar, S.P. Verma
Ashok Kumar, Abhinav Kumar

14. मध्यप्रदेश का फसल प्रतिरूप **74-78**
प्रभाक्षी तिवारी

15. गीता बनाम मानवीय अनुभूति **79-81**
डॉ. सुरेश कड़वासरा

16. भू-जल का अनुप्रयोग एवं जल संकट **82-86**
डॉ. तरूण कुमार यादव, डॉ. विनोद कुमार सैनी

17. छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पत्रकारिता के विकास में बिलासपुर का योगदान **87-92**
राकेश कुमार, डॉ. गोपा बागची

18. नगर पालिका निगम का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से आय **93-94**
मंजरी गुप्ता

19. मीडिया और लोकतंत्र **95-99**
डॉ. आशीष कुमार यादव

20. ईस्लाम धर्म महिलाएँ **100-103**
डॉ. सुधा सोनी
प्रीति ताम्रकार

21. भारत में उभरती साम्प्रदायिक चुनौती और संत परंपरा **104-108**
डॉ. सुधा सोनी

22. वस्तु एवं सेवा कर की कार्यप्रणाली का अध्ययन **109-114**
अमित कुमार निगम

23. ''प्रकृति और मानवता की सेवा में सामाजिक विज्ञान'' 115-120
रामसिया चर्मकार

24. कन्या भ्रूण हत्या एवं मानवाधिकार 121-123
ममता पाण्डेय

25. ''सूतसंहिता का आध्यात्मिक अनुशीलन'' 124-126
डॉ. बृजेश नाथ ओझा, कृष्णमणि शुक्ला

26. रामायण के सन्दर्भ में पिता के प्रति पुत्र के करणीय कर्तव्य का अध्ययन 127-130
सुनीता शर्मा, डा. सूर्यनारायण गौतम

27. भारतीय राजनीतिक प्रणाली एवं शासन 131-133
डॉ. (श्रीमती) अरुंधति शर्मा

28. रामचरितमानस कालीन भातृप्रेम और आधुनिक भातृप्रेम : एक तुलनात्मक अध्ययन 134-137
जयप्रकाश शिवशंकर तिवारी

29. How to determine appropriate Sample Size for Research Study 138-142
Dr. Precious Sheoran

30. Cruelty and Welfare in Farm Animals 143-146
Dr. Sheetla Prasad Verma

31. आधुनिक भारत में नारी शक्ति का अस्तित्व : राजनैतिक, सामाजिक स्थिति एवं अपराध 147-150
डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता

32. ''सामाजिक अस्थिरता में आदिवासी महिलाओं की भूमिका'' 151-155
बैजनाथ

33. मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन एवं औषधीय गुण 156-158
डॉ. ज्योति शुक्ला

34. ''स्मृतियों में वर्णित संस्कार एवं आधुनिक समाज'' 159-160
विद्याकान्त तिवारी, डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी

35. Importance of Computer in Globalization 161-163
Dr. M.P. Singh

Our New Life Member

- Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
- Kulbhashkar Ashram P.G. College, Prayagraj
- International Federation of Astrology and Spiritual Science Regd. & Recognised by Govt. of India and Sri Lanka.

GUIDELINES TO THE AUTHORS

Manuscripts of research paper : It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as their is not provision of sending proof. It must include Abstract, Introduction, Methods, Results and References. English Manuscripts must be in Times New Roman font, font size 12 and in double spacing. Hindi manuscripts must be Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in **CD/e-mail : ghpublication@gmail.com**, with a cheque of Rs. 1500 only in favour of G.H. Publication also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.

 ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

Caucasia : A Commentary on Racial Discrimination in the Contemporary American Society

❐ Prof. Karunesh Jha
❐ Ms. Archana Singh

ABSTRACT

"Caucasia" is a remarkable, affecting story of the complicated legacies and imprimaturs of race, and in this sense is a quintessential American tale. Rich with eccentric, impassioned figures, this wonderful novel's startling narrative of a young girl's childhood among, in turn, black militants and white suburbanites is alluring and suspenseful, and considers the difficult questions of what truly is the 'underneath.' Danzy Senna is a luminous, striking new writer.

"Caucasia" has been written in the threshold of the 21st century by a contemporary American female writer Danzy Senna. This novel is a story of a failure marriage between a black man and a white woman. Besides, this novel is a fictional autobiography of the authoress. "Danzy Senna fuses the personal and the political in her first novel, Caucasia, a thoughtful and heartfelt story about the conflicts of an interracial family on the run from the FBI during the 1970s. ... In addition to racial issues, Caucasia deals with the age-old dilemma of leaving the family nest. Birdie is a strong, appealing protagonist, and her fight to claim her identity makes her story unforgettable." This novel is narrated by a girl namely Birdie Lee. Birdie Lee is the younger daughter of the black and the white parents i.e. Deck Lee and Sandy Lee. This mismatched relationship between the father and the mother of the narrator has also separated their two daughters. The elder sister and the younger sister Cole and Birdie were respectively separated. The elder one who was akin to her father and the younger was like her mother were distributed among the spouses with their respective qualities. In this way a mental and physical distance was created between the two daughters by their parents. The elder sister moved to Canada with her father and his paramour. The narrator, Birdie wandered with her mother helter-skelter from one place to another with a disguised identity. " An ambitious debut novel that powerfully...... addresses the conditions of those living in the great racial no-man's-and-that is to say, the children of mixed marriage-who belong to both races but are often also rejected by both.... An accomplished novel that doesn't offer any easy solutions but does poignantly evoke the pain and paradox of those caught in the racial crossfire" This novel mainly concentrates on the story of the narrator and her mother. The part of narrator's elder sister and her father is kept in the back ground. Being, fed-up, with the life, like the gypsies both the narrator and her mother decided to stay at one place.

* Prof. and Head, Department of English, S.N.S.U. , Shahdol (M.P.)
** Research Scholar (English), A.P.S.U. Rewa (M.P.)

Consequently, they go to the suburbs of New Hampshire with concocted identity and take an out-house on the rent by this time the narrator enters into her teenage and faces the metabolic changes of puberty. "Denzy Senna's accomplished debut [transcends] the narrow limit of adolescent aggst for a broader look at a historical period and a political movement –and at the ways that personal identity is formed and warped by the rigid categories our culture uses to define and understand race.... Senna, whose own background resembles that of her heroine, is sympathetic, dispassionate and skilled enough so that the bright human souls of her adult characters always managh their windy and deeply felt rhetoric. Without moralizing, she affectingly details the consequences, especially for children, of what Dickens called 'telescopic philanthropy' – the burning passion to save the world or, specifically, that portion of the world that begins just beyond one's own front doorstep. And she reveals some rather complex truths about how we forge identity, how much of our social selves we can choose and how much is chosen for us by what society assumes on the basis of our color and social class ...... Caucasia leavers us at once satisfied and intensely eager for more" Both the narrator and her mother were very closely attached to each other. This affinity between the daughter and the mother started dwindling when both of them got physically involved with their respective male counterparts. Nevertheless, both of them were extremely jealous of each others sexual relations with the darker sex. The entire novel is a commentary on the mental and physical growth of the narrator and her mother's live-in-relationship with her paramour. This novel portrays the racial discrimination which was prevalent in America during 1970's. Caucasia is a book which describes, that the colour of one's skin deeply matters in the all walks of life and in the every sphere of socio-political American Culture in the last three decades of the 20^{th} century. " Blend Vladimir Nabokov's fresh eye for the oddities of American life in Lotita with the scathing outsider perspective of Ralph Ellison's Invisible Man, and you'll get some idea of the topsy-turvy, eye-opening world of twenty-six-year-old Denzy Senn's provocative, suspenseful, and often brilliant debut novel....[Senna] raises important questions about identity and race.... Senna's take on race is as complex as her characters are; she refuses to offer easy answers to Birdie's struggle for identity."Senna herself asserts that America has been a land of miscegenation and conglomeration of various cultures, races and nationalities. Moreover this novel is a presentation of a filial love of the two sisters and their emotional attachment with their parents irrespective of race, sex and belief. Though, both the sisters were physically separated from each other but they were mentally united and had an especial yearning for each other. In spite of the physical and mental detachment between the narrator and her elder sister were above all the petty considerations of their heterogeneous traits. This novel also depicts the mental and physical growth of the narrator as she belongs to the fair sex. Though Birdie was separated from Cole but she never forgot her elder sister even for a single day. Birdie was very anxious to meet her departed sister and father. This novel also narrates the diverse relations between the narrator and her mother, along with there is a natural descriptions of the narrator's passing from the phase of childhood to her stage of teenage. The narrator is a key figure of this novel and this novel is a mental, physical and psychological journey of Birdie Lee. Birdie's firm determination to detect the location of her elder sister and her father. In this ordeal Birdie faces several obstacles and hurdles but her commitment makes her successful in discovering the address of her father and also her elder sister. This novel is like a picaresque tale of a girl who is intent to search her lost sister and father. The narrator comes across different circumstances and stages where she adopts all her tricks to meet her separated father and sister. The title of this novel Caucasia is highly evocative and symbolical which reveals the racial and gender discrimination in the contemporary American Society. The novel is a saga of the pertinent endeavors of the narrator in resolving her problem and attaining her goal after crossing all the bars, barriers and

boundaries. Finally Birdie Lee, the female protagonist of this novel attains her object by finding and meeting with Deck and Cole. The end of this novel is highly suggestive and the writer doesn't make the narrator to reach at any final achievement and it is on the discretion of the readers to derive any conclusion and to reach at any justification. Caucasia is a post-modern contemporary novel which does not ends with hackneyed, stocked and stereotypical conclusion. The readers are at full liberty to interpret this novel as they like it. "An absorbing debut novel...Senna superbly illustrates the emotional toll that politics and race take on one especially gutsy young girl's development as she makes her way through the parallel limbos between black and white and between girl and young women..... Senna gives new meaning to the twin universal desires for a lost childhood and a new adult self by recounting Birdie's struggle to become someone when she can look and act like anyone."

References :

Ø Boston Sunday Herald.

Ø Francine Prose, Newsday.

Ø Kirkos Reviews

Ø Swing Magazine.

Ø The New York Times Book Review.

All the references have been extracted from Danzy Senna's Caucasia The Berkley Publishing Group, Published by the Penguin Group (USA) Inc. 375 Hudson Street, New York 10014, USA.

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

Ecophisiological Study of *Lipidum sativum* L with particular reference to Kymore Plateau Region

❐ Ashish Dwivedi

ABSTRACT

Lipidum sativum Linius, locally Known as chandrasur or chamsoor, commonly known as water cress and garden cress, belonging to the family crucifeare. It is traditionally cultivated in limited area of the Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. It is low water requiring medicinal herb, so its demand in market increasing day by day. Present paper deals with the LAI, LAD, BMD, SLA, SLW, CGR, RGR and NAR.

The WHO encourages, recommends and provides for the inclusion of herbal medicines in natural health care programmes. The motive behind this is to avail herbal medicine at cheaper price to common man staning at the end corner.

Keywords-: LAI (Leaf Area Index), LAD (Leaf Area Duration) BMD (Bio Mass Duration) SLA (Specific Leaf Area) SLW (Specific Leaf Weight) CGR (Crop Growth Rate), RGR (Relative Growth Rate) NAR (Net Assimilation Rate) and Who (World Health Organization) and DAS (Days after sowing)

Introduction-: *Lepidus Sativum* L is an small 30-100 c.m. height, the basal leaves have long petiole and are lyrate pinnatipartite. The Inflorescence is in dense raceme. The Flowers have white or slightly pink petals. The fruits are oval and flat small pods notched at the apex with two seeds per pod.

All the part of the plant useful for medicinal purposes. Root is bitter and acrid intaste, useful in secondary syphilis and tenesmus. Leaves are useful as poultries for stimulation, diureatic, antibacterial, scorbutic diseases and hepatopathy. Seeds are bitter in taste useful in bleeding piles, asthama, diarrhoea, cough, rheumatism, arthritis, thermogenic, Depurative, glactagogue, emmenagogue tonic, aphrodisease, ophthalmic, gpasmolytic, respiratory stimulant, diuretic, carminative and analgeric. Gum is obtained from seeds. Which is useful for lactating mother. It is also used as animal feed for increasing the walk production in dairy cattle.

Material Method:-

* Leaf Area Index(LAI):

$$LAI = \frac{Total\,leaf\ area}{Land\ area}$$

$$LAI = \frac{(LA_2 + LA_1)}{2P}$$

Where, the LA_1 and LA_2 represents the leaf area during two consecutive intervals and 'P' unit ground area (Watson, 1947).

* Leaf Area Duration(LAD)

$$LAD = \frac{(LA_2 + LA_1)}{2} \quad (t_2 - t_1)\ (m2, Days)$$

* Department of Botany, Govt. College Vyavhari, Distt. Rewa (M.P.)

Where LA_1 and LA_2 represents the leaf area at two successive time intervals (t_2-t_1) (Westson, 1952).
* Bio mass Duration(BMD)

$$BMD = \frac{(W_2 + W_1)}{2} \; (t_2 - t_1)\; (g.Days)$$

(W_1 and W_2 are Plants dry weight at time $t_1$and t_2)
* Specific Leaf Area (SLA)

$$SLA = \frac{(LA_2/LW_2 + LA_1/LW_1)}{2} \quad (m^2/g)$$

* Specific Leaf Weight (SLW):

$$SLW = \frac{(LA_2/LW_2 + LA_1/LW_1)}{2} \quad (g/m2)$$

* Crop Growth Rate (CGR)

$$CGR = \frac{W_2 - W_1}{t_2 - t_1} \times \frac{1}{p} \; (gm^{-2}\,\partial^{-1}) or\; (gm^{-2} Week^{-1})$$

Where, W_1 and W_2 are the dry weight of the plants at time t_1 and t_2 and p is land area.
* Relative Growth Rate (RGR):

$$RGR = \frac{\log_e W_2 - \log_e W_1}{t_2 - t_1} \quad (g/day)$$

Where, $\log_e W_1$ and $\log_e W_2$ are the natural logs of dry weight at time t_1 and t_2.
* Net Assimilation Rate:

$$NAR = \frac{W_2 - W_1}{t_2 - t_1} \times \frac{\log_e A_2 - \log_e A_1}{A_2 - A_1} \quad (gm/m^2/\,day)$$

Where, w_1 and w_2 are plant dry weights at times t_1 and t_2, $\log_e A_1$ and $\log_e A_2$ are natural logs of leaf area A_1 and A_2 and times t_1 and t_2.

Tables :-

LAI (m^2) :- Year 2016-17

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	0.134	0.285	0.244
Plot B	0.247	0.275	0.254
Plot C	0.275	0.282	0.234

Year 2017-18

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	0.235	0.291	0.234
Plot B	0.241	0.283	0.243
Plot C	0.243	0.287	0.242

LAD (m^2/day) :-

Year 2016-17

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	3.76	4.31	3.63
Plot B	3.82	4.34	3.21
Plot C	3.91	4.21	3.54

Year 2017-18

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	3.83	4.53	3.51
Plot B	3.81	4.42	3.42
Plot C	3.72	4.31	3.34

SLA (m^2/g) :-
Year 2016-17

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	0.026	0.22	0.28
Plot B	0.028	0.21	0.27
Plot C	0.030	0.16	0.30

Year 2017-18

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	0.30	0.20	0.26
Plot B	0.34	0.18	0.21
Plot C	0.24	0.19	0.23

SLW (g/m^2) :-

Year 2016-17

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	79.35	93.04	65.65
Plot B	75.63	92.14	76.73
Plot C	72.28	85.18	63.62

Year 2017-18

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	80.32	93.63	74.32
Plot B	80.39	91.71	68.39
Plot C	73.42	88.61	69.31

CGR ($gm^{-1}\partial^{-1}$) :-

Year 2016-17

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	3.82	3.43	3.21
Plot B	3.73	2.91	4.24
Plot C	3.54	2.96	5.31

Year 2017-18

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	3.14	4.12	4.84
Plot B	3.63	4.34	4.79
Plot C	3.84	4.48	4.92

RGR (gg^{-1}) :-

Year 2016-17

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	0.072	0.031	0.028
Plot B	0.064	0.029	0.036
Plot C	0.076	0.024	0.031

Year 2017-18

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	0.081	0.041	0.039
Plot B	0.079	0.039	0.043
Plot C	0.076	0.34	0.042

NAR (g/m^2/Lay) :-

Year 2016-17

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	14.631	11.693	14.631
Plot B	13.921	12.712	13.621
Plot C	14.269	10.871	12.931

Year 2017-18

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	13.412	12.124	14.631
Plot B	12.921	13.143	13.431
Plot C	14.631	11.189	12.982

BMD (g/Lay) :-

Year 2016-17

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	14.631	11.693	14.631
Plot B	13.921	12.712	13.621
Plot C	14.269	10.871	12.931

Year 2017-18

	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Plot A	996	1623	2643
Plot B	919	1598	2483
Plot C	953	1648	2735

Conclusion :- The study of ecophysiological aspect of the *Lepidum sativum* L has been conducted for the two consecutive yea r 2016-17 and 2017-18. The result (Year wise) for each of parameter presenter of as below-

1. A progressive pattern of increase in LAI, LAD, SLA, SLW, CGR, RGR NAR and BMD was noted at all stages up to 90-105 Days after sowing.

It clearly indicates that these crops are suitable to grow to this kymore plateau Region. If these crops grown in this region they can easily adjusted in cropping pattern of the area.

Reference :- B

➢ Agrowal, M.K. and M.P. singh (2002-03)- effect of sowing late and spacing on yield attributes and root yield of Ashwagandha Department of horticulture. Rajasthan Agriculture university, college of Agriculture Jopner.

➢ Anohy meris (2003)- Cultivation of some commercially important medicinal plants. National plant Boards, Department of M.H. ministry of Health and family welfare, govt. of India, VIII.

➢ NRCMAP (2003) Research achievement in National centre for medicinal and aromatic Boriavi Anand. Annual Report 2002-03.

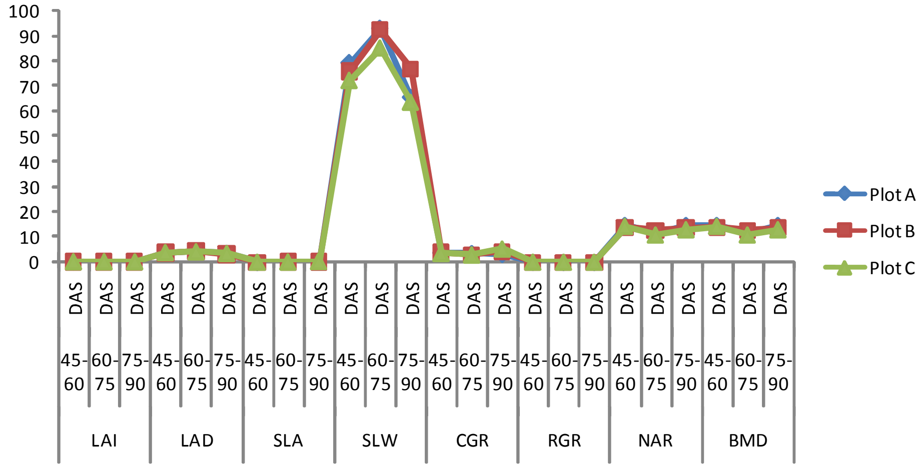

Figure 1: Ecophysiological parameters for Year 2016-17

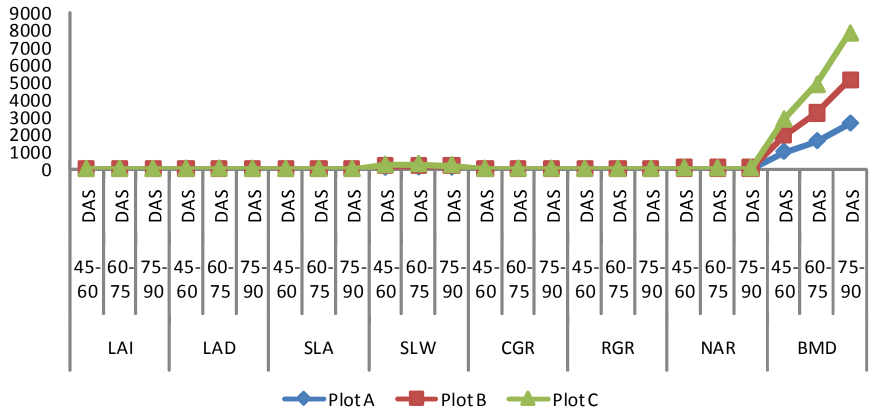

Figure 2: Ecophysiological parameters for Year 2017-18

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

''रहीम का लोकवादी दृष्टिकोण''

❐ चन्द्रकान्त मिश्रा*

हिन्दी साहित्य में मध्यकाल में जो माहौल उस माहौल में रहीम जैसे वादी कवि जन्म होना ठीक उसी प्रकार से है जैसे धूल के गुब्बारों के मध्य खनकती तलवार क्योंकि रहीम जिस परिवेश में पैदा हुए वे परिवेश से विपरीत सकुसल तैरना जानते थे, जो व्यक्ति राजघराने में पैदा हुआ वह लोक भी बात करे ऐसे क्रम ही लोक है तभी तो रहीम कहते हैं–

''जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग।
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग।।''1

इस प्रकार की बात करने वाले अरबी, फारसी और संस्कृति तमाम ग्रंथों के जानकार लोक को भी उतना ही जानते थें, जितना अन्य विधाओं को रहीम के शरीर के रंगो में भले ही खून तुर्की वह रहा था, लेकिन उनकी नागरिकता भारती थी, उदारवाद मानवतावाद कि अहंकार उनमें कूट–कूट के भरी थी।

रामकथा के मर्मज्ञ रहीम लोक मर्यादा की शिक्षा उनके दोहो में दिखाई देती है। केवल कथा कहना उनका उद्देश्य नहीं मानवीय मूल्य कि अभिव्यति चाहे पुराण की आख्यान हो या चाहे लोक जीवन के अनुभव रहीम कहते हैं कि अगर सम्मान से विष भी खाने को मिले तो शिव की भाती उसे अमृत समझ कर पीना चाहिए।

किन्तु अगर अपमान से अमृत मिले तो उसे नहीं लेना चाहिए।

''मान सहित विष खाय कै, सम्भू भये जगदीश।
बिना मान अमृति पिये, सुहु कराये शीष।।''

लोक के तात्पर्य जन से है हिन्दी साहित्य के जनवादी कवियों में रहीम अग्रगणयों में से एक है और इस लोक में जग मात्र से प्रेम उनकी प्राथमिकता है। तभी तो थे कहते हैं कि प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं चाहिए यही प्रेम का धागा जन–जन की भावनाओं ओर इच्छाओं को एक–दूसरे को माले की तरह पिरोता है।

समाज की विकास यात्रा में इस प्रेम के लिए सतत् संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रेम को पाने के लिए मनुष्य हड़बणी से चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, किन्तु रहीम कहते हैं कि अगर एक कि साधना कर ली जाए तो सभी कार्य सध जायेंगे उस साधन के मूल में लोक कल्याण की भावना है।

''एकै साधै सब सधौ, सब साधै सब जाय।
रहिमन मूलै सीचिर्वो, फूलहि फलहि अधाय।।''2

रहीम की रचनाओं में वास्तविक में प्रेम की जड़ था जिसको सीचने की बात कर रहे हैं चूकि रहीम लगभग 16वीं शताब्दि में पैदा हुए जहॉ पर हिन्दू, मुस्लिम एक दूसरे पर धर्म सम्प्रदाय जाति आदि के आधार पर बटे हुए थे, इस प्रकार भारत में कई मिली जुली संस्कृति एक साथ पनप नहीं थी। भारत में न केवल मुस्लिम समाज का प्रभाव पड़ा बल्कि हिन्दू संस्कृत में भी कट्टरता आ गयी थी।

इस हिन्दू, मुस्लिम ये आचार्य चतुसेन का कथन है कि ''इस काल में हिन्दू–मुस्लिम एक ही बड़े समाज में साहिसुणता, मर्यादा, धर्म संगठन सौर्य की आशा का बीज वमन हुआ।''3

हिन्दू अपने सनानत धर्म में मौजूद थे और हिन्दूओं में भी स्वर्ण समाज को बोल बाला था तथा मुस्लिम समाज के कट्टर रवैये के कारण जो नफरत का पौधा जड़ ले रहा था उसका उखाड़ने का काम कवि रहीम ने किया।

रहीम अत्यंत लोकवादी कवि थें वे किसानो के मध्य जाकर किसानों के मध्य अन्नय भाव प्रदर्शन और एक

* शोधार्थी, हिन्दी विभाग, अ.प्र. सिंह वि.वि., रीवा

नायिका की विरह की उत्कण्ठा दोनों एक साथ चित्रित करते थे। वे कहते थे कि दादूर मोर किसान मन लगेव रहो धन यो भारतीय संस्कृत और समाज से मुगल संस्कृत के चोल येच प्रयास में कबीर ने किया वे अर्जुन, युधीष्ठिर आदि हिन्दू पात्र पर भी, अपनी लेखनी चलाते थेओर लोक समाज को इससे शिक्षा देते थे, रहीम की दृष्टि में कर्म ही सब कुछ था जहॉ एक प्रकार तुलसी कहते हैं–

"कर्म प्रधान विश्व कटि राखा,
जो जस करै सो तस फल चाखा।"

रहीम भी कर्म पर जोर देते हैं कि भाग्य की महिमा तभी हो सकती है जब कर्म साथ में हों–

"जो पुरुषारथ ते कहु, सम्पति मिलै रहीम।
पेट लगी वैयर घर, तपव रसोई भीम।।"

रहीम लोक में प्रसिद्ध कुब्जा के काव्य में भी स्थान देते हैं यह उनके काव्यात्म क्षमता का परिणाम है कि कम शब्दों में कथा को बाध देते हैं, गोपियों के माध्यम से कृष्ण के स्वभाव कि ओर संकेत करते हुए रहीम कुब्जा की कथा को रेखांकित करते हैं। उसमें नयी मौलिकता कल्पना शक्ति देते हैं।

कहॉ काह ते कहनौ, मौन होत काहू के।
कुवरी राखी।4

रहीम लोक से धुले मिले कवि है तभी भारतीय मिथक से प्राप्त कथाएॅ जो समाज में प्रचलित है उसका भी जिक्र करते हैं, वे कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी का स्वभाव, प्रकृति, परम्परा सब कुछ अत्यधिक मात्रा में चंचल है क्योंकि जो जगत का पति है उसकी पत्नी का स्वभाविक रू्प से चंचल होगा है। रहीम ने कहा है कि लक्ष्मी को दुष्ट लोक वासना से देखते हैं। इस लिए लक्ष्मी चंचल बनी रहती है। वे कहते हैं–

"कमला थिरन रही रहीम कर
यह जानत सब कोय,
पुरष पुरात कि वधु क्यों न चंचल होय।।"5

लोक में जो कुछ व्याप्त है उसी को काव्य का जरिया बना लेना उसी को लोक में लौटा देना साहित्य का काम है, रहीम भी लोक जीवन के विभिन्न पक्षों पर अपनी लेखनी चलाते हैं जहॉ वह एक तरफ रागद्वेष ईर्ष्या को छोड़ने को बात करते हैं तथा दया धर्म को अपनाने की बात करते हैं, वही ये भी कहते हैं कि भाग्य की लेख को मिटाया नहीं जाता है। कहॉ जाता है कि काशी में शरीर त्यागने मोक्ष मिलता है।

इसी धारणा वश एक अज्ञानी ने हाथ पैर करवा लिए। किन्तु भाग्य का लेख देखिए कि एक धुड़ सवार आया और भगहर उठा ले गया।

"लिखी रहीम लिलाट में, भई आन की मान।
पद कर कार्य बनारसी, पहुली भगहर थामी।।"6

इस प्रकार लोक में व्याप्त भाग्य को मानने वाले लोगों को आधार बनाकर रहीम भाग्य की बात करने से भी वीच्छे नहीं हटते रहीम जाती व्यवस्था जो भारत में दीर्घ काल से चली आयी उससे उत्पन्न खतरो को भी लोक को समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि–"सभी वंदे खुदा के हैं इसलिए सबके प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए और अपनी हैसियत से परोपकार करते हैं, जो लोग छोटे–छोटे परोपकार करते हैं, वे भी नहीं रहते और बड़े–बड़े उपकार करने वाले नहीं रहते किन्तु उनके उपकार सदा याद करते हैं–

"हित रहीम इतनै करै, जाकि जीति विषात।
नहि यह रहै न वह रहै, रहै कहऊ को बात।।"7

रहीम का स्वभाव नागरिकों का हित करना था तभी वे समाज में महादानी के नाम से विख्यात थें जनम से जरूर मुस्लिम थे वे कर्म से सर्वधर्म जीवन मसाल थे उनकी शिक्षा में धार्मिक उदारता और लोक के प्रति प्रेम के भाव प्रचूर मात्रा में दिखाई देते हैं।

मुगलकाल एक प्रशासक यह कहते नजर आता है कि–

"देन दार कोई और है, भेजत सो दिन रैन।
लोग मरम हम वे हारै, याते नीचे नैन।।"8

अर्थात् रहीम अपना जीवन बड़ी साहजी से सामान्य जन की तरह जीते थे तभी तो वे लोक ये व्याप्त कथा रूढ़ियों रीति रिवाजों को अपने काव्य का आधार बनाया।

रहीम के विषय में केशवदास जहागीर, जस चंद्रिका में कहते हैं कि वह अत्यधिक उदार और पावन बीचार के थे। वे लोक की बात करते सांसारिक सुख और अध्यमिक सुख माया मोह पर अपनी लेखनी चलाते है। वे कहते हैं कि सांसारिक सुख और अध्यतिम आनंद विपरीत ध्रुव है। एक को छाडैगे तो दूसरा मिलेगा माहे को त्यागे बिना सच्चाई समझ ये नहीं आयेगी।

"अब रहीम मुस्किल पड़ी, गढे दो काम।
साचे संतो जग नहीं, झूॅठ मिले न राम।।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज में प्रायः विभिन्न परिस्थिति में एक दूसरे के सम्पर्क ने आना पड़ता है।

इस प्रकार के संबंध में उसे व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यह व्यवहारिक ज्ञान वह अपने परिवार समाज से सीखता ही किस प्रकार के व्यक्ति से किस प्रकार मिले किससे बात करे किसका विश्वास करें किसका न करें सज्जन दुर्जन मूर्ख बुद्धि मान से कैसा व्यवहार अपेक्षित करे शत्रु मित्र की बुराईयों का कैसे उपयोग करे। इसका उचित जात लोक ये रहकर होता है। इन सब भी चर्चा रहीम अपने काव्य में करते हैं वे कहते हैं कि मूर्ख के बीच सज्जन व्यक्ति अधिक देर नहीं ठहर सकता है। जैसे काले बालो के बीच सफेद बाल अलग दिखाई देता है।

''मूढ़ मण्डली में सूजन, ठहरत नहीं विशे।
श्याम कंचत ये श्वेत ज्यो,
दूर किजीयत देखा।।''9

रहीम को रीतिकाल में प्रशासक के पथ पर थे इसलिए समाज के जरे–जरे को वे जानते थे लोक में हर वस्तु मनुष्य के काम में आती है, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक विश्वासों श्रद्धा आस्थाओं को केन्द्र में रखा इस लोक में अनेक कथाएँ प्रचलित थीं। उसको भी वह अपने काव्य में स्थान दिया लोक में प्रचलित कथाओं से तात्पर्य ''उन आदिम कहानियों से हैं जिसकी उत्पत्ति लोक कथाओं धार्मिक वृत्त और सौन्दर्य मूल में निहित हैं।''10

इस प्रकार धर्म दर्शन संस्कृत और परम्परा के भीतर जो हिन्दू संस्कृत दिखाई देती है। वह भी रहीम के काव्य में नखर आती है, रहीम कहते हैं कि– ''माघ मास लहि टेसुआ, मीन परे बल और।''11

जिस प्रकार माघ महीने में टेसू का माड़ फूल रहित उजाड़ लगता है। उसी प्रकार किसी भी कवि में लोक जीवन ये यथार्थ न हो तो वह काव्य प्रभाव हीन हो जाता है। चूकि लोक एक अनेकर्थी शब्द है। जिससे हमारा तात्पर्य इह लोक पर लोक, त्रीलोक से न होकर लोक वेद और शास्त्र से संबंधित है लोक आम जीवन का श्वास है, यह श्वास ही प्राण है।

रहीम के काव्य में इसी लोक जीवन के यथार्थ को संत महात्माओं के जरीए प्राकृतिक सौन्दर्य की झलक लेकर बताया गया है, इसी लोक में संस्कृत की अभिव्यक्ति होती है, इस कारण बस दैनिक जीवन में वह फली भूति होती है, इस लोक में धर्म काफी व्याप्त होता है, संस्कृत के चार आध्याय बहुचर्चित पुस्तक में दिनकर जी रहीम के संदर्भ में कहते हैं कि–''उनके कविताओं में आपे हुए प्रबंधो को देखते हुए यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि हिन्दू दर्शन साहित्य तथा अलंकार शास्त्र का उन्हें इतना अच्छा ज्ञान है कि इतने अच्छे ज्ञान का दावा बड़ा से बड़ा हिन्दू विद्वान कर सकता है। अपने धर्म और विश्वास पर सुढ़िण रहते हुए वह भी भारतीय रह सकता है।''12

फलतः इसी परिणाम के फलस्वरूप रहीम के जीवन में लोक में व्याप्त जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। जहॉ उन्होंने हिन्दू धर्म संस्कृति को अपनाते हुए काव्यात्मक अनिवृत्त प्रदान की वही दान भक्ति प्रेम दया जैसे तत्वों को अपने काव्य में स्थान दिया क्योंकि वे जानते थे वेद और शास्त्र लोक के लिए बने है अलग लोक में चिरकाल तक अपने को स्थापित करना है तो भारत में उसकी संस्कृत के अनुरूप ही चलना पड़ेगा और इसी लोक जीवन में रहकर सम्पूर्ण काव्य की विराप्ता सार्थक चूकि रहीम के समय समाज ये दो धर्म का बोल वाला था जहॉ मुगल हिन्दूओं से चिढ़ते थे वही हिन्दू भी मुस्लिमों को अपना शत्रु मानते थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1 रहीम दोहावली, पृ. 50
2 रहीम दोहावली, पृ. 128
3 भारत में स्लाम क्रमांक 10
4 रहीम ग्रंथावली पृ. 142 सं. विद्यानिवास एवं गोविन्द रजनीश
5 रहीम ग्रंथावली पृ. 71
6 रहीम दोहावली पृ. 92 सं. वाग्देव
7 रहीम दोहावली पृ. 97 सं. वाग्देव
8 रहीम दोहावली पृ. 16 सं. वाग्देव
9 रहीम दोहावली पृ. 72
10 डॉ. नूरजहॉ बेगम, आधुनिक हिन्दी प्रबंध काव्य पर प्रभाव, पृ. 14
11 रहीम दोहावली पृ. 71
12 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के चार अध्याय तृतीय संस्करण पृ. 344

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

''भूमण्डलीकरण में किसानों की करुण-दारुण और त्रासद कथा का महाआख्यान : गोदान का पुनर्पाठ फाँस''

❐ जमुना प्रसाद द्विवेदी*

21वीं शदी का दौर हिन्दी उपन्यास और उपन्यासकारों के लिए चुनौती भरा दौर है, जहाँ पर ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन तक बिडम्बना ओर विसंगति का शिकार है, इस दौर में जहाँ एक तरफ सुविधा की हर वस्तु बाजार में उपलब्ध है, वहीं दूसरी तरफ उसकी कीमत सातवें आसमान पर हैं, भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का लगभग तीन हिस्सा भाग ग्रामीण उत्पादन पर आधारित है। यह उत्पादन कृषि पर निर्भर है। बहुत समय पहले भारतेन्दु ने अपनी पत्रिका 'कविवचन सुधा' में लिखा था–

''अब तो कहीं न कहीं प्रति वर्ष दुष्काल पड़ ही रहा है,

मुख्यकर के अंग्रेज राज में इसका घर है।''1

इस प्रकार पता चलता है कि भारतेन्दु को साहित्य की चिन्ता थी। जनता की तक़लीफ से वाकिफ़ थे, आजादी के पहले से भारतीय समाज दो वर्गों में विभक्त था। एक जमींदार दूसरा किसान मजदूर जो आज तक अनवरत चला आ रहा है। उपन्यास में इसकी बात सर्वप्रथम प्रेमचंद ने गोदान में किया इस परम्परा का पुनर्पाठ संजीव के उपन्यास फाँस में दिखाई देता है।

प्रेमचंद ने पहली बार आदर्शवाद से हट कर 'गोदान' जैसे उपन्यास में होरी को नायक बनाकर सम्पूर्ण भारतीय कृषक जीवन का आख्यान प्रस्तुत किया, जहाँ पर वह होरी की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि–''होरी का मन भोला की उन गायों को देखकर ललचा गया कि भोला उस आगे वाली गाय को दे तो क्या कहना रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपय नहीं हैं।''2

यह स्थिति भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व की स्थित है, जो होरी के इच्छा को दर्शाती है। यह होरी वास्तव में मात्र एक व्यक्ति न होकर सम्पूर्ण कृषक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जहाँ पर भारतीय कृषक समाज दो पाट के मध्य पिस रहा है। होरी को एक तरफ परिवार की चिन्ता है वहीं दूसरी तरफ रायसाहब की भी। प्रेमचंद का गोदान भारतीय कृषक जीवन के संत्रास का वर्णन करने वाला जीवन्त दस्तावेज है। होरी के छः संतान हुई अब तीन बची और तीन बचपन में ही मर गयीं। यह उपन्यास का शुरुआत कथन है इससे यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कृषक समाज के घर की परिस्थित दयनीय और दुःखद है।

गोदान पूरे भारत के कृषक जीवन की तलाश है, जहाँ जमींदार गले की फाँस बनकर किसान के जीवन में पड़ जाता है। यह कृषक समाज दिन–रात मेहनत करता है, उसे पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। रायसाहब जैसे लोग सामंती शोषण के प्रतीक हैं, लम्बे समय तक कर्ज में कृषकों को डुबाए रहते हैं। कृषक उनको अपना भगवान समझते हैं। यह बात होरी के कथन से स्पष्ट होती है, वह कहता है कि–''यह इसी मिलते–जुलते रहने का प्रसाद है, अब तक जान बची हुई है नहीं तो पता न लगता अब तक कि कहाँ गये। गांव में इतने आदमी तो हैं किस पर बेदखली नहीं

* शोधार्थी, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

आयी किस पर कुड़की नहीं आयी। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उस पांव को सहलाने में ही कुशलता है।''3

यह कह सकते हैं कि होरी की आत्मा में वेदखली बैठ गयी थी। यह वेदखली वर्षो से भारतीय किसानों की स्थिति स्पष्ट कर रही है। सम्पूर्ण जीवन मर्यादाओं में बधा रहता है होरी। उसका हश्र भी बहुत दुःखद होता है और अंत में होरी मर जाता है और मरते समय हीरा कहता है कि ''भाभी दिल कड़ा करो गोदान करा दो दादा चले ... और कई आवाजें आयी हाँ गोदान करा दो। अब यही समय है, धनिया यंत्र की भाँति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके बीस आने पैसे लायी और पति के हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे यही इसका गोदान है।''4

जिस होरी का जीवन इस आकाक्षा से शुरु हुआ ''गऊ से तो ही द्वार की शोभा है।''5 और अंत परम्परागत बिडम्बना के साथ होता है। गोदान के पात्र होरी, ध ानिया, गोबर, झूनिया, सोना अपनी गरीबी से संघर्ष के लिए खड़े हैं वहीं 'फाँस' 21वीं सदी में सगुन, शीबू, छोटी, विजेन्द्र सभी उसी तरह का संघर्ष करते नजर आते हैं। जहाँ धनिया अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित होती है वहीं दूसरी तरफ फाँस की शगुन अपनी बेटी के लिए चिंतित होती है, 'गोदान' आधुनिक भारत की स्वतंत्रता पूर्व की त्रासदी है। उसी के अगली कड़ी का नाम 'फाँस' है।

संजीव का उपन्यास 'फाँस' किसानो की आत्महत्या का आख्यान है। गोदान के 79 साल बाद लिखा गया यह उपन्यास प्रेमचंद की याद तरोताजा कर देता है। कथाकार संजीव ने भूमण्डलीकरण की सभ्यता में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशीला कृषि और कृषक जीवन को फाँस में चित्रित किया है। फाँस उपन्यास की शुरुआत यवतमाल जिले के वनगॉव से होती है। संजीव जिस गांव को कथा का केन्द्र बनाते हैं, उन्हीं के शब्दों में ही उस गांव का ढांचा ही किसानो की स्थिति को स्पष्ट करता है। ''वन गांव के पूरव देखो तो जंगल शुरू होने लगता है पश्चिम देखो तो पठार।''6

आगे की कथा ''किसी–किसी के जुऐ में एक बैल एक भैसा होता एकाक के जुए में इंसान, इस तरह वनगाँव आज भी आधा–आधा है। आधा पक्का आधा कच्चा।''7 इन दोनों कथनों से स्पष्ट है कि 'फाँस' उपन्यास भारतीय कृषक जीवन की गम्भीर बिडम्बना कृषकों का आख्यान है। अगर यह सच है तो 'फाँस' कृषक जीवन का आख्यान है की सूखी जमीन से उपजी गीली पीड़ा को उपन्यासकार पाठकों तक पहुचाना चाहता है। यह पीड़ा 21वीं सदी में शासन और प्रशासन की सोची समझी रणनीति की पीड़ा है। जहाँ किसानो के हिमायती और किसानो को फसाने में साहूकार, बैंक मनेजर शासन सबका सहयोग बन जाता है। वहीं संजीव फाँस के शुरुआत में ही इस सत्य से ही परिचित करा देते है कि ''इस देश का किसान कर्ज में जन्म लेता है। कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है।''8

यह भारतीय किसान के जीवन का ब्रह्म वाक्य बन जाता है। यह उपन्यास किसानो के आत्महत्या को ही नहीं चित्रित करता बल्कि आत्महत्या के कारण की पड़ताल करता है तथा उससे निकलने का एक रास्ता देता है। कृषि प्रधान कहे जाने वाले भारत देश के किसानों की स्थित प्राचीन काल से हीं दयनीय रही है। तभी तो मध्यकाल में तुलसी कहते हैं कृषक को न खेती ... अन्न विहीन सब लोग मरे। अर्थात् प्राचीनकाल में ही कृषक के जीवन में दुर्भाग्य था तभी तो भू–मण्डलीकरण के इस दौर में नौकर शाही, मुनाफाखोरी ने समाज में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अन्नदाता कृषक समाज में हाशिये की जिन्दगी जीने पर मजबूर है। कृषक बेचारा भाग्यवादी है और वह अपनी जिन्दगी में आने वाली कठिनाइयों को अपने पूर्व जन्म का कर्म मानकर उसी को ढोता रहता है। राजनीतिक षड़यत्रों के शिकार के कारण उसे आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त करना ही एक मात्र विकल्प बचता है। इस आत्महत्या को शासन व प्रशासन घरेलू हिंसा बताकर उसे समाप्त कर देते हैं, वर्तमान राजनीति में किसान का स्थान नगण्य है। यह 'फाँस' उपन्यास के पात्र नाना के कथन से स्पष्ट होता है–

''गंजे को कंघी से क्या काम? पहले ही लिए गये ऋण को अदा न कर सका फिर दूसरा ऋण कहाँ मिलेगा? संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी वो गांधी वाली हल्कर योजनाएँ कुआँ पहले खोदो सरकार बाद में ऋण देगी। कुए के निर्माण के लिए सब कुछ बेच दो घरद्वार चूल्हा, चक्की और औरतों के गहने आखिर में उस कुए में कूद के जान दे दो।''9

इसीलिए तो अब तक भारत में तीन लाख से अधिक किसान जान दे चुके हैं, उपन्यासकार संजीव बाजारवाद के दौर में शोध परक लेखन के लिए जाने जाते हैं। जिन्होंने दलित आदिवासी और सर्वहारा वर्ग और अंत में किसान को अपना विषय वस्तु बनाकर अपने लेखन का विस्तृत कैनवास बनाया संजीव केवल लिखते ही नहीं बल्कि कृषक जीवन पर उनकी गहरी पैठ भी है।

हिन्दी उपन्यास भारतीय मध्यवर्गीय समाज में फैले विद्रूपताओं को चित्रित करने का काम कर रहा था, किन्तु प्रेमचंद के गोदान के बाद लेखकों का लेखन का काम चकाचौध की दुनिया और बाजारवादी संस्कृति की तरफ था। यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि भारत में पहली सरकार के गठन से लेकर अब तक केवल उद्योग बाजार कार्पोरेट और तमाम झूठे और भ्रष्टाचारियों की तरफ ध्यान था किन्तु कृषि और कृषक के जीवन पर सरकार भी कम ध्यान देती थी।

इस बात की पुष्टि संजीव के उपन्यास फाँस के इस कथन से होती है कि—''सरकार ने मान लिया है कि सेतकरी मरेगे ही मरेंगे इन्हें पात्र से अपात्र बनाने वाला कोई प्रमाण तो हो पोस्टमार्डम में क्या मिलेगा जहर न लाचारी निकलेगी न टेशन न कर्ज।''10

संजीव के इस कथन से स्पष्ट होता है कि किसान जीवन दो पाटो में पिस रहा है। प्रथम तो साहूकारों से कर्ज और उसकी बढ़ती हुई ब्याज और द्वितीय सरकार की उदासीनता इन दो पाटों के बोझ को ढोता—ढोता अंत में आत्महत्या को वरण करता है और उसकी संतानें मुआवजे के लिए तहसील में चक्कर लगाते उसी चौखट में दम तोड़ देती है।

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ एक तरफ स्किल इण्डिया की बात हो रही है। वही दूसरी तरफ इस भयानक त्रासदी का चेहरा मुँहबाये खड़ी है। यहाँ तक की हमारे संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का कथन याद आता है कि—''भारतीय गांव साक्षात् नरक है इसी नारकीय यातनाओं की अभिव्यक्ति का प्रतीक फाँस है। जो भारतीय मानवता के इतिहास में एक नग्न सच्चाई को बेबाकी से स्पष्ट करता है। कृषक जीवन केवल कर्ज के बोझ से नहीं लदा है बल्कि नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न को भी विमर्श के केन्द्र में लाकर खड़ा कर देता है। जहाँ पर उपन्यास के पात्र सकुन, आशा, शोभा, कलावती, सरस्वती, रोहीणी और मंजूला अपने परिवार के साथ हमेशा संघर्ष करती हैं, वही दूसरी तरफ भारतीय समाज में फैले कलंक 'दरिन्दों' द्वारा स्त्रीयों की भूख को भी यह उपन्यास उजागर करता है।

संजीव एक बुनियादी प्रश्न लेकर आते हैं कि यहाँ के मंदिर के पुजारी और खुदा बख्स जैसे जंगल के रखवाले वास्तविक में पुजारी न होकर भेड़िये है, फाँस के इस कथन से स्पष्ट होता है कि—''मंदिर का वह पुजारी प्रसाद भखोस कर टोह लेता है कि वह कहाँ गयी तब शीबू कहता है कि साला कुत्ता दिनभर नाले में नीचे नहाती औरत को तकता खजहे कुत्ते की तरह जाँघ खुजलाता है।''11

तथा दूसरा दृश्य जंगल का चौकीदार खुदा बख्स का है—''बाँस का हरा पन ताजे किसलियो के लपटे दधकती लालीमा गहरे एकांत में जाना पर कलावती को कहा पता कि उसे जंगल में अकेला जाते देख एक भेंडिया उसके पीछे लग गया था, बन विभाग का सिपाही खुदा बख्स।''12 इन दो दृश्यों में संजीव प्राचीन समय से फैले शारीरिक शोषण के वृत्ति एवं पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रीयों को वासनात्मक ढंग से देखने की जो वृत्ति है। उसको भी उजागर किया है। जो स्त्री कड़कती धूप में बारिश में, कड़ी धूप में, दिन भर काम कर सकती है थकती नहीं है, वह भी खुदाबख्स जैसे भेड़ियों से बच नहीं पाती, फाँस कार्पोरेट की कथा है जो छल छद्मों और विद्रूपताओं को प्रकाशित करते हुए मार्मिक सवालों से भूमण्डलीकरण का चक्का कुचल रहा है। विकास के तमाम दावों को झुठलाता यह उपन्यास बजारवाद के दौर में लायी गई

आर्थिक नीति से किसानों का किस प्रकार अहित हो रहा है इसको स्पष्ट करता है।

उपन्यास को पढ़ते समय किसानो की कारुणिक स्थिति को देखकर मन करुणा से भर जाता है, जहाँ पर किसानों की छटपटाहट, बेचैनी और बदहाली उसके कल्पना से बढ़कर होती है। वह अन्तोगत्वा आत्महत्या जैसे पाप करने को विवश हो जाता है। इस संदर्भ में फाँस उपन्यास में शोभा और सगुन की यह वार्ता दिल को दहला देती है। और पाठकों को झकझोर कर रख देती है।

''शुभा ने तरस खाती जुवान से कहा आज नव वर्ष है, आज तो कुछ कायदे की चीज बना लेती। चलो मैं देती हूँ पूरण पूरी नहीं बहिनी कोई तो दिन आयेगा जब हम ढेर सारा पकवान बनायेगें।''13

किसानों के घर की ऐसी दयनीय स्थिति वर्तमान समय में देश के विकास का माखौल उड़ाता है, यही कृषक के वजह से पूरा देश खा के चैन की नीद सो रहा रहा है पर इनकी हत्या पर सरकार और संसद मौन है। मीडिया भी चुप है, कार्पोरेट कल्चर बड़ी पूँजी के साथ बाजार में लाभ कमाने के लिए कीड़े की तरह छाये हैं। जमीन की गुणवत्ता, सिचाई की प्रवृत्ति, कीटनाशक दवाओं का व्यापार के लिए, प्रचार प्रसार कर रहा है। किन्तु किसानों के उत्पादन को कम मूल्य में खरीदा जा रहा है। बिडम्बना यह है कि अमेरिका जैसे देशों में किसानों की सब्सिडी बहुत है किन्तु भारत में इस प्रकार की सुविधा मात्र कागज में है। भारतीय कृषि और कृषक दोनो ही कर्पोरेट जगत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भेंट चढ़ गये हैं। ये कम्पनियाँ ही कृषि यंत्रों और कीटनाशक दवाओं का मूल्य तय करती हैं। कृषि उत्पाद का रेट भी। आज के दौर में किसानों के हाथ से जैसे ही सामान निकल जाता है। वैसे ही बेतहाशा दामो में वृद्धि कर दी जाती है, किसनों का सामान खरीदते समय मंदी होती है किन्तु बाद सारी मंदी चली जाती है। जब तक यह कार्पोरेट रूपी गिद्ध किसानों के खेत में मड़राते रहेंगे तब तक आत्महत्या का शिलशिला जारी रहेगा एकदिन केवल उपभोक्ता वर्ग बच पायेगा। कृषि उत्पाद उगाने वाले किसानों का नामोनिशान मिट जायेगा।

आधुनिक खेती के दुःपरिणाम भी सामने आयेंगे इसका जिक्र संजीव ने फाँस में किया है। आने वाले दिनों में खेती कार्पोरेट वाले करेगें, किसान का नाम मिट जायेगा ओले शायद हमें बख्स दे पर टिड्डिया नहीं।14

इस प्रकार दवाइयों के प्रयोग के वजह से वातावरण में भयानक प्रदूषण के संकेत इस उपन्यास में मिलते हैं। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में कॉर्पोरेट घराने दिन प्रतिदिन उन्नतशील हो रहे हैं वहीं किसान हाशियें पर जा रहे हैं। जिस देश में अन्न को देवता माना जाता है। अन्न पैदा करने वाले की ऐसी दुर्गति समाज के लिए शर्मनाक है।

सन् 1991 में लागू उदारवादी नीति में तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सरकारी तंत्र है। जो कम्पनियों से मिलकर बीच में मुनाफा खोरी से कमाते हैं। इस उपन्यास में दादा ने एच.एम.टी. धान का उत्पादन किया फिर भी उनको इसका श्रेय नहीं मिला। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आकाक्षाएँ तृप्त नहीं हुई वह ऐसा बीज बनाते हैं कि उसका उपयोग दुबारा न किया जा सके लक्ष्य साफ है किसान हर साल नये बीज खरीदें। इस प्रकार बाजार में इन कम्पनियों का एकाधिकार हो गया। उपन्यास भूमण्डलीकरण की रेशमीचादर को केचुल की भाँती उधेड़कर समाज के सामने गम्भीर प्रश्न खड़ा करता है। पूँजी की सर्वग्राही सत्ता ने जीवन के विविध पक्षों को व्यापार में बदलकर रख दिया, इसी अविवेक पूर्ण मॉडल में कृषक फॅसा है। यह कृषक मात्र विदर्भ का नहीं है बल्कि सम्पूर्ण भारतीय कृषक की समस्या है। जब अपने ही पेट भरने के लाले हो तो अधिक दूध देने वाली विदेशी गाय को क्या खिलाएँगे? किसानों को विदेशी गाय का लाभ नहीं मिला किन्तु विचौलियों साहूकारों को अवश्य मिला। यह भूमण्डलीकरण की देन है कि अपनो को नहीं दूसरों को अपनाओं। विदेशी बीटी कानन से देसी बीज नष्ट हो गए विदेशी गाय आने से देशी नस्ल की गाय नष्ट हो गयी। यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया। ''विदेशी बीज, विदेशी कर्ज, विदेशी नीति, सूखा किसान, सूखी धरती।''15

बाजारवाद से उपजी इस त्रासदी को फाँस रेखांकित करता है। आधुनिक समय के चुनौतियों से उसके पात्र टकराते है। परन्तु सब का अंत खुद से खुद की हत्या से ही होता है।

इस दृष्टिकोण से विजेन्द्र, शीबू, अशोक, नाना को भूलाया नहीं जा सकता सकून तमाम दुःख संकट और असुविधाओं के बाद जीवन जीने की जिजीविषा लेकर आती है। वही दूसरी तरफ छोटी शराब उन्मूल में अपनी ताकत को झोक देती है। वह इस उपन्यास में शुरु से अंत तक बनी रहती है। किसी बंधन में खुद को नहीं रखना चाहती और अशोक से मिलती जुलती रहती है। अपने अधिकारों के प्रति वह जागरूक रहती है। आधुनिक समय के शिक्षित स्वाभिमानी लड़की का प्रतीक यह 'छोटी' वसौणा गांव में बिजली ला देती है, जो आजादी के 65 साल तक नहीं हुआ।

देश में अधिकाश गरीब किसानों की यह दुर्गति बनी हुई है। पहले इन किसानों को बीटी कानन को इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया जाता है। फिर कर्ज दिया जाता है। सूखे की मार से कृषक जीवन तबाह हो जाता है। आज पूरी व्यवस्था कृषकों के खिलाफ है, कल्कत्ता अधिवेशन के राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैनेजर पाण्डेय ने कहा था–''औपनिवेशिक भारत में किसानों का शोषण दमन कम नहीं था, कई बार उनकी हत्याएँ भी हुई है, लेकिन किसानों को आत्महत्या करने की नौवत कभी नहीं आयी।

यह तो स्वाधीनता पूर्व भारत की उपलब्धि रही है, आत्महत्या की नौवत कभी नहीं आयी किन्तु स्वाधीन भारत का काला सच है कि स्वदेशी सरकारों ने किसानों की हत्याओं की साजिश है। पुरानी बात तो छोड़ ही दीजिए सिर्फ पीछले 20 साल में 5 लाख किसानों ने हत्या की और सरकार चुप रही यही स्वाधीन भारत के किसानों का सच है। विश्व बैंक के निर्देश पर भारत सरकार की नीति ऐसी बनी की कृषि के हर वस्तु पर कार्पोरेट सेक्टर ने अपना गिरोह विकसित कर लिया और मिलावटी सामान कृषकों को उपलब्ध कराये। शिकायत हुई तो सरकार के कान में जू नहीं रेगी। ''हमारे बिके हुए नेता सरकार कहाँ से रोकती।''16

प्राचीनकाल से ही भारतीयों का आचरण भ्रष्ट रहा आज के नेता भी उन्हीं आदर्शों पर चलते हैं बी.टी. कानन जैसी कम्पनियाँ पैसे देकर कृषि योग्य बीज बनाने का टेन्डर लेती है। आज किसानो को घटिया बीज देकर किसानों से ही उसे वसूलती है। उनका मकसद है, समर्थित मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत पर बीज बिकते हैं सब्सिडी जब दी जाती है तो किसानों के हाथ में कुछ नहीं होता, उपन्यासकार भारतीय कृषक की तुलना अमेरिका से करता है। एक जगह विजेन्द्र बताता है कि–''अमेरिका में कापूस के भाव 1994 के भाव से भी कम किन्तु वहाँ किसान आत्महत्या नहीं करता क्योंकि वहाँ सब्सिडि की व्यवस्था है।''17

भारत में शासक वर्ग की मनमानी योजनाओं के कारण किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था में नये पीढ़ी के लोग हसीन सपनो की दुनिया में जीना चाहते हैं। किन्तु भारतीय कृषक परिवार के लिए कृषि के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

आज कोई खेती स्वेच्छा से नहीं करना चाहता किन्तु जिन्दगी जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा किसानी और कर्ज चुकाने के लिए जद्दोजहद करते हुये किसान के लिए कर्ज एक दिन उसके गले की फाँस बन जाता है। आनन फानन में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी आते हैं और किसानों के लिए घोषणाएँ करते हैं किन्तु उनकी घोषणाओं से किसानों को लाभ नहीं होता केवल कर्पोरेट सेक्टर ही लाभान्वित होता है, भूमि अधिग्रहण कानून का शिकार बनाकर कृषकों की 80 प्रतिशत जमीन को व्यवसायियों को दे दिया जाता है। विजेन्द्र इस खाद्य नीति का विश्लेषण देवेन्द्र शर्मा की रपट पढ़ कर करता है। छोटी ने विजेन्द्र के घर के एक भाग में किसान सेवा केन्द्र खोलकर किसानों की उन्नति के लिए देशी उपाय बताती है। अशोक आत्महत्या नहीं करता बल्कि किसानों के अनाथ बच्चो को जीवन देता है। वह अनाथ बच्चों को इकट्ठाकर 'कलावती कुंज' बनाता है।

छोटी के घोषणा के साथ फाँस उपन्यास खत्म होता है जाओ पाटिल काका इन सेठ साहूकारों से कह

दो–''हम किसी के कर्जदार नहीं तुम भी इस देश के मैं भी इस देश का ये अपने ही बच्चे हैं, मौत के पंजे से छीने हुए इनके जीवन।''18 यह कृषकों का युद्ध घोष है आत्महत्या के खिलाफ। इस उपन्यास में आत्महत्या से ग्रस्त किसानों के अनाथ बच्चों को जीवन देती मनमस्तमगन लड़की की जीजीविषा को चित्रित करते हुए उन तीन लाख किसानों की भटकती हुई आत्माओं को ढाढ़स पहुँचाने का काम करते हैं। फाँस में उत्तर आधुनिक समाज में कृषकों की दयनीय स्थिति का मार्मिक ढंग से चित्रण है। विकास के नाम पर भ्रष्ट आचरण छंदम राष्ट्रवाद और झूठे तथ्य सम्प्रदायिक असहिष्णुता और नौकरशाही की मनमानी जो ऐसो आराम के साधन बन चुके हैं। और विचौलियों के रूप में कॉर्पोरेट बैंकर और राजनेता के सहारे खेतों और कृषि उत्पाद पर कब्जा जमा लिये हैं। तथा प्रशासनिक अधिकारी मौत के सौदागर बन चुके हैं।

सरकार की नीति से किसानों के पास से जमीन छीन रही है। उद्योग जगत के प्रभाव से खून के छीटे सम्पूर्ण समाज में पड़ रहे है यह खून कृषक का है। और सरकार निर्दय बनी देख रही है। इन सब की गहरी पड़ताल फाँस में है। मौत उपाय नहीं बल्कि पलायन है, असल जीत लड़ाई में है इस उद्घोषणा के साथ फाँस कृषक समाज की एक दुःखद और कारुणिक कथा लेकर आता है।

सत्ता जो चलाते हैं वे भी कॉर्पोरेट है। सत्ता उन्हीं के हाँथ की कठपुतली है और कृषक उस सत्ता का शिकार। जब जंगल में कई शिकारी एक ही शिकार पर टूटते हैं तो आपस में गुर्राते हैं किन्तु यहाँ सत्ता व बाजार का ऐसा तालमेल है कि दोनों मिलकर किसानो का शोषण करते हैं। व्यापारी मैनेजमेन्ट बनाते हैं, सरकार उसका प्रचार। व्यापारी नीति बनाते हैं सरकार उसको लागू करती है। इस सच को फाँस उपन्यास दर्शाता है। यह भारतीय कृषक जीवन का ज्वलंत इस्पाती दस्तावेज है। जो कृषक के जीवन के हर पहलू को उधेड़कर रख देता है। तथा शाइनिंग इण्डिया स्वस्थ्य इण्डिया के नारे की पोल खोल देता है। कृषकों को ऋण देना उनका ऋण माफ करना। बेकार की बहस कर टीवी चैनल अपना नाम कमाते हैं कि इस सरकार ने कर्ज माफ किया वास्तविक में कर्ज किसानों का नहीं बल्कि साहूकारों का माफ होता है। इस वास्तविकता को फाँस उपन्यास सामने रखता है।

फाँस की कथा, बेहद करुण दारुण व दिल दहला देने वाली है। प्रेमचंद ने कृषक के एक पहलू शोषण का चित्रण होरी के माध्यम से किया उसके दूसरे पहलू 'आत्महत्या' को यह उपन्यास दर्शाता है। तभी तो राजेन्द्र यादव कहते हैं कि संजीव प्रेमचंद की परम्परा के उपन्यासकार है। उपन्यास के कवर पेज के पीछे विट्टल बाघ की कविता भारतीय कृषक जीवन के इतिहास को समेटे हुए हैं। कहते हैं–''तुम्हारी चिता जलाने पर श्मशान में एक बूढ़ा कह रहा था। अब कपास और जवार बोयेगें तो हराम की मौत मरेंगे।'' यह मौत प्रेमचंद के होरी से लेकर फाँस के शिबू तक की कहानी को दर्शाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गोदान का वर्तमान समय में पुनर्पाठ है संजीव का उपन्यास फाँस।

1 कविवचन सुधा 18 मई 1974

2 प्रेमचंद–गोदान, पृ. 7–8

3 प्रेमचंद–गोदान, पृ. 5

4 प्रेमचंद–गोदान, पृ. 280

5 प्रेमचंद–गोदान, पृ. 6

6 संजीव–फांस, पृ. 9

7 संजीव–फांस, पृ. 10

8 संजीव–फांस, पृ. 15

9 संजीव–फांस, पृ. 175

10 संजीव–फांस, पृ. 54

11 संजीव–फांस, पृ. 14

12 संजीव–फांस, पृ. 19

13 संजीव–फांस, पृ. 61

14 संजीव–फांस, पृ. 203

15 संजीव–फांस, पृ. 69

16 संजीव–फांस, पृ. 199

17 संजीव–फांस, पृ. 128

18 संजीव–फांस, पृ. 255

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

समृद्ध महिलाएँ : महिला सशक्त समाज

❒ डा. विभा सिंह*

शोध सारांश

''लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत करना होगा। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है।''

प्रस्तावना :— समावेशी विकास में यह सुनिश्चित करना शमिल है कि विकास प्रक्रियाओं में सभी अधिकारविहीन और बहिष्कृत समूह हितधारक हों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) का मानना है कि कई समूहों को उनके लिंग, जातीयता, आयु, यौन अभिविन्यास, अक्षमता या गरीबी के कारण विकास के दायरे से बाहर रखा गया है। इस तरह के बहिष्करण से दुनिया भर में असमानता का स्तर बढ़ा है। विकास तब तक गरीबी को प्रभावी ढंग से कम नहीं कर सकता जब तक सभी समूह अवसरों के सृजन में योगदान नहीं करते, विकास के लाभ साझा नहीं करते और निर्णय लेने में भागीदार नहीं बनते। समावेशी विकास का लक्ष्य मतभेदों को समायोजित करने और विविधता का सम्मान करने में सक्षम समावेशी समाज का निर्माण करना है।

1990 के दशक के बाद से महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण की पहन को सबसे आगे रखा गया है ताकि शहरी और ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की पिछड़ेपन, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा को मिटाकर सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रक्रिया में विकास के क्षेत्र में काम करने वाली नारी अधिकारवारियों ने लैंगिक समानता और सिर्फ विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पसंदीदा रणनीति के रूप में सशक्तीकरण की अवधारणा के वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह स्वीकार करना कि महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं भागीदारी, बातचीत, प्रभावित करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले संस्थानों को जवाबदेह बनाने में अपनी पसंद और स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं, सही दिशा में एक कदम है। हालकिं, महिला सशक्तीकरण तभी हासिल होगा जब महिलाएं अपने सशक्तीकरण को एक सार्थक लक्ष्य मानेंगी। इसके लिए महिलाओं की शक्ति का दोहन करने, उनकी क्षमताओं का उपयोग करने और महिलाओं को उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। ऐसी स्थितियां बनाना भी जरूरी है जिनमें इन लक्ष्यों को संभव बनाने के लिए महिलाओं की आवाज को उनके सशक्तीकरण की नीतियों तथा कार्यक्रमों (विश्व बैंक 2014) में प्रमुख शर्त के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जाएं। विश्व बैंक (2002) लोगों की पसंद तथा भागीदारी के लिए कार्रवाई में स्वतंत्रता, बातचीत,

* समाजशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय चुरहट, सीधी (म.प्र.)

प्रभाव, नियंत्रण को बढ़ानें और उनके जीवन को प्रभावित करने वाली संस्थाओं को जवाबदेह बनाने को सशक्तीकरण मानता है।

सशक्तीकरण एक बहुआयामी, बहुपक्षीय और बहुस्तरीय अवधारणा है। महिला महिलाएं संसाधनों पर अधिक नियंत्रण हासिल करती हैं। ये संसाधन हैं– सामग्री, मानव और बौद्धिकता जैसे ज्ञान, जानकारी, विचार और वित्तीय संसाधन जैसे धन तथा धन तक पहुंच और परिवार, समुदाय, समाज तथा राष्ट्र में निर्णय लेने और 'सत्ता' हासिल करने के लिए नियंत्रण।

अपने स्वयं के परिवार में महिलाओं की आवाज नहीं होने की गंभीर स्थिति में हाल के दिनों में बड़ा बदलाव आया है। आधुनिक महिलाएं अब घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। उन्हें अब हर तरह से अपनी योग्यता का एहसास हो रहा है। वे घर और कार्यस्थल दोनों जगह पुरुषों के साथ समानता तथा न्याय की मांग कर रही है। उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बना ली है, चाहे वह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या सशस्त्र बल हों। चाहे शहर हो या गांव वहां लगभग हर पांचवी महिला एक उद्यमी है।

गर्भ में बालिकाओं के संरक्षण से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मातृत्व की अपनी यात्रा के माध्यम से महिला को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को उनकी गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि के दौरान वित्तीय सुरक्षा देती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मातृत्व लाभ अधिनियम का संशोधन है, जिसमें कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह के भुगतान मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कार्यक्रम बालिकाओं की शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मददगार हैं। केवल एक स्वस्थ महिला ही सशक्त महिला हो सकती है इसीलिए महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला जैसी योजनाएं लागू की गई है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के कार्यक्रम –

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना :–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण महिलाओं पर केंद्रित एक प्रमुख परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से सार्वभौमिक सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करना है। इसके तहत प्रत्येक चयनित गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्व सहायता समूह (एसएचजी) के दायरे में लाया जाना है। मिशन के अंतर्गत सभी कमजोर समुदायों तक पहुंचने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार के लिए प्रासंगिक, इस मिशन के दो अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू–जीकेवाई) का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से अधिक की नौकरी उपलब्ध कराना है। यह इस दिशा में की गई कई पहल में से एक है। इसके तहत लाभार्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है, इसके लिए सामाजिक रूप से वंचित लाभार्थी समूहों में एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना एक अन्य घटक है जिसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार करना और सशक्तीकरण के अवसरों को बढ़ाना है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सशक्तीकरण :– निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और उनसे अपेक्षित नेतृत्व भूमिकाओं को संभालने और अधिक समृद्ध भविष्य के लिए अपने गांवों का मार्गदर्शन करने में मदद के उद्देश्य से एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जमीनी स्तर पर पिछले अनुभवों के आधार पर यह महसूस किया गया है कि शासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के

लिए उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने के वास्ते निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण है। एक सशक्त निर्वाचित महिला प्रतिनिधि सुनिश्चित कर सकती है कि उसके समुदाय की महिलाओं में भी इस प्रकार की समझ पैदा की जा सकती और उनमें बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी, जागरूकता और कानूनी सशक्तीकरण से उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण में मदद मिलेगी। स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से वास्तव में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के विषयों की ज्यादातर पुरुष सदस्यों द्वारा अनदेखी की जाती है।

राष्ट्रीय महिला कोष :—राष्ट्रीय महिला कोष, अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को आय अर्जन की गतिविधियों के लिए ग्राहक हितैषी और बिना परेशानी के छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। इसके तहत मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों को मजबूत कर और लघु वित्त पोषण, उद्यम विकास, बचत तथा ऋण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ऋण प्रबंधन की शिक्षा को, स्व प्रबंधन के लिए समूहों के बीच नेतृत्व प्रशिक्षण, व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के लिए कौशल, प्रशिक्षण के साथ—साथ क्रेडिट के प्रावधान के साथ एकीकृत किया गया है।

महिला शक्ति केंद्र :—ग्रामीण महिलाओं की सहायता और उन्हें अभिसरण सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना 'महिला शक्ति केंद्र' को मंजूरी दी गई है। इस योजना को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के वास्ते मिशन की अम्ब्रैला स्कीम के तहत एक उप योजना के रूप मे स्वीकृति दी गई है। इस योजना की परिकल्पना ग्रामीण महिलाओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके हक के लिए सरकार से संपर्क करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करने के लिए की गई है। महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने योग्य स्थितियों का निर्माण करने के लिए देश भर में चयनित जिलों/ब्लॉकों में ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता की एकसमान पहुंच के लिए अभिसरण समर्थन का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से देश के सबसे पिछड़े 115 जिलों में ग्रामीण महिलाओं सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कॉलेज के विद्यार्थी स्वयंसेवियों के माध्यम से महिला शक्ति केंद्र की ब्लॉक स्तर की पहल के तहत सबसे पिछड़े 115 जिलों में सामुदायिक जुड़ाव की परिकल्पना की गई है। विद्यार्थी स्वयंसेवक विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ब्लॉक स्तर पर यह योजना विद्यार्थी स्वयंसेवकों को अपने स्वयं के समुदायों में परिवर्तन लाकर विकास प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं और भारत की प्रति में बराबर की भागीदार हैं।

महिलाओं के लिए सूचना का राष्ट्रीय भंडार (एनएआरआई) :— महिलाओं के लिए सूचना का राष्ट्रीय भंडर (एनएआरआई) नामक एक पोर्टल तैयार किया गया है, जो महिलाअें के लिए योजनाओं और पहलों के बारें में जानकारी तक नागरिकों को आसान पहुंच प्रदान करेगा। महिलाओं के लिए प्रासंगिक विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की सभी जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। इसका उपयोग महिला शक्ति केंद्र के कर्मचारियों द्वारा जमीनी स्तर पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा सरकारी योजनाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार के लिए किया जाएगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :— बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं की शुरुआत लड़कों की तुलना में लड़कियों

की कम होती संख्या की समस्या के समाधान के लिए की गई थी। बाद में इसका विस्तार किया गया और इसके तहत अन्य सरोकारों जैसे पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू करना, लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करना और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों को प्रेरित करे के प्रावधान शामिल किए गए। 2015 में शुरुआत के बाद से, यह स्वतंत्र रूप से स्थानीय डोमेन में भी व्यापक रूप से बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) :– कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए 9046 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य 0–6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती तथा स्तरपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में, परिभाषित लक्ष्य के साथ समयबद्ध तरीके से सुधार करना है। इनमें से कुछ लक्ष्य इस प्रकार हैं–

बच्चों (0–6 वर्ष) में वृद्धि में रुकावट को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से 6 प्रतिशत तक रोकना और कम करना। बच्चों में अल्पपोषण (0–6 वर्ष) को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से 6 प्रतिशत तक, छोटे बच्चों (6–59 महीने) में एनीमिया (खून की कमी) को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से 9 प्रतिश तक, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं में एनीमिया का प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से 9 प्रतिशत तक कम करना, जन्म के समय कम वजन को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से 6 प्रतिशत तक कम करना। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत भी महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। इसके तहत लाभार्थियों को गर्भावस्था के दौरान और अस्पताल में प्रसव के बाद 6000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, 2017–18 के दौरान सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 2016.37 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और 1991.72 करोड़ रुपये जारी किए गए।

पूरक, पोषण (आईसीडीसी) नियम, 2017 को प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6 महीने से 6 वर्ष तक एक वर्ष में 300 दिनों के लिए पोषकों से भरपूर आहार के अधिकार को विनियमित करने के लए अधिसूचित किया गया था।

स्वाधार गृह योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करती हैं। इसके तहत आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा और देखभाल की सुविधाएं विशेष रूप से प्रदान की जाती है। उन्हें परिवार/समाज में पुनः समायोजन के लिए सक्षम बनाने के वास्ते कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। उनका भावनात्मक और आर्थिक रूप से पुनर्वास किया जाता है ताकि वे नए सिरे से जीवन शुरू कर सकें। वर्तमान में, देश में 561 स्वाधार गृह हैं और 17,291 महिलाओं को इनसे लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, वृंदावन के सुनरख बांगर में 1000 बेसहारा महिलाओं को शरण देने की क्षमता वाले एक विधवा गृह निर्माण किया गया है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों ने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में समक्ष बनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया, जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भी महिलाओं के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सशक्तीकरण के एजेंडे में सभी स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और पैनिक बटन महिलाओं के सशक्तीकरण की यात्रा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी) महिलाओं के लिए स्थानीय पुलिस के एक प्रभावी विकल्प साबित

होंगे। महिला पुलिस स्वयंसेवकों को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संकट में फंसी महिलाओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक पुलिस इंटरफेस के रूप में शुरू किया गया था। महिला पुलिस स्वयंसेवक, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। ये स्वयंसेवक 5 राज्यों में कार्यरत हैं।

महिला–ई–हाट वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक पहल है। यह महिला उद्यमियों/स्व सहायता समूहों/गैर सरकारी संगठनों के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इसे 1450 लाख से अधिक लोगों ने देखा। बाईस राज्यों की महिला उद्यमियों/स्व सहायता समूहों/गैर सरकारी संस्थाओं ने लभगभ 18000 उत्पादों/सेवाओं का प्रदर्शन किया। तीन लाख लाभार्थियों के साथ इसमें 23000 पंजीकृत स्व सहायता समूह है। छह महीने में, महिला उद्यमियों/स्व सहायता समूहों/गैर सरकारी संस्थाओं ने 20 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारतीय समाज के गरीब वर्गों की सहायता करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस (पीएलजी) उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः

क) महिलाओं की हैसियत बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना।

ख) जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद।

ग) जीवाश्म ईंधन पर आधारित कुकिंग से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना।

घ) खाना पकाने के अस्वच्छ ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना, जोकि भारत में हर साल लगभग 5 लाख है।

ड़) जीवाश्म ईंधन को जलाने से घर के अंदर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर श्वसन बीमारी से छोटे बच्चों का बचाना। यह योजना मूल रूप से गरीब महिलाओं की मदद के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना है।

आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण का प्रमुख घटक है और इसके लिए वित्तीय समावेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कुल साल पहले तक, बैंक खाता खोलना एक कठिन काम माना जाता था। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं सुलभ हो गई हैं। जन धन योजना के तहत 16.42 करोड़ महिलाओं के खाते खोले गए हैं।

उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करनाः

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, सरकार ने छोटे उद्यमियों को गारंटर की आवश्यकता क बिना ऋण प्रदान किया है। इनमें से 75 प्रतिशत ऋण महिलाओं को दिया गया है, जिसमें 9ण्81 करोड़ महिला उद्यमी पहले से ही इस योजना के तहत लाभान्वित हो रही है। 47 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों (एसएचजी) को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत बढ़ावा दिया गया है, उन्हें 2,000 करोड़ रूपये से अधिक का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। वास्तव में, सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण राशि में पिछले वित्त वर्ष में 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।

कौशल विकास : महिला कार्यबल की क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं ने उद्योग से संबंधित कौशल परीक्षण लिया है। अब तक इस योजना के तहत प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों में से आधे महिला उम्मीदवारों को दिये गये है।

मातृत्व सशक्तीकरण : कार्यबल में महिलाओं को बनाए रखने के लिए, मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि कामकाजी महिलाओं के लिए अनिवार्य भुगतान मातृत्व अवकाश की अवधि को 26 सप्ताह तक बढ़ाया जा सके। यह कामकाजी महिलाओं

को सशक्त बनाता है क्योंकि इससे उन्हें प्रसव के कारण वेतन या नौकरी खोने का डर नहीं सताता और उन्हें अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा उसे स्तनपान कराने का भी समय मिलता है।

अंतरिम बजट – 2019

अंतरिम बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 29,165 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह इसमें 2018–19 (4,856 करोड़ रूपये) के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढेगी।

छोटे और अति लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनें वाले प्रधानमंत्री मुद्रा कार्यक्रम के तहत लाभ पाने वालों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। जन धन योजना भी महिलाओं की मदद करती है। 'ब्ल इकोनॉमी' विशेष रूप से मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं से महिलाओं को लाभ हो सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। अंतरिम बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए 174 करोंड़ रूपये बढ़ाए गए है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को काफी लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

देश की लगभग 50 प्रतिशत महिला आबादी के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण के बिना विकास की यात्रा पूरी नहीं की जा सकती है।महिला विकास के प्रति एक बहु दिशात्मक व्यवस्थित दृष्टिकोण निश्चित रूप से देश को इस मार्ग पर काफी आगे ले जाएगा।

देश में युवतियों के सामाजिक, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकीय नवाचार के लिये महत्वपूर्ण माध्यम है। उनकी सामूहिक ऊर्जा और दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र के विकास का इंजन है। यह निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे युवतियों के सभी वर्गों को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े युवतियों, दिव्यांगों, ग्रामीण युवतियों और आदिवासियों के लिये शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के एकसमान अवसर पहुंचाने के लिये पर्याप्त अवसर और कार्यक्रम प्रदान करें।

संदर्भ स्रोत :–

1– नीलिमा श्रीवास्तव, लिंडा लिने, सुमिता ढलः मीटिंग द चैलेंजिस ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट

2– शाहीन रजी : वूमैन – ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवलेप्मेंट

3– विभिन्न समाचार पत्र।

4.योजना मार्च – 2019

5.कुरुक्षेत्र अगस्त 2019 विशेषांक

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

नलचम्पू का समाज विधान

❑ डा. नर्मदा प्रसाद शर्मा*

शोध सारांश

मनुष्य की पहचान और अन्य जीवों से उसकी भिन्नता निश्चित करने के लिए उसकी जिन विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। उनमें एक प्रमुख तत्व यह है कि वह एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे तो सभी जीव किसी न किसी प्रकार के समूह में रहते हैं किन्तु उनका सामूहिक जीवन मानव के समाज की कल्पना से भिन्न है। जहाँ अन्य जीवों में शारीरिक सुरक्षा और उदर–पूर्ति जैसी आवश्यकताओं के लिए एकत्रित रहने की सहज प्रवृत्ति होती है, समाज की अवधारणा इन प्रवृत्तियों तक सीमित नहीं है। समाज की संरचना बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम है। मनुष्य के द्वारा समाज का निर्माण प्राकृतिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अवसर और व्यवस्था प्रदान करता है जो मानव की अपनी है, जो अन्य जीवों से उसके पृथकत्व के लक्षण हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व में केवल शरीर ही नहीं है, उसके मन और बुद्धिकी भूमिका शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति, अपनी विचार और विमर्श की बौद्धिक शक्ति के समुचित उपयोग को भी महत्व देता है। इस दृष्टि से समाज अन्य जीवों के समूह से सर्वथा भिन्न है। किन्तु इससे भी अधिक महत्व का अन्तर यह है कि जहाँ अन्य जीव प्रायः अन्ध प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर साथ होते हैं; मानव में समाज के रूप में संगठित जीवन के प्रयासों का उद्भव चेतन अनुभूति और बौद्धिक विचार के फलस्वरूप होता है। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मानव जाति के समग्र उत्थान के लिए वर्णव्यवस्था एवं आश्रम व्यवथा का समावेश प्रस्तुत आलेख में किया गया है।

शब्दबीज :– नलचम्पू, समाज विधान, वर्णव्यवस्था, आश्रम व्यवस्था कल्पना शक्ति, बौद्धिक शक्ति आदि।

प्रस्तावना :– किसी भी देश या समुदाय के समाज की व्यवस्था का जो रूप उभरता है वह कुछ तो समस्त मानवों के लिए समान आवश्यकताओं के संदर्भ में होता है और कुछ वहाँ की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मानव जाति की उत्पत्ति एक लम्बी विकास–प्रक्रिया का परिणाम है। एक साथ तथा परस्पर सहयोग एवं आदान–प्रदान और समान भाषा एवं जीवन–पद्धति के साथ रहने वाले मानव समूह से ही समाज की संरचना होती है। एक निश्चित् भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न समानताओं के साथ रहने वाले

* आचार्य, नगरनिगम श्री लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, गोविन्दगंज जबलपुर (म.प्र.)

मानव–समूह से समाज और समाज की धारणा के साथ ही कुछ निश्चित संस्थानों का आविर्भाव अवश्यम्भावी हो जाता है।

साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है। अतः उसके द्वारा तत्कालीन समाजिक जीवन एवं संस्थाओं का परिचय प्राप्त किया जा सकता है तथा समायानुसार होने वाले परिर्तनों का अध्ययन भी किया जा सकता है। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक जीव है। निसर्ग सिद्ध संस्कारों की सहायता से वह सामाजिक विकास का प्रारम्भ करता है। आत्मरक्षण व एकत्रित रहने की नैसर्गिक वृत्तियों का इसमें विशेष हाथ है। इन वृत्तियों के कारण पारिवारिक जीवन से ही सामाजिक विकास का प्रारम्भ होता है। इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित होकर तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से सताये जाने पर बहुत से परिवार अपने को एकता के सूत्र में बाँधना सीखते हैं; और उनमें एक संगठित शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आचार–विचार, आदर्श आदि की एकता पर यह संगठन निर्भर रहता है। इस प्रकार के मानव समुदाय को ही समाज कहते हैं। समाज में ही संगठन शक्ति, सांस्कृतिक विकास आदि के भाव समाविष्ट हैं। वहं समाज सभ्य या सुसंस्कृत कहलाता है, जहाँ पारिवारिक जीवन का पर्याप्त विकास हो चुका है, और अनेकों विकासति परिवार आचार–विचार, आदर्श आदि द्वारा एकता के सूत्र में बँधकर रहना सीख चुके हों। प्राचीन भारत पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि पारिवारिक जीवन के सदृश सामाजिक जीवन भी नैसर्गिक और वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर विकसित हुआ था।

पुण्य श्लोक नल की कथा अत्यन्त पुरातन है किन्तु नल के माध्यम से राष्ट्रकूटों की संस्कृति और समाज का विशदचरित्र नलचम्पू ग्रन्थ में प्रतिफलित हुआ है। लोक चित्रण में भी त्रिविक्रम भट्ट ने एक नया कार्य किया है वह है निम्न श्रेणी या सामान्य श्रेणी के लोगों का चित्रण। त्रिविक्रम भट्ट ने अपनी कृति में उच्चश्रेणी की अपेक्षा सामान्य श्रेणी के लोगों का चित्रण अधिक रमणीय ढंग से किया है।

कवि की कृति दर्पण होती है उसकी रचना में तात्कालिक वातावरण स्पष्ट रूपसे परिलक्षित होता पुराण प्रख्यात नलोपाख्यान अत्यन्त प्रसिद्ध है जिसे त्रिविक्रम भट्ट ने नवीन रूप देकर एक अभिनव प्रस्तुति दी है। कवि ने नलचम्पू के माध्यम से राष्ट्रकूट हिन्दू संस्कृति, तथा तत्कालीन समाज का चित्रण किया है।

नलचम्पू का समाज विधान पूर्णतया सनातन वैदिक संस्कृति एवं परम्परा का समाज है। वह सभ्य सुसंस्कृत एवं मर्यादाओं से आवेष्टित हैं। व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि के महत्व पर अधिक ध्यान दिया जाता था। बन्धुत्व तथा मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण समाज नलचम्पूकार को इष्ट था जिसका कि चित्रण कवि ने अपनी इस प्राचीनतम नलचम्पू कृति में प्रस्तुत किया है।1

वर्णाश्रम–व्यवस्था –

समस्त समाज का पुरुष का रूपक भी दिया गया है, और उसके भिन्न–भिन्न अङ्गों का वर्णन किया गया है। इस रूपक से यह ही ध्वनित होता है कि जिस प्रकार शरीर के सब अङ्ग एक दूसरे से भली–भाँति सम्बद्ध है; और यदि किसी एक अङ्ग में कुछ पीड़ा हो जाये तो उसका अनुभव समस्त शरीर में होता है, उसी प्रकार समाज की दशा है, यही समाज का लक्षण भी है। पुरुष सूक्त में कहा गया है–''पुरुष का मुख ब्राह्मण था, भुजाएँ क्षत्रिय तथा उसकी जङ्घाओं से वैश्य हुए और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।2

इस तरह समाज रूपी पुरुष के मुख से मुख, भुजाएँ, जंघाएँ और पैर क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक चार वर्ण बन गए।

ब्राह्मण :–

मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ही सबसे उँचा और आवश्यक अङ्ग में ''मुख'' से केवल भोजन करने वाले मुँह का तात्पर्य न होकर मस्तिष्क का भी उसमें समावेश है। मस्तिष्क वह आवश्यक अङ्ग है जिसके बिगड़ने पर मृत्यु ही एकदम समझी जाती है, मानव शरीर में मस्तिष्क उसकी सम्पूर्ण क्रियाओं का संचालन करता है। तथा उदात्त भावनाओं को उत्पन्न कर उसे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। उसी प्रकार समाज का मस्तिष्क भी आवश्यक है तथा अत्यन्त वांछनीय है। समाज में मस्तिष्क स्थानीय वही व्यक्ति होते हैं जो निसर्ग सिद्ध शक्तियों का समीचीन विकास कर अपने मस्तिष्क से उत्तम उदात्त एवं सुन्दर विचार उत्पन्न करते हैं, तथा समाज को सन्मार्ग में प्रवृत्त कर उन्हें उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। इन व्यक्तियों को ब्राह्मण नाम से सम्बोधित किया गया है, क्योंकि इनका जीवन ब्रह्म प्राप्ति या सत्य की खोज में व्यतीत होता था। समाज जो भी

विचार करता या बोलता इन्हीं के द्वारा बोलता था 'ब्राह्मण' आजीवन ज्ञानोपार्जन ज्ञान वितरण और समाज सेवा आदि कार्य में संलग्न रहते थे। वे त्याग वृत्ति जीवन व्यतीत करते थे और सांसारिक वैभव की चिन्ता नहीं करते थे। तथा राज दरबार में इनका बहुत सम्मान होता था। राजा को मन्त्रणा देते थे।

उपर्युक्त दृष्टि से नलचम्पू में भी वर्ण–व्यवस्थात्मक समाज का स्वरूप उपलब्ध होता है। सालङ्कायन एवं उनके पुत्र श्रुतिशील ऐसे ही ब्राह्मण थे, जो विद्वान्, बुद्धिजीवी तथा समाज के हित चिन्तक थे। नलचम्पूकार स्वयं महर्षि जो शांडिल्य के वंश में उत्पन्न हुए थे, जो शांडिल्य महर्षि मुनियों और मानव समूहों के श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा वन्दनीय चरण कमल वाले थे। तथा यज्ञ कर्म में निष्णात थे। ब्राह्मणों के विषय में नलचम्पू में उल्लेख है कि वे विद्वान् पवित्र, सत्यवादी, ब्रह्म तेज सम्पन्न, अभिनंदनीय आचरण वाले, ब्रह्म ज्ञानी, यज्ञोपवीती होते थे। ऐसे ये भारतीय महापुरुश राजा से कुछ नहीं लेते थे, किन्तु समाज हित में वे उन्हें सन्मंत्रणा देते थे। वे अग्निहोत्री होते थे–

''श्रूयन्ते च यत्र श्रवणोचिताश्चन्दनपल्लवा इव केचिदनूचानाः शुचयः सत्यवाजो विरिविचसोऽर्चनीय. चाराब्रह्मविदो ब्राह्मणाः।'' 3

क्षत्रिय :–

समाज पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न क्षत्रिय बाह्म एवं आभ्यन्तर शत्रुओं से समाज की रक्षा करते थे। प्रजा–रक्षण करना तो उनका मुख्य कर्तव्य था ही साथ ही वेदन–पठन, यज्ञ करना, दान देना, इन्द्रिय निग्रह आदि उनके मुख्य कर्त्तव्य थे। जो प्रजा को कष्ट देता था वे राजा नहीं कहलाते थे, उसे यज्ञ भी करना पड़ता था तथा अध्ययन भी करना पड़ता था। विषयासक्ति से दूर रहना भी उनके लिए आवश्यक था। इनके अतिरिक्त 'क्षत्रिय' को विशेष गुण प्राप्त करने पड़ते थे– जेसे – शौर्य अर्थात् शारीरिक शक्ति, तेज अर्थात् आत्मिक बल, धृतिदाक्ष्य अर्थात् व्यवहार कुशलता, युद्ध कौशल आदि। क्षत्रिय राजा होता था, वह समाज में देवता माना जाता था। क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण शौर्य तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और युद्ध से अपलायन तथा ऐश्वर्य हैं–

''शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्।।''

इन गुणों से सुशोभित क्षत्रिय समाज में सर्वत्र आदर पाते थे। सारी प्रजा क्षत्रिय जाति की ऋणी थी।

नलचम्पू में उपर्युक्त गुण–सम्पन्न क्षत्रिय राजा वीरसेन, भीम, नल आदि का वर्णन है। जो स्वयं सदाचार सम्पन्न विद्वान् तथा त्रिकाल सन्ध्या–वन्दन करने वाले हित चिन्तक तथा शैर्य सम्पन्न उदारमान थे। इनका मुख्य कर्त्तव्य राष्ट्र में सुख–शांति की स्थापना करना रहा है। इनमें उत्साह एवं आत्म बलिदान के भाव विद्यमान थे। ये क्षत्रिय राजा अध्ययन और सत्संग के द्वारा अपने कर्त्तव्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये थे।

वैश्य :–

वैश्य समाज का पोषक रहा है, उसका प्रधान कर्म कृषि रहा है। समाज के भरण–पोषण का भार वैश्यों को वहन करना पड़ता था। समाज के अर्थिक विकास के सारे उत्तरदायित्व इन्हीं पर निर्भर थे। सम्पत्ति वृद्धि के आयोजन व साधन जुटाना इन्हीं का कर्त्तव्य रहा है। कृषि प्रधान कर्म वाले अन्न उत्पादन कर सारे समाज का उपकार करता था। भारतीय समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय कृषि कार्य नहीं रते थे। वे अपने ज्ञान–दान और शान्ति व्यवस्था के बदले वैश्य के उत्पादन में से उचित भाग प्राप्त करने के अधिकारी थे। वैश्य का जीवन बहुत कार्य–शील रहता था। वे प्रायः निस्पृह रहते थे, और अपनी सम्पत्ति उदारतापूर्वक समाज सेवा में लगा देते थे।

वैश्य के लिए आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मर्णों की सेवा करना, धन संचय से सन्तुष्ट न होना स्वाभाविक कर्म था। ''कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्''4

वेदादि का अध्ययन यज्ञ करना व्यापार उद्योग करना, कृषि कर्म करना, पशुओं की रक्षा करना, दान देना, साधारण ब्याज लना आदि वैश्यों के कर्त्तव्य थे। इस प्रकार ब्राह्मण समाज को ज्ञान, क्षत्रिय शांति और वैश्य भोजन तथा वस्त्र देते थे। नलचम्पू में आपण तथा मेष, गोष्ठ, भेड़ों तथा अन्य पशुओं की पर्याप्त चर्चा से तथा वर्ण व्यवस्थात्मक समाज व्यवस्था होने से, तथा राज्य के धनधान्य से पूर्ण होने के कारण वैश्य धर्म का कर्त्तव्य निरत होना सिद्ध होता है।

शूद्र :–

भारतीय समाज का यह सबसे उपयोगी अङ्ग रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को अपने सहयोग से सुखी करना उसका कार्य रहा है। वह वैश्य के साथ रहकर कृषि और गाय, हाथी, घोड़े आदि पशुपालन में उसका सहयोग करता था। शूद्रों का धार्मिक जीवन सरल और पवित्र था, समाज की सेवा का सम्पूर्ण भार इन्हीं पर रहता था। प्राचीन समाज में ऊँच–नीच का भेदभाव नहीं था इसलिए सेवा कर्म के कारण शूद्र को नीचा नहीं समझा जाता था। सभी वर्ण अपने–अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। समाज को चारों वर्णें की ही आवश्यकता थी किसी एक के न रहने से वह सुचारू रूप से नहीं चल सकता था।

''नलचम्पू में वर्णव्यवस्था सुव्यवस्थित विद्यमान होने से शूद्रों का भी होना सिद्ध होता है। ऊँटों हथिनियों को लाना गाड़ियों को जोतना, पर्ण कुटीरों को लपेटना, आदि कार्य तथा अन्य सेवा कार्य के लिए यही अन्तिम वर्ण विद्यमान था। '' व्याधों की चर्चा और उनके स्वरूप–लाल कपड़े बाँधे हुए हाथ में डण्डे लिए हुये, क्रूर कार्य के अनुकूल वेष धारण किये मृग फसाने वाले जाल लिये, यमराज के दूतों की तरह हाथ में पाश लिये हुए पाप–सम्पत्ति से सम्पन्न व्याध राजा के पीछे–पीछे चल पड़े।5''

प्राचीनकाल मानव जाति में जन्म लेने के नाते मानव–धर्म का पालन करना सबके लिए आवश्यक माना जाता था। मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण का हो, उसे सदाचारी बनने से कोई नहीं रोक पाता था। क्रोध न करना सत्य बोलना, धन को बाँटकर उपभोग करना, क्षमा, पर स्त्री को पूज्य भाव से देखना, पवित्रता, द्रोह न करना सरलता और आश्रित प्राणियों का भरण–पोषण करना ये सभी वणों के लिए समान कर्त्तव्य निर्धारित किये गये थे। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था की तरह समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिये शास्त्रों में आश्रम व्यवस्था का भी संविधान दृष्टिगोचर होता है, जिसका परिचय निम्नानुसार संकेतित है।

ब्रह्मचर्याश्रम :–

प्रचीन काल में मनुष्य जीवन के चार विभाग किये गए थे। जिन्हें चार आश्रमों में बाँट दिया गया था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही बालक को गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश करना पड़ता था, जहाँ कम से कम पच्चीस वर्ष की अवस्था तक रहना पड़ता था। वहाँ वह एक, दो या तीन वेदों का अध्ययन् करता था।

ब्रह्मचारी को अपना जीवन अत्यन्त ही सरल बनाना पड़ता था, और विचार बहुत ही उदात्त रखने पड़ते थे। ''अग्निचर्या'' सबसे बड़ा कर्त्तव्य था। गुरुकुलों में भैक्षचर्या की प्रथा कार्य रूप में लई जाती थी। इस सम्बन्ध में मनु ने चित्रित किया है–

''षट्त्रिंशाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्। तदर्धिकं पादिकं दा ग्रहणान्तिक मेवा वा।। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्। अविलुप्तब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम–मावसेत्।। 6

गृहस्थाश्रम :–

विद्या समाप्ति के पश्चात् ब्रह्मचारी स्नातक बनकर विवाह करता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। क्योंकि अन्य तीन आश्रमों का अस्तित्व इसी पर निर्भर रहता था। क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व सन्यासी उदर–निर्वाह के लिए गृहस्थ पर अवलम्बित रहते थे। इसीलिए इसे अन्य आश्रमों का आधार स्तम्भ कहा जाता था। गृहस्थियों को सच्चे नागरिक बनना पड़ता था। आश्रम में तीन–ऋणों को चुकाने का जो सामर्थ्य प्राप्त किया गया था, उसे मूर्त स्वरूप देने का अवसर इसी आश्रम में रहता था। इन गृहस्थाश्रमो पभोगियों को अपना जीवन इस प्रकार बनाना पड़ता था, जिससे मानव जीवन के उदात्त ध्येय तक पहुँच सकें। पितृ–ऋण से मुक्त होने के लिए उत्तम–उत्तम सन्तान पैदा करनी पड़ती थी। वेदाध्ययन द्वारा आत्म विकास के मार्ग में अग्रसर होकर उन्हें अन्य दो ऋणों को चुकाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उन्हें धर्म, अर्थ, मोक्ष आदि की सिद्धि में लगना पड़ता था। इस आश्रम में भी नैतिकता को गौरव पूर्ण स्थान था। इन्द्रिय लोलुप्ता को कोई स्थान नहीं था। गृहस्थ को यज्ञादि द्वारा धार्मिक जीवन व्यतीत करके ग्राम, नगर, देश आदि के शासन–कार्य में भाग लेना पड़ता था। तदन्तर उसे वानप्रस्थ में प्रवेश करना पड़ता था।

वानप्रस्थाश्रम :–

उपनिषदों में कहा है कि दारैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा आदि को छोड़कर गृहस्थ वानप्रस्थ में प्रवेश

करते हैं। ये तीन प्रकार की इच्छाएँ ही मनुष्य को माया–मोह के जाल में फंसाती है। गृहस्थाश्रम में इन तीनों का यथेष्ट अनुभव लेकर उन्हें छोड़ देना ही उत्तम रहता है। जीवन के तृतीय विभाग में इस आश्रम में प्रवेश किया जाता था। प्रत्येक को तप की साधना द्वारा संयम प्राप्त कराना पड़ता था। गृहस्थाश्रम की त्रूटियों को यहाँ दूर किया जाता था। महराज मनु ने इस आश्रम का सुन्दर चित्रण किया है–

''अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः।अधीत्य विधिद्वेदानुपुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः।।''7

संन्यासाश्रम :–

पूर्णतया आत्म विकास के पश्चात् अन्तिम आश्रम में प्रवेश किया जाता था जिसे संन्यास आश्रम कहा जाता था। सांसारिक बन्धनों से पूर्ण मुक्त होकर काम्य कर्मो का परित्याग कर संन्यास लिया जाता था–

''काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः8''

मनु के अनुसार– ''अग्निहोत्रादि सभी कर्मो का परित्यागकर कर्म दोषों का नाश करते हुए नियमपूर्वक वेदाध्ययन करके पुत्र द्वारा प्रदत्त भोजनाच्छादन को प्राप्त करें एवं सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार कामों को छोड़कर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लीन होकर व निःस्पृह बनकर संन्यास के द्वारा पापों का हननकर परमगति को प्राप्त करता है''

इस प्रकार वर्णाश्रम–व्यवस्था उदार वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होता था। मनुष्य के मन–बुद्धि–आत्मा आदि के समीचीन अध्ययन् द्वारा उसके परम–हित को दृष्टिगत रखकर समाज शास्त्रीय इस वर्णाश्रम व्यवस्था को सुदृढ़ एवं विकसित किया गया था। वर्णाश्रम के कारण समाज में किसी भी प्रकार की विषमता फैलने नहीं पाती थी। इसी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विश्व–भातृत्व का सिद्धान्त अपनाया गया था। धनाढ्य, निर्धन, विद्वान्, मूर्ख सभी उस परम पुरुष के अङ्ग मात्र से इसलिए सहोदर भाई के समान थे।

अनुसन्धेय ग्रन्थ नलचम्पु–काव्य में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम–व्यवस्था अपने चरम–उत्कर्ष पर विद्यमान थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों में समाज विभक्त था। तथा समन्वयपूर्वक सभी अपने–अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग थे। प्रजापालन तथा राज्य संचालन का कार्य क्षत्रिय पूर्ण मनोयोग एवं कर्त्तव्य–निष्ठा के साथ किया करते थे तथा शास्त्रोक्त कर्म में निरत रहते थे। ब्राह्मण स्वाध्यायशील, सत्यवादी तथा राजा के कार्य में सन्मंत्रणा देकर सहयोग करते थे। कृषि कार्य वाणिज्य एवं पशु पालन करने वाले लोग भी विद्यमान थे तथा तीनों वणों की सेवा के द्वारा समाज के उपकारक चतुर्थ वर्ण भी था। निश्चित् रूप से चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के साथ नलचम्पू में आश्रम–व्यवस्था के भी संसूचक वृत्त उपलब्ध होते हैं। विद्याध्ययन के अनन्तर गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश कर वानप्रस्थ आदि की व्यवस्था थी।

नल के युवक हो जाने के बाद राज्य का कार्यभार उन्हें सौंपकर नल के पिता वीरसेन सपत्नीक आरण्य निवास हेतु वानप्रस्थ आरंभ में प्रवेश किये थे–''तदायुष्मन्नेष दृष्टोऽस्याश्लिष्टोऽसि क्षमितोऽसि दुरुक्तमुक्तः इत्यभिधायोत्गमारोप्य च तत्कालगलद्बहलवाष्पाम्बुप्लावितो वक्षसि निधाय परिष्वज्य च पुनः पुनः पुलककोरकित भुजलताभ्यामन्तर्मन्युभरनिरुध्य– मानोत्तरमजस्रमासमास त्वदश्रुक्लिन्न कपोलमाविर्भवन्मोहमूर्च्छान्धकारकुञ्चित लोनमिममाघ्रायमूर्धनि वनाय वनितासहायः प्रतस्थे।'9

संदर्भ स्रोत :–

1. ऋग्वेद – 10.10–12
2. भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास–डॉ. विमलचन्द्र पाण्डेय
3. नलचम्पू–प्रथमोच्छ्वास – पृ. 13
4. श्रीमद्भगवद्गीता–13–44
5. नलचम्पू प्रथमोच्छ्वास पृ॰64
6. मनस्मृति – 3–1–2
7. मनुस्मृति – 6.1. 35
8. श्रीमद्भगवद्गीता–5.1
9. नलचम्पू–चतुर्थोच्छ्वास – पृ॰ 235

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

महिलाओं के शैक्षिक जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव
(रीवा नगर के विशेष संदर्भ में)

❑ सुनीता शुक्ला*

प्रस्तावना–

भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का विश्व विख्यात केन्द्र था। विक्रमशिला, तक्षशिला, काशी, उज्जैन, नालंदा उस काल में प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध थे। विभिन्न क्षेत्र से यहां आए हुए विद्यार्थी विभिन्न विषयों को अध्ययन करते थे। ब्रिटिश कालीन भारत में लार्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित स्थानीय शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और पारंम्परागत शिक्षा प्रणाली बंद हो गई। भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली ब्रिटिशकालीन लार्ड मैकाल की शिक्षा पद्धति पर आधारित है।

देश की आजादी के बाद से अभी तक शिक्षा के विकास हेतु तीन प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा आयोगो का गठन किया जा चुका है। पहला शिक्षा आयोग 1948–49 में राधाकृष्णन आयोग उच्च शिक्षा के विकास हेतु गठित हुआ। दूसरा 1952–53 में मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु तथा तीसरा 1964–66 में कोठारी शिक्षा के समग्र विकास हेतु गठित किया गया।1

देश में शिक्षा के विकास एवं साक्षरता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम एवं योजनायें संचालित की जा रही है। जिससे निश्चित रूप से शैक्षिक प्रगति तथा साक्षरता में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। जैसे, 1963 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना, 1979 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979 अनौपचारिक शिक्षा योजना, 1987 ऑपरेशन ब्लैक लार्ड योजना, 1987 शिक्षा कर्मी परियोजना, 1988 महिला समस्या योजना, 5 मई 1988 राष्टीय साक्षरता मिशन, 1988 जनशिक्षण संस्थान योजना नवंम्बर 2000 सर्वशिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2001 शिक्षा गारंटी योजना, 2002 विद्या वाहिनी योजना 20004 राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम 2005, सूचना प्रौद्यागिकी योजना, 2 अगस्त 2005 ज्ञान आयोग का गठन, 2006 विशेष आवासीय बालिका विद्यालय योजना आदि इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ तथा साक्षरता बढ़ी है।2

देश में शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास 2010 में किया गया। जब 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में शिक्षा का अधिकार – अधिनियम 2009 (RTE- The Rights of children to three and compulsory Education Act-2009) अस्तित्व में आया है कि इस अधिनियम के अनुसार (संविधान कर अनुच्छेद 2(ए) जोडकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया।

कुंजी शब्द– आधुनिकीकरण, साक्षरता, प्रौद्योगिकी, अध्ययन , जागरूकता, हस्तांतरण

आधुनिकता पर समाजशास्त्रियों के विचार –

डॉ. श्यामचरण दुबे– ''आधुनिकता एक प्रक्रिया है, जो परम्परागत समाज में प्रौद्योगीकरण आधारित समाज की ओर अग्रसर होती हैं।''3

एम. एन. श्रीनिवास– ''किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष य परोक्ष सम्पर्क के कारण किसी गंर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द हैं, आधुनिकीकरण।''4

शोध का उद्देश्य–

(1) महिलाओं के जीवन में शिक्षा का क्या प्रभाव पडा उनके वर्तमान स्थिति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना।

(2) शिक्षा से संबंधित योजनाओ की जानकारी महिला रखती है कि नही इसका ज्ञान प्राप्त करना

* शोधार्थी (समाजशास्त्र), शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

(3) मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, के कारण महिलाओं के विचारों में क्या परिवर्तन आए है।

(4) रीवा नगर के महिलाओं के सामाजिक जीवन में आधुनिक परिवर्तनों के प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन का महत्व–

रीवा जिले में महिलाओं के जीवन में शिक्षा का क्या प्रभाव पडा, शिक्षा के द्वारा महिलाओं के सोंच में क्या सकरात्मक परिवर्तन आए महिलाऐं परंपरा के साथ में लेकर चल रही है कि आधुनिकता के साथ, रूढिवदिता से दूर हो गई है इन बातों की जानकारी प्राप्त करना।

प्रकृति परिवर्तनशील है साथ ही मानव समाज भी आधुनिक युग तकनीकि का प्रौद्योगिकीकरण युग है। पश्चिमी सभ्यता को देखकर महिलाऐं भी जीवन में चहुंमुखी विकास करने को तत्पर है। शिक्षा के द्वारा महिलाओ के सामाजिक पारिवारिक धार्मिक जीवन में आधुनिकीकरण का प्रभाव पडा है।

अध्ययन पद्धति एवं उपकरण–

शोध पत्र के तैयार करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया गया है उद्देश्यपूर्ण निर्दशन के द्वारा महिलाओं का चुनाव यिका गया साक्षात्कार अनुसूची पद्धथ्त, अवलोकन, पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया गया उद्देश्यपूर्ण निर्दशन विधि के द्वारा 50 महिलाओं को चुना गया जो समस्त का प्रतिनिधित्व करती है। सामान्यतः आधुनिकीकरण का प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रो पर पडा है। साक्षात्कार अनुसूची पद्धति के माध्यम से चयनित परिवारों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि आधुनिकीकरण के माध्यम से महिलाओं के शैक्षिक जीवन में क्या बदलाव सोचने की शैली में क्या बदलाव आए है किस किस क्षेत्र में बदलाव आए है इवस बारे से संबंधित प्रश्न पूछे गए है। तथ्य संकलन को दो भागो में बांटा गया है –

1. प्राथमिक क्षेत्र– प्राथमिक स्त्रोत में अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची तथा उद्देश्यपूर्ण निर्दशन विधि के माध्यम से 50 उत्तर दाताओं का चयन किया गया।

2. द्वितीयक स्त्रोत– द्वितीयक स्त्रोत के अंतर्गत प्रकाशित तथा अप्रकाशित ग्रंथों साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं, जगणना रिपोर्ट के द्वारा तय संकलित किए गये।

उपकल्पना–

जिज्ञासा मानव की मूल प्रवृत्ति है। और यही उसके वैज्ञानिक आधार के केन्द्र बिन्दु भी है। चिन्तन के स्तरों के दो भाग हो सकते है –

1. अनुसंधान के पहले का चिन्तन
2. अनुसंधान के बाद का चिन्तन

चिन्तन जो अनुसंधान के पहले किया जाता है उपकल्पना कहलाता है शोध के पहले, शोधकर्ता अनुसंधान के कारणों और परिणामों के बारे में एक निश्चित रूपरेखा बना लेते है उसे ही उपकल्पना कहा जाता है।

लुण्डवर्ग ने कहा है कि–एक उपकल्पना एक सामाजिक काम चलाउ समान्यीकरण है जिसके वैधता की जांच शेष रहती है।

प्रस्तुत शोध में मुख्य उपकल्पनाऍं निम्न है–

1. आधुनिकीकरण के कारण महिलाओं के सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है।
2. आधुनिकीकरण के कारण महिलाओं के शैक्षिक जीवन में बदलाव आया है।
3. शिक्षा के कारण महिलाओं के सोचने समझने की शैली में बदलाव आया है।
4. शिक्षा के कारण रूढिवदिता कें कमी आई है।

उपकल्पना का परीक्षण –

उपकल्पना– आधुनिकीकरण के कारण महिलाओं के सामाजिक संरचना में बदलाव आया है।

परीक्षण– प्रस्तुत शोधपत्र में जिस उपकल्पना का निर्माण किया गया है उसके परीक्षण के दौरान यह ज्ञात होगा कि आधुनिकीकरण के कारण परंपरागत सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। सामाजिक संस्थान जैसे संयुक्त परिवार परंपरागत हुआ है। अध्ययन कार्य के दौरान इसका परीक्षण किया जाएगा।

उपकल्पना– शिक्षा के कारण महिलाओं के सोचने समझने की शैली में बदलाव आया है।

परीक्षण– शिक्षा के द्वारा ज्ञान की बढत तो होती है व्यवहार सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आया है परंपरा रूढिवदिता को मानना व मानना महिलाओं की इच्छा पर निर्भर धर्मशास्त्र के बातों को आज के

समाज में महिलाऐं लागू नही करती इस उपकल्पनाओं का परीक्षण अध्ययन के दौरान किया जाएगा।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण –

प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा नगर को अध्ययन क्षेत्र में चयनित किया गया है। रीवा जिला म.प्र. के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम रेवा पर आधारित है। इसके उत्तर में उत्तरप्रदेश के बांदा तथा इलाहाबाद पूर्व तथा पूर्व उत्तर में मिर्जापुर जिला दक्षिण में सीधी जिला तथा दक्षिण पश्चिमम में सतना जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 6287 वर्ग कि. मी. है जो 9 तहसीलों हुजूर, सिरमौर, गुढ, रायपुर कर्चुलियान, मऊगंज, नईगढी, हनुमना, त्योंथर, तथा जबा में बंटा हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन का सीमा क्षेत्र हनुमना, मऊगंज तथा रीवा है।

रीवा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 235654 के लगभग है जिनमें 124012 पुरूष और 111642 महिलाऐं है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा–

भारतीय समाजशास्त्रियों ने भारत में विकसित हुयी आधुनिकता कर विश्लेषण करते हुए अपने विचार इस तरह प्रकट किए है।

एम एम श्रीनिवास ने अपनी कृति 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन' नामक पुस्तक के माध्यम से पश्चिमीकरण द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को इंगित करने का प्रयास किया है।

प्रो.योगेन्द्र सिंह की पुस्तक मार्डनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1972 आधुनिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहारों का एक विशेष रूप है जिससे सार्वभौमिक और विकासवादी लक्षणों का समावेश होता है यह लक्षण मानवतावाद से संबंधित होने के साथ ही संजातियता और किसी विशेष विचारधारा से पृथक होते है।

इसमें इन्होने सैद्धांकि किया है इन्होने बताया कि आधुनिकीकरण की विशेषताऐं परंपरा से अलग होता है इसके बाद भी नव किसी समाज का आधुनिकीकरण होना आरंभ होता है तो उसमें परंपरा के कुछ तत्वों का भी प्रभाव बना रहता है।

तथ्यों का संकलन वर्गीकरण एवं विश्लेषण –

महिलाओं के आधुनिकी करण में शिक्षा की ही अहम भूमिका है, महिला इन बातों से कितना राजी है। इन बातों का पता शोधार्थी द्वारा पता लगाया गया।

तालिका क्र.1

बालक बालिका के साथ अध्ययन पर नजरिया का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	उचित है	35	70
2.	अनुचित है	10	20
3.	स्पष्ट नहीं	05	10
	योग	50	100

लड़की लड़का के साथ पढ़ा जाना पहले बहुत बड़ी समाज विरोधी बात थी, लोगो का मानना था कि किशोर बालक बालिका का साथ पढ़ता उचित नहीं है, इसलिए शोधार्थी द्वारा पूछे जाने पर 50 महिलाओं में से 10 महिलाओं में इसे अनुचित माना है, और तर्क दिया है कि स्कूल की उम्र में बच्चों में बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। हार्मोंस की वजह से विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, अगर वे पाठशाला साथ–साथ जाए पढ़े, बैठे तो झुकाव ज्यादा हाने की संभावना ज्यादा होती है। उनका मानना है कि अगर हम उस उम्र में ऐसा मौका ही नही देगे तो ऐसी घटना भी नही होगी।

लेकिन ऐसी महिलाओं की संस्था, ज्यादा है जो इन सब बातों का नजर अंदाज करते हुए 50 में से 70 महिलाएँ पढ़ाई को ज्यादा महत्व देती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा अवसर देने में कोई संकोच नहीं करती है, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को बालक–बालिका के साथ उपस्थित रहने के कोई समस्या नहीं होती जिन विधार्थी का कोई लक्ष्य नहीं होता ऐसे छात्र भटकते है इन लोगों का ये भी मानना है कि किसी चीज में रोक लगाने से उस चीज के प्रति ज्यादा आसक्ति लगती हैं जिन बच्चों का आगे बढ़ना होता है उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बालक बालिका के साथ–साथ शिक्षा ग्रहण करने से उचित है। उन में से 5 महिलाएं अर्थात केवल 10 प्रतिशत महिलाएं असमंजस में है कि बालक बालिका का साथ–साथ पढ़ना उचित है या नहीं

समझ नहीं पाती इसलिए स्पष्ट नहीं में उत्तर दिया है आज के वर्तमान युग में बालक बालिका के साथ बहुत सारे विद्यालय हैं, और बहुत से ऐसे अभिवावक है जो छात्रावास में रखकर लड़का लड़की के साथ वाले विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते है।

तालिका क्र.2

छात्रावास में रहकर विद्या अध्ययन पर विचार

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	उचित है	30	61
2.	अनुचित है	5	10
3.	कोई एक घर का सदस्य होना चाहिए	13	25
4.	स्पष्ट नही	2	4
	योग	50	100

मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नयी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान विरासत में प्राप्त होता है और कुछ ज्ञान स्वयं शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी से सीखने की प्रक्रिया की सहायता से और प्रस्तावना द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गयी है। ज्ञान की यह परंपरात्मक श्रृंखला की शिक्षा है, जिसके द्वारा मानव की अपनी मानसिक आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही इंसान को जानवर स्तर के ऊंचा उठाया है, और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणाी बनाया है। चीनी सन्त कनफ्यूशस ने कहा कि ''अज्ञानता एक ऐसी रात्री के समान है जिसमें न चांद है न तारें'' ।5

तालिका क्र–3

रोजगार हेतु तकनीकि प्रशिक्षण पर विचार

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	33	65%
2	नही	17	35%
	योग	50	100%

टेक्नालॉजी तकनीकि – अठारहवी शताब्दी के अंत तक प्रत्यक्ष वार्ता अथवा हस्त लिखित पत्र ही संचार के पर्यायवाची माने जाते है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुतप्रति लिपिकरण, फोटोकॉपी, रेडियो, टेलीविजन, आदि प्रयोग होने लगा। किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तराध में इलेक्ट्रानिक, डिजिटल एवं अन्य तकनीकों ने नवीन युग का सूत्रपात किया इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर टेलेक्स, वर्ल्ड प्रोसेसर, कम्प्यूटर ऑफसेट आदि के संचार को काफी शक्तिशाली तीव्र एवं महत्वपूर्ण बना दिया।

कम्प्यूटर इंटरनेट, उपग्रह संचार आदि ने संचार के प्रभावी लोकप्रिय एवं दैनिक जीवन की अनिवार्यता बना दिया है। प्रौद्योगिकी के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की नई संभावनाओं को जन्म दिया है जिसका लाभ विकसित और विकासशील दोनों देश उठा रहे है। प्रौद्योगिकी की उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था और मनाव जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डाला है। यह हर उद्यम का महत्वपूर्ण अंग है।6

शोधार्थी द्वारा जानकारी लेने पर कि महिलाएं क्या रोजगार के लिए तकनीकि प्रशिक्षण प्राप्त है तो 50 महिलाओं में से 33 महिलाओं में अर्थात 65 प्रतिशत महिलाओं ने हॉ में जवाब दिया है। आजकल तकनीकि प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी हो गया हैं वर्तमान में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी परीक्षाएं आनलाइन, कम्प्यूटर पर होने लगा है। छात्रों का प्रवेश आनलाइन होता है। माइग्रेशन ऑन लाइन आवेदन करना पड़ता है। इसलिए तकनीकि प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है, फिर आज का समय तकनीकि और कम्प्यूटर का युग है। 50 में से 17 अर्थात 35 प्रतिशत महिलाओं को तकनीकि प्रशिक्षण का ज्ञान नहीं है। उनका मानना है कि बिना तकनीकि प्रशिक्षणके ही अभी तक कम समय चला गया अब वो अने को इसमें व्यस्त करने में इंट्रेस्टेड नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय को वो तकनीकि का ज्ञान आवश्यक मानते हैं।

कम्प्यूटर शिक्षा की जरूरत पर विचार –

कम्प्यूटर– अक्सर लोग सोचते है कि कम्प्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपर मैन की तरह है, परन्तु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचलित इलेक्ट्रानिक मशीन है जो तेज गति से कार्य करता है। और सबसे बड़ी विशेषता कोई गलती नहीं करता है। कम्प्यूटर की क्षमता सीमित हैं कम्प्यूटर डेटा ग्रहण करता है व इसे साफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेसे करता है। आधुनिक कम्प्यूटर गणना के साथ सूचनाओं तथा आकड़ों के भलीभांति नियमित एवं नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं।7

अतः आधुनिकीकरण के प्रभाव से महिलाऐं शैक्षिक रूप से सुदृढ हो रही है महिलाओं के परंपरात्क विचार शैली में परीवर्तन आए है। महिलाऐं शिक्षा के कारण

घर की चार दिवारी से बाहर निकलकर पुरूषों के बराबरी पर खडी होकर अपनी विषिष्ट पहचान बनाने में सफल हो रही है।

निष्कर्ष–

आधुनिक महिलाओं में व्यवासायिक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, अभिलाए पाए बहुत प्रबल हो गयी है। शिक्षा के द्वारा वो आत्मनिर्भर होना चाहती है इससे महिलाओं में आत्मविश्वास में बढोत्तरी होगी और वो लगातार प्रगति के पायदान में आगे बढती जाएगी और समाज में फैली अशिक्षा बुराई को दूर कर सकेगी।

महिलाऐं समाज की धुरी है पूरा समाज और परिवार उन्ही में इर्द और गिर्द घूमता है परिवर्तन और विकास के इस दौर में महिलाऐं भी इससे अछूती नही है।

महिलाओं के परंपरागत सोच में कितना परिवर्तन आ गया है इस प्रश्न का उत्तर बालक बालिका के साथ अध्ययन पर दृष्टिकोण के माध्यम से ज्ञात होता है कि 70 प्रतिशत महिलाऐं इसको उचित मानती है। 20 प्रतिशत अनुचित और 10 प्रतिशत स्पष्ट नही में उत्तर देती हैं ।

छात्रावास जैसी जगहों पर अपने बलिकाओं को भेजने के लिए तैयार हो जाना आधुनिकीकरण का सकारात्मक परिणाम ही है। 61 प्रतिशत महिलाऐं इसे उचित, 10 प्रतिशत अनुचित और 25 प्रतिशत कोई एक घर का सदस्य होना चाहिए 4 प्रतिशत स्पष्ट नही पर उत्तर दी है।

आधुनिकता के इस महंगे और खर्चीले युग में महिलाऐं रोजगार शून्य रह जाती तो उनकी स्थिति में सुधार संभव न हो पाती इसलिये 65 प्रतिशत महिलाऐं रोजगार हेतु तकनीकि प्रशिक्षण प्राप्त है और 35 प्रतिशत महिलाएॅ नही प्राप्त है।

आधुनिक युग कम्प्यूटर का युग है कम्प्यूटर शिक्षा की जरूरत को अधिकतर महिलाऐं उचित मानती है।

उत्तरदात्री महिलाऐं यह स्वीकार करती है कि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, के फलस्वरूप संकीर्ण विचारधाराओं में बदलाव हुआ है तथा उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है।

सुझाव –

1. आधुनिकीकरण को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए

2. शिक्षित महिलाऐं को अपने व्यक्तिवादिता पर कम फोकस करना चाहिए सामाजिक संबंधो में दृढता कों स्थान दिया जाए।

3. आधुनिकीकरण ने अपराध को बढावा भी दिया है कम्प्यूटर के फायदे के साथ नुकसान भी है लेकिन उसकी उपयोगिता पर सही दिशा निर्देश के साथ नियंत्रण की आवश्यकता है।

4. शिक्षा की सही उपयोगिता महिलाओं के जागरूक्ता से संबंधित है उन्हें नियम कानून उत्तराधिकार आदि से संबंधित जानकार होना उनके खुशहाल भविष्य की ओर इगित करता है।

5. आधुनिकता के कारण मनुष्य की प्रतियोगिता के अंधी दौड में आगे बढ रही है वही अपने रिश्ते पिछड रहे है समाज के बींच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अर्थव्यवस्था अवलोकन जून 2012 धनकड़ पब्लिकेशन प्रभात नगर, मेरठ पृ. 11

2. अर्थव्यवस्था अवलोकन जून 2012 धनकड़ पब्लिकेशन प्रभात नगर, मेरठ पृ. 12

3. डॉ. डी.एस.बघेल, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र पृष्ठ 314–320 कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल

4. डॉ. डी.एस.बघेल, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग भोपाल

5. प्रो. एम.एल. गुप्ता, डी.डी. शर्मा समाजशास्त्र पृ. 492

6. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रतियोगिता साहित्य, साहित्य भवन आगरा पृ. 200

7. डॉ. एस.के. विजय, डॉ. पंकज सिंह, कम्पयूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी पृ. 10

8. डॉ. डी.एस.बघेल, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियॉ, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा ।

9. डॉ. जी.आर. मदन, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र पृ. क्र. 184 विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली।

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

बघेलखण्ड एवं भारत छोड़ो आन्दोलन

❑ रिया सिंह*

शोध सारांश

''भारत छोड़ों आंदोलन'' देश का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। एक तरफ महात्मा गांधी का नेतृत्व और दूसरी तरफ सुभाष चन्द्र बोस की फौज। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जन आन्दोलन से भारत की आजादी को जमीन तैयार हो चुकी थी। बस उसमें अब स्वतंत्रता के बीजों को बोना था।

प्रस्तावना :–

ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला अंतिम तथा सर्वाधिक सशक्त आंन्दोलन तथा यद्यपि यह आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारम्भ हुआ। यह इस आंन्दोलन का तात्कालिक कारण था न कि एकमात्र कारण। वास्तव में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि दूसरे विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के साथ ही बनने लगी थी। 1

इस प्रस्ताव में देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा पर आधारित आन्दोलन का शुरूआत को अनुमोदन किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात गांधीजी ने लोगों को एक छोटा सा मंत्र दिया । यह मंत्र था ''करों या मरों का।'' भारत छोडों और करो या मरो । भारतीय लोगों का नारा बन गया।2

अगस्त ई. सन 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो की चुनौती दी और उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक जनआंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने मे इकटट्ठा कर लिया था और उन लोगों मे देशभक्ति तथा देश के लिए मर मिटने की भावना का विकास किया । '' गांधीजी अंग्रेजों से हमेशा कहते थे कि भारत को ईश्वर के या अराजकता के भरोसे छोड़ दे इस अव्यवस्थित अराजकता को जाना ही होगा ओर परिणामस्वरूप यदि पूर्ण आराजकता आए तो मै उस खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। '' इस ओंदोलन मे अहिंसात्मक तरीके को अपनाया गया।3

9 अगस्त ई. सन 1942 की सुबह ही कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी कर ली गई तथा साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसे दिशाहीन मार्ग पर चल पड़ा जो कि पहले हुए अहिंसक एवं सत्याग्रही आन्दोलनों से बिल्कुल भिन्न था देश के सभी भाग में प्रदर्शन ओर हड़ताल का आयोजन किया गया। 4

सरकार द्वारा पूरे देश में लाठीचार्ज और गोलीबारियां की गई लोगों का गुस्सा हिंसक रूप मे बदल गया। लोगों ने सरकारी सम्पत्तियों पर हमले रेलवे पटरियों को उखाड़ फेंका और डाक तार व्यवस्था को भी

* गंगोत्री कालोनी, समान, रीवा (म.प्र), मोबा. 8827231858 E-mail : singhriya8827@gmail.com.

अस्त–व्यस्त कर दिया। सरकार ने आंदोलन से सम्बन्धित समाचारों को प्रकाशित होने से रोक दिया। 1942 के अंत तक में 60,000 लोगों के जेल मे डाल दिया गया और कई हजार मारे गए। 5

9 अगस्त को कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश मे जन आक्रोश की एक लहर उत्पन्न कर दी । अब तक के आन्दोलनो मे ऐसा हो चुका था कि सभी बड़ें नेताओं के न रहने पर आन्दोलन की जिम्मेदारी युवा और कही अधिक जुझारू नेताओं के हाथ में आ गई। पहले चरण में आन्दोलन अत्याधिक हिंसक तथा व्यापक जिसे जल्दी ही दबा दिया गया। इस चरण मे मुख्य भूमिका शहर की थी, पहले चरण की शुरूआत विद्यार्थियों ने की थीं जिससें शहर के मध्यमवर्गीय लोगों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।6

अगस्त के बीच में आन्दोलन का केन्द शहर से बदल कर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर चला गया। विधार्थियों ने संचार व्यवस्था को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया और अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके नारे थे–आंग्रेजों' भारत छोड़ो, थाना जलाओं, स्टेशन फूंक दो'' । रेलो का अपहरण करके उन पर राष्ट्रीय झंण्डे लपेट देते थे। आंदोलन समय समय पर तेज होता चला गया। 7

सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए कर दमन अपनाया गया। कई मौंकों पर निहत्थी जनता की आड़ पर पुलिस और सेना द्वारा गोलियां चलाई गई नीचे उड़ रही हवाई जहाजों द्वारा लोगों पर मशीनगनों से दागा गया। गांवों में ग्रामीणों को बंधक बनाया गया। 90 लाख रूपयों का सामुहिक कर लगाया गया संदेह होने पर लोगों पर कोड़े बरसाए जाते थे और जिस गांवों के लोगों को सरकार पकड़ नहीं पायी थी और जो लोग गांव छोडकर भाग गये थे उन्हें जला दिया जाता था।8

परिणाम स्वरूप सरकार कुछ सप्ताहों के अन्दर ही संघर्ष के दौर को समाप्त करने में सफल हो गई। इस बीच देश ने विभिन्न हिस्सों मे भूमिगत आन्दोलनकारी अपने गतिविधियों के जाल को मजबूत करने मे लगे हुए थे। देश भर मे आन्दोलनकारियों को मार्गदर्शन देने में भूमिगत आदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे आन्दोलन के लिए बारूद,धन और बम जैसी सामाग्री इकटठा करके देश भर के आन्दोलनकारियों को देते थे।9

वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के कर्मचारीयों के मन मे जो निष्ठा थी उसे कर दिया था।10

ई. सन 1857 के विद्रोह के पश्चात यह आन्दोलन भारत में ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप मे सामने आया । देश के कई भागों मे कानून व्यवस्था के सामाप्त हो जाने से अंग्रेजों को यह बात समय में आ गयी थी भारत मे अब लम्बे समय तक राज्य कायम नहीं किया जा सकता है और भारत में अब उनके कुछ ही दिन शेंष रह गये हैं। इस आन्दोलन ने शासकों पर अपनी एक स्थायी छाप छोड़ी और राज करते रहने के उनके आत्मविश्वास को भी हिला कर रख दिया। भारत में ब्रिटिश सत्ता पर यह अंतिम प्रहार था।11

जहां सम्पूर्ण देश भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हो चुका था तब स्वतंत्रता आंदोलन के इस महायज्ञ में मध्यप्रदेश कैसे पीछे रह सकता था । यहां पर भी इस आन्दोलन ने व्यापक प्रभाव छोड़ा। मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों में इस आंन्दोलन की सरगर्मी बढ़ी और जगह – जगह जुलूस प्रदर्शन अंग्रेजी शासन विरोधी कपड़ों की होली जली। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में आंदोलन का केन्द्र बिन्दु जबलपुर था। यहां के प्रत्येक नगरों, कस्बों व ग्रामों के लोग इस आंदोलन मे बढ़–चढ़ हिस्सा ले रहे थे। 14 अगस्त को एक विशाल जूलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। फलस्वरूप जनता हिंसक हो गई पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। जिससे युवक श्री गुलाब सिंह शहीद हुए। इस दौरान अनेक लोग गिरफ्तार भी हुए।12

बघेलखण्ड के रीवा क्षेत्र में पहले से ही रीवा नरेश की वापसी तथा उत्तरदायी शासक की स्थापना

हेतु आंदोलन तीव्र गति से चल कर तत्काल असर पड़ा इस क्षेत्र मे आंदोलन की जो तेज आंधी चली उसने ब्रिटिश सम्राज्य को झकझोर कर रख दिया था। 14 से 18 आगस्त के बीच बघेलखण्ड मे आंदोलन मुख्य रूप से लोगों की राजा के प्रति भावना पर आधारित था तथा दूसरे चरण मे भारत छोड़ो आंदोलन मे आकर मिल गया। 13

अन्ततः भले ही महात्मा गांधी के इस आंदोलन को आंशिक रूप से ही सफलता मिली हो लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अंत मे हार मानकर ब्रिटिश सरकार ने माना कि सत्ता अब भारतीयों के हाथ मे सौंप दिया जाएगा। तब जाकर गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया। उसके बाद कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1,00,000 राजनौतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। 14

संदर्भ गन्थ सूची :–

1. वरनवाल मुकेश, भारत का इतिहास पृ.217
2. शुक्ला रामलखन, आधुनिक भारत का इतिहास पृ.830
3. बरनवाल मुकेश, भारत का इतिहास, पृ.218
4. शुक्ल रामलखन, आधुनिक भारत का इतिहास पृ.832
5. शुक्ल रामलचखन, आधुनिक भारत का इतिहास पृ.829
6. शुक्ल रामलखन, आधुनिक भारत का इतिहास पृ.834
7. उददे अमर सिंह, म.प्र स्वधीनता आंन्दोलन पृ. 162
8. सरकार सुमित, आधुनिक भारत पृ.417
9. चन्द्र.एस., आधुनिक भारत स्वतंत्रता संधर्ष पृ. 413
10. विपिन चन्द्र, मृदुला मुखर्जी, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पृ 416
11. उद्दे अमर सिंह, म.प्र. स्वाधीनता आंदोलन पृ.164
12. बघेल डॉ. विक्रम सिंह, बघेलखण्ड का राजनैतिक व संस्कृतिक इतिहास, पृ. 218
13. ब्रजगोपाल, डॉ. एस. अखिलेश, समाजवादी आन्दोलन, पृ 76
14. ब्रजगोपाल, डॉ. एस. अखिलेश, समाजवादी आन्दोलन, पृ 78

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

महिला सशक्तीकरण में संचार माध्यमों का प्रभाव

❐ डॉ महानंद द्विवेदी*
❐ रुचि मिश्रा**

भारतीय गांव, पारंपरिक जीवन शैली के पहचान रहें हैं। सामान्यतया परिवार के पुरूष सदस्य सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते थे और घर का कार्य महिलाएं सम्पन्न करती थी। यह देखकर कहा जाता था कि ''महिलाओं की दुनिया घर की चाहरदीवारी में बंद रहती है।'' उन्हें शिक्षा के माकूल अवसर नहीं मिल पाते थे। नवीन परिवर्तन कारी ज्ञान–विज्ञान की उपलब्धियों से भी बहुधा वे वंचित रहती थी।

सूचना तंत्र माध्यमों की कमी भी उनके आगे आने में बाधक थी। इक्कीसवी सदी के आगज के साथ सूचना क्रांति ने गांव की ओर रूख बनाया जिसका व्यापक स्तर पर प्रभाव महिला समाज पर पड़ा। यातायात परिवहन, शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता ने महिलाओं को घर से निकलने का मार्ग प्रशस्त किया। अब वे आवश्यक छोटी–मोटी यात्राएं, खरीददारियां करने के लिए स्वमेव सक्षम होने लगी।

इस बदलाव में और अधिक गतिशीलता जनसंचार माध्यमों के आने से आयी। इन माध्यमों में प्रमुख टेलीवीजन और मोबाइल जैसे तकनीकी संसाधन है जिनका भरपूर उपयोग करने की सुविधा महिलाओं को मिलने लगी है। इसके पूर्व जनसंचार के अन्य पारम्परिक माध्यम यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं पुस्तके, आदि प्रभाव में थे जिनकी पहुँच महिलाओं तक काफी देर से होती थी।

पारंपरिक जनसंचार माध्यमों में जो सबसे बड़ी समस्या महिला जगत को लेकर के थी वह थी शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के चलते महिलाएं न तो समाचार पत्र पढ़ पाती थी न ही पत्र–पत्रिकाएं। इन माध्यमों से मिलने वाली सूचनाएं और जानकारियां दूसरों के माध्यम से ही उन तक पहुँचती थी जिस कारण घटना चक्र के परिवर्तित रूप ही उन तक पहुच पाते थे। इसका प्रभाव यह पड़ता था कि गांव में संगूफे बाजी का दौर बना रहता था, सूचना कुछ होती थी, बताया कुछ जाता था, सुना और समझा भी कुछ और ही जाता था इस तरह ग्रामीण क्षेत्र अफवाहों और प्रपोगंडा के केन्द्र होते थे। जनसंचार के नवीन माध्यम रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल के पहुँचने से घटनाएं और सूचनाएं अपने मूल रूप में स्रोता और दर्शक के पास पहुँचने लगी लिहाजा लोगों के भीतर जानकारिया यथार्थ स्वरूप में पहुँचने लगी।

जनसंचार माध्यमों की यह विकास यात्रा रेडियो से प्रारंभ होकर मोबाइल तक पहुँची चूंकि जनसंचार के ये माध्यम श्रव्य और दृष्य दोनो क्षेत्रों को निरूपित करते है अतएव कम पढे लिखे और अशिक्षित समुदाय के लोग भी इनके माध्यम से यथार्थ जानकारियों से अवगत होने लगे और उनमें एक अलग चेतना और आत्मविश्वास जागृत हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं, बिजली और अन्य नागरकीय भौतिक संसाधनों की पहुँच गावों तक बनी जिसका सर्वाधिक

* प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज
** शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग ठा.र.सिंह महाविद्यालय रीवा

लाभ महिलाओं को मिला और वे भी सूचना क्रांति के इस दौर की सुविधाओं से रू–ब–रू होने लगी। इसका प्रभाव उनकी पारंपरिक सोच और जीवन शैली पर भी दिखने लगा।

जनसंचार माध्यमों की यह क्रांतिकारी उपस्थिति ग्रामीण समाज के संस्कृति और सभ्यता को भी प्रभावित करने लगी है। अब गांवों में भी डी.जे. की धमक और बफर की टेबिले सजने लगी है, अब स्वागत और जेवनार गीतों का स्थान डी.जे. और साउउ बाक्स से खनकती आती बम्बइया गयिकाओं की आवाजों ने ले लिया है। थोड़ा सा और आगे देखें तो खानपान के साथ पहनावे भी बदलने लगे है। अब गावों की रमणियां नकली आधुनिक जेवरों से सजी, लाली लिपिष्टिक लगाए बड़ी संजीदगी से मुस्कराती अभिवादन करती उत्सव आयोजनों में दिखने लगी है। युवतियां और युवक भी पारंपरिक परिधानों की जगह पश्चिमी शैली के परिधानों में सजे–धजे नजर आते है।

सूचना क्रांति की प्रभावी उपस्थिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरूप को बदलना शुरू कर दिया है। गांव में भी पक्की दीवालों के सीमेंटेड छत के सुविधायुक्त आध ुनिक घर बनने शुरू हो गये है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और विद्यालयों का जाल बिछने लगा है। अब गांव की बेटियां आंगन में बैठकर ककहरा नहीं रटती बल्कि पास–पड़ोस और सुदूर की स्कूलों में दिखने लगी हैं।

महिलाओं को शिक्षा के मिले नवीन अवसर निः संदेह सूचना क्रांति की देन है जिसने ग्रामीण समाज को यह समझाने में सार्थक भूमिका निभाई कि लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य और आवश्यक है इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण आधुनिक संसाधनों के उपयोग अधि ाकारों का बोध तथा राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के भूमिका की स्वीकारिता बढाने में भी जनसंचार माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है।

आज ग्रामीण समाज में स्त्री–पुरूष के जीवन शैली संबंधी मानदण्ड बदलने लगे है। लोकतंत्र का प्रमुख आयाम मतदान, विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां, कृषि के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग और स्वास्थ्य संबंधी सुविध ाओं का लाभ महिलाओं को मिलने लगा है। निः संदेह महिलाओं को वस्तु से व्यक्ति के रूप में प्रभावशाली बनाने में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें है।

इस तरह समकालीन भारतीय ग्रामीण समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन की नवीन शक्तियों ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया है। जनसंचार माध्यम भी ग्रामीण समाज को प्रभावित करने एवं परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहें हैं। जनसंचार माध्यम अत्यंत गहराई तक लोगों के विचारों को प्रभावित कर रहें है जिससे समाज में परिवर्तन की स्थिति निर्मित हो रही है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया ने ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली कार्य व्यवहार और चिंतन को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है।

अध्ययन का उद्देश्यः–

प्रस्तुत शोध पत्र में महिलासशक्तीकरण में संचार माध्यमों के प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है जिसमें प्राप्त द्वितीयक स्त्रोंत के तथ्यों का वर्णनात्मक शोध के आधार पर विश्लेषण किया गया है, जिसमें निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं–

1. महिलासशक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों के प्रभाव का आकलन करना।
2. शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में जनसंचार माध्यमों की प्रभावशीलता का अध्ययन।
3. जनसंचार माध्यमों से महिला समाज में आई नवचेतना का अध्ययन।
4. जनसंचार माध्यमों के प्रभावों का अध्ययन।
5. विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को मिलने वाली जानकारी का अध्ययन।

अध्ययन क्षेत्रः–

प्रस्तुत शोध अध्ययन रीवा जिले का गंगेव विकास खण्ड है। गंगेव विकासखण्ड 2436′ उत्तरी अक्षांश से 2454′ उत्तरी अक्षांस तक तथा 8115′ पूर्वी देशान्तर से 8140′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। रीवा जिले के

मध्य भाग में स्थिति गंगेव विकास खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 591.3 वर्ग किलोमीटर है। जहा 179231 (2011) व्यक्ति निवास करते है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व 269.27 है। अनुसूचित जाति 19.9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति 9.1 प्रतिशत है। यहा की क्षेत्रीय भाषा मूलतः बघेली है तथा शिक्षित लोग सामान्यतः खड़ी बोली का प्रयोग करते है। गगेव विकासखण्ड में तेजी से शैक्षिक विकास हो रहा है इस कारण यहा के पारंपरिक समाज में आधुनिकीकरण का प्रभाव परिलक्षित होता है।

अध्ययन प्रविधिः–

प्रस्तुत शोध पत्र में मूलतः वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है, परन्तु अध्ययन को स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में अध्ययन क्षेत्र से 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है जबकि द्वितीयक तथ्यों का संकलन कर विश्लेषण किया गया तथा अन्तिम चरण में निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

वर्गीकरण एवं विश्लेषणः–

प्रस्तुत अध्ययन महिला शसक्तीकरण में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव पर केन्द्रित है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समकालीन समाज को जनसंचार माध्यम काफी गहराई से प्रभावित किये है जिसके कारण पारंपरिक मूल्यों में लगातार परिवर्तन के संकेत दिख रहें हैं। यह प्रभाव पुरूष और महिला दोनो संवर्गो में समान रूप से दिखता है। जनसंचार माध्यमों में ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली को प्रभावित करने के साथ–साथ उन्हें वैश्विक परिदृश्य से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज ग्रामीण महिलाए भी देश विदेश की गतिविधियों त्वरित घटनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की बदली रूचि अभिरूचियों से रू–ब–रू होने लगी हैं।

अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोतों से मिली जानकारी निम्न सारणी में वर्गीकृत की गई है–

सारणी कमांक –01

महिला सशक्तीकरण में संचार माध्यमों की भूमिका

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	भूमिका है	46	92
2	भूमिका नही हैं	04	08
योग		50	100

विवरण से स्पष्ट है कि 92 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि महिला सशक्तीकरण में संचार माध्यमों की भूमिका है जबकि 08 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है।

महिला सशक्तीकरण में संचार माध्यम के प्रकारों के संदर्भो उत्तरदाताओं के विचार सारणी कमांक 02 में दिये गये है–

सारणी क्रमांक–02

महिला सशक्तीकरण के संचार माध्यम

क्रमांक	विवरण	कुल संख्या	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	समाचार पत्र	50	32	64
2	टेलीविजन	50	46	92
3	इन्टरनेंट	50	37	74
4	अन्य माध्यम	50	28	56

विवरण से स्पष्ट 64 प्रतिशत उत्तरदाता समाचार पत्र 92 टेलीवीजन,74 प्रतिशत इन्टरनेट 56 प्रतिशत अन्य माध्यम महिला सशक्तीकरण में संचार के माध्यम बनते है।

महिला सशक्तीकरण में संचार माध्यम के माध्यम से सशक्तीकरण के क्षेत्र के संदर्भो उत्तरदाताओं के विचार सारणी क्रमांक 03 में दिये गये है–

सारणी क्रमांक–03

सशक्तिकरण के सहायक क्षेत्र

क्रमांक	विवरण	कुल संख्या	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	षिक्षा	50	45	90
2	स्वास्थ्य	50	36	72
3	रोजगार	50	29	58
4	बयक्ति/सामाजिक जीवन	50	41	42

विवरण से स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा के क्षेत्र में 72 प्रतिशत स्वास्थ्य के क्षेत्र में 58 प्रतिशत रोजगार के क्षेत्र में एवं 42 व्यक्तिक सामाजिक जीवन में शसक्तीकरण के लिए संचार माध्यमों को प्रभावी मानते है।

प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सशक्तीकरण में संचार माध्यमों की प्रभावी भूमिका है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में साक्षरता दर कम है लिहाजा जनसंचार के पुरातन माध्यम अखवार, पत्र–पत्रिकाएं आदि के माध्यम से जानकारी उन तक सुभीते से नहीं पहुॅच पाती थी। इसका एक अन्य कारण सामाजिक परिवेश भी था। लेकिन जनसंचार के प्रभावी माध्यम टेलीवीजन, टेबलेट, एवं मोबाइल की पहुच जनसामान्य तक होने से सूचना तंत्र से महिलाएं भी सीधे जुड़ रही है। अब वे खाली समय में टेलीवीजन के विभिन्न चैनलों, इन्टरनेट, और मोबाइल के माध्यम से नवीन गतिविधियों से आपेक्षित जानकारी हासिल करने लगी है।

विविध श्रोतों से प्राप्त होने वाली जानकारियों में जहां नारी जीवन से जुड़ी व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो वहीं अपने व्यक्तित्व विकास और पारंपरिक रूढियों से होने वाले नुकसान, अवैज्ञानिक तर्क और तथ्य, अंध विश्वास अतिरेक पूर्ण, श्रद्धा और पाखण्डों के सच को जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जानने लगी है। फैशन की बदली

दुनिया और अपने को प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्ति देने, खान–पान, रहन–सहन आवास, उद्यम–व्यवसाय आदि संदर्भो से भी वे जनसंचार माध्यमेां के माध्यम से वे परिचित होने लगीं हैं। इस तरह गौर करे तो जनसंचार माध्यमों ने ग्रामीण महिलाओं के पारिवारिक सामाजिक जीवन को एक नई दिशा और दृष्टि दी है।

जनसंचार का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व है। पूर्ववर्ती अध्ययनों के द्वारा यह बात सिद्व हो चुकी है कि जनसंचार माध्यमों के द्वारा समाज के आर्थिक, राजनैतिक , सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इस परिवर्तन से प्राप्त परिणाम समाज के विकास में सहायक सिद्व हो रहें हैं।

ग्रामीण संस्कृति में आ रहे बदलाव का प्रमुख कारण महिलाओं का नवीन जनसंचार माध्यमों से जुड़ना है जिस कारण उनके मानसिक चिंतन में परिवर्तन हो रहा है और अपने को नये तरीके से अभिव्यक्ति करने की लालसा उनमें बढ रही है जो असहज लगते हुए भी ग्रामीण समाज द्वारा स्वीकार की जा रही है। जनसंचार माध्यमों का यह प्रभाव खानपान पहनावा बोली भाषा जीवन शैली आदि सभी पर व्यापक स्तर पर पड़ रहा है।

पारिवारिक स्थिति पर संचार साधनों का प्रभाव पडा है सूचना तंत्र के विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली जानकारियों से लोगों में यह धारणा वन रही है कि दो बच्चों पारिवारिक विकास के लिए उचित है। परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या समस्या के समाधान में सहायक होगा। नवजात शिशु को टीका लगवाने संबंधी प्रेरणा प्रदान करने में जनसंचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। पुराने समय में लड़की के प्रति जो नजरिया था वर्तमान में परिवर्तन दिखलाई दे रहा है। लड़का / लड़की में समानता, लडकियों को प्रोत्साहित करने संबंधी विचारधारा में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। वैवाहिक स्थिति पर संचार संचार साधनों का प्रभाव पड़ा है विवाह की आयु विवाह से पूर्व लड़का–लड़की की राय संबंधी विचारधारा में परिवर्तन हुआ है।

ग्रामीण समाज में अब अल्पायु में विवाह नहीं किये जाते है। बल्कि 19–21 आयु से अधिक उम्र में विवाह किये जाते है। जनसंचार का प्रभाव है कि ग्रामीण समाज में बाल विवाह की प्रथा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दहेज प्रथा को दूर करने कम करने में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव दिखलाई दे रहा है। दहेज प्रथा को दूर करने, कम करने में जनसंचार माध्यमों को प्रभाव दिखलाई दे रहा है। जाति प्रथा, धार्मिक स्थिति एवं जजमानी परम्परा भी ग्रामीण समाज में धीरे धीरे कम होती जा रही है।

जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचारित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से प्रेरणा प्राप्त कर चुके है जिस घर में महिला शिक्षित होती है उसका सामाजिक, शैक्षणिक स्तर अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छा होता है। जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचारित शिक्षा से समाज में फैली रूढिवादिता एवं अंधविश्वास में कमी आयी है।

राजनीति में आने की प्रेरणा जनसंचार माध्यम ने दी है। महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढी है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है। महिलाए अपने अधिकारों को प्रति जागरूक हो रही हैं। महिलाओं की सलाह को महत्व दिया जाने लगा है एवं उनकी नौकरी से संबंधित विचारधारा में भी परितर्वन परिलक्षित हो रहा है। इन परिवर्तनों के लिए जनसंचार माध्यमों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र चाहे वह नगरीय क्षेत्र से जुड़ा हो या सुदूर अंचल का क्षेत्र हो जनसंचार माध्यमों ने अपनी पैठ बनायी है। उसमें आने वाले विविध कार्यक्रमों ने जनमानस को गहराई से प्रभावित किया है। निःसंदेह जन संचार माध्यमों ने ग्रामीण समाज के पारम्परिक रूढ़िगत वातावरण को धीरे–धीरे बदलना शुरू किया है। गांव एक नई हवा में सांस लेने के लिए करवट बदल रहें है जिसका सबसे अधिक लाभकारी प्रभाव महिलाओं में पड़ रहा है।

सुझाव–

संचार क्रांति ने किसी एक क्षेत्र, वर्ग या समाज के ही नही सम्पूर्ण वैश्विक संदर्भ को प्रभावित किया

हैं। यह प्रभाव शीलता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लेकर व्यवसाय, शिक्षा, राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय गतिविधियों तक में परिलाक्षित होती है। नगरी क्षेत्र जनसंचार क्रांति से तेजी से प्रभावित होते है। वही ग्रामीण और सुदूर आंचलिक क्षेत्र कुछ देर से प्रभावित होते है। बावजूद इसके यह प्रभाव शीलता कम नही है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलायें जो दीर्घकाल तक एक बने बनाये ढाचें और खाचे में निबद्व थी। संचार क्रांति के साथ ही उनमें भी एक अलग उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अध्ययन के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से मिले तथ्यों का आकलन करने पर कुछ विसगतियॉ नजर आयी जिन्हें दूर करने के लिए कुछ तथ्य परक सुझाव अग्रलिखित है–

- जनसंचार माध्यामों का प्रयोग सकरात्मक कार्यो में किया जाना चाहिए।
- जनसचांर माध्यामों का शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन में प्रयोग दूरदर्शी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
- देखा जाता है कि जनसंचार माध्यामों का प्रयोग जुनून की तरह किया जाता है जो हानिप्रद है।
- संचार मांध्यामों में उपभोक्ता दृष्टि कोण की बहुता हो रही है जो समाज को एकागी सोच के लिए प्रेरित करता है।
- संचार माध्यम कला संस्कृति और सेवा जैसे मूल्यों को नया लुक देने की कोशिश में उनका स्वरूप विकृत कर देते है। जिसका समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- परिवार के वरिष्ठ जनों का यह दायित्व बनता है कि संचार माध्यमों से आने वाली सूचना का विवेचन और विश्लेषण करे और परिवार के लिए जो उपयुक्त हो उसके लिए सहमत व्यक्त करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. अल्तेकर द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, वाराणसी 1962
2. ओझा डी.डी., दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान गंगा दिल्ली 1989
3. घोष एस.के., बदलते समाज में महिलाएंः, आशील पब्लिसिंग हाउस, न्यू दिल्ली–1984
4. झाजन डॉ. मुक्तिनाथ, संचारः कल और राज मिश्रा टेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी 2003,
5. जैन मन्जु, कार्यशील महिलायें एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्टवैल जयपुर 1986,
6. कुंदरा डॉ. बलबीर, जनसंचारः बदलते परिप्रेक्ष्य में, तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली 2009,
7. पाण्डेय डॉ. कौशल कुमार, जनमाध्यमों का विकास एवं प्रवृतियां, क्लासिकल पब्लिकेशन कम्पनी नई दिल्ली 2012
8. राजगढ़िया विष्णु, जनसंचारःसिंदधांत और अनुप्रयोग राधाकृष्णन प्रकाशन लिमिटेड़, नई दिल्ली 2008,

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

लोकायुक्त के कार्य
(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

❒ उत्तम कुमार आर्य*
❒ डॉ. राजाराम मिश्र**

शोध सारांश

अधिकार एवं शक्तियाँ सुशासन को जन्म देती है परन्तु सम्पूर्ण अधिकार एवं अपरिभाषित शक्तियाँ भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं, जिसके फलस्वरूप निरंकुशता तानाशाही व भ्रष्टाचारी संस्थायें जन्म लेती हैं अतः इन पर प्रभावी एवं कारगर नियंत्रण परम आवश्यक है। प्रशासनिक प्राधिकारियों को जो विवेकाधिकार व विशेषाधिकार विधियों के अन्तर्गत दिया गया है उससे भ्रष्टाचार के अवसर अधिक उत्पन्न होते हैं क्योंकि उन पर न तो प्रभावी नियंत्रण प्रशासन का होता है और न ही प्रभावी निरीक्षण। चूँकि पिछले दशक से भ्रष्टाचार के काफी मामले प्रकाश में आये हैं जिसमें सत्ता दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के मामले में वृद्धि हुई है, इस कारण भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु, इसकी आवश्यकता अपरिहार्य हो गई है।

की वर्ड्स :– लोकायुक्त, शक्तियाँ, सुशासन, भ्रष्टाचार, प्रशासन, नियंत्रण आदि।

प्रस्तावना :

20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने सरकारी कृत्यों में अभूतपूर्व वृद्धि की है। सामाजिक सेवाओं तथा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार को ही एक सबल अभिकरण पाया गया है जिसके फलस्वरूप सरकार का मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर अनावश्यक हस्तक्षेप बएने लगा और लोगों की शिकायतें शासकीय प्राधिकारियों के विरुद्ध बढ़ने लगी हैं। प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करने की वर्तमान प्रक्रियाओं की अपर्याप्ता के कारण ही स्कैण्डनेवियाई देश में ''ओम्बड्समैन'' नामक एक लोकप्रिय संस्था का प्रादुर्भाव हुआ है।

''ओम्बड्समैन'' का अर्थ है सार्वजनिक डियूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। इसे सर्वप्रथम स्वीडन ने अपनाया था। स्वीडन में सामान्य नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए संसद द्वारा इसकी नियुक्त की गई। वर्ष 1809 में स्वीडन द्वारा इसे अपनाने के बाद फिनलैंड, नार्वे, डेनमार्क आदि देशों ने भी इसे अपनाया। न्यूजीलैंड जो कि एक संसदीय प्रणाली वाला देश है ने

* शोधार्थी, एलएल.एम. (विधि) शास. ठाकुर रणमत सिंह उत्कृष्ट महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोध–निर्देशक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.), वर्तमान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

इस व्यवस्था को वर्ष 1962 व ब्रिटेन ने इसे वर्ष 1966 में अपनाया है।

भारत देश में भ्रष्टाचार से निपटने हेतु इस प्रकार की संस्थाओं की महति आवश्यकता हुई है। इस हेतु अगस्त 1962 में नई दिल्ली में तृतीय अखिल भारतीय विधि सम्मेलन द्वारा आयोजित ''ओम्बड्समैन'' संबंधी विचार गोष्ठी और अक्टूबर 1963 में मद्रास प्रार्मिंसियल बार ऐसोसिएशन द्वारा ''ओम्बड्समैन'' की स्थापना की सिफारिश की गई। अन्य देशों की पुनरीक्षण करने के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने सिफारिश की है कि ''हमारे देश की विशिष्ट परिस्थितियों में लोगों की शिकयतों को दूर करने के लिए दो विशेष संस्था होने चाहिए पहली केन्द्र में और दूसरी राज्यों में जो मंत्रियों, सचिवों एवं अधीनस्थों द्वारा की गई कार्यवाहियों के विरूद्ध शिकयतों की जांच कर सकें। ऐसे प्राधिकरण विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका से मुक्त हो''

म.प्र. में आम जनता को प्रशासनिक प्राधिकारियों के पद व अधिकारों के दुरूपयोग से बचाने के लिये इनकी शिकायतों क निवारण तंत्र का प्रावधान एक अनविार्यता बन गई थी। इसको महसूस करते हुये राज्य में लोकायुक्त प्रणाली स्थापित ही नहीं की गई, अपितु संशोधनों द्वारा उसे सशक्त भी बनाया गया है, यद्यपि अभी इस दिशा में गंभीर कमियां है। प्रजातंत्र तभी सार्थक बनता है जब प्रजा की प्रशासन से संबंधित शिकायतों को सुनने व उसका निराकरण करनले को प्रभावी, स्वतंत्र एवं सक्रिय एजेन्सी हो।

एतद् शोध का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार एंव सत्ता दुरूपयोग से सम्बद्ध विभिन्न गतिविधियों, कार्यों, संव्यवहारों, आचरणों व नीतियों को ज्ञात करना तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व मूल्यजनित प्रभावों तथा परिणामों का आंकलन करना है साथ ही साथ उपरोक्त गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण, परिसीमन के उद्देश्य, नीतियों, कार्यक्रमों में सुधार करना एवं क्रियाविधि का अन्वेषण कर सुझाव प्रस्तुत करना है।

शोध विधि :–

किसी विषय का गहन व सूक्ष्म अध्ययन करके विषय के संबंध में कुछ नवीन तथ्यों की खोज करना शोध कहलाता है। अंग्रेजी में शोध को रिसर्च कहाँ जाता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। त्म ेमंतबी जिसमें त्म का अर्थ पुनः और दूसरे शब्दों में अर्थात् Search का अर्थ है खोज करना। अतः शोध का अर्थ गहन तथा पुनः अध्ययन करने के उपरान्त नवीन तथ्यों की खोज करना है। यह एक प्रकार से सावधानी पूर्वक किया गया अन्वेषण या जाँच–पड़ताल करके शोधार्थी द्वारा अपने कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करके उससे एक नये अन्वेषणात्मक विषय के प्रति नवीनता को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस तरह से प्राप्त परिणाम को शोध कहा जाता है। इसे निम्नलिखित रूप से जानने का प्रयास किया गया है।

'ओम्बुड्समैन' संस्था की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न–भिन्न प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। जैसे कि आस्ट्रेलियाई विद्वान ''ज्योफ्री सावर'' के अनुसार– 'ओम्बुड्समैन' संस्था की उत्पत्ति प्राचीन ''ग्रीक एवं रोमन'' शब्द साम्राज्य के ''सेन्सर एवं ट्रिब्यून' संस्था के अन्तर्गत रखी जा सकती है।1 तदुपरान्त उक्त विचार के सन्दर्भ में दिये गये शोध कार्यों के द्वारा उक्त तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई, जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि 'सावर' में रोमन रिपब्लिक की जिस ट्रिब्यून संस्था के संबंध में ओम्बुड्समैन संस्था की उत्पत्ति की विचारधारा कही है, उसे अधिक से अधिक 'अर्द्ध ओम्बुड्समैन' की संज्ञा दी जा सकती है।

वास्तविक रूप में रोमन साम्राज्यकाल में ही इस संस्था मेडीटेरेनियन क्षेत्र से भी लुप्त हो गयी। कोई ऐसा प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है कि जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि वर्तमान ओम्बुड्समैन संस्था रोमन साम्राज्य के 'सेन्सर एवं ट्रिब्यून' संस्था की परम्परा में विकसित संस्था का रूप है।2 वर्तमान में ओम्बुड्समैन संस्था की उत्पत्ति का मुख्य स्त्रोत 1713 ई0 में स्वीडन के उस राजकीय आज्ञा–पत्र से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा स्वीडन के तत्कालीन राजा 'चार्ल्स बारहवें' ने एक सेसे अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका राजा 'होगेस्टा ओम्बुड्समैन' (राजा का सर्वोच्च ओम्बुड्समैन) था; और राजा के अधिकारियों के विरूद्ध जाँच कर सकता था।3 कुछ वर्षों के बाद सन् 1917 में इस अधिकारी का नाम बदल कर ''चांसलर ऑफ जस्टिस'' रख दिया गया। चार्ल्स बारहतें की

मृत्यु के बाद शासन सत्ता में राजा के हाथों से पार्लियामेन्ट (संसद) के हाथों में चली गयी, लेकिन तब भी ''चांसलर ऑफ जस्टिस'' औपचारिक ही माना जाता था और विशेषतः 1866 ई0 के बाद तो वह वस्तुतः ''रिक्सडेग का ओम्बुड्समैन'' बन गया था। इसके पश्चात् सन् 1809 में जब स्वीडन का संविधान बना तो उसमें पहले से ही यह प्रावधान किया गया था कि देश में ओम्बुड्समैन नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जिसका कार्य आम आदमी की शिकायतों के आधार पर प्रशासनिक आयोग्यता के लिए दोषी ठहराये गये, सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में जाँच करना था।4 संसद द्वारा नियुक्ति यह अधिकारी 'जस्टिशाई ओम्बुड्समैन' (कमिश्नर ऑ जस्टिस) के नाम से जाना जाने लगा। वेसे तो वर्तमान में 'चांसलर ऑफ जस्टिस' का पद विद्यमान है, एवं उसे अन्य महत्वपूर्ण कार्य आवांटित किये है, लेकिन जहाँ तक जनता की शिकायतों को प्राप्त करने का व उसके संबंध में जाँच करने का सवाल है तो 'जस्टिशाई ओम्बुड्समैन' चांसलर ऑफ जस्टिस की तुलता में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहले सन् 1809 ई0 में स्वीडन में पार्लियामेन्ट की ओर से प्रशासन पर पर्यवेक्षण हेतु एक पद का सृजन किया गया था, जिसका नाम था 'ओम्बुड्समैन' ।5 यह स्वीडिश भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है 'ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्रवक्ता अथवा प्रतिनिधि का काम करे' ।6 ओम्बुड्समैन के पास आम आदमी की जो शिकायतें प्रशासनिक अन्याय व प्रशासन द्वारा परेशान किये जाने को आए। उनके बारे में वह शिकायतकर्ता की ओर से प्रशासन के सामने उसके प्रवक्ता की तरह कार्य करता था। ऐसा तेा एक वकील भी अपने आवेदक की बात को न्यायालय के सामने रखता है लेकिन ओम्बुड्समैन की स्थिति मौलिक रूप से वकील से अलग है। न्यायालय के सामने उसी पर जोर देगा और उसके पक्ष में निर्णय कराने का पूरा प्रयास करेगा। इसके विपरीत ओम्बुड्समैन अपने शिकायतकर्ता की बात को उसका प्रवक्ता बनकर प्रशासन तक पहुँचायेगा, किन्तु उसके पश्चात् वह प्रशासन का स्पष्टीकरण सुनकर यह देखेगा कि दोनों में से किस की बात कितनी सही है और उसके अनुसार कार्यवाही करेगा। इस प्रकार ओम्बुड्समैन की स्थिति वकील जैसी न होकर मध्यस्थ जैसी है।

लोकायुक्त के कार्य –

मध्यप्रदेश भारत वर्ष का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बडा राज्य है। यहाँ देश की 7.4 करोड़ निवास करती है। एक ओर प्राकृतिक एवं सांस्कृति संसाधनों की अपूर्व छटा यहाँ की विशेषता है, तो दूसरी ओर लोकशक्ति का भी विशेष रूप यहाँ दिखाई पड़ता है। यहाँ के प्रशासकों का कार्यभार अपने आप में अलग स्थान एवं महत्व रखता है। अद्यावधि के नाम पर यहाँ बहुत ही अधिक धोखाधड़ी है। शोषण के प्रवृत्ति सर्वत्र दीख पड़ती है। अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी निजी लाभ के निमित्त ऐसे कार्यो के क्रियान्वयन में सलिप्त हैं, जो मुख्य रूप से उनके तुच्छ सलाह के कारण सहज सामाजिकों का कितना भारी नुकासान हो रहा है।

भ्रष्टाचार लोगों के आचरण में व्याप्त है। यह आर्थिक समृध्दि एवं सम्पन्नता का उद्बोधक हो चला है। जिस पद पर आसीन व्यक्ति न्यूनतन कार्य करके अधिकतम अर्थोपार्जन करने का अवसर प्राप्त करता है, उस पद को उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है तथा उसे ही सर्वोपरि महत्ता प्रदान की जाती है। जिसके द्वारा जितनी अधिक मात्रा में शक्ति और सम्पदा संचित की गई हों। साधन– सम्पति – सम्बन्धिनी श्रध्दा के पात्र बने सामाजिकों के विशिष्ट रूप रेखा का सर्वाग विश्लेषण यदि किया जा सकता है तेा वह मात्र लोकायुक्त संस्थाओं के द्वारा ही सम्भव है। ये संस्थाएँ भ्रष्टाचार में संलिप्त पात्रों की दशा का अध्ययन कर उन्हें यथाशीघ्र दण्ड दिलाने के लिए न्याय पालिका से सिफारिश करने का कार्य करती है। इन संस्थाओं के अन्तर्गत ऐसे भावों का सुनियोजन होता है जो व्यापक स्तर पर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर जड़ से समूल नष्ट कर सके तथा आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप यथा शीघ्र भ्रटााचारियों को दण्ड दिलाने का विधान करते हुए भ्रष्टाचार के कार्य का समापन कर सकती है। यद्यपि वर्तमान समय में मध्यप्रदेश में कार्यरत लोकायुक्त संस्थाएँ आम आदमी के अनुरूप तात्कालिक अपने कार्य को अंजाम देने में अक्षम प्रतीत हो रही है।

इनकी अक्षमता का कारण न तो इनकी कमजोरी है औन न ही इनकी अपने कार्य के प्रति कोई उदासीनता है, बल्कि इसका मूलभूत कारण यह है कि इन्हें इतना अधिकार नहीं प्राप्त है कि ये समाज में व्याप्त बुराईयों का खुलकर सामना कर सकें तथा उनके उपयुक्त समाधान प्रस्तुत कर सकें।

वर्तमान लोकतान्त्रिक गणराज्य की अनेक संस्थाएँ तथा उनके कार्य – व्यापार लोकायुक्त संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दाहरण स्वरूप भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली व ग्राम पंचायतों में ग्राम सरपंचों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को इसके अन्तर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है आज भ्रष्टाचार का व्यापक और विस्तृत रूप शिक्षा जगत में विद्यमान है। न तो शिक्षक अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करना चाहता है और न ही शिक्षार्थी स्वंय द्वारा अर्जित प्रमाण पत्रों के अनुरूप ज्ञान का कोष संचित करना चाहता है। ऐसे में शिक्षा का भ्रष्ट नीतियों का बजारी करण हो चला है। जिसमें प्रमाण पत्रों खरीद दारी और उसकी बिक्री सर्वोपरि है। इतना ही ग्राम पंचायतों के लाकनायक, ग्राम सरपंचों के द्वारा मनरेगा योजना के व्यवस्थिति सुसंचालन की प्रवृत्ति को भ्रष्टाचार की चरम अवस्था में देखा जा सकता है।

आज शासन द्वारा भरी मात्रा में धन ऐसी परियोजना में निवेशित किया जा रहा है परन्तु उस धन का सही उपयोग न तो जनता कर पा रही है और न ही सरकारी संस्थाएँ ही। उस धन के सदोपयोग में कार्यरत बिचौलिए उस नियोजित योजना के अधिकांश भाग को निगल जा रहे हैं। फिर भी लोकायुक्त संस्थाएँ न तो किसी भ्रष्टाचारी को अभियुक्त के रूप में भारतीय न्यायपालिका के कटघरे में खड़ा करवा पा रही हैं और न ही उन्हें दण्ड दे पा रही है। उनकी इस कमजोरी के पीछे देश के भ्रष्टाचारियों के बड़े समूहों का हाथ है। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सब एक दूसरे से जुडे हैं। तथा सबकों बचाने में एक दूसरे की मदद करते हैं तथा बेईमानी का अवसर भी प्रदान करते हैं। यदि इन नैतिक विकारों की भ्रष्टाचारी मानसिकता को मध्य प्रदेश की कार्यपालिका , विधायिका और न्यायपालिका की रगों में दौड़ रहे सामविधिक मंत्रणाओं से विलग करना है, तेा इसके लिए या तो धर्म शिक्षा के द्वारा सबको नैतिक बनाया जाय अथवा दण्ड का विधान करके सबके मन में एक भय पैदा किया जाय। वर्तमान परिवेश में सम्पूर्ण जनता को संस्कार की शिक्षा देकर नैतिक मूल्यों से ओत–प्रोत करना तो सम्भव प्रतीत नहीं होता है । हाँ इतना जरूर है यदि दण्ड के विधान से सबके अन्तःकरण में एक भय को स्थापित कर दिया जाय तो उनके द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने में वे डरेंगे। फलतः देश और समाज की सुरक्षा व संरक्षा विशिष्ट रूप में हो सकेगी।

लोकायुक्त के अन्वेषण की पद्धति

लोकपाल को अन्वेषण के दौरान गवाहों को बुलाने एवं अभिलेख आदि एकत्र करने के सम्बन्ध में न्यायलय के समान अधिकार प्राप्त होंगे। लोकपाल सरकार से या उसे अधीनस्थ अधिकारियों से मामले में सम्बन्धित कोई भी सूचना या अभिलेख प्राप्त कर सकता है और वह सभी विभागों, विदेशों सम्बन्धों और राज्य की सुरक्षा पर पड़ने वालभावों की स्थिति को छोड़कर वांछित सामग्री देने की बाध्य होंगे। लोकपाल द्वारा किये गये सभी अन्वेषण निजी रूप से सम्पादित होगें। लोकपाल के अन्वेषण के दौरान उससे सम्बन्धित कोई भी सूचना किसी कारणवश प्रकाशित नहीं की जायेगी, जाब तक कि उसका निष्कर्ष प्रतिवादी या विधानसभा को प्रकाशन तब तक लम्बित रखा जायेगा। तब कि मामला तदर्थ या वार्षिक प्रतिवेदनों में लोकपाल द्वारा सम्बन्धित नियमों के अनुसार सम्मिलित न कर लिया जाये। (1) (क) दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1972 के अधीन गठितया रजिस्ट्रीकृत शीर्षस्थ सहकारी सोसाइटी या कोई सहकारी सोसाइटी जो सरकार के नियंत्रण के अधीन है। सिविल सेवक सरकारी सेवक से भिन्न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक का निदेशक बोर्ड के सदस्य (कोई भी नाम से कहा जाए) के सम्बन्ध में–क. दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1972 अधीन गठित या राजिस्ट्रीकृत शीर्षस्थ सहकारी सोसाइटी या कोई सहकारी सोसाइटी, जो सरकार के नियंत्रण के अधीन है। ख. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत सरकारी क्रियाकलाप का

रही है या इसके नियंत्राधीन है। ग. दिल्ली से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन स्थापित स्थानीय प्राधिकारी (संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य की प्रविष्टि सं. 18 से सम्बन्धित अनियमित समिति के अधीन गणित (स्थानीय प्राधिकारी के अलावा) घ. सरकार के क्रियाकलाप से सन्नध्द और इसके नियंत्रणाधीन निगम। ङ. सरकार द्वारा गठित कोई आयोग या निकाय जिसका स्वामित्व यानियंत्रण सरकार का है, की बाबत सिविल सेवक/ सरकारी सेवक के अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक या निदेशक मण्डल का सदस्य।

परिवाद –मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक के विरूध्द परिवाद इसकी अन्तर्वस्तु के समर्थन में प्रारूप 3 में शपथपत्र के साथ प्रारूप 1 में होगा। अन्य कृत्यकारियों के विरूध्द परिवाद इसकी अंतर्वस्तु के समर्थन में प्रारूप 3 में शपथपत्र के साथ प्रारूप 2 में होगा।

परिवाद लोकायुक्त के रजिस्टर या लोकायुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

फीस– परिवाद फाइल करने के लिए फीस के रूप में न्यायिक स्टाम्प पाँच सौ रूपये संदत्त करना होगा।

शपथपत्र शपथपत्रों का शपथ लोकायुक्त के रजिस्ट्रार या लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी किसी विधि के अधीन पहले से ही सशक्त प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ लिया जा सकता है के अलावा इस बाबत उसके द्वारा प्राधिकृत आधिकारी के समक्ष किया जा सकता है।

इन नियमों से पूर्व फाइल परिवाद– इन नियमों के परिवर्तन से पूर्व फाइल परिवाद को इन नियमों के अधीन फाइल किया गया समझा जाएगा। यदि परिवादी वाद में नियम 6 और 7 के उपबन्धों का पालन करता है।

विभाग के सचित द्वारा नोटिस दिया जाना– विभाग से सचिव को अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन लोकायुक्त या को लिखित में नोटिस देने का प्रधिकार होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता का लागू होगा– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 340 की उपधारा (1) में विहित प्रक्रिया का पालन उक्त संहिता की धारा 195 की उपधारा(1) के खण्ड(ख) में निर्दिष्ट अपराधों की बाबत किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 340 के अधीन किए गय परिवाद पर लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, जिसे वह इस प्रयोजन के नियुक्त करें।

लोकायुक्त द्वारा पारित आदेशों का अधिप्रमाणन– इन नियमों के उपबन्धों के अधीन लोकायुक्त या क्षरा पारित और लोकायुक्त या के नाम से निष्पादित किसी आदेश का अधिप्रमाणन एसी रीति से किया जाएगा जैसा लोकायुक्त या उपलोकायुक्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट करें।

कार्यवार का संव्यवहार– लोकायुक्त समय पर साधारण या विशेष द्वारा इन नियमों के प्रशासन के उद्भूत कार्यवार के सुविधाजनक और कुशल संव्यवहार का उपबन्ध कर सकता है और प्रयोजन के लिए प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। परन्तु सेना आदेश ऐसा मामला के वर्ग का भी विनिर्देश करेगा, जो किसी आदेश को जारी करने के पूर्व लोकायुक्त या व्यक्तिगत जानकारी में लाया जाए।

अवशिष्ट शक्तियाँ– इन नियमों में उपबन्धित न किये गये विनिर्दितष्ट सभी मामलों , चाहें इन नियमों के उपबन्धों के प्रासंगिक या अनुवंगिक या अन्यथा हो, का विनियम ऐसे आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। जैसा लोकायुक्त समय–समय पर बनाए।

कार्यवाहियों और अन्वेषण को विनियमित करने की शक्तियाँ– लोकायुक्त या उपलोकायुक्त का अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए इन नियमों में उपबन्ध न किए गए सभी मामलों में अन्वेषण और जाँच तथा कार्यवाहियों के संचालन को विनिययमित करने की शक्तियों करने की शक्तियाँ होगी।

अन्वेषण में उपनानी जाने वाली प्रक्रिया– जब लोकायुक्त या उपलोकायुक्त अधिनियम के अधीन अन्वेषण करता है, तो वह सम्बध्द लोक कृत्यवादी को परिवाद के प्रति या अन्वेषण के आधारों का कथन की तामीली के पश्चात् उसे या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा या परिवाद के शपथपत्र या अन्य दस्तावेजों के प्रति

उपलब्ध कराएगा जो ऐसे परिवाद, शपथपत्र या कथन के समर्थन में फाइल किये गये हैं।

डब्लू. ए. रॉबसन (ॅण्।ण् त्वइेवद) के अनुसार ''आम नागरिक यह सोचता हे कि नौकरशाही अभी भी परम्परा बुराइयों से मुक्त नहीं हुई। अधिकारियों में खुद को बहुत बडा़ समझने की प्रवृत्ति होती है या वे अपने पद के नाजायज बातों के बारे में ऐसा सोचते हैं। नागरिकों की सुविधाओं और भावनाओं के प्रति के बिल्कुल उदासीन होते हैं। कायदे–कानून और औपचारिकताओं का पालन वे एक की हद तक करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शासकों और लोगों के बीच जो सम्बन्ध होने चाहिए, वे उन्हें नहीं समझ पातें। अगर प्रशासन के प्रति नागरिकों के असंतोष को दूर करने के प्रयास नहीं किये गये तो इससे समाज में व्याप्त तनाव और अव्यवस्था और बढ़ जाएगी। इसके विकास की गतिविधियों में नागरिकों का सहयोग भी नहीं मिल सकेगा। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, सरकार हर स्तर पर नागरिकों की शिकायतें दूर करने का प्रयास कर रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों की शिकायतें दूर करने बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में कहा है कि अगर देश की शक्ति उसकी सम्वृद्धि में निहित है तो लोकतंत्र की सुरक्षा और स्थिरता नागरिकों के संतुष्ट होने पर ही निर्भर करती है।

प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में लोकपाल सम्बन्धित संसद/विधान मण्डल को गत वर्ष में उसके द्वारा की गयी कार्यवाहियों से सम्बन्धित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसमें उसके द्वारा निपटाये गये मामलों के सारांश के अतिरिक्त प्रशासन के वर्तमान कानूनों में यदि कोई संशोधन किया जाना अपेक्षित हो तो उसका भी उल्लेख किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशासनिक शुधार आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट के साथ लोकपाल विधेयक, 1966 का एक प्रारूप विधेयक भी सरकार के विचारार्थ संलग्न कर प्रस्तुत किया।

संसद सदस्य डॉ. पी. के. देव द्वारा नवम्बर 16, 1967 को आयोग के प्रारूप विधेयक 1966 के आधार पर एक निजी विधेयक पेश किया गया, जो कि प्रारम्भिक स्वीकृति के लिए अध्यक्ष (मंत्रीमण्डल) के पास भेजा गया, क्योंकि इसमें कई वित्तीय आपत्तियाँ थी। इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं गयी। दिसम्बर 1, 1967 में डॉ. देव द्वारा पुनः प्रश्न उठाया गया, जिस पर सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया कि कुछ राज्य इस योजना से सहमत नहीं है विधेयक को जनप्रतिनिधियों की राय जानने के लिए परिचालित किया गया।

मई 9, 1968 के मध्य में सरकार ने '' लोकपाल और लोकायुक्त'' विधेयक प्रस्तुत किया जो कि दोनों सदनों की संयूक्त प्रवर समिति को निदिष्ट किया गया था। मार्च 21, 1969 में संयुक्त प्रवर समिति ने कुछ संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात् संशोधन विधेयक ''लोकपाल और लोकायुक्त'' विधेयक 1969 लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया। 20 अगस्त 1969 में लोकसभा में यह विधेयक पारित कर दिया गया, लेकिन राज्य सभा के विचारार्थ लाम्बित था दिसम्बर 27, 1970 में राष्ट्रपति द्वारा चौथी लोकसभा विघटित किये जोन के कारण यह विधेयक स्वतः रद्द हो गया।

विधेयक ने भारत में केन्दीय प्रशासन में दो स्तरों पर ओमबुड्समैन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायाल के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह पर की जायेगी। विपक्ष के नेता की सलाह का प्रावधान विपक्ष का विश्वास हासिल करने के लिए किया गया था।

यह विषय विचार करने योग्य है कि ''लोकपाल और लोकायुक्त'' विधेयक 1996 केवल केन्द्र सरकार के लिए ओमबुड्समैन की भाँति कार्यप्रणाली उपलब्ध कराता है, क्योंकि इस विधेयक का क्षेत्र राज्य के मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों तक विस्तृत नहीं था। जबकि आयोग के प्रस्तवों में यह सब सम्मिलित थे। इस परिवर्तन का मुख्य कारण कुछ राज्यों द्वारा आयोग के प्रस्तावों को स्वीकार न करना था यह विचारणीय है कि उस समय के 17 राज्यों में 7 राज्यों ने4 आयोग के प्रस्तावों को अपनी सहमति नहीं दी थी और 5 राज्यों 5 ने केन्द्र सरकार द्वारा किये गये पत्राचार क कोई भी उत्तर ही नहीं दिया। 2 केन्द्र शासित राज्यों ने भी आयोग के प्रस्तावों में अपनी सहमति नहीं दी। आखिर इसके पीछे कौन सी परिस्थितियाँ थी? जिनके कारण राज्यों ने आयोग के

प्रस्तावों को नहीं माना, उन परिस्थितियों का जानना आवश्यक है।6

लोक आयुक्त प्रशासन में प्राप्त होने वाले परिवादों का परीक्षण सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों के अधीन इस आशय से किया जाता है कि क्षेत्राधिकार, अपेक्षित शपथ पत्र, संगत साक्ष्य आदि अधिनियमानुकूल प्रस्तुत किये गये हैं अथवा नहीं। तत्पश्चात परिवाद अनुलग्नकों सहित तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र पर है या नहीं यह जाँचने के पश्चात ही अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

शिकायत रूपी परिवादों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम विभाग अथवा सम्बधित लोकसेवक जिससे सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई है को परिवाद की प्रति प्रेषित करके परिवादी द्वारा प्रस्तुत, परिवादित तथ्यों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है। स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्राप्त न होने पर पुनः समय देकर अनुस्मारक पत्र जारी किया जारी जाता है। इसके पश्चात भी स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सेवक को व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु सम्मन भेजा जाता है, तदोपरानत आवश्यकतानुसार जमानती/गैर जमानती वारण्ट लोक सेवक की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रयोग किये जाते हैं।

जन सामान्य अपनी शिकायत का परिणाम शीघ्र चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि भ्रष्टाचारी दण्डित हो, जबकि लोक आयुक्त अधिनियम में दण्ड देने का अधिकार नहीं है, लोक आयुक्त केवल संस्तुति करता है। वह जब कोई संस्तुति सक्षम अधिकारी को भेजता है तो उसमें लोक सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक जाँच करके दण्ड दिये जाने अथवा अभियोजन चलाये जाने की सिफारिश होती है। फलतः वर्षो तक परिणाम सामने नहीं आते। इसी प्रकार की कठिनाईयाँ अनुशासनिक जाँचों में सामने आती हैं जहाँ पर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। आम नागरिक यह नहीं समझता कि लोक आयुक्त का क्षेत्राधिकार वहीं समाप्त हो गया जहाँ संस्तुति कर दी गयी। आम नागरिक तो परिणाम चाहता है। कभी–कभी जैसे ही लोक आयुक्त किसी भ्रष्टाचारी लोक सेवक के प्रति संज्ञान लेता है तो शासन द्वारा यह सूचित कर दिया जाता है कि उस विषय में सतर्कता जाँच लम्बित है लेकिन सतर्कता जाँच पूर्ण होने की अवधि असीमित है।7

सम्बन्धित लोक सेवक से प्राप्त स्पष्टीकरण को परीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार प्रत्युत्तर प्राप्त करने हेतु परिवादी को प्रेषित किया जाता है। उक्त कार्यवाही के पश्चात, प्राप्त तथ्यों के आधार पर विचारोपरान्त व्यथित व्यक्ति की यथोचित पाये जोन वाली शिकायत के सम्बन्ध में राहत दिलाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये विभाग को पत्र प्रेषित किया जाता है तथा परिवादी की संतुष्टि के आधार पर या विभाग द्वारा, ठोस आधार दिये जाने के कारण उससे पुष्टिकारण भी प्राप्त किया जाता है। यह समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कर लेने के बाद ही परिवाद को पूर्ण संतुष्टि के आधार पर, निस्तारित पाते हुए निक्षेप किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

लोक आयुक्त प्रशासन में अन्वेषण के लिये प्राप्त अभिकथनों के सम्बन्धों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया धारा 10, मध्य प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 में वर्णित है। उसमें अन्वेषण इकाई द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि परिवाद की विषयवस्तु लोक आयुक्त के क्षेत्राधिकार में है अथवा नहीं, परिवादी द्वरा विहित प्रारूप पर शपथ पत्र के साथ परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है और अन्य वांछित औपचारिकतायें, यथा प्रतिभूति जमा करना आदि पूरी की गयी हैं या नहीं, अन्वेषण के लिये पर्याप्त आधार हैं या नहीं, और परिवादी के लिये मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अन्य कोई अधिक प्रभावकारी और उपयुक्त उपचार प्राप्त हो सकता है या नहीं।

यदि इन बिन्दुओं के परीक्षण के बाद लोक आयुक्त का समाधान हो जाता है कि परिवाद अन्वेषण किये जाने योग्य है तब परिवाद अन्तिम अन्वेषण के लिये धारा 10 (1) (क) के अन्तर्गत ग्रहण कर लिया जाता है और परिवाद की प्रति उसके समर्थन में परिवादी द्वारा दिये गये दस्तावेजों की प्रति सहित आरोपी लोक सेवक को प्रेषित करके उनसे उस पर बिन्दुवार उत्तर प्राप्त किया जाता है, परिवाद की प्रति सक्षम प्राधिकारी, (मुख्य सचिव/मा.मुख्य मंत्री) को भी प्रेषित की जाती है। आरोपी का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात उसकी

प्रति परिवादी को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिये उपलब्ध करायी जाती है। आरोपी का उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद यदि और किसी साक्ष्य की आवश्यकता होती है तो सम्बधित पक्ष या सम्बन्धित शासकीय विभाग जहाँ से साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है से अभिलेख व सुचनायें प्राप्त की जाती हैं और सम्पूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद मामले के गुण दोष के आधार पर विवेचना करके अन्वेषण इकाई द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और परिवाद पर जिसमें तदर्थ की गई शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो। लोकायुक्त किसी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा जो किसी मंत्री अथवा सचित और धारा 2 के खण्ड (ञ) के उपखण्ड (2) या (4) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक या राज्य सरकार द्वारा लोक आयुक्त के परामर्श से किसी अधिसुचित लोक सेवकों के किसी वर्ग या उपवर्ग के किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य विशिष्ट अनुमोदन से की गई हो।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और परिवाद पर जिसमें तदर्थ की गई शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो। कोई उपलोकायुक्त किसी भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा, जो मंत्री, सचिव अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य लोकसेवक से भिन्न किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गई हो। उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी लोकायुक्त लेखबद्ध किसे जाने वाले कारणों से किन्हीं भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका अन्वेषण उस उपधारा के अधीन उपलोकायुक्त कर सकता है।

इस अधिनियम के अधीन यदि दो या अधिक उपलोकायुक्त नियुक्त किये जाय तो लोकायुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनमें से प्रत्येक को ऐसे मामलें सौंप सकेगा, जिसका अन्वेषण इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा किया जा सकेगा। प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोकायुक्त द्वारा किये गये अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उसके द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही या किये गये कार्य के केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे मामले के सम्बन्ध में है, जो ऐसे आदेश द्वारा उसे नहीं सौंपा गया है।

संदर्भ स्रोत :–

1. Sawer, Geoffry, Ombudsman (1986) Second ed. उद्धुत झा, रजनी रंजन 'ओम्बुड्समैन संस्था का विकास' लोकतंत्र समीक्षा, वर्ष–14 अंक 1–2 (जनवरी–जून) पृ0 180

1. Adams John Clark, "In Quest of Ombudsman in the Mediterranean Area" the Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 377 (May-1968) P. 97-103

2- Bexclius, Alfered, "The origin Nature and function of the Civil and Military Ombudsman in Sweden"-P- 11 Quoted in Jha Rajani Ranjan, op-cit-p-181

3. Wennergren, Bertil, "The Rise and Growth of sweedish Insitutions for defending the Gitizens agains officails worngs" pp-6-7, Quated in Jha Rajani Ranjan.

4. Dhawan, R.K. "Public Grievances and the Lokpal", New Delhi, Allied Publisher, (19814)p. 169

5. A Person who acts as a spokesman or representive of another person or persons". See- Sharma, Gridhan, B., Implementation Ombudsman Plan in India. New Delhi, Ashish Public lishing House (1981) p-6

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

जैव विविधता का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व : एक अध्ययन

❑ गौरीशंकर यादव*
❑ डॉ. बिजेन्द्र यादव**

शोध सारांश

किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के परिवेश में पाये जाने वाले पेड पौधों एवं वन्य प्राणियों की प्रजातियों एवं संख्या का ''जैव विविधता'' के रूप में अध्ययन किया जाता है, या फिर किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के परिवेश में पाये जाने वाली सजीव जीवों की विभिन्नताओं एवं विभिन्न संजीव जीवों की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता या जैविक विविधता कहते है। यह देखा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के संजीव प्राणी एवं पादप समूह पर्यावरण का एक अंग है। यह एक दूसरे से आपस में सम्बंधित है और एक–दूसरे की जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करते है। इस प्रकार पर्यावरण सभी प्रकार सजीव एवं निर्जीव तत्वों से मिलकर निर्मित होता है पर्यावरण सभी प्रकार के जैविक एवं अजैविक कारकों का योगफल है, जिसके अन्तर्गत सजीव प्राणी एवं वनस्पतियों की प्रजातियाँ पायी जाती है।

जैव विविधता–

पृथ्वी पर पायी जाने वाली यह जैव विविधता लाखों, करोड़ों वर्षो से निरन्तर चलने वाली जीवन के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। जैव मण्डल पर पायी जाने वाली अनुमानित संख्या लगभग 50 लाख से 5 करोड के मध्य है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15000 नई प्रजातियों की खोज होती है। जिनमें कुछ प्रजातियां विष्व के कुछ क्षेत्रों में पायी जाती है, तथा जो कुछ विशेष स्थानों तक सीमित रहती है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं वैश्विक स्तर पर विकास की प्रक्रिया तीव्र होने के कारण पिछले 30 वर्षो में जैव विविधता को तेजी से ह्रास हुआ है।

जीवों के आवास, पर्यटन एवं औषधीय उपयोग के अलावा पृथ्वी के धरातल पर सौन्दर्य बढाने में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पायी जाने वाले जीवों की विविधता से है। साधारण शब्दों में जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाये जाने वाली जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है। इसका सम्बंध पेड पौद्यों व प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है, किन्तु जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित नहीं बल्कि इसके अन्तर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मलित किया जाता है। जिसमें वे निवास करते है। जैव विविधता के अन्तर्गत जीवों के अन्दर तथा उनके मध्य विविधताओं

* शोधार्थी, एम.ए. नेट, भूगोल, जीवाजी विश्वविद्यालय–ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
** शोध निर्देशक, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष 'भूगोल विभाग', विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार ग्वालियर (म.प्र.)

को दृष्टिगत रखा जाता है, इस दृष्टि से देखें तो जैव विविधता विभिन्न परिस्थितिकीय तंत्र में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आंकलन किया जाता है।

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 अरव वर्ष पूर्ण हुई तब से अब तक अनेक प्रकार के जीवधारियों का विकास हुआ तो कई जीवधारी विलुप्त भी हो चुके है। उनके विषय में उनके द्वारा छोड़े गए पद चिन्हों अथवा अवशेषों से ज्ञात होता है, जिन्हें जीवश्म कहते है। जन्तुओं में प्रायः खोल एवं अस्थियॉ जैसी कठोर संरचनाएँ पायी जाती है। इसलिए अन्य जीवधारियों की अपेक्षा जन्तुओं के जीवाश्म अधिक पाये जाते है।

जैव विविधता का अर्थ :–

जैव विविधता को अंग्रेजी में Biodiversity कहते है, जो दो शब्दों Bio और Diversity से मिलकर बना है। यहाँ Bio का अर्थ जीव या जैविक तथा Diversity का अर्थ विविधता से है अर्थात हम शाब्दिक अर्थ में कह सकते है कि Biodiversity वह शब्द है, जिसका अध्ययन जीवों में पायी जाने वाली विविधता के लिये किया जाता है। अतः जैव विविधता या जैविक विविधता का आशय पारिस्थितिक तंत्र में विधमान सजीव प्राणियों की विविधता तथा संग्रह से है।

वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो–डी–जेनेरियों नामक स्थान पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें जैव विविधता से सम्बंधित समझौता हुआ और जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम परिभाषित किया गया जिसमें बताया गया कि पृथ्वी पर पाये जाने वाले समस्त जीवों में (पेड–पौधे, पशु–पक्षी–मानव) पारस्परिक विभिन्नता पायी जाती है, यह जैव विविधता स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर होती है जो उस स्थान की जलवायु, तापमान आर्दता मिट्टी, व प्रकाश की उपलब्ध इत्यादि द्वारा निर्धारण की जाती है। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पायी जाने वाले जंगली तथा पालतु जीव–जन्तुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते है।

''जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में वाल्टर–जी–रोजेन ने किया एवं जैव विविधता – पादपों, जन्तुओं, एवं सूक्ष्म जीवों के विविध प्रकार तथा विभिन्नता को परिभाषित करती है।[4] निश्चित ही जैव विविधता एक प्रकार का पारिस्थिति तंत्र होता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते है कि पृथ्वी पर विध्यमान प्रत्येक जीव में अनुवांशिक विविधता, प्रजातियों में विविधता तथा पारिस्थितिक तंत्रों में विविधता पायी जाती है। जिसे –जैव विविधता कहते है।

जैव विविधता की परिभाषा :–

''जैव विविधता जातियों की विपुलता (जन्तुओं, सूक्ष्म जीवों और पौधों) है। जो अन्योन्याश्रित क्रिया तंत्र की तरह एक दूसरे से सम्बद्ध है और एक निश्चित आवास में उत्पन्न होती है।''

सरल शब्दों में हम कह सकते है कि ''पर्यावरण में जीवजन्तु पौधों और सूक्ष्म जीवों के बीच अनुबंधित जातिगत और पारिस्थितिक स्तर पर पायी जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते है।''

1992 ई. में रियोन्डी जेनेरियो में आयोजित प्रदाय प्रथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार जैव विविधता की परिभाषा निम्न प्रकार है।

''जैव विविधता समस्त स्त्रोतों यथा अन्तःक्षेत्रीय स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अन्तर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग है मैं पाई जाने वाली विविधतायें है इसमें एक प्रजाति के अन्दर पायी जाने वाली विविधता या विभिन्नता जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मालित है।''

''जैव विविधता एक समूहवाचक/सामूहिक तकनीकि शब्द है, जिसके अन्तर्गत पृथ्वी के सभी सजीव जीव, प्राणी, पादप, एवं सूक्ष्म जीव आते है। इसमें प्रजातियों के अन्दर प्रजातियों के बीच एक पारिस्थितिक तंत्र की विविधताऐं विभिन्नताएँ सम्मलित है।''

उपरोक्त परिभाषा के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि जैव विविधता प्रकृति के जैविक संपदा और समृद्धि का सम्पूर्ण स्वरूप है। जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे यहाँ तक की आखों से न दिखने वाले जीवाणु सभी तरह के जीव पेड पौधे घास पत्तियॉ तथा वनस्पति जगत का सब कुछ शामिल है। जीव जगत में दिखने वाली विभिन्न वनस्पतियॉ, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों एवं कई तरह के रहवालों और उनके एक दूसरे

से सम्बध से ही सदैव जैव विविधता को समझा जा सकता है। इन लाखों जीवों में पायी जाने, प्रजाति विविधता से ही जीवन की निरंतरता देखी जाती है।

जैव विविधता का महत्व :–

जैव विविधता पर्यावरण तथा मानव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए खाद्य पदार्थो, ड्रग्स, एवं दवाइयों, सौन्दर्यत्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ–साथ पारिस्थितिकीय दृष्टि से भी लाभ दायक है। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव–विविधता पारिस्थितिकी में अपना विशेष योगदान देती है। विविधतापूर्ण जैविक समुदाय अपनी स्थितित्वता को असानी से कायम रखता है जबकि कम जातियों वाला पारिस्थितिक तंत्र शीध्रता से पुनः पूरित नहीं हो पाता है। मृदा निर्माण, अपशिष्ट निस्तारण, वायु, एवं जल शुद्धिकरण पोषक चक्रीकरण सौर ऊर्जा का अवशोषण एवं जैविक भू–रासायनिक व जलीय चक्रों का प्रबंधन आदि सभी जैव विविधता पर निर्भर है। अतः जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता की समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ तथा संतुलित बनाऐ रखने में सहायक होती है तथा विडम्बना यह है कि जीवित संसाधनों का विनास हो जाता है जिससे पारितंत्र को बहुत क्षति पहुंच रही है।

जैव विविधता आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे खाद्यानों की प्राप्ति होती है जो मानव जीवन का भरण पोषण करती है, जंगली शस्यों जींस जब शस्य जातियों तक पहुंचते है। तब उनकी उत्पादकता एवं रोगरोधन की क्षमता और बड़ जाती है एक खोज के आधार पर मात्र 8 पादप जातियों से मानव आहार का 75 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है।

जैवकीय संसाधन से अनेक प्रकार की ओषधियॉ भी प्राप्त होती है भारत में औषधिय एवं जडी बूटिया के लगभग 500 प्रजातियॉ पायी जाती है। जिनसे सदियों से अनेक रोगों का उपचार किया जा सकता है, दर्द निवारण दवा– मॉफीन एवं कैन्सर उपचार की दवा–टैक्सोल'' का निर्माण पादपों से किया जाता है। कई एण्टी बायोटिक दवाओं का निर्माण सूक्ष्म जीवों से किया जाता है। एक सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ कि विश्व की 50 प्रतिशत औषधियॉ जैविकीय संसाधनों से प्राप्त होती है। पादपों से 125 प्रजातियॉ विश्व की 25 औषधिया के निर्माण में योगदान देती है। यह देखने में आया है कि उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन एवं विषुवत रेखीय प्रदेशों में अत्याधिक औषधियॉ पादप प्रजातियों से प्राप्त होती है, इसी प्रकार अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में पशुओं के चर्म एवं अस्थि का उपयोग किया जाता है। पर्यटन, मनोरंजन एवं विनिर्माण उद्योगों में किसी न किसी रूप में जैविक संसाधनों को महत्व दिया जाता है।

सदियों से कृषि अनेक प्रजातियों की पोषक रही है कृषि जैव विविधता कृषि पारिस्थिति तंत्र को मजबूती प्रदान करती है तथा उत्पादन क्षमता को बड़ाकर अनेक प्रजातियों का पोषण करती है।

पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जैव विविधता को सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। किसी जाति के नस्ट हो जाने से सम्पूर्ण परिस्थितिक तंत्र विक्षुष्ण हो जाता है प्रकृति का बाहरी स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। वह मनुष्य को स्वतः अपनी ओर आकर्षित करता है मनुष्य का पेड पौधों एवं जीव जन्तुओं से प्रेम का सम्बंध होता है, वर्तमान युग में जीव जन्तुओं का पालन करना व्यक्ति की दया पर निर्भर करता है। भारतीय धर्म समाहित इस भाव से ओतप्रोत है।

जीवों पर दया करो, मेरे समान ही जीवन पशुओं में व्याप्त है। पशु पक्षी, जीव जन्तु, मनुष्य आदि को उसी ईश्वर ने बनाया है जीव हत्या महापाप है आदि धर्म गंधों की उक्तियाँ में जीवों के संरक्षण के लिए उल्लेख किया गया है। संसार के अनेक लोग वन्य जीवों के सौन्दर्य, भव्यता एवं रहस्य से आकर्षित होकर उनकी दिनचर्या का गम्भीर अध्ययन करने के लिये अनेक लोग प्राकृतिक क्षेत्रों में उनकी जैविक विविधता को देखने की हार्दिक इच्छा रखते है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जैविकीय रूप से लोगों के मन में भय एवं विस्मय पैदा करती है। पर्यावरण में विकास की प्रक्रिया सतत् सक्रिया है। विशेष जीव समाप्त हो जाते है परन्तु जीव जाति अथवा उनका वर्ग समाप्त नहीं होता है फलस्वरूप पर्यावरण का अस्तित्व विद्यमान है। यदि जातियों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा तो विकास रूक जायेगा और पर्यावरण अस्तित्वहीन हो जाएगा।

पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जन्तुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पायी जाती है जो मनुष्य के लिये अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्याधिक सहायक है जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। मनुष्य को जीव जन्तुओं वनस्पतियों से भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपडे, औषधियॉ, रवर, इमारती लकडी, आदि प्राप्त होती है। साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रकृति, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता में समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाऐ रखने में सहायक है।

जैव विविधता का महत्व निम्नलिखित है :—

1. **उत्पादन स्त्रोत** :— जैव विविधता से अत्यधिक उत्पादकों की प्राप्ति होती है जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, अर्पित किया जाता है। मनुष्य को मृदा की क्षमता बढाने के लिए जैविक खाद्य, फसलों के बीजों की उत्पादन संकरण विधि द्वारा नई उन्नत प्रजातियों की प्राप्ति जैव विविधता से होती है। विश्व में कई पादपों की प्रजातियों है जिनसे भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन मनुष्य अभी तक अनुमानित 20 प्रतिशत से कम पादप प्रजातियों का उत्पादन करता है, इन्हीं 20 प्रतिशत प्रजातियों से विश्व की लगभग 85 प्रतिशत मानव जनसंख्या को खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। कृषि पादप प्रजातियों में विशेषकर गेहूँ एवं मक्का, चावल, बाजरा, दाल, मनुष्य को जीवित रहने के लिए दो तिहाई भोजन प्रदान करती है कुछ प्रजातियॉ का व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्पादन किया जाता है। उनकी उत्पादन क्षमता बडाने के लिए स्थानीय प्रजातियों को और विकसित एवं क्षमतापूर्ण बनाया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लाभ हो।

रेशे के रूप में प्राकृति में कई पेड पौधे एवं कीट पतंगे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते है उनमें से कई रेशा उत्पादन में सहायक होते है जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता में समाहित है।

औषधियाँ :—

जैव विविधता में उन पादपों की प्रचुरमात्रा है जिनमें चिकित्सा सम्बंधी गुण पाये जाते है दुनिया के अनेक क्षेत्र जैसे भारत में औषधियों एवं जड़ी बूटियों की अनेक प्रजातिया पायी जाती है जिनसे अनेक रोगों से सम्बघित उपचार दवाऐं बनाई जाती है। जैसे— दर्द निवारण, मलेरिया के उपचार सम्बंधी केंसर आदि जैव विविधता के क्षेत्र में विषुवतरेखीय एवं उष्ण—कटिबन्धीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों से ज्यादा औषधि प्राप्त की जाती है।

सौन्दर्य परक महत्व :—

प्रकृति से मनुष्य को फल—फूल आदि प्राप्त होने के बादजूद आज परिस्थितिकी को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए पालतू जानवरों, पक्षियों का संरक्षण चिडियाघर के माध्यम से, पेड पौधों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक सौदर्य को वनस्पतिक उद्यान द्वारा संरक्षित भार रहा है मनुष्य सदियों से पशु—पक्षियों से जुडा रहा है। मानव प्राचीन समय से ही तुलसी व पीपल जैसे वृक्षों को सांस्कृतिक महत्व देता रहा है मानव का अस्तित्व हमेशा जैव विविधता की प्रजातियों से जुडा है। प्रकृति की सुन्दर छटा को देखने से मनमुग्द हो जाता है। अतः क्षेत्रीय वनस्पतियों जैव विविधता को सबसे ज्यादा बढाती है।

सामाजिक या पारिस्थितिक महत्व :—

जैव विविधता में हास प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन को प्रमाणित करता है जैव विविधता पारितंत्र को स्वास्थ्य व स्थिर बनाऐ रखती है जैव विविधता का हास हमेशा ग्लोवल वार्मिग एवं अम्लीय वर्षा द्वारा प्रभावित किया जाता है जैव विविधता जीवन का आधारभूत घटक है। जो पृथ्वी पर जीवन बनाऐ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

कृषि में जैव विविधता का महत्व :—

जैव विविधता कृषि के अनुवांशिक पद्धार्थ का स्त्रोत है जो कृषि को अत्याधिक महत्व देता है कृषि जैव विविधता को मजबूती प्रदान करती है उत्पादन क्षमता को बढाकर सभी प्रजातियों को पोषण करती है कृषि की लगभग 940 प्रजातियों बीमारियों एवं अन्य कारणों जैसे प्रदूषण से खतरे में आ चुकी है। जीवन और परिवर्तन के सतुलन के लिए कृषि जैव विविधता का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा :—

जैव विविधत में खाद्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रखला

और ऊर्जा संचालन का बड़ा महत्व तथा उसमें जैविक क्रियाए सम्पन्न की जाती है जैव विविधता से ही भोजन, कपडा, लकडी, ईधन, चारा की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। कई खाद्यन फसलों का हमारे लिये भोजन के रूप में होना अति आवश्यक है। जैसे गेहूँ, चावल, घान, जौ, मक्का, वाजरा, चना, अरहर, मसूर आदि इसके अलावा कपास , सागवान साल, शीशम, आदि वृक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

सेहत और स्वास्थ्य लाभ :–

वन सम्पदा को प्रकृति ने हमें धरोहर रूप में दिया है। जिस का निःशुल्क अहसान हमारे ऊपर रहता है। यह हमारे लिए एक मित्र से कम नहीं होती जिसके बीच रहने से हम जीव जन्तुओं का जीवन सुखमय एवं स्वास्थ्यकारी बना है। जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिसका हमारे जीवन में सेहत और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पक्ष होता है जैव विविधता हमारे लिये नितान्त आवश्यक है।

पर्यटन के रूप में :–

जैव विविधता का महत्व हमारे जीव में सेहत व सुखमय जीवन के अलावा एवं प्राकृतिक सौन्दर्यता का प्रतीक भी है। पर्यटन क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में से एक है। प्रकृति आधारित पर्यटन, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये जैव विविधता एवं विविध पारिस्थितिकी प्राणियों पर आश्रित होता है। पर्यवरण विभिन्न प्रकार की गति विधि के माध्यम से तथा जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता का प्रसार कर संवेदनशील क्षेत्रों पर, वास स्थानों के संरक्षण में सीधे योगदान कर सकता है जैव विविधता में पर्यटन के रूप में जीव जन्तुओं के विकास का संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सघन वन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते है।

बानिकी के रूप में :–

दुनिया की अधिकांश स्थानीय जैव विविधता वनों में मौजूद है और ये पौधों जानवरों, और सूक्ष्म जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के वासस्थलों को प्रदान करता है जैव विविधता में वानिकी से सम्बंधित सभी नीतियॉ और प्रथाओं के विकास के लिए वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण में योगदान होता है इसमें जैव विविधता संरक्षण में मदद मिलती है।

जलीय जीवों के रूप में :–

जैव विविधता स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार की होती है। जिसमें दोनों प्रकार के जीवों का महत्व इसके अन्तर्गत आता है इसमें सबसे ज्यादा मत्स्यपालन को बढावा दिया गया है।

इन सभी जैव विविधता के महत्व को बताने वाले तथ्यों से यह प्रदर्शित होता है कि जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और उसको संरक्षित करना हमारा अहम कर्तव्य है। यह सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है जैसे – खाद्य सुरक्षा, कृषि सेहत और स्वस्थ्य रेशेदार, जैव या वायोडीजल, ईधन, पर्यटन प्रजातियों की परस्पर निर्धरता, बढती जा रही है प्राकृ तिक चक्र के अंग के रूप में जैव विविधता का मूल्य, मिटटी और जल संरक्षण, सौदर्य के साथ मूल्य, जैव विविधता का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य भी जैव विविधता में महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सक्सेना, एम.एस.2010, पर्यावरण अध्ययन, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल
2. अरजरिया अमिता, वनस्पति विज्ञान, राम प्रसाद पब्लिकेशन आगरा,
3. वर्मा, चकृवर्ती, म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
4. अवस्थी डॉ. नरेन्द्र मोहन, पर्यावरण अध्ययन 2006
5. मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड, म0प्र0शासन भोपाल
6. जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन, म.प्र.राज्य जैव विविधा बोर्ड
7. सक्सैना सीमा मोहन, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

Chemistry of Animal Behaviour

❐ Dr. Sheetla Prasad Verma

ABSTRACT

Behavior refers to the actions or reactions of an object or organism, usually in relation to the environment that can be conscious or unconscious, overt or covert, and voluntary or involuntary. In animals, behavior is controlled by the endocrine system and the nervous system. The complexity of the behavior of an organism is related to the complexity of its nervous system. Generally, organisms with complex nervous systems have a greater capacity to learn new responses and thus adjust their behavior. Animal behavior is studied in comparative psychology, ethology, behavioral ecology and sociobiology.

Social behavior has been linked to many hormones. The best established connections are to steroid hormones, pituitary prolactin and a few peptide neurohormones (Table-I).

Keywords- Hormones, Pheromones, Steroids, Animal behaviour.

Introduction

Steroids are linked to social behavior and neuromodulators and neurohormones are important for understanding hormone action in relationship to social behavior. Chemical messenger regulatory systems interact with each other at several levels, such as when neurotransmitters and neuromodulators are regulated by steroids in some brain regions and peptide and protein hormone actions require prior steroid priming. These modulatory chemicals provide the flexibility and temporal and spatial coordination necessary for adaptive behavior sequences. Any neurotransmitte neuromodulator or hormone functions in more than one type of behavior and a single type of behavior is based on multiple chemical messengers, not one chemical regulator.

Hormones

Hormones have been defined as the secretions of the ductless (endocrine) glands and thought of as relatively long-distance internal messengers related to regulatory functions such as growth, metabolism, or reproduction. They were contrasted, for example, with neurotransmitters such as dopamine, serotonin (5-HT), or acetyicholine, chemicals for rapid communication across the tiny gaps between neurons and muscles e.g Testosterone. Hormones can be made in the brain itself. Some vertebrate neural tissue can release neurohormones into the circulation and

* Associate Professor (A.H. & Dairy Science), Kulbhaskar Ashram P.G. College, Allahabad-211001
Corresponding Author: drspverma_kadc@rediffmail.com

most insect hormones are neurohormones. Thus, the boundaries between hormones, neurohormones, neuromodulators, and neurotransmitters are narrow in both vertebrates and invertebrates, and the requirement of long-distance communication to be a hormone no longer seems necessary or desirable. Both nervous and endocrine systems originally evolved from a system of cell-cell chemical messengers, which is why chemically they overlap so much.

Table-1. Steroids, neuromodulators and neurohormones associated with social behavior (Adkins Regan, 2005)

Chemical	Acronyn	Type of chemical	Comments
Estradiol (1 ,3,5[1 O]-estratrien-3,1 72-diol)	E2	Steroid	An estrogen
Progesterone (4-pregnen-3,20-dione)	P	Steriod	A progestogen
Testosterone (4-androsten-1 72-ol-3-one)	T	Steriod	An androgen
Androstenedione (4-androsten-3,17-dione)	A4 (AE)	Steroid	An androgen
Dihydrotestosterone (5 ± -androstan-1 72-ol-3-one) 11 -Ketotestosterone	DHT	Steroid	An androgen
(4-androsten-1 72.ol-3, 11 -dione) An androgen; Corticosterone	11-keto T	Teleost fishes only	Steroid
(4-pregnen-1 12,21 -diol-3,20-dione) glucocorticoid	CORT (B)	Steroid	A
Cortisol (4-pregnen-112,17,21 -triol-3,20-dione)	Steroid	A glucocorticoid	
20-Hydroxyecdysone	Ecdysteroid	Arthropods	
Gonadotropin-releasing hormone	GnRH	Decapeptide	
Corticotropin-releasing hormone	CRH (CRF)	Peptide	
Adrenocorticotrophic hormone	ACTH	Peptide	Prolactin
PRL	Protein		
Vasopressin (arginine vasopressin)	AVP (VP)	Nonapeptide	
Vasotocin (arginine vasotocin)	AVP (VP)	Nonapeptide	
Oxytocin	OT (OXY)	Nonapeptide	
Melatonin	MT (MEL)	Indoleamine	
Thyroxine (3,5,32 ,52 -tetraiodothyronine)	T4		
Triiodothyronine (3,5,32 -triiodothyronine)	T3	Prostaglandins	
	PGs	Eicosanoids	
Juvenile hormones	JHs	Terpenoids	Arthropods

Hormones are coordinators of reproduction, sues of physiological and behavioral components, different parts of the brain and brain with body. They help adjust behavior to circumstances in physical, social, and developmental contexts. Social behavior is often age related and hormones are a mechanism that can ramp up the behavior at the appropriate age. The onset of adult reproductive behavior at puberty in mammals is a widely known example. In animals with indeterminate growth, size rather than age may be the trigger for the onset of adult social behavior, and hormones can be a messenger between size and behavior.

Steroids

Steroids are small molecules: molecular weights are usually in the 250-350 range derivatives of cyclopentanoperhydrophenanthrine ring. Various categories include gonadal steroids (predominantly androgens (“masculinizing” steroids), estrogens (“feminizing” steroids), and progestogens), adrenal steroids (the glucocorticoids and the mineralocorticoids, which together constitute the corticosteroids) and ecdystercids (which function in molting or ecdysis and are limited to insects).

The use of steroids for internal signaling is probably universal in metazoans. Like other chemical regulators, steroids are normally present in minuscule amounts. Their mechanisms of action involve cascades of events that amplify these tiny signals. This property helps explain how a very dilute concentration of circulating steroid can dramatically change the behavior of a very large animal, as when estradiol induces estrus behavior in a lion.

Neuropeptides and Prolactin

Peptides are amino-acid-based molecules and thus very different from steroids both chemically and biologically. Along with other amino-acid-based molecules, but unlike steroids, their structure (exact sequence of amino acids) differs among species. Peptides are closely linked both to interesting social behavior and to genes, and hold great promise for aiding the search for molecular mechanisms of such behavior.

Various peptide families are the oxytocin family of nonapeptides (a relatively conserved family of peptides containing nine amino acids, named for a mammalian version), the gonadotropinreleasing hormone (GnRH, formedy called luteinizing-releasing hormone or LHRH) family of decapeptides (containing 10 amino acids), and the corticotropin-releasing factor (CRF, also called corticotropinreleasing hormone or CRH) family. These families are very widely distnbuted among animals, suggesting that they are quite old, possibly appearing early in metazoan evolution. Functions related to reproductive behavior appear to be old as well, predating vertebrates. For example, lysconopressin, a member of the oxytocin family, regulates sexual behavior in a snail.

Prolactin is an amino-acid-based hormone, but the number of amino acids is much greater than in neuropeptides such as GnRH. It is produced by the anterior pituitary and in the brain and is named after its stimulating effect on milk production in mammals. In spite of this sex- and taxon-specific name, it is produced by both sexes, and molecules resembling mammalian prolactin are found in other vertebrates. Because prolactin is a large molecule with an amino-acid sequence that varies significantly across taxa, it is difficult to measure and to manipulate.

Diversity in hormonal Mechanisms

Many hormonal mechanisms are rather conserved in vertebrates but there is interesting diversity that can arise through evolved adaptations to particular environmental circumstances (natural selection), through the behavior of conspecifics (sexual selection), or through the sheer passage of long periods of time with no selection against the occasional

mutation (neutral evolution). The following are additional notable examples of diversity resulting from these processes:

1. Juvenile hormones (which are not steroids) appear to be a family unique to insects and crustaceans.
2. Insects cannot make steroids de novo because they don't make cholesterol. The ecdysteroids are made from sterols obtained from the diet.
3. Vertebrate groups differ in whetherthe predominant glucocorticoid is cortisol (teleost fishes, primates) or corticosterone (rats and mice, birds, lizards).
4. 11-Ketotestosterone and other 11-oxygenated nonaromatizable androgens are characteristic of teleost fish, where they are the predominant circulating androgen and replace DHT as the other important androgen. Testosterone is present as well but 11 -ketotestosterone is often more potent than testosterone for male sexual characters and behavior. It is not clear how these steroids act or why teleosts have them and not other vertebrates.
5. The presence in the brain of the steroid-metabolizing enzyme 5-a-reductase, which converts testosterone into 5-â-dihydrotestosterone, is unique to birds. 5-â-DHT has little or no biological activity and levels of it are highest in non-breeding individuals and seasons. Thus, 5-â-reductase seems to function as an inactivation shunt.

Pheromones

Almost all animals communicate through chemicals produced by glands within the body. This specialized communication includes smell or scent and pheromones. The chemical messages can be received via taste buds, nasal epithelium and through specialized structures in the body. A broader term for chemicals involved in animal communication is semiochemical. Pheromones are a subclass of semiochemicals, used for communication within the species (intraspecific chemical signals). Pheromones were originally defined as 'substances secreted to the outside by an individual and received by a second individual of the same species in which they release a specific reaction, for instance a definite behavior (releaser pheromone) or developmental process (primer pheromone)'. Thus, a pheromone is a chemical thattriggers an innate behavioural response in another member of the same species (conspecific). Chemicals when used to communicate with the members of other species are designated kairomones and called allomones, if only sender is benefited by the release.The action of pheromones between individuals is contrasted with the action of hormones as internal signals within an individual organism. Their use among insects has been particularly well documented, although many vertebrates and plants also communicate using pheromones.

Enzymes catalyze pheromone synthesis and receptors detect them and both of them are proteins that recognize their substrate and signal molecules (ligands), respectively by their three- dimensional shape. Potential variation in molecular shape, in synthesis and reception has been acted on by natural selection so that these vanations in shape are vitally important to many species for species recognition. Each of the possible isomer can be biologically important as due to different shape it may stimulate a different range of olfactory receptors. Pheromones are often divided by function. e.g. alarm pheromones, aggregation pheromones, epideictic pheromones, releaser pheromones, primer pheromones, territodal pheromes, trail pheromones, sex pheromones and many others that affect behavior or physiology.

Elephants and moths - convergent pheromones

The discovery that elephants and some moths share the sex pheromone (Z)-7-dodecen-1-yl acetate is particularly interesting because

it illustrates important points emerging about pheromones in mammals and insects, and animals in general.

- It illustrates the ubiquity of pheromones. Across the animal kingdom, more interactions are mediated by pheromones than by any other kind of signal.
- The shared use of a compound as a signal illustrates a relatively common phenomenon of independent evolution of particular molecules as signals by unrelated species (Table 1). The common origin of life results in such coincidences. Howeve despite sharing an attraction to (Z)-7-dodecen-1-yl acetate, male moths and elephants are unlikely to be confused. Male moths are not attracted by this pheromone in female elephant urine because moth pheromones are multicomponent and it would be only one of perhaps five or six other similar compounds making up a precise blend for each moth species. Likewise male elephants are not attracted to a female moth because small quantities released are not noticed by a male elephant but can be tracked by the specialized sensory system of a male moth.
- Like insects, mammals can use small molecules, singly or in simple mixtures, as pheromones for sexual signaling. Unlike insects, mammals may increase the activity of their pheromones by interaction with carrier proteins in the urine, as is the case in the elephant and also in mice.

Table 2- Biochemical convergence of pheromones among ants, bees, moths and termites and other animals including mammals (Wyatt, 2003)

		Occurrence	
Compound	**Function**	**Family**	**Genus**
Benzaldehyde	Trail pheromone DefenceMale sex pheromone	Bee, Apidae Ant, Formicidae Moth, Amphipyrinae	Trigona Veromessor Pseudaletia
2-Tridecanone	Alarm pheromone Defence	Ant, Formicidae Termite, Rhinotermitidae	Acanthomyops Schedorhinotermes
Dehydro-exo-brevicomin Exo-brevicomin	Male sex pheromone Aggregation pheromone	Mammal Insect	Mouse, Mus Bark beetle, Dendroctonus
(Z)-7-Dodecen-1-yl acetate	Female sex pheromone	Mammal	Asian elephant Elephas maximus
		Insect	140 species ofmoth (as onecomponent of amulticomponentpheromone) componentpheromone

Evolution of chemical cues into signals

Chemical senses are the oldest, shared by all organisms including bacteria, so animals are pre-adapted to detect chemical signals in the environment. Chemical information is used to locate potential food sources and to detect predators as well as to receive the chemical signals in the social interactions. Signals are derived from movements, body parts or molecules already in use and are subsequently changed in the course of evolution to enhance their signal function. Thus pheromones evolve from compounds originally having other uses or significance, for example from hormones, host plant odours, chemicals released on injury, or waste products. There is selection for

functional signal features such as longevity and specificity. There is also evolution in the senses and response of the receiver. The original functions of the chemicals may or may not be eventually lost. The ubiquity and extraordinary diversity of pheromones are the evolutionary consequence of the powerful and flexible way the olfactory system is organized; taste does not have this flexibility. Most animal olfactory systems have a large range of relatively non-specific olfactory receptors that means that almost any chemical in the rich chemical world of animals will stimulate some olfactory sensory neurons and can potentially evolve into a pheromone. If detection of a particular chemical cue leads to greater reproductive success or survival, there can be selection for receptors more sensitive to it or expressed in greater numbers.

Pheromones evolved from leaking hormones or other compounds

Coordinating reproduction is very important, particularly for externally fertilizing animals, which must release gametes (sperm and eggs), at the same time as their partner(s). Molecules in body cavity fluids normally released with the sperm or by sexually mature adults may become pheromones. For example, marine polychaete worms release sex pheromones with their gametes, which immediately prompt the other sex to release its gametes Hormones or other molecules associated with reproductive cycles have evolved into pheromones by spying in many animals. In terrestrial animals such as elephants and mice, some pheromones are excreted in the urine. In aquatic animals such as fish and lobsters, pheromones may have evolved from molecules excreted in urine or leaking into the water across permeable membranes such as gills e.g. hormone-based sex pheromones in the goldfish Carassius auratus.

Many alarm pheromones, which provoke fight or flight in receivers, appear to have evolved from compounds released by fighting or injured conspecifics. There will be a selective advantage to potential receivers sensitive to these compounds and responding appropriately. Over evolutionary time, defensive compounds may gain a signal function: for example, most ant species use the same chemicals for defence and alarm, to repel enemies and to alert and recruit nestmates. This pattern is shown across the arthropods. In other animals, alarm pheromones may derive from compounds evolved to make the flesh unpalatable or toxic to predators. These compounds would be released by an injured animal e.g. anthopleurine in the sea anemone and the bufotoxins and larval skin extracts which elicit an alarm response in toad tadpoles. The alarm pheromone of fish is not an anti feedant but may have evolved with a primary function such as control of skin pathogens.

References

- Hormones and Animal Social Behavior (2005) Elizabeth Adkins-Regan (Edr) Princeton University Press.
- Tristram D. Wyatt. (Edr), (2003). Pheromones and Animal Behaviour-Communication by Smell and Taste. www.cambridge.org/ O521485266.
- Yadav, M.C. Pheromones in control of reproduction in wild animals. In: Ethology of Wild Animals. Compendum of CAS Veterinary Physiology sponsored Course 19th Nov to 9th Dec 2004.
- Shalini, Mohini (2007) Behaviour Chemistry 'Short Course on' Animal Behaviour and Welfare under CAs in Vety.Physiology (IVRI) 2007, Page No. 162-167.

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

Effect of gibberellic acid, zinc sulphate and their interactions on bulb production of tuberose (*Polianthes tuberosa L.*)

Pankaj Kumar[1]
S.P. Verma[2]
Ashok Kumar[1]
Abhinav Kumar[1]

Corresponding Author: drspverma_kadc@rediffmail.com

ABSTRACT

A field experiment was conducted in Randomized Block Design (factorial) with 16 treatment combinations, comprising of 4 levels of GA_3 (0, 100, 200 and 300 ppm) and 4 levels of $ZnSO_4$ (0, 0.25%, 0.5% and 0.75%) in 2016-2017 at Main Experiment Station, Department of Floriculture and Landscape, Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Narendra Nagar (Kumarganj), Ayodhya (U.P.) to assess the effect of gibberellic acid, zinc sulphate and their interactions on bulb production of tuberose. Result reveled that GA_3 at 300 ppm produces maximum number of bulb per clump (6.77) while GA_3 200 ppm produces highest weight of bulb per clump (132.87 g) and yield of bulb (147.61 q/h). However, zinc sulphate at 0.5 % resulted maximum number of bulb per clump (7.20), weight of bulb per clump (137.72 g) and yield of bulb (153.01 q/ha), the interaction effect of GA_3 and $ZnSO_4$ was recorded non significant effect on number of bulb per clump whenever they performed significant effect on weight of bulb per clump and yield of bulb per hectare. The interaction (GA_3 200 ppm X $ZnSO_4$ 0.5%) resulted maximum weight of bulb per clump (149.87 g) and yield of bulb (166.51 q/h).

Key words: Tuberose, gibberellic acid, zinc sulphate, bulb

Introduction

Flowers are an integral part of human life, due to their diversity in beauty, form, texture, colour and fragrance. Tuberose (*Polianthes tuberosa* Linn.) is commercial ornamental bulbous plant popularly known as Rajnigandha. Tuberose is native to Mexico (Trueblood, 1973), from where it spread to different part of world during the 16^{th} century. It belongs to the family Amaryllidaceae. Tuberose is semi hardy, dwarf, perennial (Edwards, 2006), bulbous, day neutral plant, bulbs are made of scales and simple leaf base the stem remains concealed in scales, roots are adventitious and shallow. It is commercially propagated by bulb. Tuberose is grown for garden decoration in pots, beds, borders for cut flower, loose flower and extraction of essential oil. The extract of tuberose is also use in making perfumes (Biswas *et al.* 1983) due to their great demand; it is currently cultivated in most of the

1. Department of Floriculture and Landscape, College of Horticulture & Forestry. N.D. University of Agriculture & Technology, Ayodhya, (U.P.) India
2. Department of A.H. & Dairy Science, Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj-211001

tropical and subtropical countries of the world. Tuberose is popular among flower loving people because of its sweet and pleasant fragrance and also long keeping quality. Bulb production is affected by various factors such as temperature, relative humidity, soil fertility, planting distance, bulb size, frequency of irrigation, and nutrition.

Growth and development of plant are under the control of extremely minute quantity of hormone and micronutrient within the plant themselves. Plant growth regulator and micronutrients are applied when a desired effect cannot be achieved by manipulation of the environment. Such as GA_3 appear most dramatic effect like cell elongation, and flowering in large number of plant. Its increase sprouting percentage and earliness increase the number of leaf per plant, earliness in days to spike emergence, number of spike per plant, length of flower stalk, increase number of floret per spike per clump and spike weight. Micronutrients such as zinc is an essential element for plants which acts as a cofactor of various enzymes or as a functional structural or regulatory component of various biosynthesis like protein synthesis, photosynthesis, the synthesis of auxin, cell division, the maintenance of membrane structure RNA and ribosome functions and sexual fertilization. Keeping in view the impotence of GA_3 and $ZnSO_4$ on tuberose present study was under taken with the objective to assess the effect of gibberellic acid, zinc sulphate and their interactions on bulb production of tuberose (*Polianthes tuberosa* L.)

Materials and Methods

The present study was conducted at Main Experiment Station, Department of Floriculture and Landscape, N.D.U.A.&T., Ayodhya in 2016-17. The experiment was conducted in Randomized Block Design (factorial) with 16 treatment combinations, comprising of 4 levels of GA_3 (0, 100, 200 and 300 ppm) and 4 levels of $ZnSO_4$ (0, 0.25%, 0.5% and 0.75%). The crop where grown in summer season with packages and practices used for proper cultivation of tuberose.

Gibberellic acid was applied through bulb soaking for 24 hrs before sowing while Zinc sulphate used as foliar application at 30 and 60 DAP. Bulb production was studied as influenced through gibberellic acid, zinc sulphate and their interactions. Five plants were tagged for recording the data in each treatment leaving the border plants pertaining to bulb production of tuberose.

Results and discussion

The studies pertaining to initiation, growth and development of bulbs were some other indices for evaluating the number of bulb per clump significantly influenced with different dose of gibberellic acid. The maximum number of bulb per clump (6.77) was recorded under GA_3 300 ppm. While GA_3 at 200ppm enhances weight of bulb per clump per hectare increase in number of bulbs per plant and yield of bulb per hectare might be due to the effect of gibberellic acid function as they helped in increasing the cell division and cell elongation in the plant. The results are in compfind with the findings of Thomas *et al*. (1973) and Panwar *et al*. (2006) in tubrose. The number of bulb per clump significantly influenced with different dose of zinc sulphate. The maximum number of bulb per clump (7.20), weight of bulb per clump (137.72 g) and yield of bulb (153.01 q/ha) was recorded under Z2 (0.50% $ZnSO_4$). Zinc might have enhanced the biochemical changes in the bulbs, resulting in increased bulb production. Similar trends were found by Halder *et al*. (2007) with boron and zinc, Rasool (2010) with Boron and zinc.

The interaction effect between gibberellic acid and zinc sulphate was found significant. The highest weight of bulb per clump (149.87 g) and yield of bulb (166.51 q/ha) were recorded in treatment with the application of GA_3 200 ppm + 0.50% $ZnSO_4$. The reason behind findings may be due to stimulating effect of gibberellic acid along with zinc might have activated meristematic cells, enhanced the biosynthesis of proteins and carbohydrates that lead to enhancement of bulb primordial and initiated new bulbs to produce. Similar trends were found by Halder *et al.* (2007) with boron and zinc, Sarkar *et al.* (2009) with GA_3, Rasool (2010) with Boron and zinc.

Table-1- Effect of gibberellic acid, zinc sulphate and their interactions on bulb production of tuberose (*Polianthes tuberosa* L.).

G/Z	Number of bulb per clump	Yield of bulb per ha (q)	Weight of bulbs per clump (g)
G_0	5.10	109.29	98.37
G_1	5.97	121.07	108.98
G_2	6.58	147.61	132.87
G_3	6.77	141.33	127.20
SEm±	0.28	0.07	0.06
CD at 5%	0.82	0.20	0.18
Z_0	4.93	116.62	104.97
Z_1	6.18	127.53	114.78
Z_2	7.20	153.01	137.72
Z_3	6.10	122.13	109.95
SEm±	0.28	0.07	0.06
CD at 5%	0.82	0.20	0.18
G_0Z_0	4.00	90.14	81.13
$G_0 Z_1$	5.07	109.48	98.53
$G_0 Z_2$	6.13	131.77	118.60
$G_0 Z_3$	5.20	105.77	95.20
$G_1 Z_0$	5.33	107.03	96.33
$G_1 Z_1$	5.47	107.99	97.20
$G_1 Z_2$	7.20	157.99	142.20
$G_1 Z_3$	5.87	111.26	100.20
$G_2 Z_0$	4.27	133.55	120.20
$G_2 Z_1$	7.40	153.55	138.20
$G_2 Z_2$	8.20	166.51	149.87
$G_2 Z_3$	6.47	136.82	123.20
$G_3 Z_0$	6.13	135.77	122.20
$G_3 Z_1$	6.80	139.11	125.20
$G_3 Z_2$	7.27	155.77	140.20
$G_3 Z_3$	6.87	134.66	121.20
SEm±	0.17	0.04	0.04
CD at 5%	NS	0.12	0.10

References

Biswas, J., Bose, J. K. and Matti, R. G. (1983). Effect of growth substances on growth and flowering of tuberose *(Polianthes tuberosa L.)*. *South Indian Hort*. **31**(2/3):129-132.

Halder, N. K., Ahmed, R., Sharifuzzaman, S. M., Anzu-Man-Ara Bagam, K. and Siddiky, M. A. (2007a). Effect of boron and zinc fertilization on corm and cormel production of gladiolus in grey terrace soils of Bangladesh. Int. J. Sustain. Crop Prod., 2(5): 85-89.

Kim, H. H.; Ohkawa, K. and Nitta, E. (1998).Effects of bulb weight on the growth and flowering of *Leucocoryne coquimbensis*. F. Phill. *Acta Hort*. **454**: 341-346.

Panwar, R. D., Sindhu, S. S., Sharma, J. R. and Saini, R. S. (2006). Effect of gibberellic acid spray on growth, flowering, quality and yield of bulbs in tuberose. Haryana J. Hort. Sci., 35(3/4): 253-255.

Rasool, M. (2010). Effect of calcium, boron and zinc on growth, flowering and bulb production of Tulip (Tulipa gesneriana L.) cv. Apeldoorn Ph.D. thesis submitted to the Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sci. & Tech.

Sarkar, Jayoti, Misra, R. L., Singh, Sanjay, K., Prasad, K. V. and Arora, A. (2009). Effect of growth regulators on growth and flowering in tuberose under north India conditions. Indian J.Hort., 66(4): 502-507.

Thomas. S. M.; and Thorn, J. N. (1975). Effect of nitrogen fertilizer on photosynthesis and ribolose 15-diphosphate carboxylase activity in spring wheat in the field. *J. Exp. Bot.* **26** 43-51

Trublood, E. W. E.:Econ. Bot. **27:** 157-73 (1973)

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

मध्यप्रदेश का फसल प्रतिरूप

❑ प्रभाक्षी तिवारी*

शोध सारांश

आज भी कृषि मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे–उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र को प्रमुख आधार प्रदान करती है। मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है, तथापि कृषिगत भूमि का अधिकाधिक भाग खाद्य फसलों के उत्पादन को ही संपादित करता है। यदि फसल प्रतिरूप की दृष्टि से मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका अथवा विशेषता को देखें, तो इस संदर्भ में इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता खाद्य फसलों के उत्पादन की ही प्रधानता है।

प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई सुविधाएँ, जलवायु एवं प्राकृतिक दशाएं अनुकूल हैं, वहां कृषि विकास की दृष्टि से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अब कृषि क्षेत्र में भी जागरूकता आई है, जिससे कि किसान अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यावसायिक फसलों के अधीन बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहे हैं, जिसका प्रभाव यह हुआ कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है एवं राज्य एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई जा रही है।

शब्द बीज :– फसल प्रतिरूप, दलहन, तिलहन, क्षेत्राच्छादन, खरीफ, रबी।

भूमिका

फसल प्रतिरूप के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न फसलों के अधीन कृषि कार्य के लिए उपयोग किए गए भूमि का कितना भाग समाहित किया गया तथा इसमें देशकाल परिस्थिति जैसे–जलवायु, वर्षा, मिट्टी, सिंचाई सुविधाएं फसलों की कीमतें, उर्वरक बीज एवं सरकारी नीतियों का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। फसल प्रतिरूप के संबंध में कई विद्वानों ने अपना भिन्न–भिन्न मत व्यक्त किया है। फसल प्रतिरूप का गहनता से अध्ययन करने हेतु प्रो. टी. डब्ल्यू. शुल्ज के कथन को यहाँ पर याद किया जा सकता है कि – ''फसल प्रारूप से आशय एक निश्चित समय बिंदु पर फसल क्षेत्र के अनुपात से है। फसल प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ विभिन्न फसलों के अंतर्गत कृषित क्षेत्र के अनुपात में परिवर्तन से है।''

शोध का उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध लेख के उद्देश्य इस प्रकार से है–

(1) मध्यप्रदेश में फसल प्रतिरूप की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।

(2) राज्य में फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन।

(3) राज्य में फसलों के स्वरूप का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :– प्रस्तुत शोध लेख में संपूर्ण मध्य प्रदेश को समग्र के रूप में लिया गया है। एवं क्षेत्र

* शोधार्थी, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

विस्तृत होने के कारण द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है।

शोध लेख का मुख्य भाग

मध्यप्रदेश में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न फसलों के प्रतिरूप को मौसम, जलवायु, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उसकी उपयोगिता की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(i) खरीफ की फसल

(ii) रबी की फसल

(iii) जायद की फसल

उपर्युक्त तीनों प्रकार की फसलों का वर्णन अग्रलिखित प्रकार से किया जा सकता है–

(अ) खरीफ की फसल :–

इस समूह के अंतर्गत मुख्यतः मूँगफली, सोयाबीन, तिल, चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, गन्ना, जूट उड़द एवं मूँग इत्यादि फसल के उत्पादन हेतु कृषि की जाती है। शोधार्थी के द्वारा सोयाबीन फसल का चयन मुख्य रूप से शोध–पत्र तैयार करने हेतु किया गया है उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सोयाबीन खरीफ की फसल है। जोकि मध्य प्रदेश राज्य में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुतायत से बोई जाती है। वर्ष 2013–14 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में बोए जाने वाले सोयाबीन के उत्पादन में मध्यप्रदेश अकेला 45 प्रतिशत भाग उत्पादित करता है।

(ब) रबी की फसल :–

रबी के मौसम में मुख्यतः चना, गेहूँ, जौ, मटर, सरसों एवं मसूर इत्यादि फसलों की कृषि की जाती है। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर माह की समयावधि में बोई जाती है एवं फरवरी से अप्रैल माह तक की समयावधि में काट ली जाती है।

(स) जायद की फसल :–

खरीफ और रबी की फसल के क्षेत्र के अलावा, जो समय बचता है अर्थात् मार्च से जून के मध्य एक अन्य प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिसे कि जायद की फसल के नाम से जाना जाता है। इन फसलों में मुख्यतः खरबूजा, ककड़ी, सब्जियाँ एवं तरबूज इत्यादि की कृषि की जाती है। यदि उपरोक्त फसलों को उपयोगिता के आधार पर विभाजित किया जाए, तो इसे खाद्यान्न फसलों एवं व्यावसायिक फसलों के रूप में विभाजित किया जा सकता है।

1. खाद्य फसलें :–

खाद्य फसलों के अंतर्गत उन फसलों को शामिल किया जाता है, जो मनुष्य की भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करती है। इसके अंतर्गत चावल, गेहूँ, दालें, ज्वार, बाजरा एवं मक्का इत्यादि फसलों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2004–05 में मध्य प्रदेश में चावल, गेहूँ, मक्का, अरहर, एवं चना के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल क्रमशः 1686 हजार हैक्टेयर, 4200 हजार हैक्टेयर, 884 हजार हैक्टेयर व 318 हजार हैक्टेयर एवं चना के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र 2693 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2014–15 में बढ़कर क्रमशः 2153 हजार हैक्टेयर, 6002 हजार हैक्टेयर, 1132 हजार हैक्टेयर, 521 हजार हैक्टेयर एवं 2853 हजार हैक्टेयर हो गया।

2. व्यावसायिक फसलें :–

व्यावसायिक फसलों से आशय उन फसलों से है, जो कि किसानों के द्वारा लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से बोई एवं उत्पादित की जाती है। इन फसलों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसानों के द्वारा इन फसलों के उत्पादन का बहुत ही कम भाग उपभोग किया जाता है एवं ज्यादातर किसानों द्वारा इन फसलों का संपूर्ण भाग बाजारों में बेच दिया जाता है, जिससे कि उन्हें घरेलू एवं अन्य आवश्यताओं की पूर्ति हेतु धन प्राप्त हो सके। व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत मुख्यतः कपास, तिलहन फसलें, जिनमें मूंगफली, सरसों, तिल एवं वृहद पैमाने पर सोयाबीन की फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ–साथ म.प्र. की व्यावसायिक फसलों में गन्ना, मसाले, फल तथा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2004–05 में सोयाबीन की फसल के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र 4594 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2014–15 में बढ़कर 5578 हजार हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2004–05 में मूंगफली, सरसों, कपास एवं गन्ना का उत्पादन क्षेत्र क्रमशः 215 हजार हैक्टेयर, 761 हजार हैक्टेयर, 591 हजार हैक्टेयर एवं 74 हजार हैक्टेयर हो गया। जबकि वर्ष 2014–15 में मूंगफली, सरसों, कपास, एवं गन्ना का उत्पादन क्षेत्र क्रमशः 231 हजार हैक्टेयर, 666 हजार हैक्टेयर, 636 हजार हैक्टेयर एवं 111 हजार हैक्टेयर हो गया।[1]

तालिका क्रमांक 3.1

प्रमुख फसलों तथा फसल समूह के अंतर्गत क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)

क्र.	फसलें	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	खाद्य फसलें										
	खाद्यान्न फसलें										
	अनाज										
A	चावल	1711	1684	1645	1717	1603	1584	1703	1801	1892	2153
B	ज्वार	584	548	550	500	471	432	338	309	–	–
C	बाजरा	184	184	202	189	199	202	201	194	–	–
D	मक्का	863	890	853	838	823	849	860	865	863	1132
E	गेहूँ	3755	4274	4101	4010	4471	4645	5261	5613	61354	6002
F	जौ	79	71	64	77	75	77	77	81	–	–
	कुल अनाज	7555	7981	7731	7636	7921	8060	8752	9091	–	–
2.	दालें										
A	चना	2541	2591	2662	2875	3014	2888	2621	2722	2780	2853
B	तुअर	323	309	304	310	329	642	536	458	400	521
	कुल दालें	4332	4267	4405	4460	4802	5215	4764	4699	4728	5250
	कुल खाद्यान्न	11887	12248	12136	12276	12723	13275	13515	13790	14368	15147
2.	गन्ना	87	107	104	80	75	77	90	88	102	111
3.	फल एवं सब्जियां	243	249	253	253	278	310	342	356	–	–
4.	मिर्च मसाले	208	246	282	276	314	324	342	333	–	–
5.	अन्य खाद्यान्न	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	–	–
	कुल खाद्य फसलें	12424	12851	12775	12885	13382	13986	14287	14568	–	–
6.	तिलहन										
A	मूँगफली	208	201	204	206	210	205	226	224	–	–
B	अलसी	132	126	109	109	107	95	91	88	–	–
C	तिल	184	247	309	244	320	361	329	289	–	–
D	राई/सरसों	831	753	636	757	769	727	664	704	703	666
E	सोयाबीन	4590	4705	5202	5295	5454	5552	5786	6186	6597	5604
	कुल तिलहन	6068	6168	6578	6621	6984	7065	7111	7496	7923	7065
7.	कुल रेशेदार फसलें	609	642	631	625	635	598	628	604	–	–
	कपास	603	637	624	619	623	593	624	601	581	636
8.	चारा फसल	588	539	513	490	476	462	433	406	–	–
9.	अन्य अखाद्य फसलें	–	–	–	231	–	0.1	18	0.4	–	–
10.	कुल अखाद्य फसलें	7286	7365	7744	7875	8132	8163	8333	8665	–	–

स्रोतः– आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर (म.प्र.)

उपर्युक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट है कि म.प्र. में खाद्य फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन, को प्रदर्शित किया गया है। खाद्यान्न अनाजों में चावल, ज्वार बाजरा, मक्का एवं गेहूँ इत्यादि के क्षेत्राच्छादन को मिट्टी के उपजाऊपन एवं प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता के अनुसार दिखाया गया है। यदि तालिका में वर्णित विविध फसलों का विभिन्न समयावधि में आंकड़ा देखा जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 में चावल का उत्पादन क्षेत्र 1711 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2014–15 में बढ़कर 2153 हजार हैक्टेयर हो गया इस प्रकार इस फसल के क्षेत्रफल में 25.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जबकि ज्वार के उत्पादन क्षेत्र में कमी दृष्टिगत हुई है। वर्ष 2005—06 में ज्वार के अधीन क्षेत्रफल 584 हजार हैक्टेयर था, जो वर्ष 2012—13 में घटकर 309 हजार हैक्टेयर रह गया है। बाजरा के उत्पादन क्षेत्र में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। बाजरा के अंतर्गत क्षेत्र वर्ष 2005—06 में 184 हजार हेक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012—13 में बढ़कर 194 हजार हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2005—06 में गेहूँ का उत्पादन क्षेत्र 8755 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2014—15 में बढ़कर 6002 हजार हैक्टेयर हो गया अर्थात् गेहूँ के उत्पादन क्षेत्र में 59.84 प्रतिशत वृद्धि हुई है। साथ ही जौ का उत्पादन क्षेत्र विभिन्न समयावधियों में लगभग स्थिर रहा। वर्ष 2005—06 में जौ का उत्पादन 79 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल होता था, जो कि वर्ष 2012—13 में 81 हजार हैक्टेयर बढ़कर हो गया। यदि कुल अनाजों के उत्पादन क्षेत्र के आंकड़ों को देखा जाय तो वर्ष 2005—06 में 7555 हजार हैक्टेयर इन फसलों का उत्पादन था, जोकि वर्ष 2012—13 में बढ़कर 9091 हजार हैक्टेयर हो गया।

मध्यप्रदेश में उत्पादित की जाने वाली दलहन फसलों में मुख्य रूप से चना, तुअर एवं अन्य कई प्रकार की दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। यदि उत्पादन क्षेत्र के आंकड़ों का अध्ययन किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न समयावधियों में दलहन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में थोड़ी बहुत वृद्धि दृष्टिगत हुई है। चने का उत्पादन क्षेत्र वर्ष 2005—06 में 2541 हजार हैक्टेयर था, जो कि बढ़ते—बढ़ते वर्ष 2014—15 में 2853 हजार हैक्टेयर हो गया, अर्थात् इस फसल के अधीन क्षेत्रफल में 3122 हजार हैक्टेयर की वृद्धि हुई। तुअर के अधीन क्षेत्र वर्ष 2005—06 में 323 हजार हैक्टेयर था, जो कि 2014—15 में बढ़कर 521 हजार हैक्टेयर हो गया, अर्थात् वर्ष 2005—06 के सापेक्ष वर्ष 2014—15 में तुअर के उत्पादन क्षेत्र में 1982 हजार हैक्टेयर की वृद्धि हुई है। चूँकि विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी वर्षा एवं तापमान आदि को दृष्टिगत रखते हुए अनेक दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। समस्त दलहन फसलों के अधीन कुल क्षेत्र वर्ष 2005—06 में 4332 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2014—15 में बढ़कर 5250 हजार हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार इन फसलों के अधीन क्षेत्रफल में 9182 हजार हैक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई। कुल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन क्षेत्र वर्ष 2005—06 में 11887 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2014—15 में बढ़कर 15147 हजार हैक्टेयर हो गयाा, अर्थात् इस प्रकार वर्ष 2005—06 के सापेक्ष वषर्ह 2014—15 में कुल खाद्यान्न का क्षेत्रफल 8260 हजार हैक्टेयर बढ़ा है।

उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों को भी उत्पादन क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें से गन्ने के उत्पादन में मध्यप्रदेश का स्थान बहुत नीचे है। गन्ने के अधीन कुल क्षेत्रफल वर्ष 2005—06 में 87 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2014—15 में बढ़कर 111 हजार हैक्टेयर हो गया, अर्थात् वर्ष 2005—06 के सापेक्ष वर्ष 2014—15 में गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में 24 हजार हैक्टेयर की वृद्धि परिलक्षित हुई।

फल एवं सब्जियाँ मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ—साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इन फसलों के अधीन वर्ष 2005—06 में कुल क्षेत्रफल 243 हजार हैक्टैयर था, जो कि वर्ष 2012—13 में बढ़कर 365 हजार हैक्टेयर तक पहुंच गया। इस प्रकार स्पष्ट है, कि फल एवं सब्जियों के अधीन क्षेत्रफल में 113 हजार हैक्टेयर की वृद्धि अंकित की गई। मिर्च एवं मसाले की खेती भी मध्य प्रदेश में शुरू से ही की जाती रही है। वर्ष 2005—06 में इनके अंतर्गत क्षेत्रफल 208 हजार हैक्टेयर था, जोकि वर्ष 2013 में बढ़कर 333 हजार हैक्टेरय हो गया।

इस प्रकार मिर्च मसाले का उत्पादन क्षेत्र 125 हजार हैक्टेयर बढ़ा है। कुल खाद्यान्न फसलों के उत्पादन क्षेत्र के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता कि वर्ष 2005—06 में कुल खाद्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 12424 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012—13 में बढ़कर 14568 हजार हैक्टेयर हो गया, इस प्रकार वर्ष 2006—06 के सापेक्ष वर्ष 2012—13 में 2144 हाजर हैक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गयी।

मध्यप्रदेश की जनसंख्या के भरण—पोषण हेतु खाद्यान्न फसलों के साथ—साथ तिलहन फसलों का उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में किसी न किसी भाग पर तिलहन फसलें भी उत्पादित की जाती रही है, तिलहन फसलों में मूँगफली, अलसी, तिल, राई व सरसों एवं सोयाबीन प्रमुख है। यदि आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में वर्ष 2005—06 में मूँगफली के अध

ीन क्षेत्रफल 208 हजार हैक्टर था, जो कि वर्ष 2012–13 में 224 हजार हैक्टेयर हो गया, अर्थात् वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2012–13 में मूँगफली के क्षेत्रफल में 16 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। अलसी के अधीन वर्ष 2005–06 में क्षेत्रफल 132 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012–13 में घटकर 88 हजार हैक्टेयर रह गया अर्थात् उसी के उत्पादन क्षेत्र में वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2012–13 में 44 हजार हैक्टेयर की कमी हुई। तिल के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2005–06 में इसके अधीन क्षेत्र 184 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012–13 में बढ़कर 289 हजार हैक्टेयर हो गया, इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि इस फसल के अधीन क्षेत्र में 105 हजार हैक्टेयर की वृद्धि हुई हैं। राई एवं सरसों के उत्पादन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2005–06 में इसके अध ीन क्षेत्रफल 831 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012–13 में 704 हजार हैक्टेयर हो गया, कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ष 2005–06 में सापेक्ष वर्ष 2012–13 में राई एवं सरसों के बोए गए क्षेत्रफल में 127 हजार हैक्टेयर की कमी हुई है।

सोयाबीन मध्यप्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका उत्पादन प्रारंभ से ही बड़े भू–भाग पर किया जाता है। यदि आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 में सोयाबीन फसल का क्षेत्रफल 4590 हजार हैक्टेयर था, जोकि वर्ष 2014–15 में बढ़कर 5604 हजार हैक्टेयर हो गया, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सोयाबीन के उत्पादन क्षेत्र में वर्ष 2005–06 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 1014 हजार हैक्टेयर की वृद्धि हुई है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन समयावधि ा में मध्यप्रदेश में वर्ष 2005–06 में कुल तिलहन क्षेत्र 6068 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012–13 में बढ़कर 7496 हजार हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार कुल तिलहन क्षेत्र में 1428 हजार हैक्टेयर की वृद्धि हुई है।

इन फसलों के अतिरिक्त रेशेदार फसलें एवं कपास का उत्पादन भी मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में कपास उत्पादन के अधीन क्षेत्र 603 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012–13 में भी लगभग पूर्ववत् रहा है। चारा उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल वर्ष 2005–06 में 588 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012–13 में घटकर 406 हजार हैक्टेयर रह गया, अर्थात् वर्ष 2005–06 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में कपास के बोए गए क्षेत्रफल में 182 हजार हैक्टेयर की कमी परिलक्षित हुई।

कुल अखाद्य फसलों के अंतर्गत भी मध्यप्रदेश में आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर प्रारंभ से ही खाद्य फसलों के साथ–साथ अखाद्य फसलें भी उत्पादित की जा रही है। वर्ष 2005 में अखाद्य फसलों के अधीन क्षेत्र 7286 हजार हैक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012–13 में बढ़कर 8665 हजार हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार अखाद्य फसलों के अधीन क्षेत्रफल में वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2012–13 में 1379 हजार हैक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गयी है।

निष्कर्ष :– मध्यप्रदेश के फसल प्रतिरूप का अध्ययन करने से यह परिलक्षित होता है कि मध्यप्रदेश में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र गेहूँ का पाया गया और दलहनी फसलों के अंतर्गत चना का बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक था एवं तिलहनी फसलों के अंतर्गत सोयाबीन फसल की ही प्रधानता सर्वाधिक रही है अतः सोयाबीन का राज्य की तिलहनी फसलों में व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है।

संदर्भ :–

1. डॉ. गुप्त, शिवभूषण, कृषि अर्थशास्त्र, एस.बी. पी.डी.पब्लिशिंग

2. मध्यप्रदेश का कृषि आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2016, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्यप्रदेश भोपाल

3. सांख्यिकी संक्षेपिका, योजना, आर्थिक सांख्यिकीय मध्यप्रदेश भोपाल

4. किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला रीवा (म.प्र.)

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

गीता बनाम मानवीय अनुभूति

❑ डॉ. सुरेश कड़वासरा*

शोध सारांश

गीता कब आरम्भ हुई ? किसने; सबसे पहले मानव प्रजाति को उद्‌बोधन किया ? कौन था, जो सबसे पहले ? किस भाषा में प्रस्तुत किया और वह किस भौगोलिक क्षेत्र, कबिलायी समुदाय, धर्म–जाति से सम्बिधित था ? किसने; इसको सर्वप्रथम अपनी लेखनी में आबद्ध किया ? यह सब अपने–आप में अनुत्तर लिये खड़े है। क्या यह सम्पूर्ण मानव जाति को एक दिशा निर्देशन करने वाला गीत है ? यदि मैं इसके संदेश को भौगोलिक क्षेत्र, कबिलायी समुदाय, धर्म–समाज–जाति से बांधकर उल्लेख करूँगा, तो इसके साथ उचित न्याय नहीं होगा। पर हमें अपने–आपका मंथन जरूर करना होगा। आज भी उतना ही विचारणीय विषय, जितना इसका प्रार्दुभाव हुआ था। आदित्य से शम्भु, शम्भु, से सूर्य (ऋषि), सूर्य (ऋषि) से मनु... आदि से ही गीता की परम्परा नहीं रही होगी बल्कि इनके समकक्ष अन्य ऋषिगण–कबिलायी समुदाय में भी इसकी परम्परा निश्चित रूप से रही होगी, जो आगे चलकर श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन आदि को दिया गया संदेश, मानवीय जीवन से गुजरता हुआ आज हमारे सामने लिपिबद्ध है। हो सकता है कि उपर्युक्त ऋषियों से पूर्व की परम्परा रही होगी। क्या यह तत्कालीन समय में भी इसी रूप में थी ? लेकिन यह तथ्यात्मक है कि इस सौर–मण्डल में कर्मप्रधान भाव अवश्य प्रचलित था, तो क्या अन्य ग्रह–उपग्रहों पर भी इस तरह का भाव था ? यह सही भी है कि इसमें मानवीय जीवन को सुव्यस्थित करने वाले भाव मौजूद हैं। क्या यह भाव अपने सौर–मण्डल के प्रादुर्भाव से भी पहले का, जो इसके अनंत में मौजूद था ? क्या यह पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यताओं के साथ ही इसका प्रादुर्भाव हुआ ? या भारत वर्ष में ही इसका उदय हुआ है। या फिर अन्य भू–भाग से मानवीय सभ्यताओं के साथ; इस द्राविड़ वृत में प्रवेश हुआ है। क्या इसके निर्माता केवल हिन्दू ही थे ? या अन्य धर्म या कबिलायी समुदाय के सज्जन भी थे।

शब्द कुँजी : मानव–गीता–परम्परा–कर्मप्रधान–जीवन।

* प्रोफेसर, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुड़ेला–झुंझुनूँ (राजस्थान)
पता–सरस्वती कॉलोनी (नियर पुसि लाइन) झुंझुनूँ–राजस्थान : 333001, मो. 09468676668
E-Mail :- dr.sureshkarwasra@gmail.com

परिचय :

हम हिन्दू शब्द की उत्पति का विश्लेषण करें, तो यह तथ्यात्क है कि राजस्थान के टीलों के स्थान पर सरस्वती नदी एवं हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के स्थान पर कभी समुद्र अपने चरम सीमा पर था। लेकिन समय की मार ने वहाँ का नजरिया ही बदल दिया, जिसका परिवर्तित रूप आज हमारे सामने तथ्यात्क है, जो कालांतर में विशाल जलराशि का स्रोत था। ''प्रकृति ना किसी के नियंत्रण में थी, ना है और ना ही कभी किसी के होगी। यही शास्वत है।'' हम ना ही इसे ठुकरा सकते हैं और ना ही विस्मृत कर सकते हैं। यह तो समयानुसार अपने उसूलों के तहत अंजाम देती रहेगी, जिसका क्षणिक नजारा 25 अप्रेल, 2015 में आये भूकंप में हम देख चुके हैं, जो नेपाल–भारत–चीन–पाकिस्तान–बांग्लादेश–तिब्बत में हुए नुकसान का अहसास कर चुके हैं। यह प्रकृति की अपनी सतत प्रक्रिया है। आज उन्हीं हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर सिंधु नदी जम्मू–कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर अरब सागर में समा जाती है।

इसी नदी के किनारों के पास, जो कबिलायी समुदाय रहते थे। उनके साथ फारसी समुदाय के लोग व्यापारिक दृष्टि से जब संम्पर्क में आये, तो भाषा–बोली की दृष्टि से 'ह' अक्षर को वे 'स' की ध्वनि में उच्चारित करते थे। इसी 'अक्षर' ध्वनि के कारण 'सिंधु नदी' को वे 'हिंधु नदी' में उद्धृत करने लगे और इसके आस–पास बसे कबिलायी समुदायों को 'हिंधु' कहने लगे। कालांतर में 'हिंधु' शब्द 'हिंदु' शब्द में रूपांतरित हो गया, जो भाषा–विज्ञान के संकुचन–विस्तृत नियमानुसार एक ध ार्म विशेष के रूप में प्रयुक्त होने लगा। यह भी सार्थक है कि इस भू–भाग पर समयानुसार अनेक कबिलायी टुकड़ियाँ यहाँ आती रही है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँनुसार अपने–आपको बनाती हुई यहाँ के जनमानस के साथ घुल–मिल गयी। इसमें संवाद भाव भी एक–दूसरों को प्रभावित किया है, जो आपसी निकटता का मूल मंत्र भी है। यह सत्य भी है कि संवाद तो मनुष्य के मनोभावों के साथ मुख से निकलने वाली बोली–भाषा के द्वारा व्यक्त होता है। वही एक–दूसरों के भाव एक–दूसरों के संवाद में प्रयुक्त होने लगते हैं, तो तत्कालीन परिस्थितियाँनुसार नये–नये अक्षर–शब्दों का प्रादुर्भाव होने लगते हैं।

यही प्रकृति का नियम भी है कि दो या दो से अधिक भाव–तत्व का मिलाप होने से, उन्हीं परिस्थितियाँनुसार नयापन पैदा होता है और तत्कालीन परिस्थितियाँ उसको अपने–आप में आत्मसात कर लेती है। यही सत्य भी है और हमें सहज स्वीकार भी करना चाहिए। इससे यह भी जाहिर होता है कि गीता किसी एक भौगोलिक क्षेत्र, कबिलायी समाज, धर्म–जाति के ही भाव नहीं थे बल्कि इसके उद्‌गार सभी कबिलायी समुदाय के थे। अर्थात् इसके निर्माण में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, कबिलायी समुदाय, धर्म–जाति का ही नहीं रहा है बल्कि उन महामानवों का भी रहा है, जो ''सर्वेः भवन्तुः सुखायः'' को अपने मनोभावों में पूर्णतः समाकर मानवीय समाज के उद्धारक थे। इसका किसने प्रादुर्भाव किया यह पूर्णतः अस्पष्ट है लेकिन यह निश्चित है कि उसमें इन्सानियत पूर्णतः विकसित थी। यह किस बोली–भाषा में प्रचलित थी। क्योंकि प्रारम्भ में केवल मौखिक ही प्रचलित थी ? तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय बोली का प्रभाव अवश्य रहा है। लेकिन जब इसको लिपिबद्ध किया था तब लेखक की भाषा–बोली अपने चरम सीमा की ओर अग्रसर थी।

लेखक इसको लिपिबद्ध करते समय अपनी तत्कालीन भौगोलिक–राजनैतिक–सामाजिक–धार्मिक–आर्थिक परिस्थितियों का पुट अपनी लेखनी में निश्चित रूप में समेटा है। हो सकता है कि किसी विशेष कबिलायी समुदाय ने अपने प्रभुत्व का फायदा उठाते हुए इसको अपना प्रमुख बना लिया हो और अन्य कबिलायी समुदाय को दूर रखा हो, जो कालांतर में वे धीरे–धीरे इनसे अलग हो गये हों। लेकिन यह उन तथ्यों की ओर जरूर इंगित करता है कि यह किसी विशेष समुदाय की मार्ग दर्शिका ही नहीं रही है बल्कि समस्त मानव समाज की पथ–दर्शिका रही है, जो मानव समाज को सुव्यवस्थित तरीके से

अपने–आपको बनाये रखने में इसकी अहम भूमिका रही है। हो सकता है कि कालांतर में इसका नाम अलग रहा हो, लेकिन इसका उद्देश्य मानव को कर्म प्रधान बनाना ही रहा है। हो सकता है कि प्रादुर्भाव से; आज जो लिपिबद्ध है, उसमें अन्तर हो, लेकिन इतना निश्चित है कि इसके मूल भाव में कोई बदलाव नहीं रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गीता, महाभारत का छठवाँ भीष्म पर्व है, जिसमें 18 अध्याय हैं। महाभारत के रचियता वेद व्यास हैं, तो गीता का भी रचियता वेद व्यास ही होंगे। गीता को जिसने भी लिखा है, उसके स्वयं के विचार इसमें अवश्य ही समाहित हैं। गीता का लोक में, जो प्रचलित मौखिक रूप था उसी ही का लगभग परिवर्तित रूप है। क्योंकि मानव समाज को वह पूर्णतः समर्पित थी। लेकिन लिपिबद्ध करने वाले ने अपने कबिलायी समाज को विस्मृत नहीं कर पायें। लेकिन फिर भी समग्र रूप से अध्ययन किया जाये, तो इसमें व्याप्त ज्ञान की धारा को नकारा नहीं जा सकता है।

यह सत्य है कि गीता श्रीकृष्ण के मुख से निकलने से पहले से ही जन–मानस में प्रचलित थी, तो यह भी यथार्थ है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, संजय, कर्ण, कौरव–पाण्डव, गांधारी, कुंति, द्रौपदी या अन्य बुद्धिजीवियों को गीता का ज्ञान अवश्य था। ऐसा महत्वपूर्ण भावों का पूंज जब लोक मानस में प्रचलित था, तो उपर्युक्त या अन्य सज्जन अनभिज्ञ कैसे रह सकते हैं ? लेकिन वेद व्यास ने इसकी महत्ता को प्रतिपादित करने हेतु महायोगी श्रीकृष्ण के मुख से उद्धृत् कर अर्जुन को मानवीय कर्म की ओर प्रतिपादन करवाया है, जो अर्जुन के मन में व्याप्त शंकाओं का समाधान हो सका। लेकिन यह सत्य है कि प्रकृति का ना तो आदि का पता चला है और ना ही अन्त का। यह प्रकृति की एक सतत् प्रक्रिया है। आज वैज्ञानिकों ने अनेक सौर–मण्डलों का पता लगाया है, जिनका अपना–अपना तारा (सूर्य) है, जो इस अंनत में चक्कर लगा रहे हैं। इस संभावना से नहीं नकारा जा सकता कि उन सौर–मण्डलों में मानव ना हो। यदि मानव है, तो निश्चित रूप से कर्म प्रधानता रूप प्रचलित है, जो मानव को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। ''प्रेरणा देना ही ज्ञान है। ज्ञान ही मनुष्य के बौद्धिक कुशलता को आगे बढ़ाता है, जो प्रकृति के साथ जुड़कर उसकी क्रिया–प्रतिक्रियाओं को जानने की, अपने बुद्धिबल के द्वारा प्रयास करता है। जब अपने प्रयास में सफलता पा लेता है, तो वही विज्ञान है।'' अर्थात् ''प्रकृति या अन्य में विद्यमान यथार्थ ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं।''

सार :

मैं, अन्त में यही कहूँगा कि इस भाव को किसी भौगोलिक क्षेत्र, कबिलायी समुदाय, धर्म–समाज –जाति से जोड़कर न देखा जाये बल्कि इसको मानव कल्याण के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि क्षेत्र–भाषा–बोली के बदलने से इसका मूल भाव नहीं बदलता। ''गीता का भाव केवल मानव को किंकर्तव्यविमूढ़ से कर्तव्य की ओर असर करता है, जो मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।''

''जय जवान जय किसान जय स्वच्छकर्ता''

जय इंडिया।

संदर्भ ग्रंथ :

1. राजस्थान पत्रिका समाचार–पत्र (सन् 2010 से अद्यावधि) : सीकर संस्मरण, सीकर (राज.)।

2. दैनिक भास्कर समाचार–पत्र (सन् 2010 से 2018 अद्यावधि) : सीकर संस्मरण, सीकर (राज.)।

3. गुगल नेटवर्क (2010 से अद्यावधि)।

4. वेद–वर्णित भारतीय समाज : श्रीमती इन्दरा कुमार : प्रशांन पब्लिशिंग हाउस, पश्चिम करावल नगर–दिल्ली

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

भू-जल का अनुप्रयोग एवं जल संकट

❐ डॉ. तरूण कुमार यादव*
❐ डॉ. विनोद कुमार सैनी**

शोध सारांश

जल मानव जीवन का आहार है। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में औसतन 135 लीटर जल का प्रयोग करता है। पीने, भोजन बनाने, नहाने–धोने व सफाई करने आदि के अतिरिक्त सिंचाई, उधोग, पर्यटन व परिवहन आदि में प्रयुक्त जल भी उसकी दैनिक आवश्यकताओं के अर्न्तगत ही गिना जाता है।

जल जीवन का आवश्यक घटक तथा मूलभूत आवश्यकता है। धरातल का 70 प्रतिशत भाग जल से घिरा है फिर भी पीन योग्य जल का अभाव है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 50.60 प्रतिशत लोग प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों से ग्रस्त है। संस्कृत में जल को जीवन की संज्ञा दी गई है। जल को जीवन कहने के पीछे छिपा रहस्य शायद यह कह रहा है कि जल के द्वारा जीवन का विकास सम्भव हुआ है तथा प्रोटोप्लाज्म (जीव द्रव्य) में अधिकांश भाग जल का ही होता है। वर्तमान में देश में उपलब्ध कुल जल का 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है।

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कि कुल क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत अपने में समाहित किए हुए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार ही यहां खनिज संसाधन व पशु संसाधन की भी एक विशेष ईश्वरीय अनुकम्पा रही है। परन्तु यहां कुल जल संसाधन का मात्र 1 प्रतिशत ही उपलब्ध है जोकि इसके क्षेत्रफल व आवश्यकता को देखते हुए काफी कम है। इस कारण यहां के समग्र विकास पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।

भूजल के अतिदोहन की स्थिति से बचने के लिए भूजल विकास को उसके दोहन स्तर के आधार पर चार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। 65 प्रतिशत तक के जल दोहन स्तर को सुरक्षित क्षेत्र (व्हाइट एरिया), 65 से 85 प्रतिशत वाले क्षेत्र को धूमिल सम्भावना क्षेत्र (ग्रे एरिया), 85 से 100 प्रतिशत वाले क्षेत्र को सम्भावना विहीन क्षेत्र (डार्क एरिया) तथा 100 प्रतिशत से अधिक भूजल दोहन वाले क्षेत्र को अतिदोहन वाला क्षेत्र (ओवर एक्सप्लोएटेड एरिया) कहते हैं।

शब्द कुंजी : जलस्तर, नगरीयकरण, औद्योगीकरण, सिचाईं, जलदोहन।

* सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनूं, राजस्थान
** सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, श्री शंकर महिला महाविद्यालय दिवराला, सीकर (राजस्थान)

परिचय

राजस्थान में जलस्तर प्रतिवर्ष 3.4 मीटर नीचे जा रहा है। यहाँ भूमिगत जल का दोहन 70 प्रतिशत के स्तर को सन् 2000 में ही पार कर चुका था। वर्तमान में स्थिति और अधिक भयावह हो चुकी है। जब जल दोहन की सीमा 100 प्रतिशत से भी अधिक हो जाती है तो भूमि की नमी का स्त्रोत खत्म हो जाता है फलस्वरूप पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं और भूमि मरूस्थल में परिवर्तित होने लगती है।

राजस्थान में भूमिगत जल का दोहन सबसे ज्यादा कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई जल उपयोग के रूप में होता है। राजस्थान में लगभग 65 प्रतिशत सिंचाई इन्हीं के द्वारा होती है। अतिशयोक्ति न हो तो यह कहना अनुचित न होगा कि मानव ने भू–रस पीने के लिए जगह–जगह से छेद दिया है जिससे पर्यावरण पर संकट बन आया है।

अवमृदा जल की उपस्थिति तथा उसका सिंचाई की बारम्बारता से सम्बन्ध

अवमृदा जल (Sub-soil Water) का तात्पर्य है मिट्टी की विभिन्न परतों में उपलब्धनमी (आर्द्रता) की मात्रा। मिट्टी का निर्माण करने वाले तीन प्रमुख तत्वों–रेत, चीका वसिल्ट की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मिट्टी के छिद्र–अवस्थानों (Pore-spaces) मेंअधिक अन्तराल होने पर अवमृदा जल वाष्पीकृत हो जाता है।''मोटे कणों वाली मिट्टियों में जल का अन्तः प्रवेश शीघ्रता से होने के कारण निम्नपृष्ठीय प्रवाह (Run-off) होता है। ऐसी मिट्टियां अधिक जल को धारण नहीं कर पाती हैं।बारीक कणों वाली मिट्टियों में पानी धीरे–धीरे नीचे रिसता है परन्तु उनमें जल धारण (भण्डारण) की उच्च क्षमता होती है।''

"Coarse soil are characterized by rapid infiltration, and hence low surface runoff, but they can not retain much water. The fine texture days are penetrate by wateronly slowly but have a high storage capacity."

परतदार शैलों के छिद्रों के मध्य स्पंज की भांति जल तल विद्यमान रहता है। वर्षाजल के रिसाव से शैल छिद्र संतृप्त होते रहते हैं। तथा मिट्टी में अवमृदा जल बनाये रखते है।

आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति :–

अवमृदा जल के द्वारा मिट्टी में विद्यमान पोषक तत्व फास्फोरस, पोटाश, गन्धक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, बोरान, मैंगनीज, ताँबा, जस्ता, मालिब्डेनम, क्लोरीन (चट्टानों के विच्छेदन तथा रासायनिक विघटन से प्राप्त तत्व) तथा नत्रजन, और वायु द्वारा कार्बन,हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पौधों को प्राप्त होते हैं।

जल की पूर्ति

मृदा में जल की उपस्थिति, उसके प्रकार, संगठन तथा जल धारण क्षमता, परनिर्भर होती है। मृदा में ताप एवं वायु भी अवमृदा जल के द्वारा नियंत्रित होती है। पौधोंकी वृद्धि के लिए मृदा के रन्ध्राकाशों में उपस्थित जल, जो मृदा के आयतन के आधारपर 50 प्रतिशत होता है, 25 प्रतिशत जल तथा 25 प्रतिशत वायु होती है। मिट्टी में वायुतथा जल की उपस्थिति के आधार पर भिन्नता पायी जाती है। मृदा विशेष के विभिन्नस्तरों पर भी जल तथा वायु की उपस्थिति के अनुपात में भिन्नता होती है।

पौधों को यान्त्रिक आधार प्रदान करना

मृदा सरन्ध्र अत्यन्त सूक्ष्म आकार के होते हैं। मृदा के संरचनात्मक विकास के अभाव में जल तथा वायु का संचरण प्रायः मृदा में नही हो पाता। इस प्रकार रन्ध्राकाश, छिद्र आकार वितरण (Pore-size distribution) मुख्यतः भारी मृदाओं में अधिक महत्वपूर्ण होता है।

(अ) सिंचाई की आवश्यकता :–

सिंचाई का ध्येय यह है, मृदा में पौधे के जड़ मण्डल (Root Zone) से प्राप्य जल का जो ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा हुआ है, उसकी पूर्ति सिंचाई द्वारा की जाये। सिंचाई में उससे अधिक जल देना व्यर्थ है क्योंकि अतिरेक जल गुरूत्वाकर्षण शक्ति से अन्तःस्रवण द्वारा जड़ मण्डल से नीचे चला जाता है। इससे पोषक तत्वों की हानि भी होती हैऔर कालान्तर में ऐसी पद्धति अपनाने पर जल–लग्नता, रेह व ऊसर जैसी समस्याऐंउत्पन्न हो सकती है। सिंचाई में बहुत कम मात्रा में जल देना भी उपयोगी नहीं है क्योंकि ऐसा करने से समस्त जड़–मण्डल मे जल नहीं पहुँचता

जिससे पौधों को पर्याप्त जलनहीं मिलता और कम अन्तराल पर बार–बार सिंचाई करनी पड़ती है। इससे वाष्पन द्वाराजल का अधिक ह्रास होता है।

(ब) सिंचाई के विभिन्न ढंग :–

मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि तथा सिंचाई करते समय कम सेकम जल की हानि हो, इसके लिए सिंचाई के निम्न ढंगों का प्रयोग में लाया जाता है :–

सिंचाई के विभिन्न ढंग

क.सं.	सिंचाई का प्रकार या ढ़ंग	फसलें
1.	नकवार सिंचाई	पास–पास बोई जाने वाली फसलों में।
2.	क्यारी विधि सिंचाई	अनाज, चारा, सब्जी आदि में।
3.	थाला सिंचाई	फलोद्यानों में।
4.	सीधे व लम्बे कूंडे	शाक, भाजी, पंक्तिवाली फसलों (गन्ना), फलोद्यानों में।
5.	अवभूमि सिंचाई	ऐसी फसलों में, जिनकी जड़ों में थोड़े समय की संतृप्त दशाओं को सहने की क्षमता हो।
6.	समोच्च कूंड सिंचाई	शाक–भाजी, फलोद्यानों में तथा पंक्तिवाली फसलों में
7.	वलीयन (पनावली) सिंचाई	छिटकाव विधि वाली फसलों में (धान को छोड़कर) चारागाह, रिजका आदि फसलों में।
8.	समोच्च रेखीय नाली सिंचाई	चारागाह, अनाज, दालों आदि में।
9.	रिसाव सिंचाई	दूर–दूर बेयी जाने वाली, मंहगी बिकने वाली, शाक–सब्जियों व फलोद्यानों में।
10.	स्प्रिंकल सिंचाई	सभी फसलों में, विशेषकर अधिक मूल्यवाली फसलों में।

भू–जल स्तर की औसत गहराई व उसका दोहन :–

(भू जल स्तर क्या है?– ''मनुष्य को भूतल जल की प्राप्ति जलीय–चक्र; Hydrological Cycle) द्वारा होती है। वर्षा जल का जो भाग भूमिगत हो जाता है, उससे ही भौम जल स्तर का निर्माण होता है।''

भूपटल के नीचे कुछ गहराई के उपरान्त सभी शैल–रन्ध्र जल से संतृप्त (Saturated) रहते हैं। इस प्रकार की संतृप्तता वाले ऊपरी सतह वाले ऊपरी तल को ही 'भूमिगत जल तल' (Under Ground Water Table) कहा जाता है। सैलिसबरी केअनुसार ''किसी क्षेत्र की अधोभूमि का वह तल जिसके नीचे चट्टाने जल से ओत–प्रोत रहती है, उस स्तर को भूमिगत जल कहा जाता है।''

हिण्डस के अनुसार– ''भूमिगत जल की अधिकांश राशि लम्बी अवधि तक स्थाई तौर पर शैल–रन्ध्रों में भरी रहती है। जल का कुछ अंश भूमि में निरन्तर बनते रहने वाले खनिजों का भाग बन जाता है। इस जल का लगभग एक तिहाई भाग शैल रन्ध्रों द्वारा स्रोतों के रूप में पुनः भूमि पर प्रकट हो जाता है।''

कुछ विद्वानों ने भूमिगत जल को पृष्ठीय प्रवाह का एक अंग बताया है। वही जल कभी भूमि के ऊपर तो भी भूमि के अन्दर प्रवाहित हो सकता है। वर्षा काल में कई नदियों में प्रवाह स्तर पर होता है परन्तु एक शुष्क काल में वे अपने बजरी–संस्तर (Gravel-bed) के नीचे बहती है। भूमिगत जल का जो अंश कुंओं और स्रोतों के रूप में पुनः धरातल पर प्रकट होता है, वह 'विलम्ब प्रवाहित जल' (Delayed Rain) कहलाता है।

भूमि के नीचे जल तल की कोई समतल रेखा नहीं होती है। सामान्यतः जल तल रेखा धरातलीय बनावट का अनुसरण करती है। पहाड़ियों के नीचे जल तल रेखा मेहराबदार (Inverted or Convex) और बेसिनों में यह नीचे झुकी (Titled) होती है। वस्तुतः इसका विस्तार सर्वत्र एक समान नहीं होता। वर्षा काल में जल–तल रेखा ऊपर आ जाती है और शुष्क ऋतु में नीचे हो जाती है।

भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता :–

भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता से कृषि–क्रियाओं के साथ–साथ मानवीय स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। नलकूप सिंचाई में जिस भू–गर्भीय जल का प्रयोग किया जाता है उसमें विभिन्न तत्वों की मात्रा तर्क संगत होनी चाहिए। मिट्टी को अम्लीय व क्षारीय बनाने में सिंचाई में प्रयुक्त जल का भी योगदान रहता है।

जल संकट की वर्तमान दशा :–

This will be constant competition over water between forming families andurban dwellers, environmental and conservaisomist and Industrial and minoritiesLiving off natural resources and entrepreneurs seeking to commodify the resourcebase for commercial gain.

भारत में भू–गर्भीय व पृष्ठीय जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में ही होता है।आँकड़े बताते हैं कि जल की 85 से 90 प्रतिशत खपत कृषि कार्य में होती है। एकआकलन के अनुसार एक किलोग्राम गेहूं उत्पन्न करने के लिए 500 किलोग्राम जल की आवश्यकता होती है। शुष्क व अर्द्धशुष्क भागों में सिंचाई के बिना कोई फसल उगानासम्भव नहीं है। हरित क्रान्ति की सफलता तो सुनिश्चित सिंचाई पर टिकी है। कृषि के अलावा अनेक औद्योगिक क्रिया–कलापों में भी जल का प्रयोग किया जाता है – जैसेविलयन के रूप में, उष्मा को स्थानान्तरित करने वाले माध्यम के रूप में, तथा शीतलन केरूप में। जहाँ एक ओर बढ़ते नगरीयकरण, औद्योगीकरण, जनसंख्या विस्फोट और जीवनस्तर में सुधार के कारण जल की माँग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी और भूगर्भीय जल के अत्यधिक दोहन से जल–जल में चिन्ताजनक गिरावट आ चुकी है। सन् 2001 में भारत की जनसंख्या एक अरब को पार कर चुकी है और शुद्ध पेय जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। भारत में जहाँ एक ओर तीव्र जनसंख्या वृद्धि एक चिन्ता का विषय है, वहीं दूसरी ओर तेजी से बदलती जीवन शैली में प्राथमिक कार्यों में जल की अधिक मांग है। इसके साथ–साथ हमारे जल स्रोत लगातार प्रदूषित होते जा रहे है। कृषि भूमि के साथ–साथ नगरों में भी जल की खपत बढ़ चुकी है। नगरों में बढ़ती आबादी के चलते नगरवासी अपनी दिनचर्या में जल उपयोग करनेलगे है जैसे कि बड़े–बड़े घरों के आगे बड़ी सी फुलवाडियों बनाते हैं तथा उनमें नित्य ही जल का अनावश्यक प्रयोग करते रहते है। वहीं पर अधिकतर घरो में वाशिंग मशीन का प्रयोग होता है। लोग कपड़े धोने के लिए अनावश्यक जल का प्रयोग करते हैं।

हमारीनदियों का जल प्रतिदिन प्रदूषित हेाता जा रहा है। सरकार उस जल को स्वच्छ रखने में असमर्थ है, तथा स्वच्छ जल नगरवासियों तक नहीं पहुंचा पा रही है। इसी कारण नगरवासी भी नलकूपों व समर पंप का प्रयोग करने लगी है। यह जल संकट का एकऔर महत्वपूर्ण कारण है। गांव में आज भी कितने ही स्थानों पर पानी, नियमितसमयानुसार रहता है, परन्तु नगर में जल सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होने के कारण नगरवासी जल का आवश्यकता से अधिक उपयेाग करते हैं। नगर शौचालय भी विदेशी उपयोग होने लगे हैं। इस कारण पानी अधिक से अधिक मात्रा में नष्ट होता है। इस कारण को सफाई व स्वच्छता के लिए यदि महत्व न दिया जाए, तब भी नगरवासी स्नान के लिए फव्वारों का उपयोग करते हैं, जिससे निरन्तर बहने वाले जल से इन्हें तनिक भी ज्ञात नहीं होता है कि वह कितनी बाल्टी जल को आवश्यकता से अधिक नष्ट कर चुके हैं। हमारे देश की आबादी की 30 प्रतिशत जनता नगर में आती है, जो आगे आने वालेसमय में नित्य ही अधिक होती जाएगी। नलकूपों द्वारा भू–जल से अत्यधिक दोहन के कारण गर्मियों में अनेक नलकूप या तोपानी कम देने लगते हैं या बन्द हो जाते हैं। कृषको को नलकूप का पंखा नीचे खिसकाना पड़ता है। भू–जल अत्यधिक गहराई पर खिसक जाने के कारण सबमर्सिबल पम्प लगवाने में खर्च भी बढ़ गया है। जिसको वहन करने में किसान परेशानी महसूस करने लगे है।

वाटर लेवल :–

भू–गर्भीय जल की गहराई की दृष्टि से खण्डेला तहसील की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। यहां सन् 2001 में भू–जल स्तर 10.02 मीटर था जो कि वर्ष 2010 में खिसक कर 10.6 मीटर से अधिक गहराई पर पहुँच गया है। इसी प्रकार मवाना विकास खण्ड में वर्ष 2001 में भू–जल स्तर .6.09 मीटर था जो वर्ष 2010 में सरक कर8.15 मीटर पर जा पहुंचा। जिन विकास खण्डों में नहरों की अनुपस्थिति में नलकूप सिंचाई ही की जाती है उनमें ही भू–जल तल अधिक नीचे गया है। इसी कारण इस विकास खण्ड में भू–जल स्तर (Water level) ऊपर पाया जाता है। इसी कारण अत्यधिक भू–जल दोहन होने से पश्चिमी क्षेत्रों में गम्भीर भू–जल संकट उत्पन्न हुआ है।

निष्कर्ष

भू–जल संसाधन योजनाओं के शोध से योजनाओं की व्यावहारिकता की स्थिति स्पष्ट होती है जिससे भविष्य में योजनाओं में परिवर्तन करके परिणाम प्राप्त किये जा सकते है एवं व्यावहारिकता की उपयुक्तता के आधार पर नई नई योजनाऐं शुरू की जा सकती है। जल संसाधन की प्रत्येक बूँद–बूँद का संरक्षण एवं पुनर्भरण तथा जल के पुनः चक्रित उपयोग के लिए नई योजनाऐं शुरू करने, वर्तमान योजनाओं को अन्य योजनाओं यथा मनरेगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समायोजित करके कार्य में गति प्रदान की जा सकती है।

भू–जल संसाधन योजनाओं का अन्य योजनाओं में समायोजन करने से भविष्य में जल संसाधन योजनाओं पर आने वाले आर्थिक भार में कमी आयेगी तथा परिणाम ज्यादा प्राप्त होगें। भविष्य में जल के संरक्षण एवं पुनर्भरण पर शोध किया जाना व्यावहारिक होगा।

संदर्भ ग्रन्थ

1 जी. एस. नरवानी “Community Water Management” में सामुदायिक रूप से जल ग्रहण प्रबन्धन पर विशेष विवेचना की।

2 डॉ. बी. सी. जाट ने “Water Resource Geography” में जल संसाधन पर विशेष विवेचना की गई है।

3 जल ग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की ''बारानी खेती की राष्ट्रीय जलागम (जलग्रहण) विकास परियोजना (1996)'' में राजस्थान राज्य के जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण क्षेत्रों पर विशेष विवेचना की।

4 डॉ. आर. एल. नौलखा ने ''प्रबन्ध के सिद्धान्त'' में प्रबन्ध के नियोजन, समन्वय, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण एवं नियन्त्रण का विशेष अध्ययन किया है।

5 गुरचरन सिंह एवं जगदीश सिंह के ''जल सम्भरण, सफाई एवं पर्यावरण इंजीनियरी'' में जल संसाधन के स्त्रोत एवं उपयोग का विशेष अध्ययन किया गया है।

6 निधि मेहता ने ''जल संरक्षण के तरीके'' में जल संरक्षण पर विशेष अध्ययन किया है।

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पत्रकारिता के विकास में बिलासपुर का योगदान

❑ राकेश कुमार*
❑ डॉ. गोपा बागची**

शोध सारांश

छत्तीसगढ़ राज्य आज जिस तरह से अपनी आदिवासी कला एवं संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उसमें इसकी आंचल में जन्मे एवं पोषित महापुरुषों की तपस्या एवं प्रयास का ही फल है। जिन्होनें अपनी असीम एवं उत्कृष्ट लेखनशैली से इस क्षेत्र की विशेषताओं को देश के कोने–कोने तक पहुँचाया।विशेषकर साहित्यकारों नें अपनी लेखनी में जिस प्रकार से यहाँ की कला एवं संस्कृति को विभिन्न लेखों के माध्यम से सजोनें का कार्य किया उसको भूलना हमारे लिए खुद की छवि से दूर होने जैसा ही होगा।छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 01 नवम्बर 2000 में देश के 26वें राज्य के रूप में हुआ। जो पहले मध्यप्रदेश का हिस्सा था।जिस समयछत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय यह तीन संभागों में बंटा हुआ था। जिनको बिलासपुर रायपुर एवं बस्तर संभाग के रूप में जाना जाता था। जो अपने–अपने क्षेत्र विशेष के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इनमें बिलासपुर संभाग अपनी कला,संस्कृतिएवं साहित्यिक पत्रकारितामें एक अलग पहचान रखता है। जिसको आज भी देखा जा सकता है।प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पत्रकारिता के विकास में बिलासपुर संभाग में जन्में साहित्यकारों नें इसकीकला एवं संस्कृति को बनाये रखने में अपनी किस प्रकार की भूमिका निभायी? जिससे उनके योगदान के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को जानने में आसानी होगी और वह उनके महत्त्व को समझ सकेगी।

की–वर्ड्स–साहित्य, पत्रकारिता, कला एवं संस्कृति।

1. प्रस्तावना

यह कहा जाता है कि जिस साहित्य में सजगता न हो, वह समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, और जिस पत्रकारिता में सरसता न हो वह समाचार स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकती है। यह दोनों गुण साहित्यिक पत्रकारिता में देखने को मिलते हैं। अर्थातसाहित्यिक पत्रकारिता में सजगता एवं सरसता का गुण विद्यमान होता है।परंतु आज तक जितने भी जागरूक पत्रकारों नें पत्रकारिता के माध्यम से भाषा और साहित्य के विकास में अपने प्रयास किये उनके

* पी–एच.डी. शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ.ग.)
** एसोसिएट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

योगदान को सजोने का कोई सार्थक प्रयास नहीं दिखता है और न ही किसी नें इसकी जहमत उठायी। जिससे कि उनके योगदान को जाना जा सके।यही कारण है कि हमारे पूर्वर्ती जितने भी पत्रकारों नेंसाहित्यिक पत्रकारिता के लिये जो प्रतिमान स्थापित किये थे, वें अब साहित्यिक पत्रकारिता में बहुत कम ही दिखायी देते हैं। शायद हम यह भूल जाते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता सिर्फ साध्य ही नहीं अपितु साधन भी है। इसलिए यह कहा गया है कि विकाऊ साहित्य कभी टिकाऊ नहीं हो सकती है।वैसे मूल रूप से साहित्य औरपत्रकारिता में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन दोनों में सिर्फ शैली का ही अंतर होता है। प्रायः जिसे हम साहित्य कहते हैं, वह काफी चिंतन और मनन के बाद लिखा जाता है तथा वहीं पत्रकारिता शीघ्रता में लिखा साहित्य ही है।इसी सन्दर्भ में 'थोरी' लिखते हैं कि 'यदि विचारों को छिपाने के लिए शब्दों का अविष्कार हुआ है, तो समाचार पत्र इस अविष्कार पर आधारित एक बड़ी उपलब्धि है।

साहित्य एवं पत्रकारिता दोनों में गहरा संबंध है। अलग अस्तित्व होने के बाद भी यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुये हैं।जब भी पत्रकारिता और साहित्य की बात आती है तो अक्सर यह कहा जाता है कि पत्रकारिता सामयिक घटनाओं पर आधारित लेख होता है। जिसको पत्रकार अपने इर्द–गिर्द जो कुछ देखता है उसी को लोगों तक पहुँचाने के लिए लिख देता है। वहीं दूसरी ओर साहित्यकार एक सीमित एवं स्थायित्व लेख पर प्रकाश डालता है। पत्रकार का किसी घटना को लिखने का उद्देश्य तात्कालिक प्रभाव से होता है परंतुसाहित्यकार आम बातों को शाश्वत तथ्यों एवं मूल्यों से जोड़ने की कोशिश करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्रीय भावना से प्रभावित प्रायः हर महान व्यक्तित्व कभी न कभी पत्रकार या पत्रों से जरुर जुड़ा रह। जैसे– महात्मा गाँधी, राजा राममोहन राय, डॉ. राममनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू सभी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक हुए हैं।

भारतीय साहित्य के क्षेत्र में भारतेन्दु हरिश्चंद्र के बाद यदि किसीसाहित्यिक पत्रकार का नाम हमारे सामने आता है तो उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं मध्य भारत से पंडित माधवराव सप्रे जी का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे तो मध्य भारत में कई ऐसे साहित्यिक पत्रकार हुए जिन्होंने देश एवं विदेश में अपना और अपने देश का नाम बढ़ाया। परन्तु यदिपंडित माधवराव सप्रे जी की परिस्थितियों को देखा जाये तो वर्तमान छत्तीसगढ़ जैसे विषम एवं जंगलों से आच्छादित भौगोलिक क्षेत्र में पत्रकारिता संभव न थी। जिस समय उन्होने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पर कई शोध हो चुके हैं परंतु साहित्यिक पत्रकारिता पर किसी की नजर नहीं गयी। इससे पहले जितने भी छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पर शोध हुये हैं उससे संबंधित कुछ शोध कोसाहित्यिक पुनरावलोकन के तौर पर देखा गया जो निम्नलिखित हैंरू

2. साहित्य पुनरावलोकन

(i) डॉ. मंगला अनुजा जी अपनी पुस्तक "छत्तीसगढ़ पत्रकारिता की संस्कार भूमि" में लिखती हैं कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक सरोकारों वाली प्रतिबद्ध पत्रकारिता रही है, जिसमें हमारे पूर्ववर्ती पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है।

(ii) विजयदत्त श्रीधर, माधवराव सप्रे संग्रहालय, भोपाल के संस्थापक अध्यक्षअपनी पुस्तक"मध्यप्रदेशमें पत्रकारिता का उद्भव और विकास" में एक जगह लिखते हैं कि 'अपने अल्प प्रकाशन काल में ही 'छत्तीसगढ़ मित्र' नेंसमकालीन हिंदी पत्रिकाओं में उच्च प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। हिंदी पत्रकारिता में समालोचना की शुरुआत 'छत्तीसगढ़ मित्र'नें ही की थी। वें आगे लिखते हैं कि 'छत्तीसगढ़ मित्र' के नियमित स्तम्भ हुआ करते थे। इन स्तंभों में "प्रेरित तत्व", "हितबोध", "सुभाषित संग्रह", "समाचार प्राप्त", "नारी धर्म, नारी शिक्षा", "लोकोक्ति और कहावत", "समालोचना" तथा "जीवनी" आदि प्रमुखता से होते थे।

(iii) स्वतंत्र भारत की हिंदी पत्रकारिता शोध परियोजना के खण्ड "छत्तीसगढ़ के पत्र–पत्रिकाओं की विवरणिका" में गिरिश पंकज जी लिखते हैं कि 'छत्तीसगढ़ की भूमि पत्रकारिता के लिए काफी उर्वर रही है। यहाँ के पत्रकारों नें राज्य के साथ–साथ देश के कई प्रसिद्ध पत्र–पत्रिकाओं में अपना योगदान दिया है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है।

(iv) अगस्त 2015 के "आंचलिक पत्रकार" (पत्रकारिता और शैली) में रघुवीर सहाय जी अपनी

एक शोध लेख में लिखते हैं कि 'पत्रकार का समाज से निवेदन कहीं न कहीं सत्ता के साथ उसी तरह से तनाव का संबंध बनाता है जैसा की साहित्यकार। फिर भी इन दोनों में एक समानता एवं अंतर भी है।समानता यह है कि समाज में समता लाने और गैर बराबरी मिटाने की दोनों ही कोशिश करते हैं। वहीं अंतर यह है कि जब साहित्यकार यह कोशिश करता है तो सत्ता के साथ उसका टकराव बहुत करके सामने होता है परंतु जब पत्रकार यही कोशिश करता है तो बहुधा वह सत्ता के सामने नहीं होता।

3. शोध के उद्देश्य

प्रस्तावित शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

(i) छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में बिलासपुर से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिकाओं का पता लगाना।

(ii) बिलासपुर के पत्रकारों का यहाँ की साहित्यिक पत्रकारिता में योगदान का पता लगाना।

(iii) बिलासपुरके साहित्यिक पत्रकारों का छत्तीसगढ़कीसाहित्यिक पत्रकारिता में योगदान का पता लगाना।

4. शोध का महत्व

इस शोध का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पत्रकारिता पर आधारित कोई भी पुस्तक या शोध अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिससे यह पता लगाया जा सके किछत्तीसगढ़ की साहित्यिक पत्रकारिता में बिलासपुर संभाग से किस प्रकार की पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया? और उनको निकालने में किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इसलिए इस शोध को करना और भी जरुरी हो जाता है। जिससे हमारी वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी को यहां की साहित्यिक पत्रकारिता के बारें में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

5. शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं–

(i) छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में बिलासपुर की सर्वोपरि भूमिका नजर आती है।

(ii) बिलासपुर की साहित्यिक पत्रकारिता से हीछत्तीसगढ़ में साहित्यिक पत्रकारिता का उद्भव हुआ।

(iii) बिलासपुर की साहित्यिक पत्रकारिता में छत्तीसगढ़की कला एवं संस्कृति को देखने को मिलती हैं।

(iv) बिलासपुर की पत्रकारिता का छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में कोई विशेष योगदान नजर नहीं आता है।

6. शोध प्रविधि

प्रस्तुत वर्णनात्मक अनुसंधान में गुणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो स्त्रोतो का उपयोग किया गया–

(i) प्राथमिक स्रोत–प्राथमिक स्त्रोत के रूप में बिलासपुर संभाग से जुड़े कुछ प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रकारों से साक्षात्कार के द्वारा प्राथमिक सामग्री के रूप में आंकड़ों का संकलन किया गया।

(ii) द्वितीयक स्रोत–इसमें शोध विषय से संबंधित किताबें, पत्र–पत्रिकाएँ तथा पूर्व में की गईं शोधों को द्वितीयक सामग्री के रूप में संकलित किया गया।

7. बिलासपुर संभाग का परिचय

वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कुल पांच संभाग हैं। जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिलासपुर संभाग तीसरा सबसे बड़ा संभाग है।इसके अन्तर्गत बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा तथा मुंगेली जिले आते हैं। इस संभाग में बिलासपुर जिला अपनी सांस्कृतिक धरोहरों एवं अपनी कलाओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बिलासपुर सुगंधित दूबराज चावल एवं हथकरघा उद्योग से निर्मित कोसे की साड़ियों के लिए भी देशभर में विख्यात है। ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर पहले रतनपुर के कलचुरी राजवंश का अंग था। यहाँ पर मराठा शासन भी कई वर्षों तक चला।' इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया' के अनुसार 'इस शहर का नाम बिलासपुर सत्रहवीं शताब्दी की मत्स्य महिला "बिलासा" के नाम पर पड़ा। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह लम्बे समय तक मछुवारों की बस्ती रहा है। बिलासपुर जिले का गठन मूलरूप से 1861 में हुआ था।जो छत्तीसगढ़ राज्य के उदय से पहले मध्यप्रदेश के प्रमुख जिले के रूप में जाना जाता था।

कोरबा जिला को छत्तीसगढ़ राज्य की उर्जाधानी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य विधुत उत्पादन कंपनी और एन. टी. पी. सी. के अलावा कई निजी कंपनियों के विधुत संयंत्र संचालित हैं। यहाँ की पहचान एशिया की सबसे खुले कोयला खदान गेवरा माइंस की वजह से भी है। जो साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स द्वारा कोरबा खुले क्षेत्र में संचालित कई अंडरग्राउंड और खुलेमाइंस में से एक है। इसके साथ ही यहाँ भारत का सबसे बड़ा एल्युमीनियम संयंत्र, भारत एल्युमीनियम कम्पनी (बालको) स्थित है। साथ ही कोरबा अपनी ऐतिहासिक इमारतों तथा मंदिरों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है।

रायगढ़ जिलामुख्य रूप से उत्तर–पश्चिम से अंबिकापुर मध्य–पश्चिम से कोरबा जिला एवं दक्षिण–पश्चिम जांजगीर–चांपा जिला के सीमा से उत्तर में जशपुर जिला, दक्षिण में महासमुंद जिला तथा उत्तर–पूर्व से दक्षिण पूर्व तक उड़ीसा से लगा हुआ है। इसके कारण इसके उत्तरी क्षेत्र बिहड़ जंगल एवं पहाड़ों से आच्छादित है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी प्रसिद्ध जिला है।यहाँपरसिंघनपुर, ओगना, करमागढ़ की पहाड़ियां तथा रायगढ़ के समीप कबरा पहाड़ में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्यों द्वारा निर्मित शैल चित्र प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण यह छत्तीसगढ़ का दिल के रूप में जाना जाता है। जांजगीर कलचुरी राजवंश के राजा जांजवाल्यदेव का शहर रहा है। जांजगीर जिले के विष्णु मंदिर इस जिले के सुनहरे अतीत को दर्शाता है। विष्णु मंदिर वैष्णव समुदाय का एक प्राचीन कलात्मक नमूना है। इस संभाग का सबसे नवीन जिले के रूप में मुंगेली जिला का नाम आता है। यह आगर नदी, मनियारी, रहन और शिवनाथ नदी के आंचल में फैला है। इसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों में अचानकमार, टाईगर रिजर्व सहित सेतगंगावमदकू द्वीप आता है।

8. बिलासपुर में साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत

बीसवीं शताब्दी का आरंभिक काल हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर माना जाता है। इस काल खण्ड को कुछ विद्वान तिलक एवं गांधी युग के नामसे भी परिभाषित करते हैं। वहीं सन 1900 से 1947 के समय अवधि को भारतीय राष्ट्रवादी अवधि के रूप में भी जाना जाता है। इसी समय जब देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की गूंज मध यप्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र एवं वर्तमान के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पहुँचती है तो यहाँ से एक तेजस्वी लेखक एवं विद्वान पंडित माधवराव सप्रे जी का नाम लोगों के सामने आता है।जिन्होनें सन 1900 में बिलासपुर जिले के पेंड्रा रोड से एक साहित्यिक पात्रिका "छत्तीसगढ़ मित्र" का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम समाचार पत्र के साथ–साथ छत्तीसगढ़ की प्रथम साहित्यिक पात्रिका के रूप में भी जानी जाती है। क्योंकि इससे पहले इस क्षेत्र से कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका अस्तित्व में नहीं थी।इस पत्र का मुद्रण रायपुर के कय्यूमी प्रेस से होता था। तथा इसके प्रकाशक वामन बलीराम लाखे थे। वहीं सम्पादन का कार्य संयुक्त रूप से पंडित माधवराव सप्रे तथा पंडित रामराव चिचोलकर करते थे। यह मूल रूप से समाचार पत्र के रूप में प्रकशित हुई थी परंतु बाद में साहित्यिक पत्रिका के रूप में जानी गयी। इसमें समाचार के साथ–साथ कविताएं, कहानियां, प्रार्थना, छोटे–छोटे व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक लेख, नर–नारियों के उपयोग के लेख, प्रेरित पत्र, समालोचनाएं एवं नीतिशास्त्र से संबंधित सामग्री को प्रकाशित किया जाता था। यह अपने समय की सबसे अच्छीसाहित्यिक पात्रिका के रूप में जानी एवं पहचानी गयी। क्योंकि इसके प्रकाशनों में देश के प्रसिद्ध लेखकों के लेख छपते थे। यथा उस समय के प्रसिद्ध लेखक श्रीधर पाठक नें सप्रे जी के पास पांच पुस्तकों को भेजीं थी जिनके नाम प्रकाशित करते हुए सप्रे जी नें इन्हें स्वीकार किया था। और बाद के अंकों में इन पुस्तकों का समालोचना भी प्रकाशित की थी।

9. बिलासपुरकी आजादी से पहले की पत्रकारिता

"छत्तीसगढ़ मित्र" के प्रकाशन के बाद आजादी मिलने तक बिलासपुर संभाग से कई साहित्यिक एवं सामायिक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन देखने को मिलता है। इसमें सन 1919 में छत्तीसगढ़ के ईसाई धर्म द्वारा मुंगेली से 'भानुदय' नामक पत्रिका निकालने का प्रयास किया गया। जिसके सिर्फचार अंक ही निकल सके। वहीं सन 1923 में रायगढ़ जिले के चंद्रपुर नामक स्थान से'छत्तीसगढ़' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन

किया गया जो लगातार पांच वर्षों तक प्रकाशित होती रही। इसके संपादक का नाम मनोहर प्रसाद मिश्र था। जिन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिष्ठित किया। इस बात का सबूत यह है कि उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका 'माधुरी' नें इसकी तारीफ की थी। यही नहीं इसकी प्रशंसा 1924में मनोरमा में भी देखने को मिलता है। 1923 में ही बिलासपुर से एक और पत्रिका 'विकास' को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल द्वारा प्रकाशित किया गया यह मूल रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए समर्पित पत्रिका थी। यह "छत्तीसगढ़ मित्र"के बाद दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसमें साहित्यिक लेख जैसे– गीत व कविता छपते थे। इसमें समय–समय पर कार्टून भी छपते थे जो व्यंग्यात्मक लेखों पर आधारित होते थे। वर्ष 1936 में यदुनंदन श्रीवास्तव के प्रकाशन में 'प्रकाश' नामक पत्रिका का प्रारंभ किया गया जो एक साल बाद अर्थात 1937 में ही बंद हो गया। इसी वर्ष बिलासपुर से एक साप्ताहिक पत्रिका 'सचेत' का प्रकाशन देखने को मिलता है। इस साप्ताहिक में स्वतंत्रता से संबंधित सामग्री के साथ–साथ किसानों से संबंधित लेख भी छापे जाते थे। यह विधानसभा चुनाव के दौरान इसके प्रथम पृष्ठ पर प्रत्याशियों के प्रचारात्मक सामग्री छापने के कारण काफी चर्चा में भी रहा। बिलासपुर संभाग से प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र रायगढ़ से 'रायगढ़ समाचार' के रूप में देखने को मिलता है। जिसका प्रकाशन ए. एम. बाजपेयी, मनोहर मिश्र और वनमाली शुक्ल द्वारा किया गया। सन् 1940 में कुलदीप सहाय के द्वारा बिलासपुर से हस्तलिखित मासिक पत्रिका 'बाल' का प्रकाशन भी देखने को मिलता है। सितंबर 1941 में रामकृष्ण पाण्डेय द्वारा 'पराक्रम' का संपादन एवं प्रकाशन किया गया। जिसको बिलासपुर से से निकाला जाता था और जो 1962 तक लगातार प्रकाशित होता रहा।वहीं बिलासपुर संभाग की आजादी से पहले की अन्तिम मासिक पत्रिका के रूप में जून 1944 में 'आज कल' का प्रकाशन रायगढ़ से देखने को मिलता है। इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन ज्वाला प्रसाद मिश्र नें किया था।

10. बिलासपुर की आजादी के बाद की साहित्यिक पत्रकारिता

बिलासपुर संभाग से आजादी के पहले और इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से पहले कई पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन देखने को मिलता है। परंतु इनमें बहुत कम ही पत्रिकाएं ऐसी हैं जो साहित्य से संबंधित थीं। आजादी के आठ वर्षों बाद छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीकांत वर्मा द्वारा मई 1955 में बिलासपुर से त्रैमासिक पत्रिका 'नई दिशा' का प्रकाशन किया गया। इसके संपादन में रामकृष्ण श्रीवास्तव उनके सहयोगी के तौर पर कार्यरत थे। वहीं सलाहकार मंडल में गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और नरेश मेहता आदि साहित्यकारों का नाम जुड़ा था। श्रीकांत वर्मा मूलतः नई धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसी कारण 'नई दिशा' में साहित्य की नई धारा का छाप देखने को मिलता है। यह अपने समय की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है। परंतु कुछ ही दिनों बाद यह बंद हो गयी। सन् 1960 में छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मलेन द्वारा 'क्षितिज' का प्रकाशन किया गया। यह त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संपादक मंडल में प्यारेलाल गुप्त, गजानन शर्मा, शिवनारायण जौहरी, द्वारिका प्रसाद तिवारी 'विप्र' और बिलासपुर के ही पदम् विभूषण से अलंकृत श्री श्यामलाल चतुर्वेदी का नाम जुड़ा था। इसके सम्पादकीय पृष्ठ पर एक टिप्पणी देखने को मिलती है।जिसमें लिखा गया है कि– 'हमने अपने साहित्यिक बंधुओं से बार–बार प्रार्थना की कि हमें सहयोग दें, किन्तु आलोचना के सिवाय और कोई सहयोग हमें आज तक नहीं मिला। यों आलोचना को ही हम सहयोग मानते हैं'। इसी क्रम में सन 1961 में 'सृजन' नामक त्रीमासिक पत्रिका का प्रकाशन देखने को मिलता है। जिसके संपादक पारितोष चक्रवर्ती थे। 42 पृष्ठों की यह पत्रिका मूलतः साहित्यिक पत्रिका को समर्पित पत्रिका थी। सन 1988 में 'देश बंधु' पत्र द्वारा एक साहित्यिक मासिक पत्रिका 'अक्षर पर्व' का प्रकाशन एक साथ रायपुर और बिलासपुर से प्रारंभ किया गया। इसके प्रधान संपादक के रूप में ललित सुरजन जी का नाम आता है। 'अक्षर पर्व' नें हिंदी पत्रकारिता में कम होते जा रही साहित्यिक सामग्री की भरपाई करने का सराहनीय कार्य किया। इसमें प्रायः कविता, कहानी, निबंध, व्यंग्य, उपन्यास अंश एवं नाटक आदि सुरुचिपूर्ण और पठनीय सामग्री छापी जाती थीं। परंतु आर्थिक लाभ न प्राप्त होने के कारण और लगातार घाटे का सौदा होने के कारण इसका प्रकाशन अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया।सन

1988 में ही उर्दू भाषा का पत्र 'फिशान–ए–उर्दू' का प्रकाशन देखने को मिलता है। यह वार्षिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन बिलासपुर से ही होता था। तथा इसके संपादकों में मकसूद अहमद मनकी, मो. खालिद एवं इकबाल सिद्दीकी आदि थे। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दिनों में बिलासपुर से तीन महत्त्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन देखने को मिलता है।प्रथम रावत नाच महोत्सव समिति द्वारा एक वार्षिक पत्रिका 'मड़ई' का प्रकाशन 27 नवम्बर 1999 को डॉ. कालीचरण यादव के संपादन में बिलासपुर से किया गया।यह छत्तीसगढ़ी लोक–कला एवं संस्कृति पर आधारित पत्रिका के रूप में जानी जाती है।दूसरी 1999 में ही बिलासपुर से 'पंखुड़िया'का प्रकाशन विजय प्रताप सिंह नें किया। यहसाहित्यिक त्रीमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित की जाती थी। अभी इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पत्रिका 'छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर' का प्रकाशन 1999 में ही प्रारंभ हुआ।इसके संपादक नंदकिशोर तिवारी हैं। यहछत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में जानी जाती है। जिसको विप्र सहकारी मुद्रालय बिलासपुर द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त आंकड़ों एवं तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पत्रकारिता की ज्योति बिलासपुर से ही जलायी गयी।जिसके कारण ही छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों से साहित्यिक पत्रकारिता में लोगो नें रूचि दिखायी और साहित्यिक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन किया।बिलासपुर से प्रकाशित पत्रिकाओं नें छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को संजोये रखने के साथ–साथ लोगों तक पहुँचाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस संभाग की पत्रकारिता में हिंदी के साथ–साथ स्थानीय भाषाओं जैसेरू उर्दू तथा छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य को भी प्रोत्साहित किया है। जिसके लिए स्थानीय भाषाओं उर्दू एवं छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। पंडित माधवराव सप्रे जी नें जो अलख एवं प्रेम साहित्यिक पत्रकारिता के प्रति जगायी थी उसको आजादी के बाद भी देखी जा सकती है। यही कारण है कि आजादी के बाद जो लोगों के अन्दर दबी हुई साहित्यिक प्रेम थी। वह उभर कर सामने आयी। नतीजा यह यह हुआ कि आजादी के बाद अनगिनत साहित्यिक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के अन्य प्रान्तों से भी किये गए।परंतु आज भी छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में बिलासपुर की पत्रकारिता सर्वोपरि भूमिका में नजर आती है। आज भी यहां से छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य, कला एवं संस्कृति को प्रचारित तथा प्रसारित करने के लिए 'मड़ई' तथा 'छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर' का प्रकाशन किया जा रहा है।

सन्दर्भ सूची

1. पाठक, राममोहन (1989), साहित्यिक पत्रकारिता, वाराणसी– ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रकाशन.

2. श्रीधर, विजयदत्त (1989), मध्यप्रदेश में पत्रकारिता का उद्भव और विकास, भोपाल– मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी.

3. शर्मा, क्षमा (2002), पत्रकारिता और साहित्य, नयी दिल्ली– नटराजन प्रकाशन.

4. अनुजा, मंगला, (2002), छत्तीसगढ़ पत्रकारिता की संस्कार भूमि, भोपाल– माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान.

5. खंडेलवाल, शलेन्द्र, (2005), स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ पत्रकारिता का इतिहास, भोपाल– माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय.

6. शर्मा, राम अवतार (2007), हिंदी पत्रकारिता और साहित्य, नयी दिल्ली– नमन प्रकाशन.

7. पंकज, गिरिश (2007), छत्तीसगढ़ के पत्र–पत्रिकाओं की विवरणिका (1947–2005), स्वतंत्र भारत की हिंदी पत्रकारिता शोध परियोजना–2, 16–23.

8. श्रीधर, विजयदत्त (2015), साहित्य और पत्रकारिता, आंचलिक पत्रकार, वर्ष–34, अंक–12, पृष्ठ–104–106.

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

नगर पालिका निगम का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से आय

❐ मंजरी गुप्ता*

शोध सारांश

भारत के प्रत्येक प्रान्तों में संस्थानों की स्थापना की गई है तथा प्रत्येक प्रान्तों में अपने अलग–अलग निर्धारित नियम है जिनके विभिन्न प्रान्तों के स्थानीय संस्थाओं का आय वर्गीकरण में विभिन्ना आ जाती है। म0प्र0 में भी निगम को आय के वर्गीकरण मिलते हैं। विशेष रूप से स्थान विशेष के आधार पर निगम की आय का वर्गीकरण होता है।

किसी भी नगर पालिका निगम में कर दो प्रकार से लिखे जाते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर।

मूल शब्द :– आय, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर।

प्रत्यक्ष कर :– स्थानीय संस्थाओं के आय में प्रत्यक्ष करों का काफी योगदान होता है। प्रत्यक्ष कर वास्तव में वह कर होता है जो कि पूर्ण रूप से उसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चुकाया जाता है जिस पर कर लगाया जाता है।

प्रो0 मिल के अनुसार – प्रत्यक्ष कर वह कर है जो पूर्ण रूप से उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अर्थात वह करदाता कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता है। इन करों का भुगतान करने का दायित्व तथा करों का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो आरंभ में कर देता है।

(अ) सम्पत्ति कर :– सम्पत्ति कर जो नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर स्थित मकानों भवन तथा भूमि स्वामियों द्वारा मकान भवन या भूमि के भाड़े पर देने के वार्षिक मूल्य के संबंध में देय होगा जो सम्पत्ति कर कहलायेगा। भारत वर्ष में कुछ प्रान्तों में स्थानीय शासनों सम्पत्ति कर से कुल आय का लगभग 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक आय प्राप्त होती है। सम्पत्ति कर मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है।

- परिषद के अंतर्गत स्थित भूमि पर कर
- सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर
- सुधारक एवं उत्थान योजनाओं के संबंध में प्राप्त कर
- भवनों पर कर परिषद द्वारा लगाये जाते है, ये दो प्रकार के होते हैं– (1) सामान्य कर (2) सेवा कर
- अग्नि रक्षा निर्माण के लिये अग्नि रक्षा कर विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा वसूल किया जाता है।

(ब) सेवा कर :– सामान्य रूप से सम्पत्ति कर के समान ही सेवा कर लगाये जाते हैं। सेवा करों का मूल्यांकन भी सम्पत्ति कर के अनुसार अचल सम्पत्ति के वार्षिक किराये के मूल्य के आधार पर किया जाता है। सेवा कर स्थानीय संस्थानों के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाने वाली सेवाओं के बदले में लिये जाते हैं। कुछ सेवा कर निम्नलिखित हैं :–

* शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार, जिला–शहडोल (म.प्र.)

जल कर :– जल कर उन नगर पालिकाओं के द्वारा वसूल किया जाता है जो अपने नगर में जल पूर्ति की व्यवस्था करती है तथा

निश्चित दरों के आधार पर जल करों की वसूली करती है क्योंकि यहाँ अभी तक मीटर व्यवस्था लागू नहीं की गई अतः यहाँ स्थान विशेष के लिये अलग–अलग दरें निर्धारित की गई है।

रीवा नगर पालिक निगम की जल कर में वृद्धि के लिये जल व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि पानी के व्यर्थ बहाव को रोका जा सके तथा निर्धन लोगों को निर्धारित रकम से कम कर देना पड़े, जल कर वसूली के लिये कुछ निर्धारित नियम होना और जो नागरिक समय पर जल कर ना चुकाये उन पर जुर्माना किया जाना चाहिये। जिसके कारण नगर पालिक निगम की आय में वृद्धि होगी।

नालियों पर कर :– सार्वजनिक नालियों की मरम्मत, सफाई एवं निर्माण के लिये यह कर लगाया जाता है।

प्रकाश कर :– निगम द्वारा यह कर रास्तों सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक भवनों एवं सार्वजनिक गलियों आदि में प्रकाश की व्यवस्था के लिये कर लिया जाता है। नगर पालिका निगम रीवा में इसके लिये कोई कर वसूल नहीं किया जाता है।

शिक्षा कर :– जो नगर पालिका अपनी शिक्षा संस्थायें संचालित करती हैं वे नागरिकों से कर लेती हैं। नगर पालिका रीवा में शिक्षा कर नहीं लगाया जाता है उन सेवाओं पर जिसके लिये यह कर लगाया जाता है उसमें व्यय किया जाना चाहिये। सेवा कर में शिक्षा कर प्रकाश एवं सफाई संबंधी कर सामूहिक रूप से अचल सम्पत्ति के मालिकों से वसूल किया जाना चाहिये।

अप्रत्यक्ष कर :– प्रो0 मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष क रवह है जो किसी वयक्ति से इस आशय से मांगा जाता है कि वह किसी दूसरे से इस कर को पूरा कर लेगा।

अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा चुकाये जाते हैं जिनका भार अंतिम रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष करों से दो व्यक्ति प्रभावित होते हैं। एक वह जो कर चुकाता है तथा वह जो इसका भार वहन करता है, जो व्यक्ति अप्रत्यक्ष करों को वहन करता है वह उसके भार को दूसरे के कंधों पर डाल देता है। जैसा चुंगी कर का भुगतान प्रत्यक्षता विक्रेता मामलों पर कर नहीं लगाया जायेगा।

प्रवेश कर :– 1 सितम्बर 1976 से सम्पूर्ण म0प्र0 में लागू किया गया। मुख्य रूप से यह कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन पर बिक्री नहीं थी। हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उसकी वस्तुओं पर भी प्रवेश कर नहीं लगाया गया। इस तरह से राज्य शासन द्वारा चुंगी कर को समाप्त कर प्रवेश कर की शुरूआत की गई। चुंगी कर बंद होने से नगर पालिकाओं की आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उनकी आय का क्षतिपूर्ति शासन द्वारा प्रवेश कर के रूप में वसूल की गई राशि में दिया जाता है।

निष्कर्ष :–संक्षेप में जब किसी कर का कराघात व करापात एक ही

व्यक्ति पर पड़ता है तब वह प्रत्यक्ष ककर कहलाता है, इसके विपरीत जिसका कराघात भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। दीर्घकाल में इस प्रश्न पर विवाद चला आ रहा है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में कौन सा कर सर्वश्रेष्ठ है।

वास्तव में किसी देश की कर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनो ही प्रकार के करों के बीच एक उचित संतुलन होना चाहिए। क्योंकि दोनो एक–दूसरे के पूरक हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के संबंध में लंदन के ग्रेक स्टाक ने ठीक ही कहा है कि –

मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में कुछ और नहीं सोच सकता हूँ कि उनको दो आकर्षक बहनों के समान मान लूँ तो लंदन की सुंदर संसार में आयी है। दोनों ही बहुत भाग्यशाली है। दोनो के माता–पिता एक है मेरा विश्वास है कि दोनों के माता–पिता आवश्यकता व आविष्कार है। इन दोनो में इतना अंतर हो सकता है जितना कि दो बहनों में होता है। अप्रत्यक्ष करों में चुंगी कर एवं प्रवेश कर सभी आते हैं।

संदर्भ सूची :–

1. समाचार पत्र, 2. जर्नल्स, 3. इंटरनेट, 4. पुस्तकें, 5. प्रकाशित विभिन्न प्रकार के शोध पत्र।

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

मीडिया और लोकतंत्र

❐ डॉ. आशीष कुमार यादव*

शोध सारांश

मीडिया के माध्यम से लोगों को देश की हर गतिविधियों की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही उनका मनोरंजन भी होता है। किसी भी देश में जनता का मार्गदर्शन करने के लिए निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया का होना आवश्यक है। मीडिया देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। चुनाव एवं अन्य परिस्थितियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से जनसाधारण को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी मीडिया को वहन करनी पड़ती है। यह सरकार एवं जनता के बीच एक सेतु का कार्य करता है। जनता की समस्याओं को इस माध्यम से जन–जन तक पहुँचाया जाता है। विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं घोटालों का पर्दाफाश कर यह माध्यम देश एवं समाज का भला करता है, इसलिए निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया के अभाव में स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

मुख्य शब्द – पत्रकारिता, लोकतंत्र, नवप्रवर्तन, जनसंचार, आत्मनिर्भरता, जनशिक्षण, औद्योगिकरण, नौकरशाही, उत्तरदायी शासन।

इस तरह यह माध्यम आधुनिक समाज में लोकतन्त्र के प्रहरी का रूप ले चुका है और यही कारण है कि इसे लोकतन्त्र के चतुर्थ स्तम्भ की संज्ञा दी गई है। तभी तो कभी –नेपोलियन' ने कहा था – "मैं लाखों संगीनों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचार–पत्रों से अधिक डरता हूँ।"

वर्तमान विश्व व्यवस्था में मीडिया का क्या भूमिका है उस पर वार्ता की जरूरत है। मीडिया चिकित्सकों एवं नीति निर्माताओं के साथ अधिक से अधिक सीधे संपर्क करने के लिए मीडिया आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

शासन के संबंध में मीडिया में जो शामिल है उस पर बहस की जरूरत है। मीडिया की भूमिका राज्य के अभिनेता के शासन के एजेंडे के भीतर स्पष्टीकरण की जरूरत है। यह संचार शासन और जवाबदेही कार्यक्रम के लिए है कि इस क्षेत्र में प्रशासन के अधिकारियों की जरूरत है मीडिया एक तरह से उन क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने योग्य है, जो जनता और शासन के बीच की खाई को मिआने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

आधुनिक जगत में बड़े पैमाने पर साधनो की भूमिका राजनीति एवं लोकतंत्र में देखने को मिलती है। आज इन्हीं संचार माध्यमों द्वारा लोकतंत्र को अधिक विस्तृत किया जा रहा है। मीडिया द्वारा ही समय–समय पर विशेष और प्रतिदिन छुटपुट राजनीतिक घटनाओं की व्यवस्था की जाती है। मीडिया कैसे राजनीतिक घटनाओं को तथा प्रक्रिया को एवं लोगों की राय को

* 'अतिथि विद्वान, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्रभावित करती है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विगत कुछ वर्षों में हुए तकनीक नवप्रवर्तनों ने मानव संचार को ही सर्वभौम बना दिया है मात्र दो दशक में संचार सुविधाओं का विस्तार जितनी तेजी से हुआ है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापक रूप से मानव समाज पर पड़ा है। पाश्चात्य विद्वान मार्शल मकलूहन के अनुसार जनसंचार के इस समरूप प्रभाव ने विश्व को निश्चित रूप से सार्वभौम गांव में बदल दिया है, अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक संचार तकनीकी के द्वारा प्रकाश की गति घर बैठे संदेशो को सम्प्रेषण किया जा रहा है। घर बैठे दुनिया भर की खबरें, उनका सीधा प्रसारण, मनोरंजन उपलब्ध ा कराना वैज्ञानिक अविष्कारों के कारण ही संभव हो पाया है। संचार क्रांति के युग में आज भी भारत सहित सभी विकासशील देशो में जनसंचार माध्यमों की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है खबरों के प्रवाह के हिसाब से यदि हम इस दुनिया को विभाजित करें तो एक तरफ पूर्ण विकसित धनी देश है जहां खबरें है तथा खबरों की पूरी दुनिया है, और यही लोग है, जो विस्तार के संचार माध्यमों पर प्रत्यक्ष और सापेक्ष रूप से अधिक आधिपत्य जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे अल्प विकसित पिछड़े अथवा विकासशील देश हैं। जहाँ खबरों का सर्वथा अभाव है। परिणामतः औद्योगिक देशों द्वारा उत्पादित मनोरंजन सामतियों एवं एकपक्षीय सूचना प्रवाह की अधिकता के कारण विकासशील देशों में इस प्रकार की संस्कृति अभी भी ठीक ढंग से उभर नहीं पायी है।

एम.पी. ब्राइड आयोग के अनुसार ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशो में जहां विश्व की 3/4 आबादी निवास करती है। वहाँ विश्व में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के कुल प्रसार का 1/4 प्रतिशत ही इन देशों को उपलब्ध होता है। उत्तरी अमेरिका में जहां तीन व्यक्तियों पर समाचार पत्र की एक प्रति उपलब्ध है, वहीं अफ्रीका में 90 व्यक्ति पर एक तथा एशिया में 150 व्यक्तियों पर एक का आंकड़ा है। आठ अफ्रीकी और तीन अरब देशों में एक भी दैनिक समाचार का पत्र का प्रकाशन नहीं होता है। अट्ठारह अफ्रीकी तथा सोलह एशियाई देशों की अपनी समाचार समितियाँ भी नहीं है।

मैक ब्राइड आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "शोध एवं अध्ययन के दौरान इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि गुट निरपेक्ष देश अपनी आंतरिक व्यवस्था का अध्ययन करें और यह देखें कि उनके संचार साधन भी संतुलित नहीं है। गुट निरपेक्ष देश आपसी सहयोग और पारस्परिक विनिमय के द्वारा एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर अपने सांस्कृतिक संबंधो को सुदृढ़ कर सकते हैं।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में आज जन संचार माध्यमों का क्षितिज विशाल हो गया है। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों का अर्थ केवल शब्द संचार माध यम जैसे पत्र–पत्रिकाएँ, पुस्तकें ही नहीं बल्कि इसमें प्रिंट मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडिया, टेलीविजन, फैक्स, वायरलेस, कम्प्यूटर, सिनेमा, इंटरनेट आदि सभी कुछ समाहित है। जनसंचार माध्यमों का विकास जितनी दृतगति से पिछले दो दशकों में हुआ है, वह किसी को हैरत में डालने वाला है। जनसंचार के महत्व और उपयोगिता को समझाते हुए लार्ड मैकाले ने इसे चौथे सत्ता का नाम दिया है।

जब बात विकासशील देशों की हो तो इन देशों में जन संचार माध्यमों का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। विकासशील देशों में विकास की गति को त्वरित करने में गरीबी उन्मूलन क्षेत्रीय एवं वर्णीय विषमता में कमी, तकनीकी ढांचे, कर की स्थापना, अंध ाविश्वासों, की समाप्ति के द्वारा आधुनिक नीजिकरण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका जनसंचार माध्यमों को ही निभाना पड़ेगा, जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता और महत्व स्पष्ट करते हुए फ्रॉसिस विलियम कहते है "कि समाज के वर्गों के समान होने की दर के साथ–साथ संचार माध्यमों का महत्व भी बढ़ता जाता है। बल्कि ये यानि समाचार पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तो हमारी सभ्यता और संस्कृति के रखवाले हैं। यह सर्वविदित है कि संचार द्वारा सामूहिक क्षमता का विकास तेजी से किया जा सकता है। क्योंकि संचार और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास को लोगों के जीवन के स्तरोन्नयन के आधार पर मापा जा सकता है। लोगों के जीवन स्तर को रोटी, कपड़ा,

मकान की समुचित उपलब्धता, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति आय, भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा के आधार पर मापा जा सकता है। यदि हमें लोकतंत्र और लोकतंत्रीय परंपरा को और अधिक दृढ़ता से कायम रखना है तो जनता को देश के विभिन्न मुद्दों पर पूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि अखबारों के ही सूचना स्त्रोतों को बंद करने का कुचक्र न चलाया जाए। सूचना स्त्रोतों को खुला रख कर समाचारों का जनहित में, जनशिक्षण के लिए ही प्रकाशन का निर्वाह गति से चलते रहना श्रेयस्कर है स्वतंत्र तथा स्वस्थ विवेचनात्मक बुद्धि का जनमानस के विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। कोई भी प्रत्यक्ष कदम जो सूचना स्त्रोतों को बंद करता है तो वह किसी भी देश के लिए घातक कदम होता है।

वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र में इन संचार साधनों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है उसे बदला नहीं जा सकता। संचार साधनों की मौजूदगी से ऐसा प्रतीत होता है कि मानों कोई सजग प्रहरी हमारी रक्षा हेतु सरकार के अंगों, उनके कार्यों का, कार्यकर्ताओं तथा प्रक्रियाओं आदि पर नजर लगाए बैठा है।

लोकतंत्र में संचार साधनों की सकारात्मक भूमिका

लोकतंत्र में संचार साधनो का बहुत ही अधिक महत्व हो गया है। वर्तमान में विश्वव्यवस्था में संचार साधनों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। संचार साधन के बिना लोकतंत्र रूपी वाहन बिना पहिए के जैसा प्रतीत होता है। लोकतंत्र को क्रियाशील बनाने में संचार साधनों की भूमिका इस प्रकार है :–

सूचनाओं को त्वरित गति से प्रकाशित एवं प्रसारित करना :

जनकल्याण के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सफलता के लिए तथा इन कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाने में जनसंचार के माध्यमों की अहम् भूमिका है। कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलता के लिए इन कार्यक्रमों की समुचित जानकारी हों विकासशील देशों में सरकार द्वारा जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ बनायी जाती हैं। उन्हें लागू की जाती हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण हेतु जवाहर रोजगार योजना, विधवा पेंशन योजना, महिला समृद्धि योजना के साथ ही अनेक पंचवर्षीय योजनाएँ चलाई जाती है। इन कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिन वर्गों के लिए ये कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उन्हें इसकी समुचित जानकारी मिले ताकि वे लोग इससे लाभांवित हो सके।

जन जाग्रति उत्पन्न करना :–

किसी भी लोकतांत्रिक देश में विकास के लिए आवश्यक है कि वहॉ के नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तवयों के प्रति जागरूक रहें। यदि लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहेंगें तो विकास का सही लाभ उन्हें नहीं मिल सकता। विश्व के सभी देशों में वहाँ के नागरिकों को संविधान या विधायिका के द्वारा समय–समय पर कानून बनाकर कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनसंचार माध्यमों के द्वारा आम लोगों को इन अधिकारों के बारे में ही जानकारी देकर उन्हें जागृत करने का महत्वूपर्ण कार्य आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ ही निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में भी इन माध्यमों की अहम् भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार –

विकासशील देशों में भी संसाधनों की कमी औपचारिक शिक्षा में रोड़ा बनती है। जनमाध्यमों की व्यापक पहुँच का लाभ भी अनौपचारिक शिक्षा के जरिए उठाया जा सकता है। रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, कम्प्यूटर के द्वारा स्कूली बच्चों, नवसाक्षरो एवं प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान की जाती है।

पर्यावरण संरक्षण –

विश्व की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, प्राकृतिक संसाधनो के अत्याधिक दोहन के कारण पृथ्वी पर पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है। विगत कुछ वर्षों में ओजोन परत में छिद्र के कारण चर्म रोग तथा अनेक बीमारियाँ तेजी से बढ़ी हैं। वनों की लगातार कटाई से प्रदूषण बढ़ने के साथ ही भूमिक्षरता एवं बाढ़ जैसी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।

इसका ज्वलंत उदाहरण अगस्त सितम्बर 1998 में भारत के अनेक गांवो में भयंकर बाढ़ का प्रकोप छाया रहा। उत्तरप्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी बलिया गाजीपुर में यह विकराल रूप धारण किए हुए था। अनेकों लोग बेघर हो गए इसी क्रम में वाहनों एवं कल कारखानों से निकलने वाला धुँआ एवं अन्य औद्योगिक कचरा मानव के लिए संकट पैदा कर रहा है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में ईंधन के लिए वन सम्पदा का काफी उपयोग किया जाता है। जन संचार माध्यमों के द्वारा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों की जानकारी देकर वृक्षारोपण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करके पर्यावरण का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है।

पर्यटन को बढ़ावा देना –

अनेक पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार पर्यटन से हमें बहुत सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। यह राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय समझ को पैदा करता है। रोजगार के अवसर प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देता है। स्थानीय वस्तुकला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। वास्तव में देखा जाए तो पर्यटन को बढ़ावा देने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका असंदिग्ध है। पर्यटन के लिए विदेशियों के साथ ही साथ ही देश की जनता को भी जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। सुन्दर मनोरम स्थलों की यात्रा करके भारतीयों की रूखी फीकी जिंदगी में कुछ विविधता आ जाएगी तथा उनका मनोरंजन भी होगा। सेहत लाभ का फायदा अलग से देश की वैविध्यपूर्ण संस्कृति से भी लोग–बाग परिचित होगें।

ग्रामीण तथा कृषि विकास में योगदान –

भारत तथा अन्य विकासशील देशों की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर रहती है। इन देशों की अधिकांश जनता गांवो में निवास करती है। अतः इन देशों के विकास का मूलाधार कृषि ही है। जनसंचार माध्यमों कृषकों को कृषिक के क्षेत्र में हो रहे वैज्ञानिक शोध को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कृषक वर्ग उन्नत किस्म के बीज एवं नए नए उर्वरकों का प्रयोग करके अपना उत्पादन बढ़ा कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही किस मौसम में किस चीज की खेती की जाए, कौन सा बीज बोया जाए, फसल को कीटाणुओं से कैसे बचाया जाए, तैयार फसल को कहाँ और किस प्रकार बेचा जाए कि अधिक लाभ प्राप्त हो, इन सबकी समुचित जानकारी जनसंचार माध्यमों द्वारा दिया जा सकता है।

राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार –

यह सर्वविदित है कि जिस समय हमारा देश विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत के विरूद्ध संघर्ष कर रहा था उस समय आम जनता तक पहुँचने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे समाचार पत्रों और परम्परागत माध्यमों ने उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया है। इन माध्यमों का प्रयोग करके देश की संपूर्ण जनता की दिशा दृष्टि प्रदान की गई थी। जिसके फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली। आज भी जन–जन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करने में, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में, सभी जाति के लोगों में आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखने में देश के लिए मर मिटने की भावना का प्रचार–प्रसार संचार जनमाध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

सामाजिक समस्याओं का समाधान –

जनसंचार माध्यमों के द्वारा पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, जातिवाद, दहेजप्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह भेदभाव जैसी समस्याओं को दूर कर समाज में नई चेतना का संचार किया जा सकता है। महिलाओं को शोषण से मुक्त कराने में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण साबित होंगें। नारी शिक्षा को बढ़ाने में दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम अपना विशेष महत्व रखते हैं।

आंतकवाद के खिलाफ –

मीडिया आज आतंकवाद के विरोधी की भूमिका भी अदा कर रहा है। आतंकवाद के विरोध में तथा आतंकवादियों के विरोध में कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उसका समूल नाश करने के कई तरीके बताए जाते हैं। लोगों को सतर्कता बरतने के कई नुस्खे बताए जाते हैं। उन्हें आतंकवादियों को पहचाने की कला संचार साधनों द्वारा ही समझायी जाती है।

उन्हें हर समय अपने आसपास की घटने वाली घटनाओं से चौकन्ना रहने की हिदायत दी जाती है। और इसका फायदा भी हुआ है। विभिन्न देशों में होने वाली इस प्रकार की अप्राकृतिक घटना से लोगों में चेतना उत्पन्न की जा सकती है। और इससे होने वाली घटना से बचा जा सकता है।

निष्कर्ष –

भारतीय प्रजातंत्र में संचार साधनो का महत्व एवं भूमिका बहुत अधिक है। भारतीय लोकंत्र में इन साधनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भारतीय लोकतंत्र को सफल, लोकप्रिय सुचारू और उत्तरदायी शासन प्रणाली बनाने में संचार साधनों की भूमिका अहम् हो जाती है। सरकार, प्रशासन के अधिकारियों, नौकरशाहों, अफसरों को उत्तरदायी बनाने में उन्हें क्रियाशील बनाने में इन साधनों का बहुत अधिक महत्व होगा।

जब संचार साधनों का विकास हुआ तब से भारतीय प्रजातंत्र के विकास के नए आयाम खुले हैं। यह भारत को अन्य देशों से जोड़ने में इन साधनों ने भरसक प्रयत्न कियें जिसके परिणाम वर्तमान समय में देखने को मिलते है। इनकी भूमिका आधारशिला के समतुल्य मानी जाती है। जिसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। इसके प्रभाव तब से लेकर आज तक उसी रूप में दिखाई देते हैं। संचार साधनों का मुख्य उद्देश्य केवल भारतीय तथा भारतवासियों को विश्व की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना ही नहीं है बल्कि भारत के लोकतंत्र में नित्यप्रति होने वाले परिवर्तन, विभिन्न योजनाएं तथा सरकार किस दिशा में क्या कार्य कर रही है इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाने का कार्य आज मीडिया कर रही है। लोकतंत्र और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। वशर्तें इन दोनों में कोई विरोधाभाष न उत्पन्न हो। एक अच्छे तथा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जबकि वहाँ जनसंचार मजबूत हो।

संदर्भ ग्रंथ –

1. तिवारी, अर्जुन, आधुनिक पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1964.
2. कुमार अमरेन्द्र, सिंह निशान्त, इक्कीसवीं सदी और पत्रकारिता, समसामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001.
3. इस्सर देवेन्द्र, जनमाध्यम सम्प्रेषण और विकास, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्ली, 1995.
4. सरदाना चंद्रकांत, जनसंचार कल, आज और कल, ज्ञानगंगा प्रकाशन, दिल्ली, 2004.
5. राय, डॉ. त्रिभुवन, जनसंचार माध्यम चुनौतियाँ और दायित्व, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, 1999.
6. पाण्डेय, डॉ. पृथ्वीनाथ, जनसंचार दृश्य परिदृश्य, उमेश प्रकाशन, इलाहाबाद, 1995.
7. मेहता, आलोक, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005.
8. राजकिशोर, पत्रकारिता के पहलू, साहित्य सदन, कानपुर, 1988.
9. गुलावठी, संजय, मीडिया और समाज, सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली, 2003.
10. चोपड़ा, लक्ष्मेन्द्र, मीडिया और समाज, आधार प्रकाशन, हरियाणा, 2006.
11. मिश्र, अखिलेश, पत्रकारिताः मिशन से मीडिया तक, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004.
12. गौतम, सुरेश, भारतीय पत्रकारिता कल, आज और कल, सतसाहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001.

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

ईस्लाम धर्म महिलाएँ

❐ डॉ. सुधा सोनी*
❐ प्रीति ताम्रकार**

अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास में नारी में डॉ. सुधा सोनी ने इस संबंध में लिखा है। ''छठी शताब्दी में इस्लाम धर्म उदय हुआ अरब आक्रमणकारियों (मोहम्मद बिन कासिम) के साथ भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म प्रमुख बाते कुरान और हदीस में लिखी हुई है। जिसका पालन प्रत्येक मुस्लमान के लिये आवश्यक कहा गया है।''1

इस्लाम और ईसाईयत की लेखिका बैगम उलफत अजीजुस समध जिसकी लेखिका है और अनुवाद ईसरार अहमद खॉ ने किया है। प्रथम संस्करण 1985 प्रकाशक हिन्दूस्तान पब्लिकेशन दिल्ली। उक्त पुस्तक में लिखा गया है। जिसका शीर्षक औरतों की हैसियत ईस्लाम और ईसाईयत में है। जैसा कि शोधार्थी ने ईसाई धर्म की महिलाओं के शीर्षक के अंतर्गत बताया था उस कड़ी में इस लेखिका ने लिखा है[2] कि ''हजरत ईसा बनी इसराइल में मफूस होने रसूलों में सबसे आखिरी रसूल थे उन्होंने पिछले राजदूतों की शिक्षाओं में जहां थी उन्होंने सुधार जरूरत समझी सुधार किया उन्होंने मूसा के कुछ मजहबी आसाओं की अपने जमाने की जरूरीयात से मेल पेदा करने के लिये फिर से टिका विश्लेषण किया और दूसरी शिक्षाओं को जैसे का तैसा रहना दिया[3] ओल्डटेस्टामेंट अहादनामा अतीत कत्लेआम की वकालत करता है।''102 पेज

बहू पत्नी (तादात अजदाबज) को नजर अंदाज करता है। गुलामी को कुबूल करता है और जादूगर औरत को आग से जलाने का हुकूम देता है। हजरत ईसा कानूने इलाही और रसूलों की शिक्षा और तालिमात को खतम करने नहीं बल्कि उसे लागू (नकज) करने आये थे उन्होंने जाहिरी तौर पर इन बातों में कोई खामी (कमी) नहीं महसूस की या किसी थी तरह उनके तदारूख (त्याग) के लिये उनके पास व्यक्त नहीं था क्योंकि मूसा की शरीअत (कर्मकाण्ड) के कानूने जंग को इंसानियत से मेल करने या गुलामी के समाप्त या औरतों की हैसियत को उंचा करने के सिलसिले में हजरत ईसा ने कुछ कहा न कुछ किया उन्होंने बेसुमार बीबियॉ रखने के खिलाफ एक लब्ज (शब्द) भी नहीं कहा—103 पेज।

लेखिका (बेगम उलफत अजीजुस) ने सेन्टपॉल के संबंध में लिखा है कि ''सेन्टपाल जिसको इसाई ईसाईयत का बानी हकीकी समझते और यकीन करते है उसने औरत को बुराई का सबब (कारण) कारक दिया इसने इंसान के जन्नत से निकाले जाने ओर गुलाह की ईसतादा (प्रारंभ) का सारा का सारा इल्जाम आक्रत पर दिया यही बात पढ़ते है।'' 103 पेज

''चूंकि मर्द औरत से नहीं है बल्कि औरत मर्द से है न तो मर्द औरत के लिये पैदा किया गया है बल्कि औरत मर्द के लिये पैदा की गयी इस सबब (कारण) से औरत को अपने सर पर फरीश्तों की वजह से कुवत शक्ति रखना चाहिये। अब्बल को रन थीयंस 11:8:10.

इसी बात की पुष्टि करने के लिये लेखिका ने कानून के विद्वानों जिनका संवत ईसाईयत से है और उन्होंने इस तरह नारी के संबंध में कहा है।

* प्राध्यापक इतिहास, शास.कन्या महाविद्यालय,रीवा
** शोधार्थी, शास.कन्या महाविद्यालय,रीवा

''औरत झूठ की बेटी है जहनम् (नरक) की संतरी है अमान (शांति) की दुश्मन है उसी के सबब कारण आदम ने जन्नत जाये कर दी (खो दिया) पेज–103. आगे लेखिका ने अनेको विद्वानों के कथना और मत इस प्रकार लिखे है।

''औरत शैतान के हथियार का चश्मा हथियार है जिसे शैतान हमारी रूहों (आत्माओं पर) कब्जा–जमाने के लिये इस्तेमाल करता है।'' (सेन्ट सेफराइन)

''औरत शैतान के हथियार का चश्मा (श्रोत) है, उसकी आवाज सॉप की सिटी है।'' (सेन्ट ऐन्थोनी)

''औरत एक जहरीली सॉप का जहर और एक नाग का हसद (ईर्ष्या) रखती है।'' (सेन्ट गैरी गौरी द ग्रेट)

लेखिका ने ईसाई धर्म के कानून के अधिकारी एवं विद्वान व्यक्तियों के मत और कथन प्रस्तुत करने के पश्चात् कुरान की तरह अपना ध्यान आकर्षित करते हुये लिखा है कि ''कुराने करीम (दयालू) औरत के उपर से आदम के जन्नत से निकाले जाने की जिम्मेदारी का छूट करता है और उसकी इज्जत और शान की ताईद करता है। ये औरत की हैसियत को बुलंद करके मर्दों के दोज बदोश (कंधे से कंधा) ला खड़ा करता है। 1045

लेखिका ने कुरान का हवाला देते हुये लिखा है कि तारीख में पहली बार औरत को इलाम के जरिये वही ईख्तीयारात (अधिकार) दिये गये जो मर्द के थे।

''औरत के लिये मारूफ'' मशहूर तरीके पर वैसे ही हक हुलूक है। जैसे मर्दों के हक उन पर है।'' कुरान 2:228

लेखिका ने अपना मत लिखते हुये बताया है। जदीद इंसान आज का मानव समझता है कि आर्थिक अविष्कार के बिना सच्ची इज्जत और आजादी नहीं हासिल हो सकती 1400 वर्ष पहले इस्लाम में औरत को अपने वालिद (पिता) और सौहर (पति) की जायजाद और दौलत में विरासत पाने उसे हासिल करने उसका मालिक होने और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक सरक (खर्ज) करने का (अधिकार) ईख्तीयार दिया। पृश्ठ 1044

''जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उसका हिस्सा है और जो औरतों ने कमाया है। उसके मुताबिक अनुसार उनका हिस्सा है।'' कुरान 4:32, पेज–105.

लेखिका ने दूसरा उदाहरण देते हुये लिखा है ''मर्दों के लिये उस मोल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारी ने छोड़ा हो जो मॉ बाप ओर करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो चाहे थोड़ा हो या ज्यादा बहुत हो और यह हिस्सा अहलाद की तरफ से (मुकर्रर) है।'' कुरान 4:7।

लेखिका ने इस्लाम में पति–पत्नी को कैसा माना और समझा है। उसके संबंध में लिखा है कि इस्लाम में औरत और मर्द को बराबर का और आजाद साथी ख्याल किया जाता है। शादी इस्लाम में एक पवित्र बंधन है मर्द और औरत के बी शादी से पहले दोनों पक्षों (फरीखों) की मंजूरी जरूरी है। कुरान औरत को अपने सौहर (पति) का साथी कहता है। औरत सौहर के मोहब्बत की चीज और अमनोइत्मीनान शांति और संतोष का सर चश्मा प्रपात है। अपने मत की पुष्टि के लिये लेखिका ने कुरान के संदर्भ देते हुये लिखा है औरे उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिये तुम्हारे ही जीन्स (लिंग) से बीबियाँ बनायी ताकि तुम उनके पास सुकून (संतोष) हासिल करो और तुम्हारे बीच मोहब्बते और रहमत (दया) पैदा कर दिया निश्चय यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां है उन लोगों के लिये जो गौर और फिक्र (चिंतन मनन) करते है।'' कुरान 30:21, पेज 1053

कुरान व लेखिका ने उदाहरण देते हुये संतोष वही कर लिया उसने हदीस में खो पैम्बर साहब ने कहा उसे थी इन शब्दों में हदीस के लिखा है। ''जन्नत माँ के कदमों के नीचे हैं'' हदीस निसाई 25:6

पैगम्बर मोहम्मद ने कहा है कि ''औरत मर्द का विश्व (आधा) है। और औरत और मर्द एक ही जोहर से पैदा होते है जहां तक उनकी रूहानी आध्यात्मिक योग्यताओं का संबंध है। इस्लाम उनके बीच कोई अंतर नहीं रखता।''

कुरान का कथन है कि ''मोमीन (मर्द) मोमीन औरते ये सब एक दूसरे के रफीख (साथी) है। भलाई का हुकूम देते है। और बुराई से रोकते हैं। नमाज कायम करते है। जकात देते हैं। और अल्लाह और

उसके रसूल का कहा करते है। ये वो लोग है जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल (अवतरित) होकर रहेगी।'' कुरान 9:71

एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार लेखिका ने प्रस्तुत किया है। ''जो थी नेक काम करेगा चाहे वो सर्द हो या औरत शर्त है कि हो वो मोमीन (ईमानवाला)'' इसे हम दुनिया में पाक पवित्र जिन्दगी बसर करायेगें (अख्रत पुरलोक) में ऐसे लोगों को उनके अज्र (फल) उनके बेहतरीन अमाल कर्मो के अनुसार बख्क्षेगें। कुरान 16:97

अतः में आखिरे उदाहरण देते हुये लेखिका ने कुरान की यह शिक्षा लिखी है। ''बिलयकीन (निश्चय) जो मर्द जो औरत मुस्लिम है मोमीन है मुतीफ बरमान है, (आज्ञाकारी) रास्तबाज (सत्यवादी) शाबीर (संतोषी) है अल्लाह के आगे झुकने वाले है सद्का (दान) देने वाले है रोजे रखने वाले है। पेज 1062

अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले है और अल्लाह को कसरत आबिक से अतिक याद करने वाले है। अहलाल ने उनके आलिद मगफिरत (मुक्ति) और बड़ा (फल) अज्र इकट्ठा कर रखा है। कुरान 33:35।

इस्लाम का नामकरण एवं अर्थ –

तालिब हलहाजिमी तालीबूल हासिमी लेखक ने अपनी पुस्तक कतारिखे इस्लाम की 400 बा.कमाल खवातीन (महिलायें) से लेखक ने लिखा है कि बाज लोगों में गलतफहमी पायी जाती है। (खासतौर पर मुन्ताहसरकीन और उनकी तहरीरों से मुतासीर प्रभावित लोगों में) के हजरत मोहम्मद इस्लाम के बानी थे। हकीकत ये है कि हजरत आदाम से लेकर पैगम्बर मोहम्मद तक जितने नबी और नसूल इस्लाम ही के पैगम्बर थे तारीख इस्लाम महज एक ईस्तलाह (टर्म) है जिसका प्रारंभ आगाज आम तौर पर सनहिजरी से किया जाता है। इस किताब में तारीखे इस्लाम इन्हीं इस्लाही (टर्म) के माने में ईस्तमाल किये गये है।1

अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास में नारी में डॉ. सुधा सोनी ईसाई धर्म में महिलाओं की दशा और दिशा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। ईसाई धर्म में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का पूर्ण अधिकार उन्हें मिला है। ईसाई धर्म की आसमानी किताब बाईबिल को मानते है। जिसके दो भाग है एक को ओल्डटेस्टामेंट कहते है और दूसरे को न्यूटेंटामेंट कहते है। न्यूटेंटामेंट ईसामसीह से संबंधित है ओल्डस्टेटमेंट ईसा पूर्व पैगम्बरों राजदूतों से संबंधित है। इसे यहूदी इसे अपना धार्मिक ग्रंथ मानते है और न्यूटेस्टामेन्ट को ईसाई अपने श्रद्धा और विष्वास में विशेष अनुकरण एवं अनुशरण के योग्य मानते है। स्त्री और पुरुष दोनों ईसाई धर्म के मानने वाले इस पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। उन्हें पांच बातें स्वीकार करने की आशा बढ़ गयी है–(1) बपतिस्मा (2) आत्मनिवेदन (कन्फेशन) (3) पुष्टीकरण (कनफर–मेशन) (4) पवित्र संचार (होली कम्युनिकेशन पवित्र), (5) विवाह।

ईसाई धर्म में विवाह का महत्व है और उसको सम्पन्न करने के लिये चर्च (गिरजाघर) जैसे पवित्र स्थान को समुचित माना गया है जाहं ये सम्पन्न होता है। पुत्र और पुत्री का भेदभाव नहीं समय आने पर दोनों का विवाह सम्पन्न हो जाता है किन्तु बालकाल में विवाह अमान्य है। माता–पिता के साथ–साथ पत्नियों को भी पसंद करने का अवसर प्राप्त होता है।1

पुरुषों की भांति महिलाओं को भी सत्य पालन करना अनिवार्य है। मानव सेवा करना महान धार्मिक कर्तव्य माना गया है लेखिका ने बाईबिल का हवाला देते हुये। ''वो सदैव मीठे वचन बोले और बोलते समय वाणी में संयम बरते'' और प्यार से मीठे वचन घाव पर मरहम का कार्य करते है।''1 महिलाओं से यह आषा की जाती है कि वह छल कपट दूर रहकर निर्मल हृदय से मन वचन और कर्म को प्रस्तुत करेगी। चरित्रवान ईसाई महिला का आदर्ष ये होना चाहिये कि उसे अपने पति से निष्कपट प्रेम करना चाहिये सेवाभाव से उसको मन जीतना चाहिये। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिये ताकि परिवार और वातावरण पवित्र एवं सत्ता पर आधारित रह सकें बाईबिल में सीख दी गयी है कि यदि पति कुमार्ग में चलने लगे तो उसको सत्मार्ग अपने सौप्रकाश से प्रज्वलित करना पत्नी का परम कर्तव्य है। वो पत्नी गौरवशाली है जो धर्म की इन शिक्षाओं का पालन सम्पूर्ण रूप से करे।[2]

विवाह करते समय समझ बूझ कर रिश्ता पक्का करना चाहिये ताकि तलाक और त्याग की नौबत न आये और वो सात जन्म तो नहीं एक ही जन्म को खुशहाली और आनन्दपूर्वक निभा सकें। महिलाओं को अनैतिक अवगुणों जैसे– अहंकार, छल कपट, घमण्ड, दुराचरण न करने का निषेध है। ईसाई धर्म में पर्दाप्रथा, सती प्रथा तथा कन्या वध का स्पष्ट निषेध है। ईसाई धर्म में मूर्तिपूजा, कर्मकाण्ड, अंधविश्वास तथा पाखण्ड पूर्ण आचरण का कोई स्थान नहीं है।[3]

सन्दर्भ–

1. भारतीय इतिहास में नारी, डॉ. सुधा सोनी, पृ. 279

2. वही, पृ. 102

3. मुगल हरम, रामऊन अहमद, पृ. 19

3. इस्लाम और ईसाईयत, बेगम उल्फत अजीजुस, प्रथम संस्करण–1985, प्रकाशक–हिन्दुस्तान पब्लिकेशन, दिल्ली, पेज 103.

4. इस्लाम और ईसाईयत, बेगम उल्फत अजीजुस, प्रथम संस्करण–1985, प्रकाशक–हिन्दुस्तान पब्लिकेशन, दिल्ली, पेज 103 एवं 104.

5. इस्लाम और ईसाईयत, बेगम उल्फत अजीजुस, प्रथम संस्करण–1985, प्रकाशक–हिन्दुस्तान पब्लिकेशन, दिल्ली, पेज 104.

6. इस्लाम और ईसाईयत, बेगम उल्फत अजीजुस, प्रथम संस्करण–1985, प्रकाशक–हिन्दुस्तान पब्लिकेशन, दिल्ली, पेज 105.

7. इस्लाम और ईसाईयत, बेगम उल्फत अजीजुस, प्रथम संस्करण–1985, प्रकाशक–हिन्दुस्तान पब्लिकेशन, दिल्ली, पेज 106 से 107

8. तारिखे इस्लाम की 400 बाकमाल खवातीन द्वितीय प्रकाशन प्रकाशक–ईस्लामिक बुक फाउडेशन, दिल्ली.

9. भारतीय इतिहास में नारी, डॉ. सुधा सोनी, पृ. 284.

10. भारतीय इतिहास में नारी, डॉ. सुधा सोनी, पृ. 284.

11. वही।

12. भारतीय इतिहास में नारी, डॉ. सुधा सोनी, पृ. 284.

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

भारत में उभरती साम्प्रदायिक चुनौती और संत परंपरा

❑ डॉ. सुधा सोनी*

शोध सारांश

भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिन्दुओं के उपासना स्थल को आघात पहुँचाकर जो कार्य किया था, उससे हिन्दुओं के मन में उनके तीव्र घृणा फैल गई, परन्तु असहज होकर वो कुछ न कर सकें। धीरे–धीरे यह भावना भी लुप्त होने लगी और दोनों वर्ग पास आने लगे। परिणामतः दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना प्रारंभ किया। 1857 तक छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़े साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख इतिहास में प्राप्त नहीं होता।

परन्तु साम्प्रदायिकता के प्रारंभिक ओर बर्बर युग में संत कवियों द्वारा अपनी वाणी से जिस प्रकार सद्भाव का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया, वह अद्भुत है। इन्हीं संत कवियों की वाणी मानवता के लिये समर्पित थी, यही सार मनुष्य तक पहुंचाने के लिये इन संत कवियों तथा सूफी कवियों का ध्येय रहा है। निर्गुण संतों एवं सूफी संतों के प्रयास व्यर्थ नहीं गये और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थापना में इनका अमूल्य योगदान रहा। किन्तु आज बढ़ते साम्प्रदायिक दंगे देश की सबसे बड़ी चुनौती है जिसे प्रेम शांति के माहौल से ही समाप्त किया जा सकता है।

साम्प्रदायिकता का आविर्भाव धरती पर अवतरित नहीं हुआ साम्प्रदायिकता की चुनौतियां और समाधान बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा एक बौद्धिक प्रयास है। इसका समाधान होना चाहिये। जिने हाथों में कलम है वे तलवार की धार से दोषियों का सिर धड़ से कलम भले ही न कर सकें लेकिन कलम की धार से अज्ञान के अंधकार को अवश्य दूर कर सकते है।

''पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री कॉफी अन्नान के अनुसार लोग जितना अधिक अपने अधिकारों के बारे में जानेगें और जितना अधिक वे दूसरे के अधिकारों का आदर करेगें, उतना ही अधिक उनमें शान्ति से रहने की संभावना बढ़ेगी। मानव अधिकारों के बारे में लोगों के शिक्षित होने पर ही मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोक सेगे ओर इस प्रकार संघर्ष भी रूक सकेगा।''

हम देखते है कि भारत सदियों से ही एक अविभाज्य सांस्कृतिक पहचान एवं आस्थाओं वाला देश रहा है। अपने आधारभूत विश्वासों के अनुसार यहां विभिन्न धर्मो को पूरी आजादी के साथ फलन–फूलने के पर्याप्त अवसर मिलते रहे है, भारतीय दर्शन में जहां ''संगच्छध्वं सम्वदध्वं सं वो मनासि जायताम्। के द्वारा मानव मात्र की एकता स्थापित करने की सार्वभौमिक दृष्टि प्रस्तुत की गयी है। वही ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' में पूरी वसुधा को एक परिवार के रूप में देखने का मानववादी

* प्राध्यापक इतिहास, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रीवा

दर्शन भी प्रतिपादित किा गया है अपनी पृथक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ भी प्रत्येक समुदाय यहां उस इन्द्रधनुषी आभा के समान है जिनमें हर रंग अपनी अलग–अलग घटा तो बिखेरता है किन्तु उन सभी रंगों के समुच्चय से ही सुंदर लालित्यपूर्ण इन्द्रधनुष का निर्मण हो पाता है। किन्तु साम्प्रदायिकता के आरम्भ से विभिन्न साम्प्रदायिक ताकतें हमारे इन्हीं धर्म निरपेक्ष मूल्यों पर गहरी चोट करके हमारी बहु सांस्कृतिक ऊर्जस्विता को नष्ट करने की कोशिश में लगी है।

साम्प्रदायिकता दरअसल धार्मिक कट्टरवाद का ही एक रूप है। अपनी पूजा–पाठ–उपासना–पद्धतियों, खान–पान, रहन–सहन के तरीकों, जाति–नस्ल आदि की विभिन्नताओं को ही धर्म का आधार मानना तथा अपनी मान्यताओं वाले धर्म को सर्वश्रेष्ठ एवं दूसरी मान्यताओं वाले धर्म को निकृष्ट, समझना, उनके प्रति नफरत द्वेषभाव, पालना और फैलाना ही साम्प्रदायिकता है अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों को श्रेष्ठ समझना तथा दूसरों को निकृष्ट समझने का भाव ही सामाजिक विघटन का मूल कारण है। इससे न केवल सामाजिक रिश्ते टूटते है बल्कि परस्पर अविश्वास और असहिष्णुता के बढ़ने से सामाजिक विभाजन एवं अलगांव की भूमिका भी पक्की हो जाती है। यह अलगांव आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कारणों से जुड़कर अन्ततः देश के

संत रैदास –

रैदास ने निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश दिया। संत रैदास जन कल्याण के लिये शुभचिंतक थे। रैदास ने स्वयं अपने अपने को चमार जाति का स्वीकार किया है। उच्च वर्ग के लोग भी इनके शिष्य थे। यहां तक मीराबाई और चित्तौड़ की रानी भी इनकी शिष्य हो गई थी। रैदास मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे कहते थे कि यदि मूर्ति में प्रभु का निवास होता तो वह पानी में तैर सकती थी, किन्तु वह तो स्वयं ही डूब जाती है।

"पाती जोड़े पूजी रचावे, तारन तरन कहे रे।"
मूरति माहि बसे परमेसुर, तो पानी माहि तिरै रे।।"

निर्गुण संतों में उपर्युक्त संतों के अतिरिक्त सहजोबाई, धन्ना, पीपा, मलूकदास आदि ने भी प्रायः कबीर का अनुसरण किया है और हिन्दू मुस्लिम भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है। निर्गुण संतों की भांति सूफी कवियों ने भी हिन्दू–मुस्लिम एकीकरण का प्रयास किया और काफी हद तक ये सफल भी रहे। इन कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किन्तु इन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित प्रेम कहानियों के माध्यम से यह कार्य किया। सूफी कवियों में जायसी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। डॉ. परमानन्द लाल श्रीवास्तव लिखते है कि जायसी ने धर्म और मजहब से बहुत ऊपर उठकर मनुष्यत्व का परिचय दिया। इनका उद्देष्य आत्म संकीर्णताओं से ऊपर उठकर आत्म शुद्धि और जन–जन में प्रेम सम्प्रसारित करना था। जायसी की बहुत बड़ी विशेषता हैं कि मनुष्यता साधना में सर्वोपरि रही है।

यह सत्य है कि इस्लाम के सभी अनुयायी आंतकवादी नहीं है और न ही आतंकवाद का समर्थन करते है। यह भी सत्य है कि सभी मुस्लिम राष्ट्र आंतकवादियों को पनाह नहीं देते है परन्तु यह भी सत्य है ताकि दुनिया के अस्तित्व को जिन आंतकवादियों से सबसे ज्यादा खतरा है वही सभी इस्लाम धर्म के अनुयायी है और यह भी सत्य है कि आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष में मुस्लिम राष्ट्रों का दोहरा चरित्र है।

हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें या न करें परन्तु सभ्य समाज के एक बड़े हिस्से ने इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ कर देखना शुरू कर दिया है। कुछ सिर फिरे आतंकवादियों के कारण पूरे इस्लामी समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं माना जा सकता। परन्तु समुदाय का बड़ा हिस्सा अपनी संकीर्ण धार्मिक मान्यताओं को जबरदस्ती पूरी दुनिया पर मापने का आमादा हो तो सभ्य समाज के पास इस्लामी समुदाय को तो सभ्य समाज के पास इस्लामी समुदाय को शक के कटघरों में खड़ा करने के अतिरिक्त विकल्प ही क्या है।

इस्लाम का इतिहास विभाग 12–13 सौ वर्ष पुराना है तथा यह विश्व के चार–पांच प्रमुख धर्मो में से एक है, इस्लामी आतंकवाद के बीज इस्लामी ग्रंथों की विरोधाभासी व्याख्या तथा इस्लाम की ऐतिहासिक अवधारणा में ही निहित है। इस्लाम का आधार कुरान

व हदीस है। इन ग्रंथों में दिये गये उपदेश आदेशात्मक है। यह सर्वकालिक है। अर्थात् सभी युगों और सभी व्यक्तियों की समस्याओं का निदान इस ग्रंथ में निहित है। यह दैवीय ग्रंथ है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन का अधिकार किसी को नहीं है इसकी व्याख्या करने का अधिकार मात्र उलेमाओं को है। इन उलेमाओं का वर्ग न सिर्फ स्वयं संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है, बल्कि इस्लाम के अनुयायियों को भी कुफ्र का वास्ता देकर स्वतंत्र धार्मिक चिंतन की अनुमति नहीं देता है।

धर्म सुधार तथा प्रतिधर्म सुधार आंदोलन ने रोमन कैथोलिक चर्च को पुनर्जीवित किया और आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनरूप तर्क सम्मत बनाया।

इसी प्रकार हिन्दू धर्म को महात्मा बुद्ध, महावीर आदि ने प्राचीनकाल में राजाराम मोहनराय, विवेकानन्द तथा ईश्चरचन्द्र विद्यासागर आदि ने आधुनिककाल में अपने उपदेषों व लेखों द्वारा सहिष्णु, तर्क संगत बनाने में मदद की।

इस्लाम को समयानुकूल बनाने वाले धर्म सुधारकों के अभाव ने इस्लाम में मध्ययुगीन कट्टरता को आधुनिक युग में भी बनाये रखा।

वास्तव में इस्लाम विश्व के अन्य धर्मो की भांति प्रेम शांति, सहिष्णुता सिखाता हैं। इस्लाम से तात्पर्य ईश्वर के प्रति समर्पण से है। शाब्दिक रूप से देखे तो इस्लाम शब्द अरबी भाषा के सलाम शांति से निकला है। मतावलम्बी एक दूसरे का सलाम कर अभिवादन करते है जिसका तात्पर्य है सभी के लिये शांति। कुरान में क्षमा व सहिष्णुता को मान्यता प्रदान की गई है। कुरान में स्पष्ट निर्देष है कि अल्लाह ने जीवन को पवित्र बनाया है और किसी भी हिंसा की आलोचना की है। इसी के साथ यह भी सत्य है कि जेहाद और जजिया या इस्लाम कबूर करने की अवधारणा भी इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों में है। जिनका उपयोग कट्टरपंथी उलेभा वर्ग इस्लामी जनमानस को भड़काने तथा साम्प्रदायिक की राह पर ढकेलने के लिये करते है।

इस्लाम का प्रसार –

भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार दो प्रकार से हुआ शान्ति व शक्ति (अर्थात् तलवार के बल पर) इसका शान्तिपूर्वक प्रसार करने वालों में अरब व्यापारी मुस्लिम संतों के क्रियाकलाप थे जबकि शक्ति द्वारा प्रसार अरब, तुर्क व मुगल आक्रमणकारी थे। दक्षिण में इस्लाम शान्तिपूर्वक व्यापारियों द्वारा आया। तत्कालीन शासकों ने इस्लाम के विरूद्ध कोई पत्र उठाने की अपेक्षा उनके साथ उदारता का व्यवहार कर राजकीय पद प्रदान किये। अरब व्यापारियों की तरह सूफी संतों ने भी शान्तिपूर्वक प्रसार में योग दिया।

जहां अरब व्यापारियों ने इस्लाम को शान्तिपूर्वक प्रसार में योग दिया, वही अरब आक्रान्ताओं ने इस्लाम को शक्ति से प्रसारित किया। रामगोपाल का कथन है कि पंजाब और सिंध में इस्लाम के प्रसार में तलवार का विशेष योगदान रहा। मुसलमानों के हाथ ये सत्ता थी इसलिये बलपूर्वक मुसलमान बनाने के साथ–साथ शासकीय पदों का लालच भी देते थे। गौरीशंकर भट्ट लिखते है कि ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम आक्रमणकारी विजयाकांक्षा धन, लिप्सा और जिहाद (धर्म प्रचार) की भावना से अधिक प्रेरित थे, जिनके कारण उन्होंने तलवार का अधिक आश्रय लिया। फिर भी ये कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना तत्कालीन हिन्दू सामाजिक व्यवस्था उसकी कमजोरियां तथा दोष थे।''

वास्तव में उस समय हिन्दू समाज की स्थिति भी इस्लाम के प्रसार में सहायक रही। दिनकर का मत है कि ''हिन्दुत्व के जुलम से घबराये हुये गरीब लोग ही अपना ऋण पाने के लिये इस्लाम के झण्डे के नीचे चले गये। हिन्दुत्व छुई मुई सा नाजुक धर्म को गया था। इसलिये गांव के कुये में यदि मुसलमान जूठा पानी डाल देते थे तो सारा गांव स्वतः मुसलमान हो जाता था और शास्त्रों के प्रहरियों को यह सूझता ही नहीं था कि पानी के समान मनुष्य भी शुद्ध किया जा सकता है।

''इस प्रकार हमारी स्थितियों में भी इस्लाम के प्रसार में कुछ योग दिया।

सूफीमत –

सूफीमत का जन्म इस्लाम की गोद में ही हुआ। किन्तु कुछ बाहरी प्रभाव भी पड़े। ताराचन्द सूफीमत के

पांच स्त्रोत मानते है–(1) कुरान (2) मुहम्मद का जीवन (3) ईसाई और अफलातूनी विचारधारा (4) हिन्दू और बौद्ध विचारधारा (5) ईरान का जरधुस्त्र धर्म। वास्तव में सूफीमत का मूल स्त्रोत विभिन्न धर्मों के विचारों में निहित है परन्तु जसमें भारतीय धर्मों की प्रधानता उल्लेखनीय है। सूफी मत के मूल पर भारतीय प्रभाव एक नहीं तीन प्रकार से पड़ा। इस प्रकार अफलातूनी, हिन्दू और बौद्ध विचारधाराओं के माध्यम से रस प्रभाव का पड़ना स्पष्ट है। अफलातूनी विचारधारा भारतीय दर्शन से प्रभावित हुआ उसे यूनानी माध्यम से मिला निःसंदेह सूफीमत पर भारतीय विचारों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पड़ा है। दिनकर लिखते है 'वेदान्त के मोक्ष और बौद्धमत के निर्वाण के वजन पर ही सूफियों ने फना की कल्पना की और बुद्ध ने आष्टांगिक मार्ग पर ही उनका तरीका या सलूक हुआ।

मध्यकाल के प्रथम चरण को हिन्दी भाषा का स्वर्ण युग कहा गया है, जिसे शान्तिकाल कहा जाता है और इसका समय संवत् 1375 से संवत् 1700 को माना जाता है। इस काल में सें संत कवियों ने हिन्दु मुस्लिम एकता के लिये जो प्रयास किये वे अत्यंत नुकरणीय, सराहनीय एवं सफल रहे हैं।

संत साहित्य –

संतों द्वारा लिखा गया साहित्य–संत साहित्य है। इस संबंध में डॉ. पीताम्बर दत्त बडवाल को उद्धृत करते हुये डॉ. शिव कुमार शर्मा लिखते है कि ''संत साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति शांत की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परमतत्व का अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व से उपर उठकर उसके साथ तदरूप हो गया हो संत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोक्ष की उपलध्ध के फलस्वरूप अखण्ड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो वही संत है।'' किन्तु हमारे विचार अनुसार संत शब्द संत से बना है, जिसका अर्थ ईश्वरोन्मुख कोई भी सज्जन पुरुष हो सकता है। समुचित अर्थ में निर्गुर्णोपासकों को ही संत कह दिया जाता है। जबकि सगुणोपासकों को भक्ति साहित्य में संत काव्य में कबीर, दादू नानक और सुंदरदास सूर, तुलसी आदि के साहित्य को शान्ति कहा जाता है। भी साम्प्रदायिक एकता के लिये जो प्रयास निर्गुण भक्ति कवियों ने किये, वैसे प्रयास सगुण भक्ति कवियों द्वारा नहीं किये गये। इस दृष्टि से साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थापना में निर्गुण भक्त कवियों अथवा संत कवियों का ही अवदान प्रमुख है।

इन संत कवियों में कबीर अग्रगण्य है। इनके अतिरिक्त पीपा, धाना, दादू, रज्जब, सैन, नानक, रैदास आदि के नाम उल्लेखनीय है। इसके साथ ही सूफी संतों ने भी साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कबीर ने आत्म सुधार पर बल दिया है उनके विचार से आत्म सुधार समाज सुधार है–

''कहै कबीर मैं हरिगुन गाऊं हिन्दू तुरूक दोऊ समझाऊं
कहै कबीर चेतरे भौंदूं। बोलन हास तुरूक न हिन्दू''

कबीर आगे ब्रह्मा की माया को समझाते हुये कहते हैं कि

''माटी एक भेष धरि नाना, सब में ग्रहा समाना
कहे कबीर भिश्त छिटकाई, दौ जग ही मन माना।''

नानक –

कबीर की तरह नानकदेव का भी विचार था कि गृहस्थ जीवन और घरेलू काम करना आध्यात्मिक उन्नति के बीच बाधक नहीं है। कबीर के विपरीत नानक एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी के साथ–साथ फारसी और हिन्दी का भी अध्ययन किया था। नानक का उद्देश्य एक ही ईश्वर की मान्यता के आधार पर हिन्दू धर्म में सुधार करना और हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। वे वेदों और कुरान को नहीं मानते थे तथा जाति–पाति, ब्राह्मणों ओर मौलियों की प्रमुखता, रस्म–रिवाज, धर्म–आडम्बरों, उपवासों और तीर्थ–यात्राओं के विरूद्ध थे। उन्होंने मुसलमानों और हिन्दुओं की सभी जातियों के लोगों को यहां तक अछूतों को भी अपना शिष्य बनाया था।

बंदे एक सुदाय है, हिन्दू मुसलमान दादा राम रसूल कर बडदै बेइमान।

अंतरि पूजा पढहि कतैशा, संजामी तुरूकां भाई।
छौडि ले पखण्डा, नाभि लइयै जाहि तरन्दा।।

नानक देव के अनुसार तीर्थो में स्नान करने से कोई लाभ नहीं है, यदि मन में अंतःकरण में छल–कपट विद्यमान है तो–

''अन्तरि मैलु तीरथ भर कीजै।''

समस्त संसार का कल्याण करना ही नानकदेव का ध्येय था। इसलिये उन्होंने हिन्दू मुसलमान दोनों की धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया। नानकदेव कहते हैं कि जो अपने पसीने की रोटी खाता है उसी का रास्ता सही हैः–

दादू :–

कबीर की भांति दादू ने भी निर्गुण भक्ति का आश्रय लिया ओर ईष्वर की व्यापकता गुरू की महत्ता तथा हिन्दू मुस्लिम सद्भाव पर विशेष बल दिया इन्होंने समाज में प्रचलित ऊँच–नीच की भावना विभिन्न कुरीतियों तथा धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। कबीर की भाँति इनके भी जन्म व जाति के बारे में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण बताते हैं परन्तु कुछ लोग इनको धुनिया मुसलमान बताते हैं। रज्जब इनके शिष्य थे। रज्जब के मतानुसार दादू धुनिया थेः–

''धुनि गर्भे उत्पन्नों दादू, योगेन्द्रों महामुनि।
उत्तम जोग धारणम् तस्मात् वयं न्यातिकरायणम्।।''
''तिन्ह संतति उपजावा भांतिहि–भांति कुलीन।
हिन्दु तुरन्क दुवौ भय, अपने–अपने दीन।।

जायसी के अतिरिक्त मौलाना दाउद कुतबन, नूर मोहम्मद आदि ने भी सूफी दर्शन के माध्यम से हिन्दु मुस्लिम संस्कृति के एकीकरण का प्रयास किया। इन कवियों ने भारतीय कथानकों के द्वारा साम्प्रदायिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया।

मात्र सूफी कवियों ने ही नहीं, अपितु सूफी संतों ने भी सामप्रदायिक सद्भाव के लिये कार्य किया। इनमें बाबा फरीद्दीन शेख मोहम्मद गौस, ख्वाजा मोइनुउद्दीन चिष्ती आदि ने नाम उल्लेखनीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. इंजीनियर, असगर अली–साम्प्रदायिकता की चुनौती प्रतिपक्ष, जनवरी 1990, पृ. 83.

2. सभ्यताओं का टकराव व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति डी.डी. कौशिक, रिसोर्स, 2006.

3. मध्ययुगीन भारत, अवध बिहारी पाण्डेय, सेन्ट्रल बुक डिपो इलाहाबाद, 1967.

4. कुरान–शरीफ, अनु–नंदलाल अवस्थी, किताब महल, लखनऊ, 1988.

5. हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियां लेखक–डॉ. शिव कुमार शर्मा, अशोक प्रकाशन, नई सड़क दिल्ली, 1977, पृ.सं. 123.

6. हिन्दी साहित्य की भूमिका–आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पटना 1969, पृ.सं. 27

7. मध्यकालीन भारत में हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव–डॉ. परमानंद लाल श्रीवास्तव रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली, जयपुर, पृ.सं. 33

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

वस्तु एवं सेवा कर की कार्यप्रणाली का अध्ययन

❐ अमित कुमार निगम*

शोध सारांश

माल एवं सेवाओं की पूर्तिरूपी विस्तृत कर संरचना अर्थात् जी.एस.टी. व्यवस्था सभी समस्याओं का निराकरण है। केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर एक साथ संचलन के कारण जी.एस.टी. ने माल एवं सेवाओं पर करारोपण को एकीकृत करके इनपुट क्रेडिट संरचना को उत्पादक/सेवाप्रदाता बिन्दु पर ही सक्रिय करके फुटकर विक्रेता/ उपभोक्ता स्तर तक स्वयं संचालित किया है।

जी.एस.टी. व्यवस्था में प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया गया है, जो कि केन्द्र एवं राज्य दोनो स्तरों तक पाया जाता है। निर्माण/माल का विक्रय या सेवाओं की प्रदायता जैसी अवधारणाओं का माल अथवा सेवा या दोनो की पूर्ति की समग्रता के कारण अंत हो चुका है।

मुख्य शब्द :– जी.एस.टी., माल, कर, वित्त, सेवाकर

जी.एस.टी. का इतिहास :–

भारत में जी.एस.टी. का मूल प्रयास 17 जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार समिति के रूप में किया गया। इस समिति को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हुये 12 अगस्त 2004 को पंजीकृत समिति का स्वरूप प्रदान किया गया।

जी.एस.टी. क्रियान्वयन की इस लम्बी यात्रा को निम्नांकित प्रमुख घटनाओं/प्रयासों के रूप में सारांशित किया गया है :

2003 :– वैट सिद्धांतों पर आधारित एक समग्र जी.एस.टी. का सुझाव प्रो0 केलकर कार्यबल/अध्ययन दल ने किया।

फरवरी 2006 :– तत्कालीन वित्त मंत्री पी0चिदम्बरम द्वारा वर्ष 2006–07 का बजट प्रस्तुत करते हुए 1 अप्रैल 2010 से लागू करने की समय–सीमा निर्धारित की गई।

फरवरी 2007 :– अधिकार प्राप्त राज्य वित्त मंत्रियों की समिति अपनी सभा में समय–सीमा के अधीन क्रियान्वयन के प्रयास में लगी रही।

सितम्बर 2009 :– उच्चाधिकार समिति ने सभी राज्यों/संघीय प्रदेशों के मुख्य सचिवों/वित्त एवं करारोपण सचिवों और व्यापारिक करों संबंधी आयुक्तों का एक कार्यदल गठित किया गया।

नवम्बर 2009 :– केन्द्र/राज्य सरकारों, उच्चाधिकार समिति से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर जी.एस.टी. का प्रथम विचार–विमर्श किया गया।

मार्च 2011 :– संविधान (115वाँ संशोधन) विधेयक, 2011 के अधीन केन्द्र और

राज्यों को समवर्ती करारोपण की शक्तियों के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें जी.एस.

* शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार, जिला– शहडोल (म.प्र.)।

टी. परिषद् और जी.एस.टी. विवाद निपटारा प्राधिकरण के गठन प्रस्तावित किया गया। 2014 में विधेयक कालातीत हो गया और संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2014 के रूप में अवतरित हुआ।

नवम्बर 2012 :– भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और उच्चाधिकार समिति को शामिल करते हुए "A committee on GST Design" का गठन हुआ।

जनवरी 2013 :– उच्चाधिकार समिति ने प्रस्तावित डिजायन के साथ संविधान विधेयक पर विचार–विमर्श पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मार्च 2013 :– GSTN के रूप में एक अलाभकारी, गैर सरकारी निजी कम्पनी का निगमन केन्द्र और राज्य सरकारों को सूचना तकनीकी संरचना और करदाताओं और अन्य हितधारियों के लिए जी.एस.टी. क्रियान्वयन के लिए सेवाएँ प्रदान करने के लिए किये गए।

अगस्त 2013 :– संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के साथ मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गई। संविधान विधेयक पर पुनर्विचार हुआ।

सितम्बर 2013 :– संविधान संशोधन विधेयक का अंतिम प्रारूप उच्चाधिकार समिति को भेजा गया।

नवम्बर 2013 :– उच्चाधिकार समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप संविधान (115वाँ संशोधन) विधेयक के अंतिम प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन किए गए।

जून 2014 :– नई सरकार के अनुमोदन पश्चात् संविधान संशोधन विधेयक उच्चाधिकार समिति को भेजा गया।

दिसम्बर 2014 :– संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2014 लोकसभा में वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिससे जी.एस.टी. का प्रचलन और केन्द्रीय/राज्यीय अप्रत्यक्ष करों को समाहित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया।

मई 2015 :– 6 मई, 2015 को संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक 2014 लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा के 21 सदस्यीय चयन समिति को विधेयक भेज दिया गया।

जुलाई 2015 :– 22 जुलाई को चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में प्रस्तुत की।

जून 2016 :– वित्त मंत्रालय द्वारा जी.एस.टी. संबंधी विधान का आदर्श प्रारूप 14 जून 2016 को प्रस्तुत किया गया।

अगस्त 2016 :– 3 अगस्त को संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2014 कुछ संसाधनों के साथ पारित किया गया, जिन्हें लोकसभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

सितम्बर 2016 :– राज्य विधान मण्डलों के 50% से अधिक की अपेक्षित स्वीकृति की दिशा में अधिकांश राज्य विधानसभाओं द्वारा विधेयक स्वीकृत कर लिया गया, जिस पर 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति की अंतिम सहमति भी प्राप्त हो गई।

अप्रैल 2017 :– संसद ने निम्नांकित विधेयक पारित किए :

CGST Bill, IGST Bill, VTGST Bill, GST, जिन पर राष्ट्रपति की सहमति पश्चात् जी.एस.टी. का मार्ग प्रशस्त हुआ।

1 जुलाई 2017 :– जी.एस.टी. क्रियान्वित किया गया।

माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) की अवधारणा :–

जी.एस.टी. एक मूल्य संवर्धित कर है जो माल और सेवाओं के निर्माण विक्रय एवं उपभोग पर लागू होता है।

जी.एस.टी. के अंतर्गत उत्पादक/सेवाप्रदाता बिन्दु से फुटकर विक्रय/उपभोग स्तर तक निर्बाध विस्तृत एवं निरंतर कर क्रेडिट की श्रृंखला द्वारा पूर्ति चक्र के प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्य संवर्द्धन का ही करारोपण होता है अनुच्छेद 366 (12A) के अधीन जी.एस.टी. को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

माल एवं सेवाकर का आशय माल या सेवाओं या दोनो पर करारोपण से है, मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब पर करों को छोड़कर।

उपभोग आधारित कर व्यवस्था :–

जी.एस.टी. उपभोग/गंतव्य आधारित कर है अर्थात् कर का भुगतान उस राज्य में होना जहाँ माल/सेवाएं

अंततः उपभोग की जाएगी। जी.एस.टी. वैट प्रणाली पर आधारित है जिससे बाह्य पूर्ति पर देयकर के विरूद्ध आंतरिक पूर्ति पर चुकता कर का क्रेडिट उपलब्ध होता है। जिस राज्य से माल की पूर्ति की जाती है उसको कोई कर प्राप्त नहीं होता क्योंकि वास्तविक और अन्ततः उपभोग किसी अन्य राज्य में होगा जो कि प्राप्तकर्ता गंतव्य राज्य है।

माल एवं सेवाकर में माल एवं सेवा से आशय :–

माल का आशय–

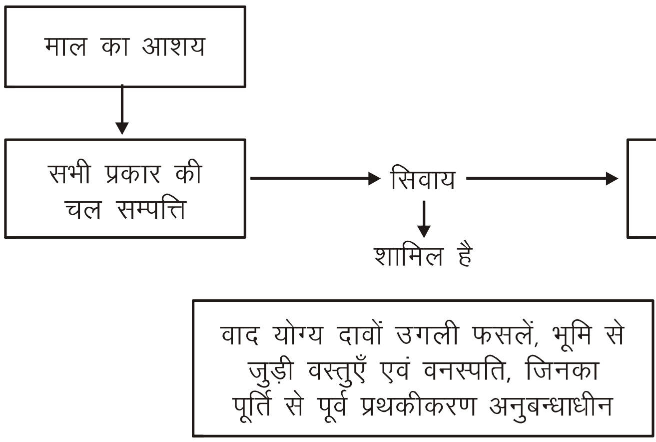

सेवा से आशय

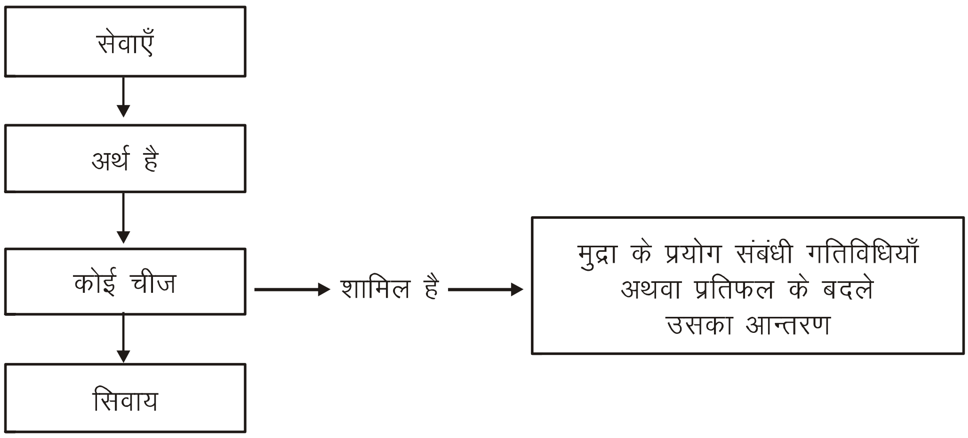

जी.एस.टी. की आवश्यकता :–

(1) जी.एस.टी. शब्द का आशय माल एवं सेवाओं पर कर से है और यह ऐसा अप्रत्यक्ष करारोपण है, जो कि माल के साथ–साथ सेवाओं के निर्माण, विक्रय एवं उपभोग पर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

(2) इसका मुख्य उद्देश्य अधिकांश अप्रत्यक्ष करारोपण को एकमात्र कर के रूप में शामिल करना जिससे बहुसंख्यक करारोपण का प्रतिस्थापन करके, विद्यमान अप्रत्यक्ष कर संरचना की सीमाओं को दूर करके, कर प्रशासन में दक्षताओं का सृजन किया जा सके।

(3) जी.एस.टी. के पक्ष में एक अन्य कारक है कि द्वारा सम्पूर्ण पूर्ति श्रृंखला में निर्बाध क्रेडिट को सुविधापूर्ण बनाकर सभी राज्यों के मध्य एक कराधार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

(4) अतः सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर एक विस्तृत करारोपण के रूप में जी.एस. टी. को विकसित किया जा सके। उत्पादन एवं वितरण के प्रत्येक स्तर पर जी.एस.टी. आरोपण द्वारा पूर्ववर्ती स्तरों पर चुकता जी.एस.टी. से सेट लागू किया जा सके। मूलतः यह अंतिम उपभोग पर करारोपण है।

(5) विस्तृत रूप में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के उपयोग द्वारा अप्रत्यक्ष कर का नेटवर्क विस्तृत होगा और करवंचना को दूर किया जा सकेगा।

(6) संक्षेप में जी.एस.टी. को माल एवं सेवाओं की पूर्ति पर ऐसे करारोपण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो माल के विक्रय अथवा सेवा के प्रावधान के प्रत्येक बिन्दु पर आरोपित किया जाता है जहाँ माल के विक्रेता एवं सेवाओं के प्रदानकर्ता द्वारा माल एवं सेवाओं के क्रय पर चुकता जी.एस.टी. को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वसूल किया जा सके।

माल एवं सेवा कर के उद्देश्य/जी.एस.टी. का उद्देश्य :–

(a) एक राष्ट्र एक कर।

(b) निर्माण के स्थान पर उपभोग आधारित कर व्यवस्था।

(c) जी.एस.टी. पंजीयन, भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट का समान प्रक्रिया।

(d) कास्केडिंग प्रभाव का विलोपन।

(e) केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अधिकांश करो को समाहित करना।

(f) भ्रष्टाचार और करवंचना की रोकथाम

(g) अधिक उत्पादकता।

(h) GDP में करों के भाग का अनुपात बढ़ाकर राजस्व बचत।

(i) अनुपालनाओं में वृद्धि।

(j) आर्थिक विषमताओं में कमी।

जी.एस.टी./माल एवं सेवाकर की प्रमुख विशेषताएँ :–

(1) पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में निर्माण 'विक्रय' सेवा प्रावधान के विरूद्ध करारोपण के स्थान पर माल/सेवाओं की पूर्ति पर करारोपण है।

(2) पूर्ववर्ती उद्भव के सिद्धांत पर आधारित करारोपण के स्थान पर जी.एस.टी. गंतव्य आधारित सिद्धांत पर करारोपण व्यवस्था है।

(3) दोहरे जी.एस.टी. के रूप में केन्द्र/राज्यों को करारोपण की समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें केन्द्र द्वारा CGST और राज्य द्वारा SGST और बिना विधानमण्डल वाले संघीय क्षेत्र न्ळैज लागू होगा।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय पूर्तियों पर IGST उद्गृहीत होगा, जिससे क्रेडिट शृंखला बाधित नही हो।

(5) माल का आयात 'अन्तर्राज्यीय पूर्ति' की भाँति IGST और मूल सीमा शुल्क के अधीन करारोपित होता है।

(6) निम्नांकित पेट्रोलियम उत्पाद अभी जी.एस. टी. के क्षेत्र से बाहर है–(a) कच्चा तेल, (b) पेट्रोल, (c) डीजल, (D) ATF (e) प्राकृतिक गैस।

(7) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर जी.एस. टी. के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भी लिया जाता है।

(8) CGST और SGST दोनों के लिए प्रारम्भिक कर मुक्ति की सीमा रूपये 40 लाख प्रतिवर्ष सकल आवर्त रखी गई है। विशेष काम्पोजीशन विकल्प रू. 1.50 करोड़ तक सकल वार्षिक आवर्त वाले करदाता को उपलब्ध होता है।

(9) निर्यातों पर कर की शून्य दर है।

(10) इनपुट पर चुकता जी.एस.टी. का क्रेडिट, आऊटपुट टैक्स दायित्व से समायोजनीय होता है।

(11) रिटर्न्स की प्रस्तुति उनकी देय तिथि तक इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है।

(12) पंजीकृत करदाता द्वारा स्वयं निर्धारण प्रणाली में करारोपण।

(13) कर की दरों की 7 श्रेणियाँ है 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ मदों पर उपकर भी लगाया जाता है।

(14) अग्रिम नियमन प्राधिकारी प्रत्येक राज्य में कार्यरत होगा।

(15) ज्ब्ै और ज्ब्ै दायित्व भी देखा गया है।

(16) माल एवं सेवाकर अपीलेट ट्रिव्युनल की स्थापना।

(17) मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण।

(18) कर बीजक में जी.एस.टी. का पृथक लेखा–पूर्तिकर्ता द्वारा निर्गमित कर बीजक में वसूल जी.एस.टी. का उल्लेख पृथक रूप से किया जाता है

जिसके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हो सकता है।

जी.एस.टी. के लाभ :–

(1) सम्पूर्ण देश एकल बाजार :– पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करारोपण व्यवस्था प्रत्येक राज्य स्तर पर विमुक्तियों, प्रक्रियाओं, कर की दरों में भिन्नता के कारण, सम्पूर्ण देश में मूल्य विभेद और व्यावसायिक मापदण्डों में भिन्नता व्याप्त रहती थी। कुछ राज्यों में व्यवसाय केन्द्रीकृत थे, जहाँ अन्य राज्य केवल उपभोक्ता राज्य समझे जाते थे। जी.एस.टी. क्रियान्वयन पश्चात् सम्पूर्ण देश में व्यावसायिक परिचालनों और मूल व्यवस्था में एकरूपता से सम्पूर्ण देश एकल बाजार बन गया है।

(2) भारत में निर्माण विचार को बल :– भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ में निर्माण विचार के अध्ययन के अभ्युत्थान को प्रशस्त करने में जी.एस.टी. का महती योगदान है, क्योंकि एक कर व्यवस्था के अधीन माल एवं सेवाओं को उत्पाद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सकेगा।

(3) सरकारी राजस्व की अभिवृद्धि :– कर के आधार का विस्तार, सरल करारोपण एवं संग्रहण और करदाताओं की अनुपालना में वृद्धि आदि उत्साहवर्धक परिणामों के फलस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि आशानुकूल होगी।

(4) तटस्थता :– जी.एस.टी. प्रचलन पश्चात् पूर्ववर्ती व्यावसायिक प्रक्रियाएँ, प्रारूप, संगठनात्मक संरचना, भौगोलिक स्थिति एवं उत्पाद प्रतिस्थापन उसी रूप में चलते रहेंगे। अतः आर्थिक क्षमताओं में विकास एवं टिकाऊ दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भावना बलवती होती है।

(5) भारत से निर्यात पर शून्य कर :– चूँकि, भारत से निर्यात शून्य दर से करारोपित है अतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी है। इससे निर्यात, निर्माणी गतिविधियों, रोजगार अवसरों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में उत्साहजनक परिणाम अपेक्षित है।

(6) काले धन व्यवस्था का उन्मूलन :– काला धन अर्थात् कर वंचित आय, इसके संग्रहण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की कर वंचना होती है। जी. एस.टी. के अधीन प्रत्येक लेन–देन इलेक्ट्रॉनिकली सम्पादित होता है। उसकी डिजिटल रिकार्डिंग और मॉनीटरिंग व्यवस्था के कारण करवंचना अति दुरूह हो जाती है। अधिकांश लेन–देन बैंकिंग प्रणाली से होते हैं। अतः कोई बड़ा व्यवसाय रोकड़ी आधार पर चलाना असम्भव होता है। जी.एस.टी. प्रचलसे पूर्व, सरकार ने सम्पूर्ण वित्तीय सूचनाएँ, व्यक्तियों के समंक संग्रहण, ऐच्छिक आय घोषणा, विमुद्रीकरण, झ्ल्ब अनुपालनाओं, आधार लिंकिंग आदि के द्वारा संग्रहीत कर ली है, क्योंकि इसके बिना जी.एस.टी. का क्रियान्वयन सम्भव ही नही थी।

(7) व्यक्तिगत हस्तक्षेप से दूषित :– जी.एस. टी. की सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन सम्पादित होती है। सभी क्रियाकलाप कॉमन ळैज्छ पोर्टल पर किए जाते हैं। परिणामस्वरूप न्यूनतम अफसरशाही और भ्रष्टाचार की सम्भावनाएँ रहती है। पंजीयन, रिटर्न्स प्रस्तुति, रिफण्ड आदि की सभी प्रक्रियाएँ शीघ्र एवं सरल रूप में सम्पादित हो जाती है।

(8) करदाता के अनुकूल :– करदाता की अनुपालनाओं को सरल बनाने की दिशा में जी.एस.टी. सराहनीय प्रयास है जिसके अधीन स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से जटिलताओं को समाप्त किया गया है। जैसे– पंजीयन रिटर्न्स, रिफण्ड्स एवं कर भुगतान आदि प्रक्रियाएँ।

(9) कम करवंचना :– समान SGST एवं IGST की दरों के प्रचलन से पड़ोसी राज्यों के मध्य कर भिन्नता के समापन द्वारा करवंचना को प्रोत्साहन नहीं रहता है परिणामतः राज्य के अंदर एवं अंतर्राज्यायें पूर्तियों में समान कर भार रहता है।

(10) समान एवं कम करभार :– जी.एस.टी. क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य करों की विविधता को कम करके समस्त भाग में एक समान कर की दरों के प्रचलन के द्वारा जटिलताओं को समाप्त करना रहा था। परिणामतः सरलता एवं समानता कर व्यवस्था में प्रकट होती है।

(11) आर्थिक विकास में वृद्धि :– जी.एस.टी. के प्रचलन से निर्यात एवं निर्माणी गतिविधियों को गति प्राप्त हुई है परिणामतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं आर्थिक विकास दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप गरीबी उन्मूलन को भी बल प्राप्त होगा।

(12) आवश्यक एवं दैनिकपयोगी वस्तुओं पर कर की मुक्ति :– बड़ी संख्या में आवश्यक और दैनिकोपयी वस्तुओं पर कर मुक्ति प्रदान की गई है।

रू. 40 लाख तक वार्षिक आवर्त वाले छोटे व्यापारी जी.एस.टी. से मुक्त हैं।

जी.एस.टी. माल एवं सेवा कर के दोष :–

(1) **वर्ष के मध्य में परिवर्तन** :– वित्त वर्ष 2017–18 में 1 जुलाई जी.एस.टी. लागू करके, पहले 3 माह के लिए पुरानी कराधान व्यवस्था के बाद शेष अवधि के लिए नवीन व्यवस्था अपनानी है। अगले दिन से नवीन कर प्रणाली को अपनाना वास्तव में कठिन हो जाता है। क्योंकि एक ही वित्त वर्ष में पुरानी एवं नवीन प्रणाली अपनाने पर भ्रामक स्थिति और अनुपालना संबंधी समस्याएँ सामने आती हैं।

(2) **सॉफ्टवेयर में परिवर्तनः**– अधिकांश व्यवसाय लेखांकन, सॉफ्टवेयर के प्रयोग के साथ रिटर्न्स आदि के लिए ERPS को अपनाते हैं। जिससे उत्पाद शुल्क, सेवाकर, वेट जैसी कर अनुपालनाएँ उसमें निहित होती है।

(3) **एकल कर नही** :– जी.एस.टी. को एकल कर व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया गया है परन्तु वास्तव में यह दोहरा कर प्रणाली है जहाँ एक ही लेन–देन में केन्द्र एवं राज्य द्वारा करारोपण किया जाता है। जी.एस.टी. एक भ्रामक शब्दावली है जहाँ एकल के नाम दोहरी कर वसूल किया जाता है।

(4) **विस्तृत कर दरें** :– जी.एस.टी. में कर की अनेक दरें प्रचलित हैं, साथ ही केन्द्र एवं राज्य दोनो करारोपित करते हैं। CGST एवं SGST का संयुक्त कर भार अधिक कष्टकारक है। जी.एस.टी. की दरें–0%, 3%, 5%, 12%, 18%, और 28% तक पायी जाती है।

(5) **बहुराज्यीय पंजीकरण** :– जी.एस.टी. में प्रत्येक कार्यशील राज्य में पंजीकरण अपेक्षित है। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म का अपने कार्यक्षेत्र में पृथक ळैज्छ प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(6) **पेशेवरों की आवश्यकता** :– जी.एस.टी. अनुपालनाओं को सरलता से पूरा करने के लिए क्लाउड आधारित तकनीक आवश्यक हो जाती है। इसमें बीजकों को अनलोड करने के पश्चात् आगामी क्रियायें स्वयं सम्पादित होती रहेगी। बीजक संबंधी त्रुटियों में भी सुधार उसी समय किया जा सकता है, परन्तु नवीन सॉफ्टवेयर, उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

(7) **कम्प्यूटराइज्ड जी.एस.टी.** :– जी.एस.टी. की सभी अनुपालनाएँ रिटर्न्स प्रस्तुति, कर भुगतान आदि सभी प्रक्रियायें ऑनलाइन पूरी की जाती है। साथ ही पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड अनुपालना के लिए उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। सम्पूर्ण देश के छोटे स्थानों/ शहरों में तकनीकी समस्या व्यवसायी को करना होता है।

(8) **परिचालन लागत में वृद्धि** :– भारत में अधिकांश व्यवसायी परामर्शी कर विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ नहीं लेते हैं और परम्परागत रूप से स्वयं कर निर्धारण करके रिटर्न प्रस्तुत करते समय अपेक्षित कर का भुगतान कर देते हैं।

जी.एस.टी. की अनुपालनाओं को पूरा करने के लिए व्यवसायियों को पेशेवर विशेषज्ञों की सेवाएँ अपेक्षित होगी, क्योंकि यह व्यवस्था सर्वथा नवीन, पठित एवं पकाऊ है। अतः पेशेवर सेवाओं की लागतों का भार व्यवसाय को वहन करना होता है।

(9) **दोहरा नियंत्रण** :– केन्द्र एवं राज्य स्तरीय करारोपण व्यवस्था के कारण करदाता दोनों सरकारों के नियंत्रणधीन रहता है। सम्पूर्ण राष्ट्र में इस संबंध में जटिलता पाई जाती रही है।

(10) **कम्पोजीशन स्कीम में प्रतिबंध** :– जी.एस.टी. व्यवस्था में कर मुक्ति केवल रू. 40 लाख तक के आवर्त के लिए सीमित है। अतः SNES का कर दायित्व बढ़ गया है। कम्पोजीशन विकल्प की सीमा भी रू. 1.5 करोड़ वार्षिक आवर्त तक है जिनके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। अन्तर्राज्यीय लेन–देन भी अस्वीकृत है, अतः उसका कार्यक्षेत्र अपने राज्य तक ही सीमित हो गया है।

संदर्भ सूची :–

(1) पुस्तकें, (2) समाचार एवं समाचार पत्र, (3) मैगजीन, (4) इंटरनेट, (5) आर्टिकल।

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

''प्रकृति और मानवता की सेवा में सामाजिक विज्ञान''

❑ रामसिया चर्मकार*

शोध सारांश

सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, प्रकृति एवं मानवता को आधार प्रदान करती है। मानव सभ्यता के विकास के पूर्व प्रकृति का पूर्ण विकास और सौन्दर्यता से परिपूर्ण थी। किन्तु जैसे ही मानव का विकास होता गया वैसे–वैसे प्रकृति का विनाश होना सुनिश्चित गया। मानव अपना विकास प्रकृति के विपरीत कर रहा है जो उसके विनाश को सुनिश्चित करता है। चार्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत भी यही कहता है कि प्रकृति से सभ्यता का विकास हुआ है न कि सभ्यता से प्रकृति का। सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान की राजनीति ने प्रकृति और मानवता के बीच की कड़ी को विकास के नाम पर एक दूसरे के विपरीत कर दिया है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के समक्ष गंभीर मुद्दे भी नगण्य कर दिये जाते हैं। क्योंकि दलों को सरकार गठन कर शासन करना है। इस शासन करने की वर्चश्ववादी सोच ने मानवतावादी सोच, प्रकृति का शोषणकर्ता बना दिया है। राजनीतिक पार्टियां या सरकारे सामाजिक विज्ञान को अपने सेवार्थ बना लिया है। प्रकृति और मानव के विकास कि जितनी बाते इनके द्वारा की जाती है, कार्य का स्वरूप ठीक इसके विपरीत होता है। प्रकृति और मानव के विकास का वास्तविक स्परूप स्वयं व औद्यौगिक क्षेत्रों में अधिकतम नजर आता है। यहां तक कि राष्ट्रवाद भी दलवाद के समक्ष नगण्य हो जाता है। समाज विज्ञान को धुर्त बना दिया है साथ ही यह कहने से भी नही कतराते हैं कि समाज विज्ञान से विकास व तारतम्य संभव नही है। विकास विज्ञान पर निर्भर करता है। किन्तु सामाजिक विज्ञान विज्ञान की शक्ति को संतुलित कर विकास के पथ पर अग्रसित करता है जो कि सामाजिक विज्ञान के विकास के बिना संभव नहीं है। इसी को चरितार्थ करने के लिए दलतंत्र कार्य करने लगा है जो कि असमानता पर आधारित है। प्रकृति का यह शोषण अधिकतम लोगों के नाम पर अल्प वर्ग द्वारा किया जा रहा है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारत समेत विश्व की अधिकतम सम्पत्ति कुछ ही लोगों के एकाधिकार में संचित हो चुकी है और इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। इस वर्ग द्वारा सामाजिक विज्ञान को प्रकृति का सबसे बड़ा दानव बना दिया है। यह आमधारणा बना दी गई है कि मानव का विकास प्रकृति के दोहन पर ही निर्भर है। जबकि वास्तव में वह विनाश है। सामाजिक विज्ञान के सेवार्थ व मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रकृति का विकास ही सृष्टि का विकास या निर्माण है।

मुख्य शब्दः– प्रकृति, मानव, मानवता, सामाजिक विज्ञान, विकास, विनाश, राजनीति, अल्पवर्ग, शोषण, असमानता, विश्व, दृष्टिकोण, संयुक्त राष्ट संघ।

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शा. टी. आर. एस. कालेज रीवा (म.प्र.)

शोध प्रविधिः–

शोध पत्र "Social Science in Service of Nature and Humanity" एक तरह से द्वितीयक सामग्री संकलन का विषय है। जिसमें विश्लेषणात्मक तथ्यों के आधार पर इस शोध का निर्माण किया गया है। इन्हीं तथ्यों से शोध पद्धति के अध्ययन का आधार तय किया गया है। जिसमें शोध प्रविधि के माध्यम से विद्वानों से परिचिर्चा एवं मार्गदर्शक का प्रथम दृष्टया ही प्राथमिक स्रोतों को भी शोध पत्र में शोध प्रविधि के आधार पर माना गया है। इसके साथ–साथ शोध पत्र का निर्माण कर शोध प्रविधि के माध्यम से पत्रिकाओं का भी अध्ययन किया गया है। इसके साथ–साथ पुस्तकों, समाचार पत्र और इन्टरनेट में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शोध विषय को समझने का प्रयास किया गया है। इस माध्यम से शोध पत्र पूर्ण करने में सहायता प्राप्त हुई है।

उद्देश्यः–

1. सामाजिक विज्ञान के विभिन्न योगदान एवं महत्व को जानना।

2. प्रकृति और मानव के मध्य सह–संबंध को जानना।

3. सामाजिक विज्ञान, प्रकृति और मानवता पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभावों को जानना।

परिकल्पनाः–

1. सामाजिक विज्ञान का उचित प्रबंधन न करने से प्रकृति और मानव के मध्य असंतुलन की स्थिति होती है।

2. सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत आने वाली राजनीति ने प्रकृति का दोहन कर प्रकृति और मानव के मध्य असमानता में बढ़ोत्तरी करती है।

3. प्रकृति और मानव के मध्य संतुलन बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी भूमिका में रहना चाहिए। इसके साथ ही विश्व की आर्थिक असमानता को भी कम करने का प्रयासरत रहना चाहिए।

वर्णनः–

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ ही उसका समाज से घनिष्ठ व अनिवार्य होता है। मनुष्य इस समाज में ही जन्म लेने के साथ ही अपना सम्पूर्ण विकास करने का प्रयास भी करता है। उसका विकास प्रकृति के परिपूर्णता पर निर्भर करता है। क्योंकि प्रकृति समृद्ध है तो जीव मुख्यतः मनुष्य विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त करेंगे और यह सब सामाजिक विज्ञान के विकास पर ही निर्भर करता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान दोनों हैं। इसमें दोनों के गुण सामानान्तर रूप से पाया जाता है। सामाजिक विज्ञान मुख्यतः मनुष्य का ही अध्ययन करता है जो मनुष्य की संस्कृति, सभ्यता और उसके वातावरण की जानकारी प्रदान करके मनुष्य के मध्य अर्न्तसम्बंध स्थापित करता है। इसके साथ ही मनुष्य में ज्ञान, अनुभव, सोच के साथ ही अन्तदृष्टि को भी विकसित करता है। जिसके माध्यम से वह प्रकृति, देश, क्षेत्र और राष्ट्रीयता आदि की भावना को विकसित करता है। सामाजिक विज्ञान की इन्हीं विशेषताओं ने प्रकृति और मानव के मध्य एक संतुलित स्थापित करने का प्रयास करता है। किन्तु यह संतुलित व्यवहार अब अव्यवहारिक हो गया है। मानव आज ही प्रकृति के समस्थ संसाधनों को सर्वजन के विकास के नाम पर कुछ ही लोगों का सम्पूर्ण साधनों पर एकाधिकार हो गया है। परिणामस्वरूप एक मानव दूसरे मानव को साहन करने की स्थिति में नहीं है और वह प्रकृति का शोषण इसलिए अधिकतम कर रहा है ताकि कोई दूसरा समृद्ध न हो सके। इस स्थिति से निकलने के लिए हमें एक बार पुनः सामाजिक विज्ञान को उसके मूल स्वयरूप को अपनाना होगा।

(1) सामाजिक विज्ञान–

सामाजिक विज्ञान का स्वरूप व्यापक है। मनुष्य के सामाजिक जीवन संबंधित वे प्रत्येक विषय सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, नागरिक शास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल आदि का सूक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य का प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक विज्ञान के विषय में जी. डी. मिकले लिखते हैं कि सामाजिक विज्ञान शब्द का प्रयोग ऐसे किसी अध्ययन के लिए किया जाता है जो मानव और

समाज से संबंधित होता है। विज्ञान शब्द की व्याख्या यही है कि किसी भी तथ्य के संबंध में वैज्ञानिक विधि, प्रविधि द्वारा प्राप्त ज्ञान के क्रमबद्ध एव सुसंगठित ज्ञान के संग्रह को विज्ञान कहा जाता है। मानव के क्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन उनके सामाजिक परिवेश का समावेश होता है।

सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के दो शब्द Social Science से बना है जिसका हिन्दी अर्थ है– समाज का विज्ञान। इन दोनों शब्दों में से ैवबपंस का अर्थ– मनुष्य का इनके सामाजिक परिवेश का अध्ययन करना। Science का अर्थ है कि मानव का सामाजिक का सामाजिक परिवेश का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन करना। यही अध्ययन मानव को यह ज्ञान उपलब्ध कराता है कि उसके अपने और समाज व राष्ट्र के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कब और कितना उपयोग करना है। इसके साथ ही उसे इस बात का भी सामाजिक विज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है इसका अत्यधिक दोहन मानव के भविष्य के विकास को प्रभावित करेगा। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विज्ञान द्वारा ही संभव एवं संतुलित रखा जा सकता है। इस तरह से सामाजिक विज्ञान प्रकृति और मानव के मध्य एक दूसरे के निर्भरता एवं सह–संबंधों को निर्धारण करती है। किन्तु मानव प्रकृति के आधीन ही रह कर अपना विकास व जीवन–यापन करता है। प्रकृति का जीवांत ही पृथ्वी व जीवों का जीवांत है।

प्रकृति और मानवता को समृद्ध करने का सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य–

1. मनुष्य में प्रकृति के प्रति चेतना का सृजन करना।

2. प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन एवं उसके क्षरण को रोकने के साथ ही प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का प्रतिभाव हो।

3. प्रकृति से लाभ प्राप्त करने का दूरगामी दृष्टिकोण का निर्माण करना।

4. शिक्षण के माध्यम से बचपन से ही बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना।

5. सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

6. मानव को प्रकृति के प्रति उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजगता का निर्माण करना।

7. प्रकृति का संरक्षण विश्व इकाई के रूप में करना।

8. 22 अप्रैल को घोषित विश्व पृथ्वी दिवस के उद्देश्यों को धरातल पर क्रियान्वित करना।

(2) विज्ञान–

ब्रह्माण्ड का निर्माण ऊर्जा और विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। ऊर्जा अपने आप को कई स्वरूपों में विभक्त कर भौतिक स्वरूप ग्रहण करती है और इस भौतिक स्वरूप का निर्धारण या नियंत्रण विज्ञान करता है। विज्ञान की इस विशाल शक्ति की पहचान व उपयोग करने में मानव को कुछ सफलताएँ प्राप्त हुई है। यह सफलताएँ भी कई भौतिक स्वरूपों में विभक्त है जिसका मानव अपनी सभ्यता के विकास में कर रहा है। किन्तु विकास रूपी इस ऊर्जा का उपयोग मानव धीरे–धीरे अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। इस बात की जानकारी उसे है, फिर भी इसे रोक पाने में वह अपने आप को असमर्थ पाता है। विश्व में विकास की प्रतिस्पर्धा ने इसे और भी पेचीदा बना दिया है। इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने और आगे बढ़ने की इस प्रवृति ने कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही कई खतरनाक परमाणुओं और जैविक वायरसों का अविष्कार जो कि वास्तव में अविस्तार व विनाश की स्थिति को निर्मित करेगा। इस प्रतिस्पर्धा ने ग्लोबल वार्मिंग में निरंतर बढ़ोत्तरी कर ग्लेशियर को नुकशान पहुंचाने के साथ ही पृथ्वी के अन्दर मौजूद लावा की गर्मी से पृथ्वी की टिकटेनिक प्लेट्स स्थानांतरित होने से कई भूकंप आते है। सन् 2011 में जापान में आई भूकंप और सुनामी इसका सबसे बडा जीता–जागता उदाहरण मौजूद है।

ऊर्जा मानव विकास और उसके जीवन के लिए अतिआवश्यक है। हाल ही के दिनों में चीन एक नवीन आविष्कार का दावा करते हुए कहा कि वह सूर्य से 12 गुना ज्यादा सूर्य (ऊर्जा का निर्माण) कर सकता है या करेगा। इस ऊर्जा से संबंधित साई फाई (Science Fiction) फिल्म स्पाइडर मैन–2 (Spider Man II) में दिखाया गया गया है। जिसमें ट्रिटियम के फ्यूजन से

सूर्य का निर्माण ऊर्जा पूर्ति के लिए करता है। किन्तु उस फ्यूजन में अत्यधिक मैगनेटिक फील्ड का निर्माण होने के कारण आस–पास मौजूद लोहे से निर्मित समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खीचनें लगता है, और इस फ्यूजन को नियंत्रित करने मे डॉ. ओट्टो ओक्टेवियस असमर्थ रहते हैं। इसके आगे के परिणामस्वरूप हम सभी को ज्ञात है कि आविष्कार आवश्यक है पर उस पर नियंत्रण उससे कही अधिक आवश्यक है।

हर वर्ष 10 नवंबर को शान्ति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसकी शुरुआत 1999 से हुई। जिसे एक बेहतर पहल माना जा सकता है। पर क्या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका आरंभ किया गया है वह कितना सफल हुआ है ? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थिति वैसी ही है। विश्व व्यवहार ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विश्व में जहां एक तरफ शान्ति व शक्ति संतुलन के नाम पर पृथ्वी को ही खत्म करने वाले परमाणुओं का निर्माण किया जा चुका है और हो भी रहा है। इसके साथ ही कई प्रकार के आयुधों का विश्व स्तर पर क्रय–विक्रय जारी है। भारत विश्व का पहला देश बना हुआ है जो सबसे ज्यादा आयुधों का क्रय करता है। वही दुसरी तरफ विश्व में वर्ष भर कही न कही छोटे मोटे युद्ध होते ही रहते हैं। संतुलित विज्ञान के विकास से मानव का विकास छुपा हुआ है। विज्ञान के इस विकास को भी असमानता के सिद्धांत के आधार अन्य देशों को दिया जा रहा है। हम विश्व शान्ति और विकास की बात करते है किन्तु विश्व में असमानता व्याप्त है और यह सर्वभौम सत्य है। विश्व में व्याप्त आर्थिक, राजनीतिक और विज्ञान आदि असमानता को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट संघ के कार्य सराहनीय हैं। किन्तु वह न कभी है। संयुक्त राष्ट्र संघ को कदम उठाने की जरुरत है, पर इस दिशा में वह भी मूकदर्शक के रुप में ही नजर आता है। विज्ञान का विकास तो हुआ पर उस वैज्ञानिक दृष्टि का विकास नही हुआ जिससे सम्मष्टि का विकास हो। हमे सामाजिक विज्ञान का विकास व विस्तार अन्य विषयों की तुलना में अधिक करना होगा। ताकि प्रकृति का अस्तित्व और विकास सतत् चलता रहे।

(3) राजनीति–

विज्ञान, अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इस शक्ति का धारण व नियंत्रण राजनीति करती है। विज्ञान की शक्ति का स्वरुप स्वच्छंद बना दिया गया है। उसकी सोच और योजना का दायरा सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित हो गया है। राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण में जन सम्पत्ति व प्राकृतिक सम्पत्ति को अपने माध्यम से कुछ ही लोगों के हाथों में संचित कर दिया है। विश्व की राजनीति में यही स्थिति बन गई है। विश्व के कुल देशों में से कुछ ही देश अत्यधिक विकसित और अधिकतम जरूरत से ज्यादा पिछड़े हुए है। अच्छी–अच्छी बातें तो बहुत सी सामने आती है किन्तु कार्य उतने ही नदारद रहते हैं। यही स्थिति भारत की है। भारत में 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल सम्पत्ति का 71 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं के एकाधिकार में कर दिया गया है। एशिया में ऐसे कई देश है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी और तकनीकी रुप से बहुत अधिक विकसित है। फिर भी एशिया का सबसे धनी व्यक्ति भारत का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत भुखमरी दूर करने में और भी पिछड़ गया है। 2019 कि रिपोर्ट के आधार पर 119 देशों में से 103 वां स्थान भारत का है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। दुनियां पर कुपोषण कितना भारी है। इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रीयन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2 अरब ऐसे लोग हैं, जो आयरन और विटामिन 'ए' की कमी से जूझ रहा है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति तो और भी दयनीय है। मानव इतिहास के 2 लाख साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रकृति और धरती के साथ हमारा तालमेल एकदम बिगड़ गया है। प्रकृति के संसाधनों को संतुलित रखते हुए संपूर्ण आबादी को अब स्वस्थ आहार नहीं मिल रहा है। समय आ गया है, अगर हम नही बदले तो बचेंगे नहीं।

भारत में विकास के नाम पर व्यापक पैमाने पर राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। लाखों पेडों को राजनीतिक विकास के लिए काटा जा रहा है। मानव

का विकास क्या प्रकृति के विनाश पर निर्भर करता है। एयर विजुयल और ग्रीनपीस द्वारा जारी वायु कि रिपोर्ट में 73 देशों के 3095 शहरों में से सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से भारत के 22 शहर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी रिपोर्ट में भारत का शहर कानपुर विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में एक है। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का फरीदाबाद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी तीसरे स्थान पर है। भारत के अलावा चीन का 5, पाकिस्तान के 2, और बांग्लादेश का एक शहर शामिल है।

भारत में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को जारी करते हुए कहा कि त्योहारों में पटाखों का उपयोग कम करे इससे वातावरण दूषित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के विरोध में दलों के कई नेता सामने आने लगे और कहने लगे कि हमारे धर्म पर रोक लगाया जा रहा है। कोर्ट के इस निर्णय के विरोध स्वरुप खूब आतिशबाजी व पटाखे फोड़े गये। परिणामस्वरुप दिल्ली सहित व जगहों में अनेक विषैली गैसों की मात्रा में बड़ोत्तरी हो गई। विश्व पर्यावरण को दूषित करने के लिए इस समय पेट कोक का बहुतयत उपयोग में लाया जा रहा है। पेट कोक का सफर कनाड़ा से शुरू होता है। कनाड़ा में पाया जाने वाला कोलतार से पेट्रोल–डीजल को अलग कर जो अवशेष बचता है उसे पेट कोक कहते है। इसे दुनियां का सबसे गंदा ईधन कहा जाता है। इसके जलने पर भारी कार्बन, सल्फर और हैवी मैटल से हवा को दूषित करता है। चीन, जिसकी हमेशा कमिया बतायी जाती है पेट कोक के इस्तेमाल पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। किन्तु भारत आज भी पेट कोक का डंपिंग जोन बना हुआ है। आज लगभग 45 देशों से पेट कोक आता है। इसका इस्तेमाल कोई आम आदमी नहीं करता है। इसका इस्तेमाल उद्योगपतियों द्वारा इंडस्ट्री में किया जाता है। भारत सरकार भी इसके इसके इस्तेमाल पर टैक्स छूट देती है और साथ ही जीएसटी के तहत इस पर किये गए खर्च रिफंड देती है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट की प्रमुख सुनीता नारायण का कहना है कि सरकारें सिर्फ सतही कदम उठाकर लोगों का गुस्सा शांत करने जुटी है। जबकि प्रदूषण के निपटने के लिए हमे बडे कदम उठाने होगे। सुनीता नारायण स्पष्टतः कह रही है कि प्रकृति और पर्यावरण को लेकर सरकारों का व्यवहार डुल–मुल ही बना हुआ है। जबकि प्रकृति को संरक्षित करने के लिए उन्हें ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। शोध पत्र में उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शोध में तीन उपकल्पनाओं को लिया गया था जिसमें तीनों उपकल्पनाएं सही सिद्ध प्रतीत हो रही है।

निष्कर्षः–

प्रकृति सर्वोपरि है, इस पर निर्भर सभी जीवों का पोषण करती है। प्रकृति और मानव के मध्य सामाजिक विज्ञान ज्ञान और अनुभव प्रदान कर इनके मध्य बेहतर स्थिति निर्मित करने का प्रयास करता है। किन्तु स्वेच्छाचारिता से परिपूर्ण अल्पवर्ग मानव विकास में बांधाएं निर्मित करने के साथ ही वह प्रकृति के संसाधनों का दोहन समग्रता के नाम पर अत्यधिक कर रहा है जिससे प्रकृति का संतुलन असंतुलित हो गया है और कई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि मानव ने अपने विकास के रुप में विनाश की उत्पत्ति कर लिया है। राजनीतिक दल राजनीति का उपयोग कर इस दिशा में सबसे अधिक भूमिका में है। वर्तमान की राजनीति असमानता की पक्षधर है। यही कारण है कि विश्व में गैर बराबरी के विरोध में संघर्ष जारी है। भारत विकसित देशों से अविकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जिसका परिणामस्वरूप देश भुखमरी की दिशा में अग्रसर हो रहा है। विश्व को एक राष्ट्र बनाने के लिए सबका विकास और सबकी भागेदारी होना आवश्यक है।

सुझावः–

1. विश्व मानवता को उसके विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह और भी अधिक प्रभावी भूमिका में आये और विश्व मानवता में जो गैर बराबरी व्याप्त है उसे खत्म करें।

2. विश्व शिक्षा का स्वरूप ऐसा बनाया जाए जिससे लोगों में समझ और दर्शन का विकास हो।

3. विश्व के उन देशों को चिन्हित कर जहाॅ बेहतर व अधिक खाद्यान्य की पैदावार अधिक व बेहतर होती है उसे अपने क्षेत्राधिकार में लेकर खाद्यान्य की पैदावार कर विश्व की भुखमरी को कम या खत्म करे।

4. विश्व के अधिकतम देशों के नेता अपने–अपने देशों की जनता पर सदैव के लिए शासन करने के उद्देश्य प्रेरित होकर जनता के मूल मुद्दों से हट कर अनावश्यक मुद्दों पर उलझाते रहते हैं। शिक्षा को और भी अधिक बेहतर करने की जरुरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. ख्रीस्टीना बखला, एस. के. वर्मा, के. एन. पाण्डेय, नेहरुलाल प्रधान, सूर्यकांत वैरागी, 2018

प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि (डी. एल. एड. द्वितीय वर्ष–प्रायोगिक) सामाजिक विज्ञान शिक्षण / राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

2. माजिद हुसैन, 2017, मानव भूगोल / रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली

3. डॉ. कुमार नलिन, 2017, विश्व का इतिहास / McGraw Hill Education (India) Private Limited

4. मासिक पत्रिका– विज्ञान प्रगति–अक्टूवर 2019 पृ. सं. 27, 28

समाचार पत्र–

5. पत्रिका– 11 / 12 / 2019 पृ. सं. 08

6. स्टार समाचार– 06 / 12 / 2019 पृ. सं. 01

इन्टरनेट–

7. https://m.thewire hindi.com/article/India-is-at-103 position-in-global-hunger-Index-modi-government/60644

8. http://m. jagran.com/lite/news/nation-ner-air-aqality-Index-show-22-of-the-top-30-most-polluted-cities-in-the-world-are-in-india-jagran-special-19015790.html

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

कन्या भ्रूण हत्या एवं मानवाधिकार

❐ ममता पाण्डेय*

शोध सारांश

महिलाओं को समाज में वांछित स्थान दिलाने में मानवाधिकार विशेष रुप से सक्रिय है। परन्तु ये अधिकार तभी कारगर हो सकते हैं जब हमारे संपूर्ण समाज की सोच, रवैये और पूर्वाग्रह पूर्ण धारणाओं में भी महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखी जाए। हत्या जब लिंग विशेष से जुड़कर जन्म से पहले कन्या भ्रूण की हत्या का रुप धारण कर लेती है तो वह मानव समाज एवं मानव सभ्यता के लिए अपराध बन जाता है।

मुख्य शब्द– कन्या भ्रूण हत्या, मानवाधिकार, लिंगानुपात।

परिचयः–

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। किन्तु फिर भी महिलाओं की स्थिती से संबंधित अनेक सवाल हैं जिनमें कन्या भ्रूण हत्या सर्वोपरि है। यह एक चिंतनीय विषय है। समस्त विश्व के साथ–साथ हमारे देश में भी मातृशक्ति को कमजोर माना जाता रहा है। लिंग भेद पर आधारित पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों पर अत्याचार और यातना की कहानी गर्भ के अंदर से ही प्रारंभ हो जाती है। युनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में गर्भावस्था में बालक शिशुओं की अपेक्षा बालिका शिशुओं का जीवन विश्व के मानदण्डों के अनुसार कम हैं सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत में कानूनी तौर पर भ्रूण के लिंग की जॉच को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद यह लगातार होता जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएँ, शहरी, शिक्षित समूह वर्गो में ज्यादा पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार 0–6 आयु वर्ग में राष्ट्रीय लिंगानुपात 914 है। यह लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 919 तथा शहरी क्षेत्रों में 902 है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि ''सभी मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं तथा गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं । वह तर्क तथा विवेक से सम्पन्न हैं तथा उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। ''मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद–3 में '' प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।'' भारत में मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन के लिए भारत की संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया।

उद्देश्यः–

1. प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत में कन्या भ्रूण हत्या की परिस्थितियों का अध्ययन करना।

2. इस घृणित कार्य को करने के कारण एवं निवारण का अध्ययन करना।

---

* शोधार्थी, अ.प्र.सिंह वि. वि. जिला रीवा (म.प्र.)

3. कन्या भ्रूण हत्या रोकने में मानवाधिकार की भूमिका का अध्ययन करना।

कन्या भ्रूण हत्या के कारणः–

कन्या भ्रूण हत्या के प्रमुख कारणों में वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की चाह, बेटी को बोझ समझने की मानसिकता, महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अशिक्षित होना, कम उम्र में गर्भ धारण करना आदि प्रमुख है। जिनके कारण कन्या भ्रूण हत्या कर जन्म से ही पहले मानवाधिकार का हनन हो रहा है।

विज्ञान और तकनीकी के विकास के उपरांत इस विधि में भी बदलाव आया है कि पहले जन्मी बालिका के अधिकारों का हनन होता था परन्तु वर्तमान समय में यह प्रक्रिया उनके कोख में रहने पर ही प्रारंभ कर दी जाती है। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने गर्भ में पल रहे शिशु के वंशानुगत रोगों तथा अन्य असामान्य विकृतियों को जानने के लिए तथा उनके निदान के लिए एक तकनीकी का विकास किया जिसे एम्नियोसेंटेसिस, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउण्ड कहा गया किन्तु चिकित्सा विज्ञान की इस नई और उपयोगी अविष्कार का गलत इस्तेमाल ज्यादा हुआ। बेटी का अस्तित्व जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर उसके मानवाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं।

गर्भपात का कानूनी प्रावधान–

महिलाओं को असुरक्षित गर्भ के जोखिम से बचाने के लिए गर्भपात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी अधिनियम 1971 के अंतर्गत कानून इजाजत दी गई। इस कानून का उद्देश्य था–

1. यदि अस्वस्थ बच्चे के जन्म की संभावना हो।

2. लगातार गर्भधारण से मॉ के स्वास्थ्य को खतरा हो।

3. गर्भनिरोधक उपाय की विफलता की स्थिती में।

4. बलात्कार के कारण गर्भ ठहरने की अवस्था में।

5. यदि स्त्री बिन ब्याही मॉ बनने वाली हो।

लेकिन ज्यादातर मामलों में इस कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा है।

कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामः–

यदि कन्याओं की संख्या दिन प्रतिदिन इसी प्रकार घटती रही तो यह समस्या और भी विकराल हो जाएगी तथा इसके कई दुष्परिणाम होंगे जैसे कि–

1. नैसर्गिक संतुलन का बिगड़ना।

2. महिलाओं की घटती संख्या से सामाजिक ढ़ांचे में बिखराव।

3. मानवीय मूल्यों का हृास।

4. यौन हिंसा में वृद्धि।

5. बहुपति प्रथा को प्रोत्साहन।

6. घटता लिंगानुपात समलैंगिक सामाजिक दुर्व्यवहार को जन्म देगा।

इस यह तो स्पष्ट है कि कन्या भ्रूण हत्या मानव समाज की प्रतिष्ठा, गरिमा, व्यवस्था तथा मूल्यों के लिए घातक सिद्ध होगा। आवश्यकता है इस समस्या के निदान की।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपायः–

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं–

1. सामाजिक मान्यताओं, दृष्टिकोणों तथा मूल्यों को एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिए।

2. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि कानून की मंशा व्यवहार में प्रभावी तरीके से दिखाई दे।

3. चिकित्सकों को स्वयं नैतिक रुप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए आगे आना चाहिए। ताकि इस अमानवीय कृत्य से मुक्ति मिल सके।

4. महिलाओं में राजनीतिक चेतना का स्तर बढ़ाने की दिशा में गंभीर प्रयास करके इस विडम्बना से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

5. विभिन्न क्षेत्रों के सर्वोच्च स्थानों तक पहुॅची महिलाओं को आगे आना चाहिए ताकि वे समाज को यह संदेश दे सके कि कन्याएॅ पुरुषों से कम नही है।

6. विभिन्न धर्माचार्यों, प्रतिष्ठित समाज– सुधारकों तथा चिकित्सा परिष्द सदृश संगठनों को आगे आकर मानवीय संवेदना को जगाने का प्रयास करना चाहिए।

7. मीडिया द्वारा लोगों में जागरुकता लाना चाहिए।

8. दहेज प्रथा के समाप्ति के प्रति जागरुकता लाना।

9. इस ज्वलंत समस्या के निदान में महिला आयोग, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, मानवाधिकार आयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् आदि संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।

निष्कर्षः–

समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का ही समान महत्व है। समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब व्यक्ति के विकास में मानवाधिकारेां की भूमिका सार्थक रुप से लागू की जाए। सभ्य समाज में दैहिक व मानसिक दोनों रुप से स्त्री के मानवाधिकारों की सुरक्षा पूर्णरुपेण की जाए तो समाज की संस्कृति की रक्षा हो सकती है। कन्या भ्रूण हत्या सीधे–सीधे एक अजन्में शिशु के अधिकारों का हनन भी है। यह भी मानवाधिकार की अवहेलना की श्रेणी में आता है। उस अजन्में बच्ची को भी दुनिया में आने का अधिकार है, अपने माता–पिता के स्नेह का अधिकार है, वे सभी अधिकार प्राप्त है जो जन्म लेने वाले बालक को है। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती को पूजने वाला समाज यदि जननी को जन्म नही लेने देगा तो जगत का सृजन कैसे होगा? इस अमानवीय क्रिया को दूर करने के लिए अनिवार्य है कि देश में महिलाओं के मानवाधिकारों की महत्ता को समझा जाए तथा महिला मानवाधिकार संरक्षण प्रदान किया जाए। पुलिस तथा महिलाओं दोनो को कानून तथा मानवाधिकारों की जानकारी दी जाए। महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार विषय पर संगोष्ठियॉ, सार्वजनिक सम्मेलनों, भाषण, समाचार, लेख आदि सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में सामाजिक जागरुकता लाने के लिए महिलाओं की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। वे शिक्षित होकर अपने मानवाधिकारों को स्वयं समझ सकें तथा व्यर्थ में प्रताड़ित या शोषित होने पर आवाज उठा सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. डॉ. सिंह, संजय संविधान और मानवाधिकार, दिल्ली पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली। संस्करण 2010।

2. डॉ. सिन्हा, आभा रानी मादा भ्रूण हत्या, प्राच्य प्रकाशन, अशोक राजनाथ, चौहट्टा प्रकाशन, पटना।

3. प्रो. त्रिपाठी मधुसूदन भारत में मानवाधिकार, दिल्ली ओमेगा पब्लिकेशन। संस्करण 2010।

4. डॉ. टण्डन, उमा रानी दीयमान भारतीय समाज में शिक्षक आलोक प्रकाशन, लखनऊ।

5. डॉ. जौहरी, रचना महिला उत्पीड़न अर्जुन पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली। संस्करण 2009

6. मौर्य, शैलेन्द्र भारत में महिला मानवाधिकार, जयपुर पब्लिकेशन । संस्करण 2013

7. प्रो. त्रिपाठी, मधुसूदन संविधान और महिला अधिकार, दिल्ली खुशी पब्लिकेशन । 2011

8. योजना सितम्बर 2016।

9. कुरुक्षेत्र जनवरी 2016।

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

''सूतसंहिता का आध्यात्मिक अनुशीलन''

❑ डॉ. बृजेश नाथ ओझा*
❑ कृष्णमणि शुक्ला**

शोध सारांश

पुराण – वाङ्मय भारत की सर्वस्व निधि है। पुराण प्राचीन ऐतिह्य–मंदिर का स्वर्णकलश है। ज्ञान–विज्ञान का सागर है। वास्तव में पुराण अतीत को वर्तमान से जोड़ने की स्वर्ण श्रृंखला है। यह भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं दार्शनिक विचार–सम्पदा का अक्षय–भाण्डार है।

पुराणों ने वेदों की अध्यात्म–विद्या को स्पष्टतया स्वीकृत कर उसे लोक–जीवन में गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। पुराण–ज्ञान के बिना वैदिक–तथ्यों का सम्यक् बोध नहीं हो सकता–''इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्'' यह आभाणक तो प्रख्यात ही है। स्कन्दपुराण स्पष्टरूप से पुराण को वेद की आत्मा स्वीकारता है।

कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना किया, जिनमें स्कन्दपुराण अन्यतम है, जिसकी एक संहिता–सूत–संहिता है। स्कन्दपुराण की समस्त श्लोक–संख्या 81000 है। सूत–संहिता में 6000 श्लोक हैं।

अध्यात्म शब्द अधि–आत्म दो शब्दों के योग से बना है। श्रीमद्भगवद् गीता में इसका प्रयोग ऐकान्तिक सत्ता के लिए किया गया है–''स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते'' (गीता–8.3)।

अपना भाव या स्वरूप अर्थात् जीवात्मा अध्यात्म में दर्शन करना ही अध्यात्म–स्वरूप कहा है–

''अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानर्थदर्शनम्''

यथार्थ का अपने भीतर देखना, अन्वेषण करना ही अध्यात्म है। आत्मा का जानकर उससे एकहोना ही आत्यात्म का स्वरूप पूर्णरूप प्रतिपादित है। अध्यात्म से संबंधित को आध्यात्मिक कहा जाता है।

सूत संहिता में आध्यात्मिक–रहस्य भरे पड़े है, अभी तक इस विषय में अन्वेषण कार्य नहीं हुआ है। अतः गुरुप्रेरणा एवं सरस्वती माता की कृपा से शोध–शीर्षक विनिश्चित किया गया।

पुराणों में वर्णित त्रितापनिवारिणी मुक्ति–मुक्ति प्रदायनी मंगलमयी गाथायें पुराण की महत्ता को पदशः वाक्यशः अभिवाक्त तो करती हैं पुराणों में स्वयं पुराणों की महिमा का गान किया है।

प्रत्येक पुराण के आदि मध्य और विशेष रूप से अन्त में पुराण कार अथवा उसके प्रवक्ताओं में पुराणों की महिमा गान किया है।

स्कन्दपुराण व कूर्मपुराण की महत्ता का कथन करते हुये सेमहर्षण सूत जी ने कहा कि यह ब्राह्मी

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव, जिला–रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

संहिता चारो वेदों से अनुमोदित है। इसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का अशेष्ज्ञ महात्म्य वर्णित है। इससे (इसके श्रद्धा–भक्ति पूर्वक पठन–पाठन एवं श्रवणादि से) परमेश्वर का ज्ञान होता है।

भूतैर्भव्यैर्भविष्यद्भिश्चरितैरुपवृंहितम्।
पुराणं पुण्यदं नृणां मोक्ष धर्मानुकीर्तनम्।।1

सूत संहिता के रूप धारी भगवान् विष्णु ने कूर्म पुराण की महत्ता की प्रतिपादन करते हुये स्वयं कहा है कि– इस कूर्म पुराण में भूत, वर्तमान एवं भविष्य में हुये, हो रहे, होने वाले वृत्तन्तों को विस्तार से बताया गया है। (अर्थात् यह पुराण सार्वकालिक है।) यह पुराण मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला और मोक्ष ध र्म का वर्णन करने वाला है।

सूत जी ने ऋषियों से कूर्म पुराण की गरिमा–महिमा का बखान करते हुये कहा कि– यह श्रेष्ठ स्कन्दपुराण रूपधारी विश्वयोनि साक्षात् देवों के आदि देव श्री विष्णु के द्वारा कहा गया है।

एतत् पुराणं परमं भाषितं कूर्म रूपिणा।
साक्षात् देवादि देवस्य विष्णुना विश्वयोनिना।2

जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक इस स्कन्दपुराण को पढ़ता है–सुनता है, वही सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। आगे कहा जो पुरुष शास्त्रानुसार ब्रत निष्ठ होते हुये इस पुराण का हाँथ से लिखकर वैज्ञाख मास में वैदज्ञ ब्राह्मण को दान करता है उसके पुण्य से वह सभी पापों से रहित और सभी ऐश्वर्यों से सम्पन्न होते हुये मृत्यु के बाद प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुन्दर भागों का स्वर्ग में भोग करता है, अनन्तर स्वर्ग से इस लोक में आकर ब्राह्मणों के उत्तम वंश में उत्पन्न होता है और पूर्व जन्म के उत्तम संस्कारों की महिमा के कारण ब्रह्मा विद्या को प्राप्त कर लेता है।

ततः स्वर्गात् परिभ्रष्टो विप्राणां जायतेकुले।
पूर्व संस्कारमाहात्म्याद् ब्रह्मविद्यामवाप्नुयात्।।3

इतना ही नहीं इस पुराण के एक अध्याय के पाठ करने (सुनने से भी) से भी सभी पापों से मुक्ति हो जाती है, ओर जो इसके अर्थ पर ठीक–ठीक विचार करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है।

सूत जी ने ऋषियों से कहा कि ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का अध्ययन और श्रवण करना चाहिये। पुराण महत्व को बताते हुये उन्होंने कहा कि एक ओर सभी इतिहास–पुराणों को (शास्त्रीय महत्व विचारणा की कसौटी पर) रखा जाय ओर दूसरी ओर इस श्रेष्ठ पुराण को रख जाय तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। इसलिये जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहता है और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों, उनके लिये एक मात्र इस पुराण को छोड़कर और कोई उपाय नही है।

धर्म नैपुण्यकामानां ज्ञान नैपुण्यकामिनाम्।
इदं पुराणं मुकत्वैकं नास्त्यन्यं साधनं परम्।।4

इत्यादि बहुत सी बाते इस पुराण में माहात्म्य के सम्बन्ध में सूतजी ने ऋषियों को बताया। सूतजी ने पुराण की कही महिमा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस पुराण के उपदेष्टा प्रस्तोता और श्रोताओं की एक लम्बी परम्परा बताई। जिसमें प्रथम उपदेष्टा कूर्म रूप श्री विष्णु तथा प्रस्तोता, श्रोता के रूपके देवर्षि नारद, महर्षि गौतम पराशर, पूर्व काल में ब्रह्मा सनक, सनत्कुमार, देवल, पंचशिख, महर्षि वेदव्यास आदि को बताकर पुराण के माहात्म्य की और उपादेयता को संकेतित किया।

द्वितीय बिन्दु ''कूर्म पुराण की उपादेयता'' है–इस पुराण में प्रतिपाद्य आद्यन्त विषयों पर यदि गम्भीरता से विचार किया जाय जिनका इस शोध पत्र में उल्लेख किया गया है कि पुराण की उपादेयता अतिशायी स्वतराम सिद्ध हो जाती है। इस पुराण में भौतिक, ध ार्मिक एवं आध्यात्मिक आदि विविध पक्षों पर इतना अधिक और गम्भीर विचार किया गया है, जितना सायद किसी पुराण में किया गया है। सूत जी ने तथा स्वयं श्रीहरि कूर्म देव ने इस पुराण की उपादेयता का अनेकशः वर्णन किया हैं। सूत जी ने नैमिषाख्य वासी ऋषियों से पौराण की कथा प्रसंग में कहा कि इस सूत संहिता पुराण का सुनना एवं सुनकर प्रतिपाद्य विषयों का मनन, चिन्तन और अनुवर्तन, और शास्त्र विधि से इसका कथन करना, मनुष्यों को यश, आयु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदाय, कृत कृत्य करने वाला तथा पुण्य जनक होता है।

यदि पूरा पुराण नहीं पढ़ा सुना तो भी यदि एक अध्याय का अच्छी तरह से पाठ कर श्रवण कर उसका सम्यक् अनुपालन से भी व्यक्ति को ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मनुष्य जीवन की यही तो उपादेयता कि उसे इस लोक में यश; आयु, घन, धर्म आदि की प्राप्ति हो मरने के बाद उसे मोक्ष = ब्रह्मपद की प्राप्ति हो जो इस पुराण से अनुशीलन अनुवर्तन से सारयेन प्राप्त हो सकती है यही इस पुराण की महती उपादेयता कही जा सकती है। सभी पुराणों का प्राकट्य ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ कलान्तर में भिन्न –भिन्न ऋषियों के द्वारा उनकी प्रस्तुति की गई। द्वापर के अन्त में वेदव्यास जीने सभी को सुव्यस्थित का 18 पुराण 18 उपपुराण के रूप में प्रस्तुत किया परन्तु कूर्म पुराण की कथा को आदि प्रवक्ता, स्वयं कूर्म कूर्मरूप श्रीहरि हैं उन्हीं के मुखारविन्द से यह पुराण निसृत है।

जो कथा स्वयं परमात्मा के द्वारा कही गई हो उसकी उपादेयता, महत्ता की इयत्ता सम्भव ही नहीं है, उसकी उपादेयता केवल नेति नेति इन शब्दों से ही कही जा सकती है।

सभी पुराणों की तरह यह सूत संहिता का अनुशील पुराण भी सर्ग प्रति सर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित इन पुराणीय लक्षणों से समन्वित है। फिर भी इसमें कुछ मानव जीवन विशेष रूप से समसामयिक समाज के समुत्कर्ष तथा तनातन धर्म को सम्वृद्ध बनाने आदि के लिये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया जिनका अन्य पुराणों में सामान्य रूप से उल्लेख है। वर्णाश्रम धर्म तथा सामान्य धर्मों, सदाचार आदि का विस्तृत वर्णन ही नहीं उन्हें ही लौकिक, पारलौकिक अभ्युदय एवं मोक्ष प्राप्त मुखा साधन माना गया जिससे ऐसा लगता है। जैसे यह मनुस्मृति आदि धर्मग्रन्थों का कोई वृह्द संस्करण हो। द्वीपों, उपद्वीपों, वर्षों, नदी वन, पर्वतों, समुद्रों का ऐसा सोंगोपांग वर्णन इस पुराण में है जिससे यह एक सुपरीक्षित भोगशास्त्र की तरह प्रतीत होता हैं सूतसंहिता के अनुशीलन के उपरि विभाग में वर्णित ईश्वर गीता अध्यात्म और येागशास्त्र का एक अद्भुत प्रदेय है।

इस पुराण की सबसे महनीय उपादेयता साम्प्रदायिका समन्वय हैं इस पुराण में दृढ़ता से जितना इस पर बल दिया गया किसी पुराण में नहीं है। जिसको समसामयिक उपादेयता महनीय हैं इस पुराण को भगवान् विष्णु शिव को एक ही परमतत्त्व अनेकशः व्यक्त किया गया है तथा सभी को लिये त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, वस्तु शिव) की आराधना की अनिवार्यता बताई गई।

इस प्रकार यदि सूत संहिता के अनुशीलन में वर्णित विषयवस्तु पर सम्यक् दृष्टि डाली जाय तो यह पुराण लघुकाय उपलब्ध होते हुये भी इसकी उपादेयता कई दृष्टियों से अन्य पुराणों सर्वातिशायी है।

संदर्भ स्रोत :–

1. डॉ. बल्देव उपाध्याय (ई.2007): पुराणविमर्श, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी, (उ.प्र.)

2. पं. ज्वाला प्रसाद (वि.सं. 1962) अष्टादश पुराण दर्पण, खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन मुम्बई

3. डॉ.सिद्धेश्वर नारायण (ई.1966) पौराणिक धर्म एवं समाज, पंचनद प्रकाशन, इलाहाबाद(उ.प्र.)

4. डॉ. बल्देव उपाध्याय (ई. 1964) भारतीय संस्कृति का विकास, ज्ञानपीठ वारणसी (उ.प्र.)

5. स्वामी अखण्डानन्द (ई. 1978) नारद भक्ति दर्शन, सत्साहित्य प्रकाशन वाराणसी (उ.प्र.)

6. डॉ. कृष्णमणि त्रिपाठी(ई.1997) पुराण पर्यालोचनम्, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी (म.प्र.)

7. डॉ. जयदेव देदांगकार (ई. 1997) उपनिषदों का तत्वज्ञान, भारतीय विद्या प्रकाशन दिल्ली

8. विद्यारण्य (ई.1913) जीवनमुक्ति विवेक, चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी (म.प्र.)

1. कूर्म पु. पू. 2/2
2. कूर्म. उ.वि. 44/122
3. कूर्म. पु. उ.वि. 44/12
4. कूर्म.उ. 44/130

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

रामायण के सन्दर्भ में पिता के प्रति पुत्र के करणीय कर्तव्य का अध्ययन

❒ सुनीता शर्मा*
❒ डा. सूर्यनारायण गौतम*

शोध सारांश

महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम न केवल एक कुशल योद्धा, अनुशासक व परमवीर सम्राट है, बल्कि वे कुशल वक्ता और उपदे ष्टा भी हैं। वे सांसारिक सम्बन्धों के निर्वहन के प्रति सजग हैं, उन्होंने इसके लिए केवल कोरा उपदेश ही नहीं परोसा है, बल्कि उसे स्वयं भी जीकर अपने सभी भक्तों अनुयाइयों को जिन्होंने स्वयं उनकी ही भक्ति में डूबकर धर्म और नीति का परित्याग कर रहे थे उन्हें ऐसे सुगम और सरल मार्ग का उपदेश किया जिससे न केवल उनके उन भक्तों का कल्याण हो सका बल्कि जो आज भी राम की भक्ति में तल्लीन हैं किन्तु राम के उपदेश ज्ञान से विमुख हैं वे भी यदि राम द्वारा प्रतिपादित उपदेश को हृदयगंम करेंगे तो अवश्य ही उन्हें भी वही लाभ प्राप्त हो सकगे । जो तात्कालिक राम भक्तों को प्राप्त हुआ था।

आज आधुनिक होते जा रहे समाज में सांशारिकता, भौतिकता ने इतना अधिक वर्चस्व स्थापित कर लिया है कि वृद्धावस्था को प्राप्त होते जा रहे बुजुर्गों को घर में स्थान नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जिसके चलते वे वृद्धाश्रमों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति नहीं है। यदि रामायण में वर्णित श्रीराम के उपदेशों को हृदयगंम कर लिया जाय तो सम्भव है कि यह समस्या ही समाप्त हो जाय।

शब्द कुंजी– राम का चरित्र, पिता के प्रति कर्तव्य।

जब श्रीराम के पिता महाराज दशरथ ने श्रीराम को वनवास दे दिया तथा राम भी पिता के वचनों को सत्य करने के लिए सहर्ष वन में जाने की तैयारी करने लगे तो इस घटना से दुःखी होकर उच्चस्वर से विलाप करती हुई श्री राम की माता कौशल्या को देखकर लक्ष्मण ने उस समय की परिस्थिति के अनुसार श्रीराम से अपने मन की बातें कहीं–

''बड़ी माता ! इस समय मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा कि, श्री राम इस राज्यलक्ष्मी का परित्याग करके उनके कहने पर वन में चले जायें जो स्त्री के बहकावे मे आकर अनर्गल और अनुचित बात कह रहे हैं।1 बड़ी माता! देखो तो सही, वृद्धावस्था में भी विषयों ने जिन्हें पकड़ रखा है, वे विषयों में आसक्त हैं, अतः इस समय उनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। वे कामदेव के ऐसे

* शोधार्थी–संस्कृत विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू (राज.)
** प्रोफेसर–संस्कृत विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू (राज.)

वशीभूत हुए कि कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते हैं ? अर्थात् वे धर्म–अधर्म, न्याय–अन्याय, सत्य–असत्य आदि बातों का विचार बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं।2

''पिता ने श्रीराम को जो वनगमन की आज्ञा दी है उसके विषय मे मुझे तो श्री रघुनाथ मे ऐसा कोई भी अपराध या दोष नहीं दिखाई दते ा है, जिससे इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाय और वन में निवाश करन` के लिए कहा जाय। लक्ष्मण को पिता द्वारा राम को वनवास का दिये जाने का औचित्य समझ में नही आता है''3

वे बारम्बार यही कहते हैं कि मेरी दृष्टि में संसार में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है, जो इनका बहुत बड़ा शत्रु एवं इनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में इनके किसी भी प्रकार के दोष का उदाहरण या प्रमाण दे सके। अर्थात् किसी भी दोष को बता सके।4 संसार में धर्म को भलीभाँति समझने वाला ऐसा कौन राजा या पिता होगा, जो देवतुल्य, शुद्धहृदय, मृदुस्वभाव, जितेन्द्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखनेवाले जिसका किसी से किसी प्रकार का द्वेष ही नही है, ऐसे पुत्र को अकारण ही परित्याग करेगा।5 मैं तो यह समझता हूँ कि महाराज इस समय फिर से बचपन` को प्राप्त हो चुके हैं, अतः ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ज्ञान रखनेवाला कौन सा पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है।

अर्थात् उनकी बात को मानेगा?6 वे राम से कहने लगे कि, जब तक कोई भी मनुष्य पिता द्वारा दिये गये आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, उसके पूर्व ही आप मेरी सहायता से इस राज्य की शासन सत्ता को पिता जी के हाथों से अपने हाथ में ले लीजिए।7

हे रघुवीर ! जब मैं आपकी रक्षा के लिए धनुष लेकर आपके पास डटा रहूँगा और आप काल सदृश युद्ध के लिए डट जायेंगे, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकेगा?8

नरश्रेष्ठ! यदि नगरवासी अकारण ही राजा के कहने पर द्वेषवश आपके विरोध में खड़े होंगे तथा आपका विरोध करेंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से समस्त अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूँगा। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा जो उचित और अनुचित का विचार त्याग देगा, उन सबका मैं वध कर दूँगा, क्योंकि प्रायः यही देखा जाता है कि जो विनम्र होता है उसकी ही सभी जन अवहेलना या तिरस्कार करते हैं, उसके सीधेपन का अनुचित लाभ उठाते हैं।9

यदि कैकेयी के प्रोत्साहित करने पर अपने विवेक को छोड़कर और उसकी बातों से सन्तुष्ट होकर पिता जी मोह–ममत्व का परित्यागकर हमारे शत्रु बन गये हैं तो उनके समान ही हमें भी उनके प्रति मोह–ममता का परित्याग कर अब इनका निश्चितरूप से वध कर देना चाहिए।10 क्योकि मेरा अनुभव है कि यदि गुरु अर्थात् श्रेष्ठजन भी मद में अथवा अनावश्यक दवाव मे आकर कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान खो वैठे और कुमार्गी हो जाय तो उसे भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है। यह राजनीति शास्त्र का आदेश है।11 पिता जी की यह बात मेरी समझ मे नही आती है कि महाराज किस बल का आश्रय लेकर अथवा किस कारण से और किस अपराध को सामने रखकर आपको न्याय से परम्परागत प्राप्त हुआ यह राज्य अब अचानक ही आपके स्थान पर कैकेयी पुत्र भरत को देना चाहते हैं ?12

पुनः लक्ष्मण ने माता कौशल्या से कहा–माता! मैं सत्य, प्रिय धनुष, दिये हुए दान तथा अपने हाथों से किये हुए यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सत्य वचन कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है।13

आज मैं उस पिता को जो अज्ञानता वश कैकेयी में आसक्तचित्त होकर दीन बन गये हैं, उचित अनुचित का ज्ञान छोड़कर बालभाव में स्थित हो गये हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निन्दित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य ही मार डालूँगा।14

जब लक्ष्मण जी श्रीराम से इस प्रकार आवेशित अपनी बातों को कह चुके जो श्रीराम भक्ति से सनी हुई थी, तब महामनस्वी क्रुद्ध लक्ष्मण के इन ओजपूर्ण वचनों को सुनकर शोकमग्न एवं करुणविलाप करती हुई माता कौशल्या को भी लक्ष्मण की बातें उचित प्रतीत होने लगीं। उन्होंने भी श्री राम से कहा।15 पुत्र राम! तुमने अपने अनुज लक्ष्मण की कही हुई सारी

बातें सुन लीं हैं, यदि तुम्हें वे बातें उचित समझ में आये तो अब इसके पश्चात् तुम जो कुछ भी करना उचित समझो, उसे करो।16

हे धर्मिष्ठ! तुम धर्म को भलीभाँति जानने वाले हो और धर्म का आचरण करने वाले हो इसलिए यदि तुम इस समय धर्म का पालन करना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगी कि, यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार मातृ सेवा रूपी परम उत्तम धर्म का पालन करो। क्योंकि इस समय यही तुम्हारा सर्वोत्तम धर्म है।17

इतिहास साक्षी है, कि पूर्वकाल में अपने घर में हीं नियम पूर्वक रहते हुए श्रद्धा, भक्ति के द्वारा माता की सेवा करने वाले काश्यप ऋषि उत्तम तपस्या का फल प्राप्तकर स्वर्गलोक को जीत लिया था। अर्थात् स्वर्ग मे अपना स्थान बना लिया था।18

हे पुत्र ! जैसे पिता के गौरव के कारण राजा तुम्हारे लिए पूज्यनीय हैं, उसी प्रकार मैं भी माता होने के नाते तुम्हारे लिए श्रेष्ठ एवं पूज्यनीय हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहां से वन में नहीं जाना चाहिए।19 क्योंकि तुम भी यह जानते हो कि तुम्हारे विना मेरे लिए जीवित रहना अथवा सुखभोग करना व्यर्थ है और तुम्हारे साथ रहते हुए वैभवहीन होकर भी तिनके चबाकर रहना मेरे लिये श्रेयष्कर व सुखदाई है।20

यदि तुम मुझे इस समय मेरी बातों पर ध्यान न देकर शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मै तुम्हारे वियोग में अन्नजल का परित्याग करके प्राण त्याग दूँगी, किन्तु तुम्हारे विना जीवित नहीं रह सकूँगी।21

माता की करुणा एवं दुःखभरी ऐसी बातों को सुनकर जो धर्ममार्ग मे बाधा पहुँचा रही थी जैसे कोई विशाल गजराज किसी अन्धकूप में पड़ जाय और लोग उसे जलते हुए लुआठों से मार–मार कर पीड़ित करने लगें उस दशा में वह भयानक क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता कौशल्या का बारम्बार करुण विलाप सुनकर आवेश में भर गये। माता कौशल्या के दुःखभरे शब्दों को और लक्ष्मण के भ्रातृभक्ति सें सने किन्तु आवेशयुक्त वचनों सुनकर श्रीराम ने समझाते हुए कहा–

तब श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा– लक्ष्मण ! मैं यह जानता हूँ, कि तुम सदा ही मुझसे अनन्य प्रेम रखते हो और तुम्हारा पराक्रम भी कितना महान् है, यह भी मुझसे छिपा नहीं है तथापि तुम मेरे धर्मानुकूल अभिप्राय की ओर ध्यान नही दे रहे हो और माता जी के साथ मिलकर तुम स्वयं भी मुझे दुःखी कर रहे हो। इस प्रकार तुम मुझे अत्यन्त दुःख में मत डालो। इस जीव जगत में पूर्वजन्म में किये गये धर्माचरण के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब के सब जहा धर्म है, वहा अवश्य प्राप्त होते हैं–इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है। वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि–सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है। प्रेयसी रूप में काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तमलोक की प्राप्तिरूप अर्थ की साधिका होती है।

जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थ समाहित न हों, उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए, विशेषकर जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उस कार्य को अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य अपने इस अमूल्य जीवन में केवल अर्थ परायण होता है, वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्मविरुद्ध काम में अत्यन्त आसक्त होने से उसकी प्रसंशा नहीं वल्कि बहुत ही निन्दा होती है। (वह सबके घृणा का पात्र भी बनता है)

महाराज हमलोगों के गुरु, माता और पिता होने के साथ ही बड़े–बूढ़े सम्माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, प्रसन्नता से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें उनकी बात को धर्म समझ कर अवश्य ही उसका पालन करना चाहिए। लक्ष्मण! मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि जिसके आचरणों में कठोरता नही है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा।

इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत् पालन करने से मुँह नही मोड़ सकता। तात लक्ष्मण! वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माताजी के तो वे ही पति,गति तथा साक्षात् धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने

धर्ममय मार्गपर स्थित हैं ऐसी दशा में माता जी, उनका परित्याग कर आप जैसे दूसरी कोई पतिविहीन (विधवा) स्त्री पुत्र के साथ रहती है, उस प्रकार मरे` साथ यहाँ से वन मे कैसे चल सकती हैं।

अतः देवि! तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्तिवाचन करो जिससे वनवास की अवधि समाप्ति होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा मे आ जाऊँ। जैसे राजा ययाति पृथ्वी का भोग भोगकर सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट गये थे। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदेने वाले धर्मपालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढ़केल सकता। माता जी! यह जीवन अनित्य है यह अधिक काल तक इस संसार में रहने वाला नही है इस अनित्य जीवन के लिए मै आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य नही लेना चाहता।

निष्कर्ष –

वाल्मीकि रामायण आर्यावर्त का गौरव व विश्व का पथ प्रदर्शक है। लक्ष्मण के आवेश और कौशल्या की ममता ने भी राम को उनके कर्तव्य से वंचित नही कर सके। अपने धर्म में अडिक रहकर ही मनुष्य लोक और परलोक का भागी बन सकता है। उसी से संसार में सुख है।

सन्दर्भ :–

1. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 2
2. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 3
3. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 4
4. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 5
5. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 6
6. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 7
7. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 8
8. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 9
9. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 11
10. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 12
11. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 13
12. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 14
13. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 16
14. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 19
15. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 20
16. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 21
17. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 23
18. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 24
19. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 25
20. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 26
21. अयोध्याकाण्ड सर्ग 21 श्लोक 27

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

भारतीय राजनीतिक प्रणाली एवं शासन

❒ डॉ. (श्रीमती) अरुंधति शर्मा*

शोध सारांश

राजनीतिक व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है जो किसी देश के शासन से संव्यवहार करती है और लोगों से इसका संबंध प्रकट करती है। राजनितिक कुछ मूलभूत सिद्धांतों का समुच्चय है जिसके इर्द–गिर्द राजनीति और राजनीतिक संस्थान विकसित होते हैं या देश को शासित करने हेतु संगठित होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे तरीके भी शामिल होते हैं जिसके अंतर्गत शासक चुने या निर्वाचित होते हैं, सरकारों का निर्माण होता है तथा राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। समाज में राजनीतिक पारस्परिक विमर्श तथा निर्णय–निर्माण की संरचना एवं प्रक्रिया सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था में समाहित होते हैं। व्यक्ति की बहुविध जरूरतों की पूर्ति हेतु राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है।

संविधानवाद की अवधारणा एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो एक संविधान के अंतर्गत शासित होती है और जो आवश्यक रूप से सीमित सरकार और कानून के शासन को प्रतिबिम्बित करती है तथा एक मध्यस्थ, कुलीनतंत्रीय, निरंकुश तथा अधिनायकवादी व्यवस्था के विपरीत होती है। किसी देश का संविधान राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत ढांचे की स्थापना करता है जिसके द्वारा लोग शासित होते हैं। यह विभिन्न अंगों–विधानमण्डल, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना के साथ–साथ उनकी शक्तियों, जिम्मेदारियों एवं उनके एक–दूसरे के साथ और लोगों के साथ संबंधों को विनियमित करती है। इसलिए संवैधानिक सरकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है।

सरकार के प्रकार का वर्गीकरण एक देश की शासन व्यवस्था की शक्ति संरचना की सामान्य तस्वीर पेश करता है। विश्व में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था हैं जो एक–दूसरे से भिन्न हैं। विभिन्न प्रकार की सरकारें विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को अंगीकृत किए हुए हैं। विभिन्न प्रकार की सरकारों का अंतर्गत– एकात्मक, संघात्मक, लोकतांत्रिक, कुलीनतंत्रीय एवं अधिनायकवादी इत्यादि आती हैं। जहां एक ओर एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां एक केंद्रीय प्राधिकारी में निहित होती हैं तथा देश की सभी स्थानीय अधीनस्थ इसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एवं न्यूजीलैण्ड एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी ओर संघात्मक व्यवस्था में कठोर एवं लिखित शासन होता है। इसमें संविधान द्वारा विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों का स्पष्ट विभाजन विभिन्न अंगों को किया जाता है।

एक अधिनायकवादी या निरंकुश सरकार में लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किए बिना तथा उनकी सहमति लिए बगैर फैसले लिए जाते हैं। अधिनायकवादी

* विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, सी. एम. दुबे स्नातकोत्तर, महाविद्यालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

राजव्यवस्था का आधार, असहमति के प्रति असहिष्णुता एवं शासक हमेशा सही होने की अवधारणा है। एक संपूर्ण राजतांत्रिक व्यवस्था सामान्यतः वंशानुगत होती है। वर्तमान समय में कई देशों– यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नार्वे, बेल्जियम, जापान, थाइलैण्ड, डेनमार्क, नीदरलैण्ड, स्पेन एवं मोनाको आदि में वंशानुगत शासक है, जो केवल संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष हैं जब कि वास्तविक शक्तियां जन–प्रतिनिधियों को हस्तांतरित की गयी है। हालाँकि कुछ राज्य हैं जहाँ सम्पूर्ण राजतांत्रिक व्यवस्था है और यह अधिनायकवादी शासन व्यवस्था की तरह ही होती है। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन व्यवस्था, अध यक्षात्मक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक संसदीय व्यवस्था इत्यादि भी होती हैं।

वस्तुतः विभिन्न अवधारणाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं विभिन्न प्रकार की सरकारों का विश्लेषण करने के पश्चात् कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक मूल्य, जनसंख्या प्रकृति, सामाजिक–आर्थिक संरचना एवं उपलब्ध प्रशासनिक प्रतिभा एवं साधनों के अंतर्गत अपनी शासन व्यवस्था की नींव रखता है। राजनीतिक व्यवस्था की सफलता देश विशेष की आवश्यकताओं की सर्वोत्तम पूर्ति पर निर्भर करती है।

भारत, राज्यों का संघ, एक प्रभुसता संपन्न, ध र्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें शासन की संसदीय व्यवस्था है। भारतीय राजव्यवस्था संविधान के संदर्भ में शासित होती है, जिसे 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और 26 जनवरी, 1950 की प्रवृत्त किया गया। अमेरिका एवं ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की तरह, जो सदियों से अपने वर्तमान रूप में मौजूद है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटेन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और 1950 में भारत के संविधान की उद्घोषणा के पश्चात् स्थापित हुई।

जनांकिकीय एवं भौगोलिक रूप से, भारत बेहद विशाल एवं विविधताओं वाला देश है। यहां शासन की संघीय व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, यहां 28 राज्यों एवं सात संघ शासित प्रदेशों में सरकारें एवं प्रशासनिक व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के बावजूद अधि ाकतर शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं।

भारत के संविधान में, जापान के संविधान के विपरीत, जहाँ कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, अत्यधिक संविधान संशोधन किए गए हैं। अभी तक 100 संविधान संशोधन (जून 2015 तक) किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान की कई विशेषताएं हैं जैसे, लिखित एवं विशाल संविधान, संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय शासन प्रणाली, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव, ऐकिकता की ओर उन्मुख परिसंघ प्रणाली, सार्वजनिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, इत्यादि।

एक राजनितिक व्यवस्था आखिरकार संस्थाओं, हित समूहों (राजनीतिक दल, व्यापार संघ, मजदूर संघ, लॉबी समूह) का सम्मुचय होती है तथा उन संस्थाओं के मध्य आयाम प्रदान करती है। भारत में विधायिका विधि–निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, दूसरी और कार्यपालिका को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और न्यायपालिका विधि प्रवर्तन एवं संविधान समीक्षा का कार्य करती है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण की स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था न होते हुए भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्यशील है, हालांकि इसकी अमेरिका जितनी कठोर व्यवस्था नहीं है।

शासन में जनसहभागिता बढ़ाने और बेहतर शासन के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राजव्यवस्था के माध्यम से अपनाया गया है। संविधान संशोधन (78वें एवं 74वें) के माध्यम से इसे सशक्त किया गया है।

बेहतर शासन एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार, मनरेगा एवं ई–शासन जैसे क्रांतिकारी अधिनियमों एवं युक्तियों की व्यवस्था की गई है। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता की वकालत एवं प्रावधान करता है। भारत का संविधान देश की सामाजिक–आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् में है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि ा होता है। संविधान विधायी शक्ति को संसद एवं राज्य विधान मंडलों में बांटता है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संसद संविधान के आधारिक लक्षणों में संशोधन नहीं कर सकती।

इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। जो अधिकाधिक जनसहभागिता की संकल्पना को सशक्त करती है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है।

राजनीति में हिस्सा लेने का आधार धर्म नहीं है और न ही धर्म के आधार पर शासन में ही कोई भेदभाव किया जाता है। भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह द्विदलीय नहीं, वरन् बहुदलीय पद्धति है। सबसे बढ़कर भारतीय राजव्यवस्था में शासन सूत्र जनता के हाथ में है। बहुमत के आधार पर चुने हुए जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है। वयस्क मताधिकार का सिद्धांत स्वीकार किया गया है और सभी लोगों को आत्म विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। अतः भारत में राजनीतिक व्यवस्था खुली है।

निष्कर्षतः उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में शासन के अस्तित्व का आधार सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि के लिए माना जाता है। सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि के लिए राज्य कतिपय संस्थाओं का निर्माण करता है। इन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च होता है। वे कर्तव्य भावना से अभिप्रेरित होकर जनता की सेवा को अपना अभीष्ट बना लेते हैं। राजकीय सेवा में कार्यरत ऐसे ही लोक सेवकों से उदार–लोकतंत्र शासन के मूल्य सुदृढ़ होते हैं। किंतु पिछली शताब्दी में राज्य और लोक प्रशासन का सभी देशों में जो विशाल ढांचा खड़ा किया गया, उसमें प्रशासन तथा नौकरशाही तो थी लेकिन गवर्नेस कहीं भी दिखाई नहीं देता।

हाल के वर्षों तक गवर्नेस कार्य सरकार का विशेषाधिकार माना जाता था, क्योंकि उसके पास संप्रभु शक्ति थी। बाद में व्यापारिक निगमों की दुनिया में भी कॉरपोरेट गवर्नेस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।

हमारे संविधान में वर्णित आर्थिक, सामाजिक एवं राजनितिक स्वतंत्रता एवं न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन एवं सु–शासन का अत्यधिक एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व है। भारत में प्रशासनिक सुधार के इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी प्रशासन के बुनियादी ढांचे और कार्य करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर नहीं आ पाया है। इसके लिए पुरातन एवं अनावश्यक घिसी–पिटी प्रक्रियाओं को बदलना होगा, नौकरशाही की मनोवृत्तियों को बदलकर उसे उद्देश्यपरक बनाना होगा तथा साथ ही समग्र एवं समावेशी प्रयत्न करने होंगे।

भारत में सु–शासन के प्रयास में सूचना क्रांति ने एक शक्तिशाली उपकरण का कार्य किया है। ज्ञातव्य है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ई–प्रशासन, ई–शिक्षा, ई–व्यापार, ई–वाणिज्य, ई–मेडिसिन आदि अन्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सूचना प्रौद्योगिकी की प्रभावशाली भूमिका में महत्वपूर्ण प्रगति देखी जा सकती है।

ई–गवर्नेस के अंतर्गत सरकारी सेवाएं एवं सूचनाएं पहुंचाने में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ई–प्रशासन के माध्यम से शासन को सरल, नागरिकोन्मुख, पारदर्शी, जवाबदेह एवं त्वरित बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. द पब्लिक एजेंडा – अंक ४–५ बिकास मुखर्जी द्वारा एम. पी. प्रिंटर्स, बी–220, फेस–2, नॉएडा–201305 (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित तथा वैदेही कॉम्प्लेक्स, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रांची झारखण्ड से प्रकाशित।
2. शुक्रवार–प्रकाशक व मुद्रक केसर सिंह द्वारा पर्ल्स न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए एम.पी. प्रिंटर्स, बी–220, फेस–2, नॉएडा–201301 (उत्तरप्रदेश) से मुद्रित व 705, मँजूसा बिल्डिंग, 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 से प्रकाशित।
3. लोकायत 1–15 नवम्बर 2014–मुद्रक एम.के. तिवारी द्वारा श्रीवृन्दावन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ई–34, सेक्टर–7, नॉएडा (उत्तरप्रदेश) से मुद्रित कराकर, 193, पॉकेट–डी, मयूरविहार, फेस –2, दिल्ली–91 से प्रकाशित।
4. कुरुक्षेत्र–ए.के. दुग्गल, सहायक विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक–प्रकाशन विभाग रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली।

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

रामचरितमानस कालीन भातृप्रेम और आधुनिक भातृप्रेम : एक तुलनात्मक अध्ययन

❒ जयप्रकाश शिवशंकर तिवारी*

शोध सारांश

किहअ बेगि जेहि विधि रिसि जाई, मुनि नायक सोई करों उपाई (चौ. बालकाण्ड)

प्रसंग के अगली कड़ी में जनक जी दशरथ जी को चिट्ठी भेजते हैं। भरत जी तथा छोटे भाई शत्रुघ्न जहाँ खेल रहे थे वहाँ से समाचार पाकर आ गए। बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे–पिताजी! चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कहिये किस देश में कुशल हैं? स्नेह भरे वचन सुनकर रजा ने वह चिट्ठी बाँचकर सुनाई।

कुशल प्राणप्रिय बंधु दोउ, अहहिं कहहिं केहीं देस
सुनि स्नेह साने वचन, बाची बहुरि नरेश।।

(दो. 290 बालकाण्ड)

चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। दशरथ जी ने चिट्ठी वाहक को पूछा दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? रजा के वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगे और बोले

सुनहु महीपति मुकुटमनि, तुम्ह सैम धन्य न कोउ
रामु लखनु जिन्ह के तनय, विस्त विभूषन दोउ

(दो. 291 बालकाण्ड)

स्थिति ये है कि दूतों ने कहा कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष–सिंह त्रिलोक में प्रकाश स्वरूप हैं जिनके यश और प्रताप के आगे चन्द्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। अब विदाई के समय चारों भाई महल में जाते हैं, सब प्रसन्न हैं।

आहुनिक भाई :

संत सूरदास ने कहा, "भाई अर्थात जो भय का हरण करे। जो भय पैदा कर दे वह भाई भयकर।" जो भय का हरण करने वालों की कतार में है वो राम के पक्षधर यानि अच्छाई की मंजिल के राही हैं। जो भय पैदा करने वालों की कतार में हैं वो निःसंदेह रावन के पक्षधर यानि बुरे के मंजिल के राही हैं। रामचरितमानस कालीन एक समाज की रचना जब सुकुमार पुत्रों को रजा ऋषि के रक्षा के लिए भेजता है। आज के समाज का कोई रजा

* सीनियर रिसर्च फेलो, संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोबाइल न. – 7597220806

जो प्रजा के पालन का कार्य देख रहा है, अपने पुत्र को किसी के रक्षार्थ भेजने के लिए कदापि तैयार नहीं होगा, उल्टे उनके पुत्र को जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत है। श्याम और गौर वर्ण के दो भाइयों को पाकर महानिधि रूप प्राप्त करते विश्वामित्र धन्य हैं।

आज गोर या काले का कोई मतलब नहीं। सुरक्षा गार्ड ही ए.के. 47 से राजा की हत्या कर रहे हैं। महर्षि योगी ने बार–बार कहा कि ''मुझसे धोखा हो गया, दिग्गी हटाओ।'' कभी देश के प्रधानमंत्री को बम से मार दिया जाता है तो कभी हत्या की साजिश की जाती है। आज का राजा या प्रधान व राजर्षियों की परख देखिए, महाविधि पहचान की परख है या नहीं? लेकिन उससे निचले स्टार को परखने की उन्हें पड़ी ही नहीं है। परिणाम रूप में वर्तमान समाज सामने है। साथ ही अपलक प्रतीक्षा में रहने की जरूरत है। परिणाम के दुखद होने की चाह के लिए कर्म करने की भी उतनी ही जरूरत आज समाज में है।

आनंदकानन कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता।।

गोस्वामी तुलसीदास के विषय में उनके किंवदंतियां सर्वविदित हैं, स्पष्टतः वे उच्च कोटि के अनन्य भक्त हैं, यह नाकारा नहीं जा सकता। श्रीरामचरितमानस गोस्वामी जी की महँ रचना हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अवधी भाषा, दोहा, चौपाई, छप्पय, सोरठा आदि में विरचित है। इस महाकाव्य में सभी रसों का अद्भुत रसास्वादन मिलता है। इसकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावयुक्त है। व्याकरण–शास्त्र की पिंगल पद्धति पर आधारित व समस्त वेद–पुराण, निषद, उपनिषद का सार लेकर महाकवि ने अद्वितीय महाकाव्य की रचना की। ये महाकाव्य उत्कृष्टतम प्रबंध काव्य है। फलस्वरूप रचनाकार के ईष्ट के जीवन के सभी पहलुओं का इसमें विस्तृत चित्रण है। वात्सल्य, श्रृंगार, विरह, शौर्य, श्रेय, भक्ति आदि का रसास्वादन सहज ही उपलब्ध हैं।

रचनाकार उच्च कोटि के अनन्य भक्त हैं, अस्तु, समाज के प्रति उनके भाव–विचार उच्च कोटि के ही हैं। इनकी अर्थात् दोनों की आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मनन को भाती है। परन्तु कही नहीं जा सकती। मुदित होकर राजा ने कहा–

हे नाथ! ब्रह्म और जीव के समान इनमें स्वाभावित प्रेम है। छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति डर के भाव मुनि के प्रति संकोच व जब लक्ष्मण जी की जनकपुर देखने की अभिलाषा है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि

लखन ह्दय लालसा विसेषी, जाई जनकपुर आईअ देखी।

प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं, प्रगट न कहहि मुनहिं मुसकाहीं (चौ. बालकाण्ड)

एक तरफ लक्ष्मण जी प्रगट नहीं करते फिर भी भाई के मन की बात राम जी ने जान लिया, उनके ह्दय में भक्त वात्सल्य पैदा हो गई। तब भाई की लालसा व नीति की रक्षा के लिए गुरू विश्वामित्र से विनम्रतापूर्वक आज्ञा लेकर बोलते हैं कि

नाथ लखनु पुर देखन चाहिहिं, प्रभु सकोच दर प्रगट न कहहीं

जौ राउर आयास मैं पावौं, नगर देखाई तुरत लै आवों (चौ. बालकाण्ड)

आज्ञा पाकर दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके जनक जी के नगर को देखने चले। एक भाई का एक भाई के प्रति स्नेह, सम्मान, प्रेम व भाइयों का वशिष्ठ मुनि, पूज्य के साथ व्यवहार, निष्ठा चरम पर दिखाई देती है। नगर देखते हुए दोनों भाई धनुष यज्ञस्थल पर पहुँचते हैं जहाँ रामचन्द्रजी लक्ष्मण जी को रंगभूमि की रचना कोमल, और मनोहर वचन कहकर दिखाते हैं।

राम देखावहि अनुजहीं रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना।

लव निमेष महुं भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन भाया।। (चौ. बालकाण्ड)

बढ़ने में सभी की मदद करो। तुम्हारे मनन विरोधा रहित हो और सभी की प्रसन्नता और उन्नति में तुम अपनी स्वयं की प्रसन्नता और उन्नति समझो। सच्चे सुख की बढ़त के लिए तुम पुरुषार्थ करो। तुम सब मिलकर सत्य की खोज और असत्य मिटाओ। (ऋग्वेद 10.191.3)

4. तुम्हारे उत्साह से पूर्ण पुरुषार्थ सभी के सुख के लिए हो, तुम्हारे अन्न अर्थात् सभी भावनाएँ प्रेम सहित और विरोध रहित हों। सभी से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। तुम्हारी इच्छाएँ, संकल्प, विश्लेषण, श्रद्धा, संयम, धर्म, जिज्ञासा, ध्यान और अनुकूलता आदि सब केवल सत्य और सभी के लिए कल्याण के लिए हों तथा सब मिलकर काम करो। (ऋग्वेद 10.191.4)

5. मनुष्य कभी किसी प्राणी से बैर भाव न रखें और एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से रहें, मनुष्य सभी प्राणियों को अपना मित्र समझो और प्रत्येक की सुख समृद्धि के लिए कार्य करे। (यजुर्वेद 36.18)

6. मनुष्य श्रम व तप ईश्वर प्रदत्त गुणों न छोड़ते हुए लक्ष्य के लिए प्रयत्न करें। श्रम और ताप से अपनी संपत्ति को बढ़ाएं और राष्ट्र को समृद्ध करें। श्रम और ताप को ग्रहण करके सत्य आचरण से मनुष्य उत्तम कीर्ति को प्राप्त करे। (अथर्ववेद 12.5.1.2)

यदि हमारा वेद ऐसी शिक्षा आमतौर पर देता है तो भाई तो एक ही मिट्टी और एक ही परिवेश के हैं फिर तो अतुलनीय और अकथनीय प्रेम के सिवाय कुछ अलग होना ही नहीं चाहिए।

हिंदुस्तान, पाकिस्तान भी भाई भाई ही थे। जहाँ आए दिन हड़पने की साजिश, खून खराबे का ही आलम है। हमारे देश का इतिहास और भूगोल भी सिमिट कर भ्रातृप्रेम में स्पष्ट संकेत है। एक समय था जब बड़े भाई को जेठानी मिला करती थी। समय बीता, समता का दौर चला समता के दौर में न्यायालय में लंबित मुकदमों, देश के सर्वश्रेष्ठ परिवारों में, भाई भाई के बीच, सहोदर के बीच प्रेम और आदर प्रमाणित करते हैं कि हमारे समाज में आज रिश्ते कैसे हम दो तक सीमित होते जा रहे हैं।

देशों के बीच तो छोड़िए मुम्बई के पोइसर कांदिवली (पूर्व) में बिहार के रहने वाले दो झां बंधुओं में ज्यायदाद को लेकर कहासुनी हुई, छोटे भाई ने बड़े भाई की एक झटके में हत्या कर दी। छोटे भाई को समता नगर पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

न्यायिक प्रक्रिया तो घटना के बाद के चीज है। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों का नैतिक मूल्य इस स्तर तक उन्न किया जाए कि घटना क्रम को कम कर सकें, सभी के शैक्षिक उन्नयन के साथ हमारे देश के घर–घर में रामचरितमानस का नित्य–प्रति पाठ हो तथा पाठ से पर्याप्त शिक्षा का व्यवहारिक जीवन में धनात्मक उपयोग हो। समय व विस्तार की सीमा के कारण भरत जैसे वही के प्रेम कि प्रस्तुति जिन्हें हम नहीं कर सके हैं उन्हें भी पढ़ें, सुनें, जानें और समझकर अनुकरण करें व सच्चे धर्म का पालन करें।

जो मानव की मानवता स्थिर रखता है, वही सच्चा धर्म है। (अग्निवीर)

हनुमान जी भी बन्दर जाति के थे उनके भय का हरण पेड़–पौधे, पत्ते करते हैं। अस्तु, महाबली होते हुए भी पत्ते जैसे हलके भाई की ही शरण लिए। उन्होंने समूचे राष्ट्र को सन्देश दिया कि भाई की शरण में रहे।

संस्कृत शब्द भ्रातृ का पर्यायवाची–

भ्राता, देशभाई, बियर हमवतन, भैया, भाई, बंधु, सहोदर, अग्रज, अनुज।

भैयाचारी, भैरवेश, भैरावांजन यह नाम भाई के त्याग, समर्पण, निष्ठा व मानवीय संस्कार व व्यवहार से हमें परिचित करवाते हैं।

वेद शिक्षा में भ्रातृप्रेम–

1. मनुष्यों को वेदों की शिक्षाओं को आत्मसात् करने के लिए क्या करना चाहिए? यह मनुष्य जीवन के विविध आयामों के उद्देश्यों, अभिगमों, और अपनाये हुए विधि–विधानों में एकसूत्रता उजागर करता है। (ऋग्वेद 10.191)

2. तुम सब अन्याय और पक्षपात के बिना सहनशीलता के साथ सत्य के मार्ग पर चलो। विधा, ज्ञान और स्नेह को बढ़ने के लिए घृणा और द्वेष से रहित आपस में संवाद करो। ज्ञान और आनंद को बढ़ने के लिए साथ मिलकर काम करो। जैसे श्रेष्ठा लोग सत्य और पक्षपात रहित आचरण करते हैं वैसे ही तुम लोग करो। (ऋग्वेद 10.191.2)

3. तुम्हारे सत्य और असत्य का विवेचन पक्षपात रहित हो किसी एक ही समुदाय के लिए न हो। तुम संगठित हो कर स्वस्थ्य, विद्या और समृद्धि को नगर देखने के बाद मुनि जी की आज्ञा से दोनों भाई संध्या वंदन किये। दो प्रहर रात्रि तक कथा इतिहास सुनने के बाद मुनि जी जाकर सोये।

मुनिवर सायन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन देऊ भाई

जिन्हें के चरण सरोरुह लागी, करात विविध जप जोग बिरागी (चौ. बालकाण्ड)

मुनिजी के चरण कमल दोनों भाई दबा रहे हैं। बार बार आज्ञा पाकर तब राम शयन किये।

चपर चरण लखन उर लाएँ, समय सप्रेम परम सचु पाएँ।

पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता (चौ. बालकाण्ड)

लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानन्द का अनुभव करे हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। जब राम जी ने बार बार कहा–हे भाई! सो जाओ, तब प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण कर सो गए।

उठे लखनु निसि बिगत सुनि,ख अरुण सिख ध ूनी कान

गुरुतें पहिलेहिं जगतपति, जागे रामु सुजान (दो. 226 बालकाण्ड)

रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगपति सुजान श्री रामचन्द्र जी भी गुरूजी से पहले जागे। अगली कड़ी में धनुष यज्ञ में शिवजी का धनुष टूटा। परशुराम जी आए लक्ष्मण जी से उनकी बहस होती है। मौजूद लोग भयभीत हो जाते हैं। राम अपने अनुज की रक्षा के लिए अपना दोष कबूलते हैं और गोस्वामी जी के शब्दों में कहते हैं कि–

कृपा कोप बधु बधाव गोसाई, मोपर करिअ दास कि नाई।

महाकवि के मानसिक पटल उभरे व उनकी दृष्टि में भ्रात भक्ति पर एक नजर डालने की चेष्टा कर रहा हूँ। प्रसंग उस समय का है, जब विश्वामित्र जी पापी राक्षसों के संहार के लिए राजा दशरथ के पास गए हैं।

असुर समूह सतावहिं मोही, मैं जाचन आयाहूँ नृप तोहीं

अनुज समेत देहुँ रघुनाथा, निश्चर बद्ध मैं होब सनाथा (चौ. बालकाण्ड)

राजा दशरथ से उनके सुकुमार पुत्र लक्ष्मण सहित राम को माँगते हैं।

देहु भूप मन हरषित, तजहु मोह अज्ञान

धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौ, इन्ह कहँ अति कल्यान (दो. 207 बालकाण्ड)

बशिष्ठ के बहुत समझाने पर दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि को सौंप दिया।

एक समाज की रचना जब सुकुमार पुत्रों को राजा ऋषि के रक्षा के लिए भेजता है, दोनों सुकुमार माँ का आशीर्वाद लेकर रक्षार्थ चले जाते हैं। दोनों भाईयों के चलने के समय पर भक्त तुलसीदास ने लिखा कि–

पुरुष सिंह दोउ बीर, हरषि चले मुनि भय हरन

कृपा सिन्धु मति धीर, अखिल विस्व कारन करन (सो. 207 बालकाण्ड)

दोनों भाई वीर मुनियों के भयहारी, प्रसन्न होकर चल पड़े। राजा जनक ने श्याम–गौर जोड़ी को देखकर विश्वामित्र से पूछा कि वे मुनिकुल के पालक हैं? अथवा वेद जिस ब्रह्म को 'नेति' कहकर गाते हैं, वही क्या दो स्वरूप धारण कर आया है?

सन्दर्भ सूची

1. रामचरित मानस (तुलसीदास कृत), 2. व्याख्यान माला (सूरदासजी), 3. ऋग्वेद, 4. अथवर्वेद, 5. यजुर्वेद, 6. अग्निवीर।

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

How to determine appropriate Sample Size for Research Study

❐ Dr. Precious Sheoran

ABSTRACT

When conducting quantitative research, it is very important to determine the sample size for your study. Your sample needs to represent the target population you plan to examine. Sample size calculation should be done before you set off to collect any of your data.

"How big a sample is required?" is one of the most frequently asked questions by the investigators. If the sample size is not taken properly, conclusions drawn from the investigation may not reflect the real situation for the whole population.

Applied statistics research plays pivotal role in diverse problems of social sciences, agricultural education, sciences, health sciences, and business research. Many investigations are conducted by survey research. The formulas for determination of sample size have crucial role in survey-based research problems in applied statistics. Specific sampling techniques are used for specific research problems because one technique may not be appropriate for all problems. Similarly, if the sample size is inappropriate it may lead to erroneous conclusions. The present paper gives an overview of some common need to be specified for a sample size calculation and some techniques for determination of sample size.This post presents a brief overview of sample size calculations and covers some of the basics.

Keywords: Sample Size, Applied Statistics Target Population, Quantitative research.

Introduction

In this article we have discussed

- Importance of the size of sample and the method of determination of a sample

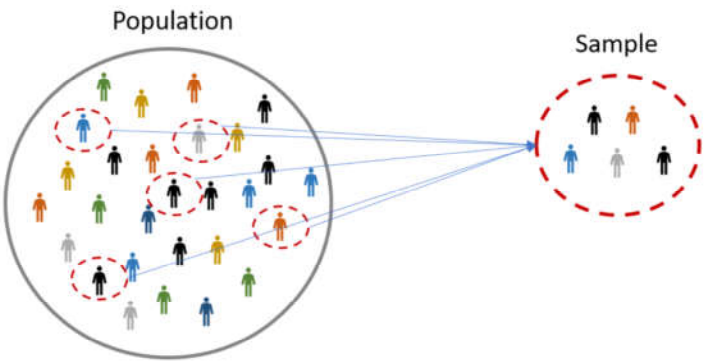

* Associate Professor (Education department), Shri Jagdish prasad Jhabarmal Tibrewala University, Churela Jhunjhunu (RAJ.)

In spite of the application of scientific method and refinement of research techniques, tools and designs, educational research has not attained the perfection and scientific status of physical sciences. Therefore, there is a great necessity to study properly about different tools and techniques of research methodology. While studying a particular phenomenon, the researchers of this field face a problem at the beginning as What may be the representative sample. Very few research articles are there which deals with the issue of determination of sample size. Sample size calculation for a study, from a population has been shown in many books e.g. Cochran (1977), Mark (2005) and Singh and Chaudhury (1985). The aim of the calculation is to determine an adequate sample size which can estimate results for the whole population with a good precision. In other words, one has to draw inference or to generalize about the population from the sample data. The inference to be drawn is related to some parameters of the population such as the mean, standard deviation or some otherfeatures like the proportion of an attribute occurring in the population. It is to be noted that a parameter is a descriptive measure of some characteristics of the population whereas if the descriptive measure is computed from the observations in the sample it is called a statistic. Parameter is constant for a population, but the corresponding statistic may vary from sample to sample.

If the inference about the population is to be drawn on the basis of the sample, the sample must conform to certain criteria: the sample must be representative of the whole population. The question arises as to what is a representative sample and how such a sample can be selected from a population. The computation of the appropriate sample size is generally considered to be one of the most important steps in statistical study. But it is observed that in most of the studies this particular step has been overlooked. The sample size computation must be done appropriately because if the sample size is not appropriate for a particular study then the inference drawn from the sample will not be authentic and it might lead to some wrong conclusion.

Statistics are used to summarize the data collected through survey or investigation. The basic role of statistics in research is to make conclusions about a population of interest when data is only available from a sample. Research data usually measure observations of an occurrence of an event as well as indicate exposure. sample size determination is a difficult process to handle and requires the collaboration of a specialist who has good scientific knowledge in the art and statistics. There are distinct methods for calculating sample size for different study designs and different outcome measures. The present paper, thus, gives an overview of some commonly used terms and techniques that need to be specified for a sample size calculation.

Sample size for research purposes:

The sample size should be carefully fixed so that it will be adequate to draw valid and generalized conclusions. The fixation of the adequate sample size requires specific information about the problems under investigation in the population under study. And also, the sub classifications of sample require for analysis, variation, precision, availability and cost of investigations. The information collected during investigation from samples is to be recorded on pre-designed schedule or on questionnaire. The design of questionnaire depends on the objectives and facilities for analysis. Sample size determination is the technique of electing the number of observations to include in a sample. The sample size is an important feature of any study or investigation in which the aim is to make inferences about the population from a sample. In general, the sample size used in a study is determined based on the cost of data collection, and based on sufficient statistical power. In advanced studies there may be several different sample sizes involved in the study: for example, in a survey sampling if population is heterogeneous involving stratified sampling there would be different sample sizes for each population. In a census, data are collected through complete enumeration, hence the sample size is equal to the population size. In experimental study, where a study may be divided into different experimental groups, there may be different sample sizes for each experimental group. Larger sample sizes generally lead to increased precision when estimating unknown parameters. Several fundamental facts of mathematical statistics describe this phenomenon, including the law of large numbers and the central limit theorem. Generally sample sizes may be chosen in three different ways as follows. Cost base - Include those items readily available or convenient to collect. A choice of small sample sizes,

though sometimes necessary, can result in wide confidence intervals or risks of errors in statistical hypothesis testing. Variance base - Using a target variance for an estimate to be derived from the sample eventually obtained Statistical power base - Using a target for the power of a statistical test to be applied once the sample is collected. Sample sizes are judged based on the quality of the resulting estimates, sample size may be assessed based on the power of a hypothesis test.

Significance of the Sample Size

In a comparative study, the means or proportions of some characteristic in two or more comparison groups are observed. A statistical test is then applied to determine the significant difference between the means or proportions observed in the different groups. Sample size is important principally due to its effect on statistical power. Statistical power is the chance that a statistical test will indicate a significant difference when there truly is one. Statistical power is analogous to the sensitivity of a diagnostic test (Browner and Newman 1978), and one could mentally substitute the word —sensitivity for the word —power during statistical conclusions. In a comparative study of two groups of individuals, the power of a statistical test must be sufficient to detection of a statistically significant difference between the two groups if a difference is truly present. This issue becomes important if the study results were to demonstrate no statistically significant difference. If such a negative result were to occur, there would be two possible interpretations. The first interpretation is that the results of the statistical test are correct and that there truly is no statistically significant difference (a true-negative result). The second interpretation is that the results of the statistical test are erroneous and that there is actually an underlying difference, but the study was not powerful enough (sensitive enough) to find the difference, yielding a false-negative result. In statistical terminology, a false negative result is known as a type II error. An adequate sample size gives a statistical test enough power so that the first interpretation is much more plausible than the second interpretation (that a type II error occurred) in the event no statistically significant difference is found in the study.

Formulae for determining sample size:

To determine a representative sample size from the target population, different formulae can be used according to the necessity of the research work. Use of various formulae for determination of required sample sizes under different situations is one of the most important strategies.

A few terms that relate to the size of your sample

Here are some expressions you will most likely come across when designing your study and deciding on a sample size.

- **Population** – This is the complete set of data points, for example, all Americans.
- **Target population** – This is the complete group for which you are studying; your data will have specific characteristics (demographics, clinical characteristics) that you are interested in — for example, Americans over the age of 65, who live at home and have had a stroke in the past 6 months.
- **Sample** – A subset of the target population that represents the target population.
- **Margin of Error** – The margin of error is about a degree of uncertainty in statistics. How much error will you allow? We would like the mean of our data to represent the mean of the target population; however, this is generally not going to happen. The margin of error tells us how much higher or lower than the true value will we let our sample mean fall. In articles, you usually see a +/-5% or +/-3% margin of error.
- **Confidence Interval** – Confidence interval (CI) is usually set at 90%, 95% or 99%. It tells us how confident we are that if the study was repeated again and again, we would get the same results. If confidence level is 95%, we would get the same results in 95% of the cases.

How to Calculate a Sample Size

It is fairly easy to determine your desired sample size. Formulas found in textbooks often appear very intimidating. However, they can be broken down and simplified if you are familiar with the above terms.

This formula, however, can only be used for infinite or uncountable population sizes.

$S = Z^2 \times P \times (1-P) \div ME^2$

S= Sample size

Z= Z score

P = population proportion (assumed to be 50%)

ME = Margin of Error

The Z-value or Z-score corresponds with your chosen confidence level. There are usually Z tables available that tell you the Z-score. You can then insert that value into the formula. Below are values for the most commonly used confidence intervals.

Cl	Z-value ME
90%	1.645 10%
95%	1.96 5%
99%	2.58 1%

You can use the formula to calculate a sample size for a confidence level of 99% and margin of error +/-1% (.01).

$(2.58)^2$*0.5(1-0.5)/$(0.01)^2$ =

6.656*0.5(0.5)/0.0001=16,641

The sample size for the chosen parameters should be 16,641, which is a very large confidence level and margin of error. If you reduce it to 95% confidence level and 5% margin of error, you get a more manageable 384.16 participants, which you round up to 385.

This formula, however, can only be used for finiteor countable population sizes

$$\mathbf{n} = \frac{N}{1 + N \times (e)^2}$$

n= sample size

N=Target population (counted population)

e = margin of error

$$\mathbf{n} = \frac{2500}{1 + 2500\,(0.05)^2}$$

n=344.827

If you choose 95% confidence level and 5% margin of error, you get a more manageable 344.827 participants, which you round up to 345.

Conclusions:

There are different formulae given by different educationists for the determination of appropriate sample sizes. The researcher should choose the formula according to their needs and convenience. In choosing the right one, the researcher has to take into consideration about the maximum budget, time limit, nature of the study along with desired level of significance, confidence level and variability within the population of interest. Using an adequate sample along with high quality data collection will result in more reliable and valid results.

REFERENCES

1. Ahn, C., Heo, M., Zhang, S. 2015. Sample Size Calculations for Clustered and Longitudinal Outcomes in Clinical Research. CRC Press, New York

2. Al-Sunduqchi, Mahdi S. 1990. Determining the Appropriate Sample Size for Inferences Based on the Wilcoxon Statistics. Ph.D. dissertation under the direction of William C. Guenther, Dept. of Statistics, University of Wyoming, Laramie, Wyoming

3. Andersen, P., Borgan, O., Gill, R., Keiding, N. 1993. Statistical Models Based on Counting Processes. Springer. New York

4. Brush, Gary G. 1988. Volume 12: How to Choose the Proper Sample Size, American Society for Quality Control, 310 West Wisconsin Ave, Milwaukee, Wisconsin, 53203.

5. Bush, Stephen. 2015. “Sample size determination for logistic regression: A simulation study.” Communications in Statistics – Simulation and Computation, 44(2), pages 360-373.

6. Dell R, S. Holleran, R. Ramakrishnan (2002): Sample size determination. ILAR J 43:207-213.

7. Farrington, C. P. and Manning, G. 1990. “Test Statistics and Sample Size Formulae for Comparative Binomial Trials with Null Hypothesis of Non-Zero Risk Difference or Non-Unity Relative Risk.” Statistics in Medicine, Vol. 9, pages 1447-1454.

8. Feinstein AR (2002): Principles of medical statistics Boca Raton, Fla: CRC, 2002; 503.

9. Feldt, L.S. and Ankenmann, R.D. 1999. “Determining Sample Size for a Test of the Equality of Alpha Coefficients When the Number of Part-Tests is Small.” Psychological Methods, Vol. 4(4), pages 366-377.

10. Fleiss JL (1981): Statistical methods for rates and proportions 2nd ed. New York, NY: Wiley;45.

11. Freiman JA, TC Chalmers, H Smith, RR Kuebler (1978): The importance of beta, the type II error and sample size in the design and interpretation of the randomized control trial: survey of 71 negative trials.NEngl J Med,299: 690-694.

12. Greenwood, J. A. and Sandomire, M. M. 1950. “Sample Size Required for Estimating the Standard Deviation as a Per Cent of its True Value”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 45, No. 250, pp. 257-260.

13. Guenther, William C. 1977. Sampling Inspection in Statistical Quality Control. Griffin's Statistical Monographs, Number 37. London.

14. Gupta SC and VK Kapoor (1970): Fundamental of mathematical statistics, SC Publication, New Delhi, India.

15. Harris, M., Horvitz, D. J., and Mood, A. M. 1948. "On the Determination of Sample Sizes in Designing Experiments", Journal of the American Statistical Association, Volume 43, No. 243, pp. 391-402.

16. Hayes, R.J. and Bennett, S. 1999. "Simple sample size calculation for cluster-randomized trials", International Journal of Epidemiology, Volume 28, pp. 319-326

17. Karla Hemming, Alan J. Girling, Alice Stieh, Jenifer Marsh and Richard J. Lilford (2011): Sample size calculations for cluster randomized controlled trials with a fixed number of clusters, BMC Medical Research Methodology, 11, 102.

18. Montgomery, Douglas. 1984. Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons, New York.

19. Montgomery, Douglas. 1991. Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons, New York.

20. Montgomery, Douglas. 2013. Introduction to Statistical Quality Control, 7th Edition. John Wiley & Sons, New York.

21. Moore, D. S. and McCabe, G. P. 1999. Introduction to the Practice of Statistics. W. H. Freeman and Company. New York.

22. Moore, D. S. and McCabe, G. P. 1999. Introduction to the Practice of Statistics.W. H. Freeman and Company. New York.

23. Moura, Eduardo C. 1991. How To Determine Sample Size And Estimate Failure Rate in Life Testing. ASQC Quality Press. Milwaukee, Wisconsin**.**

24. Zhoa, Y.D., Rahardja, D., and Qu, Y. 2008. "Sample Size Calculation for the Wilcoxon-Mann-Whitney Test Adjusting for Ties." Statistics in Medicine, 27:462-468.

25. Zhu, H. 2016. "Sample Size Calculation for Comparing Two Poisson or Negative Binomial Rates in Non-Inferiority or Equivalence Trials." Statistics in Biopharmaceutical Research, Accepted Manuscript.

26. Zhu, H. and Lakkis, H. 2014. Sample Size Calculation for Comparing Two Negative Binomial Rates. Statistics in Medicine, Volume 33, pages 376-387.

SHODH CHETNA – YEAR-5 ISSN : 2350-0441
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4 SJIF - 4.076

Cruelty and Welfare in Farm Animals

❐ Dr. Sheetla Prasad Verma

ABSTRACT

The animals which furnish food for human consumption are drawn mainly from those which consume plant food, such as hay, straw, roots or grain, e.g. cattle, buffalo, bullocks, sheep, goats, camels, llama and pigs. In addition, poultry (hens, ducks, geese and turkeys) have become major meat producing species. Fish and molluscs have also been an important part of man's diet since time immemorial. Commercially, meat is the flesh obtained after proper cleaning and dressing excluding by-products. In all progressive countries of the world foremost attention has been focused towards securing an adequate supply of meat of the population. The production of meat is closely related to the livestock population, number of animals slaughtered and the quantity of meat obtained from different animals. Although, theoretically, hundred of animals could supply meat for human consumption, in practice, only a relatively small number of species are used today. The animals suitable for the food of man had to be part the hoof and chew the cud. Only those fish with fins and scales were wholesome.

Key words:- Cruelty, Welfare, Suffering, Farm animals.

Introduction

Far more animals are used for agricultural production than for any other purpose all over the world, however, specific types of animal farming tend to be concentrated in specific countries or regions of the world. Worldwide 1.9 billion cattle, sheep, and swine, and 39.7 billion chickens and turkeys, are used for food. Over 650 million broiler are slaughtered in India each year. The United States produces about one fourth of the world's beef and veal; China is by far the world's largest pork producer. The United States produces more than 30 percent of the world's poultry meat, and China and the United States are the world's leading producers of eggs. India is the world's fifth largest egg producer with 150 million laying hens. The United States and India together produce about 30 percent of the total world production of milk. In India, meat animals contribute 40 million euros to the country's GNR the market value of livestock is 80 million euros. 100 million livestock animals and 200 million poultry birds are produced every year, which supplies meat totaling 5 million tonnes valued at 12 million euros and employ a total of 1 million people. In Asia about 100 million bullocks and buffaloes are used for draught purposes. These animals are subjected to different levels of suffering and more so in developing countries. Even a rich heritage of cultural and religious traditions (not to abuse animals) in these countries is unable to protect livestock from abuse. Some animal welfare organizations have taken initiative at few places but a lot needs to be done to improve animal welfare.

* Associate Professor (A.H. & Dairy Science), Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj-211001, Corresponding Author: drspverma_kadc@rediffmail.com

Housing systems

Farm animals even in the industrialized countries were raised using traditional methods until 1950's, that generally involved keeping animals in outdoor or semi-outdoor environments-. Beef cattle and sheep are still kept in this way, at least during most of their production cycle. Intensive animal production methods where animals are kept in confinement became gradually popular after 2 world war. Intensive farming is more common for poultry and swine, while dairy cattle are generally kept in semi-intensive systems where the animals are loosely confined, but in many urban areas dairy cattle and buffaloes are kept in intensive system. In developed countries, dairy cattle are managed in "dry lot" systems, where several thousand cows are housed in outdoor paddocks with a central parlor for milking.

Poultry production is the most highly intensified of all the agricultural industries. Cage housing systems were developed for layers that allowed better environmental control, including control of the amount of light necessary to stimulate higher levels of egg production. Wire "battery cages" are arranged in rows and tiers (or batteries), with sloping floors that allow eggs to roll to the front for collection. Feeding, watering, and egg and manure collection are all automated. Broiler chickens are housed in large groups (usually tens of thousands) in either completely or partially enclosed buildings. Broiler breeders are reared to sexual maturity in houses similar to those used in broiler production.

Suffering in housing

When large numbers of animals are confined in an enclosed space, inadequate ventilation is common. Harmful levels of respirable dust, heat stress (if the ventilation system cannot generate adequate airflow in hot weather), and irritating or dangerous gases (arising from manure in bedding or stored in pits below the floor) can result. In many confinement units, interruption of the electrical supply can cause complete failure of ventilation systems. Then heat and air-quality problems can rise to deadly levels in a matter of hours. Buildings often use concrete as a durable, low-cost flooring material, but concrete surfaces have many possible drawbacks. Slippery concrete can cause accidents; irregular concrete seems to predispose hoofed animals to lameness; and concrete's overall hardness may stress hooves and joints. Under cool conditions unbeded concrete appears to be an uncomfortable lying surface and may disturb normal resting. Metal flooring is sometimes used as an alternative, but many of the same comfort problems remain. When young, calves may be kept in group pens, in individual stalls that restrict movement and contact with neighboring calves, or in individual hutches or cubicles that may be associated with a small outdoor area.

Reared for meat, broilers are usually crammed together, many thousands of birds in each barren shed. They are not caged, but kept at such high stocking densities that the birds quickly carpet the floor of the shed. Broiler chickens grow at super-fast rates, so fast that their bones, heart and lungs often cannot keep pace. Broiler chickens under six weeks old suffer painful crippling due to fast growth rates, whilst one in a hundred of these very young birds dies of heart failure.

Poorly designed flooring in laying hens cages contributes to discomfort and foot and leg problems and can even cause the hens to become trapped. Space in indoor units tends to be minimal. Commercial practice may crowd animals above this level. Amenities such as bedding to improve floor comfort or features of the natural environment such as perches and dust-baths (for hens) or nest- building material (for hens or sows) are usually omitted. Consequently, there is little opportunity for animals to engage in some of their natural behavior, and this may in time affect their health. The wire cages used for poultry are so small that the hens cannot flap their wings, so barren they have no nest for their eggs, and so restricting that the birds' bones often become so brittle they can snap like dry twigs. Restricted space and barren environments may also lead to harmful behavioral abnormalities. Pigs in a restricted, barren space sometimes direct their foraging activities (rooting and chewing) to the bodies of pen-mates to the extent that they damage tails or other body parts, especially if tails have not been docked.

Work animals

Bullocks, horses, camels, mules, donkeys, etc., are used for draught purposes in most of the developing countries. Bullocks are the most common working animal in developing countries, but in many countries of Asia buffaloes and donkeys are also used. Of the more than 50 million donkeys in the world,

50% are found in Asia, with the People's Republic of China having 10 million, Pakistan 3.5 million and India 2 million. More than two million people in India depend on draught animal power for ploughing, for pulling vehicles, and for carrying goods. For a variety of reasons the developing countries of the world may have to depend on draught animal power for many more years to come. The draught animals plough 100 million hectares of land and haul 1,800 million tonnes of freight in 15 million animal drawn carts. Draught animal power is very important to developing countries, but unfortunately these animals are not well cared for. Due to a lack of pasture and commercial feed, livestock are in semi-starved conditions (except high-yielding milk animals and draught animals while at work). In India, because of the monsoon season, land is only available for ploughing during certain periods of the year. As a result, more than 100 million draught animals are idle in India for 200 days a year, during which period they are ill-fed and become weak. This leads to further ill treatment when the animals are forced to work beyond their capacity. In fact, they are overworked, underfed, and maltreated. Millions suffer neck injuries and are bruised due to whipping and hot iron branding. Even shoeing and castration are done in primitive ways, inflicting needless suffering. The implements and carts to which they are hitched are inefficient, crude and painful.

Suffering due to transport and slaughter

Over 120 million meat animals and 500 million poultry undergo significant suffering from the time they are dispatched for slaughter till they die. Transport and handling methods are primitive and crude. Slaughter animals are made to walk long distances or transported in overcrowded trucks and trains. The Southern State of Kerala in India has the unique distinction of being the final destination of animals from all over South India: about a million animals per year are walked there 200 to 300 miles, in the course of which they lose weight and are incessantly beaten. These animals are generally not fed and watered en route. Animals- young and old, big or small- are all tied in twos and fours in order to reduce the number of animal minders or personnel on the trail. This results in injury and fatigue to the animals. They are badly beaten while they are herded together and driven fast to reach markets and abattoirs on time. It is an excruciating sight to watch them falter, fall down and be whipped so that they get up. On any working day, a million work animals may receive anywhere from 10 to 20 million beatings, assuming a five-hour working day. Similarly, needless suffering is inflicted on animals that are transported to Kerala on trucks: they travel three or four days together in overcrowded, ill- ventilated and humid conditions. Once the animals reach the slaughterhouse they are further subjected to severe cruelty: they are killed in front of other waiting animals and sharp sticks are inserted into the anus or vagina to force them on to the slaughter platforms. To restrain young buffaloes the front leg is broken and swung around the neck. Pigs are slaughtered by repeated stabbing and cattle are cast by hitting them on the head, etc. Stunning has not been introduced due to misinterpretation of the religion and although several attempts have been made to streamline and upgrade present abattoirs every effort has been negated due to various reasons.

Recommended measures for preventing cruelty

To address the problems of animal welfare in developing countries, it would be inappropriate to adopt international standards implemented in developed countries. Each developing country should evolve its own standards based on their own individual priorities. In general, the following recommendations may be made to reduce cruelty in animals:

- By improving carts and implements (ploughs, etc.), the effort required of the animals will be reduced and their work capacity for ploughing and carting doubled. Injury will be reduced if not eliminated altogether. There will be no need for whipping and beating, since well-fed animals, attached to improved implements and carts, can haul effortlessly.
- Adequate housing space, comfortable environment, proper vaccination and veterinary care.
- Genetic selection need to be planned in such away that animals do not become susceptible to pathological conditions.
- transporting animals for long distances on foot to abattoirs should be banned by law and the concept of rural abattoirs should be established.
- trucks and trains should be well designed and their capacity enlarged through the provision of two or three tiers, thus allowing individual animals more space.

- feeding and watering arrangements during transport should be made compulsory, and surveillance arranged to ensure compliance.
- appropriate loading, unloading and handling facilities should be introduced to reduce damage and suffering.
- specific laws to protect the welfare of broiler chickens should be introduced.
- guidelines should be set for maximum stocking density for broiler chickens.
- battery farming should be reduced and more free-range systems should be implemented.
- legislation to safeguard the welfare of animals should be introduced and old legislation amended.

In India, the Animal Welfare Board of India, under the Ministry of Environment and Forests, plays a very important role in monitoring the role of non-governmental organisations (NGOs) involved in animal welfare; assisting them both technically and financially and functioning as a watchdog for all animal abuse.

References :

Butcher R. (2002). Stray dog control programmes: an International perspective. In Proc. International Seminar on animal welfare, organised by Commonwealth Veterinary Association and World Society for the Protection of Animals, 15-16 February, Bangalore, India. Commonwealth Veterinary Association, Bangalore, 13-17.

Callaghan J. (2003). The welfare of farm animals in Europe: current conditions and measures. In Proc. 2nd International Seminar on animal welfare, organised by Commonwealth Veterinary Association and World Society for the Protection of Animals, 14-16 Feb., Commonwealth Veterinary Association, Bangalore, 55-62.

Chinny Krishna S. (2003). Has the ABC programme been a success in India? In Proc. 2 International Seminar on animal welfare, organised by Commonwealth Veterinary Association and World Society for the Protection of Animals, 14-16 Feb., Bangalore, India. Commonwealth Veterinary Association, Bangalore,13-17.

Rahman, S.A., Walker, L. and Ricketts, W. (2005). Global perspectives on animal welfare: Asia, the Far East and Oceania. Rev. Sci. tech. Off. Int. Epiz., 24: 597-610.

Ramaswamy N.S. (1984). Indian animal drawn vehicles and interdisciplinary survey of the state of the art, designs and operations. Indian Institute of Management, Bangalore, for Department of Science and Technology, Government of India.

Ramaswamy N.S. (2001). Livestock and environment for sustainable development. CARTMAN booklet. Centre of Excellence, Animals and Environment, Bangalore, 1-34.

Sheetla Prasad Verma (2018). Animal Welfare, Ist Print Publication Tagore Town Prayagraj, Page No. 27-28.

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

आधुनिक भारत में नारी शक्ति का अस्तित्व : राजनैतिक, सामाजिक स्थिति एवं अपराध

❑ डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता*

शोध सारांश

नारी आज के बदलते परिवेश में जिस तरह पुरूष वर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, वह समाज के लिए एक गर्व और सराहना की बात है। आज राजनीति, टेक्नालॉजी, सुरक्षा समेत हर क्षेत्र में जहां–जहां महिलाओं ने हांथ आजमाया उसे कामयाबी ही मिली। अब तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आज की नारी अपनी उपस्थिति दर्ज न करा रही हो और इतना सब होने के बाद भी वह एक गृहलक्ष्मी के रूप में भी अपना स्थान बनाए हुए है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी विचारणीय है जहां आज भी महिलाओं को घर के बाहर न निकलने की हिदायत दी जाती है, रेप या बलात्कार होने पर आत्महत्या पर मजबूर करने वाला समाज, कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप हमारे समाज के विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता विगत् दशकों में पूरे विश्व ने महसूस किया। महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतराष्ट्रीय सम्मेलन नरोबी में की गयी। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ट भूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है।

अगर हम समय से थोड़ा ही पीछे जाए तो मालूम होगा ही हालात कितने बदले है। 1991 से पहले देश में महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर और दयनीय मानी जा सकती थी। जहां एक तरफ समाज में इंदिरा गांधी जैसे महिलाओं ने नारी सशक्तिकारण की तरफ कदम बढाए वहीं दूसरी तरह अपना देश उन देशों में शामिल था जहां पर लिंगानुपात में भारी अंतर था। लिंगानुपात से मतलब होता है प्रति हजार पुरूषों में महिलाओं की संख्या। 1901 में भारत में लिंगानुपात 972 था जो कि गिरते–गिरते 1991 से 927 हो गया। देश के पिछड़े इलाकों में महिलाओं का जीवन बेहद कठिन और पुरूषों के अनुसार चलता था।

लेकिन पहले भी ऐसा नहीं था कि महिलाओं की समाज के राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्र में कोई भागीदारी नहीं थी। पहले भी महिलाएं समाज में आर्थिक क्षेत्र में सहयोग देती थी, लेकिन समाज उनके योगदान को मान्यता नहीं देता। सरकारी नौकरियों या प्रायवेट सेक्टर महिलाएं हर जगह कार्यरत थी, लेकिन हमारा पुरूष प्रधान समाज उन्हें उनकी सही मान्यता नहीं देता।

इस विषय पर 1955 में बीजिंग सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई और इच्छुक राष्ट्रों के लिए दिशा निर्देश तैयार किये गये। भारत ने महिला नीति की घोषणा की।1 भारत में महिला

* सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, पं. राम सुन्दर शुक्ला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, संस्थान पहड़िया रीवा (म.प्र.), मो. 8349220776

सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। स्वतंत्रता के पश्चात् आज लगभग 70 वर्षों बाद भी महिलाओं के स्वास्थ में सुधार नहीं है, क्योंकि 50 प्रतिशत गर्भवती महिलायें एनीमिया रोग से पीड़ित है। 25 प्रतिशत बच्चों को मातायें कुपोषण के कारण प्रसव अवधि से पूर्व जन्म देती है, वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के बारे में जागरूक बनने के प्रयास किये गये किन्तु ये सभी प्रयास महानगरों तथा शहरों तक सीमित रहे।

इसका पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करना है किन्तु आज 21वीं सदी में जब इन्दोर की संगीता को 300 दर्शकों की उपस्थिति में अपने सतीत्व की सच्चाई साबित करने के लिए 90 मिनट तक सुर्ख गर्म की गई लोहे की सलाख पकड़ने को मजबूर किया जाता है तो क्या हमें अब महिला दिवस अथवा भारतीय महिलाओं के लिये सशक्तिकरण वर्ष मनाने का कोई अधिकार है।2

शब्द बीज :– आधुनिक, भारत, महिला, सशक्तिकरण, भूमिका अस्तित्व आदि।

उपकल्पनाः–

1. आधुनिक भारत में लिंगानुपात के बारे में जानना।
2. पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या के बारे में जानना।
3. महिलाओं के प्रति दर्ज बलात्कार की समीक्षा के बारे में जानना।
4. आधुनिक भारत में महिलाओं की अस्तित्व के बारे में जानना।

विश्लेषण एवं व्याख्याा :–

1991 और इसके वाले समय के बाद महिलाओं की स्थिति में बेहतरीन बदलाव आए। चारों तरफ शिक्षा क्रांति ने महिलाओं को भी नया जीवन दिया। घर की दहलीज पार करके उन्होने पुरूषों की बराबरी करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू किया। उन्होने उन क्षेत्रों में भी अपनी छाप छोड़ी है, जहां पहले सिर्फ पुरूषों का ही वर्चस्व था।

अब पुरूष भी महिलाओं को उनका स्थान और महत्व देने लगे। हाल ही में भारत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए देश की संसद और राज्य वक्ताओं का मानना है कि इस अनुपात के भयानक परिणाम आज से 20 वर्ष बाद सामने आयेंगे।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 14 राज्यों में 122 जिले है जहां छः साल की आयु के 1000 लड़कों के बीच 900 लड़कियां है। कुरूक्षेत्र में मात्र 700/900 लड़कियां है। फतेहपुर साहब (पंजाब) में सबसे कम सिर्फ 754 लड़कियां है सम्पन्न राज्यों में यह स्थिति ज्यादा चिंता जनक है। प्रति हजार पुरूषों पर कन्यायें हैं।3

पंजाब	793
हरियाणा	820
चण्डीगढ़	845
दिल्ली	865
गुजरात	878

भारत में लिंगानुपात पुरूषों के पक्ष में रहा है वर्ष 2011 में हजार पुरूषों पर 940 महिलायें है इस संबंध में देश की स्थिति इस प्रकार है–

वर्ष	स्त्रियों की संख्या
1901	972
1911	965
1921	955
1931	950
1941	945
1957	946
1961	941
1971	930
1981	933
1991	927
2001	933
2011	940

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि समान्यतः पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है। 2001 की तुलना में 2011 में स्त्रियों की संख्सा अधिकतम कम हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में लिंग अनुपात में हुई गिरावट

को रोकने में असफल हो गया परन्तु जब आयु संरचना संबंध ी जनगणना के समंकों का विश्लेषण करते हैं तो ज्ञात होता है कि यह वृद्धि स्थाई होने का संकेत नहीं है क्योंकि भविष्य में इस अनुपात में परिवर्तन की दिशा बच्चों की आबादी के अनुपात की प्रवृत्ति से होता है जिसे बाल लिंग अनुपात कहा जाता है। इसकी स्थिति इस प्रकार है।4

वर्ष	बालिकाएं
1961	976
1981	962
1991	945
2001	927
2011	014

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि इस दशक की अपेक्षा पिछले दो दशकों में गिरावट ज्यादा रहीं विश्व आर्थिक फोरम में लिंग संबंधी एक अध्ययन के अनुसार विश्व के 58 देशों में लिंग समानता सूची में भारत 55वें स्थान पर है। पुरूष महिलाओं के अंतर का मापदण्ड आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण शिक्षा तथा जनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तय किया गया। भविष्य कीं आशा सृष्टि का आधार कन्याओं के प्रति आज का तथाकथित समाज इतना निष्ठुर एवं निर्गम हो रहा है कि वह जन्म लेने के अधिकार से वंचित कर रहा हैं। लंदन से प्रकाशित अखबार इंडिपेंडेंट का दावा है कि ''हर वर्ष करीब पांच लाख बच्चियां जन्म नहीं ले पाती''।

कार्यालय एवं कारखानों में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अपने अधिकारों का ज्ञान न होने के कारण महिला उसका उचित प्रतिरोध भी नहीं कर पाती है। कहीं–कहीं महिलाओं का पहनावा भी आपत्तिजनक होता है क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव होने के कारण महिलायें ऐसे कपड़े पहनती है जो पुरूषों को महिलाओं के प्रति अपराध ा करने के लिये प्रेरित करते हैं। ''क्राइम इन इंडिया'' पत्रिका में वर्ष 2002 के आंकड़े दिये गये जिनसे पता चलता है कि हमारे देश में प्रतिदिन बलात्कार के करीब 50 मामले दर्ज होते हैं हर घण्टे देश में बलात्कार की दो घटनाएं होती है।

भारत में बलात्कार के दर्ज मामले5

वर्ष	बलात्कार के मामले
1981	8559
1988	9099
1989	9752
1990	10068
1991	10410
1992	11708
1993	12218
1994	13208
1995	13754
1996	14846
1997	15330
1998	15033
1999	15468
2000	14496
2001	15264

निष्कर्ष एवं सुझावः–

किसी भी राष्ट्र की तरक्की तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें वृहद् रूप से एकता और संगठनात्मक रूप से मजबूती नहीं हो जाती शिक्षा का परिवार के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर से करीबी रिश्ता है साथ और सत्तर के दशक में मध्यवर्ग की लड़कियों के लिए शिक्षा रोजगार का एक माध्यम बन गई है। महिलाओं को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे महिला अत्याचार में सहायक न हो और उसका प्रतिरोध करें।

महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा एक सामाजिक अभिशाप है इससे बचने के लिये महिलाओं को शिक्षित किया जाना अनिवार्य है। अपराध के संदर्भ में कहीं न कहीं महिला खुद भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब एक महिला शादी होकर ससुराल आती है तो ससुराल वालों के अत्याचार वह सहन करती है और उत्पीड़ित होती है। बहुओं को प्रताड़ित करने में सास की अहम भूमिका होती है।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के अन्वेषण में पुलिस की भूमिका भी प्रायः निराशाजनक है। अपराध करने वाली यदि धनी व प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो ध ान के द्वारा भयभीत करके गवाहों को प्रभावित करी देता

है। कभी–कभी पुलिस वाले सही व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करते। महिलाओं पर घटित अपराध के प्रकरणों में न्यायालयों में कभी–कभी अभियोजन जब महिलाओं पर अपराध की सही रिपोर्ट नहीं करवा पाते। महिलाओं पर अपराध भी बयान नहीं करवा पाते, महिलाओं पर अपराध की सही रिपोर्ट न लिखने वाले पुलिसकर्मियों को भी दण्डित किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया एवं साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किये जाने चाहिये।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध में एक स्थिति तक मीडिया की भूमिका भी नजर आती है। आज मीडिया अपनी भूमिका से बहकता नजर आ रहा है। मीडिया बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को सनसनी खेज खबर के रूप में प्रस्तुत करता है।

10 दिसम्वर 2002 को संगठनों की दिल्ली में रैली के बाद एक ज्ञापन उप–प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिया जिससे महिला जगत को जघन्य अपराध से राहत मिल सकेगी।

1. बलात्कार संबंधी मामलो को जल्दी निपटारा करने के लिये कास्कड्रेम कोर्ट बनाये जाये मामले को रोजाना सुनवाई हो और 60 दिन के अंदर फैसला सुनिश्चित हो।

2. इन अदालतों में विशेष महिला जजों की नियुक्ति हो।

3. घरेलू हिंसा की परिभाषा नये सिरे से हो।

4. कानून में बलात्कार शक की परिभाषा नये सिरे से की जाये।

5. अस्पतालों में ट्रामा सेन्टर बनाये जाये।

6. पुलिस, न्यायपालिका और स्वास्थ विभाग के उन सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को यौन–शोषण संबंधी मामलों में संवेदनशील व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

7. बलात्कार की शिकार महिला/युवती/बच्ची के पुर्नवास की व्यवस्था हो एवं उसे अपनी मर्जी के स्थान पर पढ़ने की सुविधा हो।6

8. महिलाओं को आत्म निर्भर पर जोर देना चाहिए।

9. महिलाओं को अधिकार के प्रति सचेत होना चाहिए।

10. महिलाओं को एक जुट होकर भविष्य के प्रति रणनीति बनाकर कार्य में जुट जाना चाहिए।

11. महिलाओं अस्तित्व के वारे में अवगत कराना चाहिए।

12. महिलाओं पर राजनैति, सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त स्त्री की स्वयं भी अपराधों को रोकने में भूमिका अदा करनी होगी। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में गलत तरीके नहीं अपनाना है। सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं कि स्त्री बराबरी की होड़ में अपना अस्तित्व को ही दांव पर लगा दे। कहीं अति महत्वाकांक्षा की चाह में अपराध की दुनिया के लिये दरवाजे न खुल जाये। अतः स्त्री को स्वयं अपनी अस्मिता को बनाये रखना है। अपनी शक्ति को पहचान कर उसका सही सदुपयोग करना है।

सबला तू लिख खुद अपनी कहानी। साहस की ममता की जिसकी कोई न हो सानी।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. द्विवेदी घनश्याम, प्राथमिक शिक्षा में मिड डे मील कार्यक्रम की प्रासंगिकता कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2008, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली।

2. www.upmdm.in

3. www.mdm.nic.in

4. 19 नवंबर 2003, दैनिक भास्कर, पृ. 10

5. प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2004, पृ. 1325

6. राष्ट्र महिला, जुलाई 2002 पृ.–1 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित।

7. प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल/2003/पृ.–1625

8. मध्यप्रदेश संदेश दिसम्वर 2011, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।

9. प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल/2003/पृ.–1712

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

''सामाजिक अस्थिरता में आदिवासी महिलाओं की भूमिका''

❐ बैजनाथ*

शोध सारांश

भारतीय समाज में नारी का स्वरूप अलग–अलग जगह का मान सम्मान उपयोग के लिए किया गया। चाहे किसी भी समाज की नारी हो या समाज के दल–बदल लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए नारी को देवी एवं पर स्वास्थ के लिए पैरों की जूती–भी समाजों में कसर नहीं छोड़ी है। सामाजिकः अस्थिरता में आदिवासी महिलाओं की भूमिका देवी होती है, सामाजिक सम्बन्धों में जरूरत होती है तो स्थिति–परिस्थित में नारी नर–मस्तिक लगाया जाता है, सामाजिक–सम्बन्धों का जन्मदात्री समाजिक प्रताड़ना शिकार होती है! शोषण–प्रतिशोषण प्रताड़ना शोषण–नारी या महिलाओं को ही झेलना पड़ता है।

आदिवासी महिलाओं की भूमिका आदिवासी मोवासी मनिवार्सा–भारतीय नारी समाज में अपने परिवार में ही कितनी मुश्किल आए परन्तु सारे परिवार को आदिवासी यानि जंगलों में पहाड़ों में भटकती लहती अपनी मर्यादा को झेलती हुए नारी पूर्ण परिवार की भूमिका अच्छी प्रकार से निभाती है। समाज में आदिवासी महिलाओं की भूमिका अपने घर, परिवार, पति, माता, पिता, समाजिक सम्बन्धों की जाल में फसी हुई होती है। लालन–पालन, खान–पान जीवन मायने सामाजिक बुराई मायका एवं ससुराल दोनों पक्षों की भूमिका निभाती हैं। आदिवासी महिलाओं की जिम्मेवारी झेलते हुए सामाजिक समारोह को झेलना सभी महिलाओं की बस की बात नहीं है। जंगलों में अपने ईज्जत सम्मान को बचाकर भागे लोगों को राजपाई से जो दखल कर–कर एवं ऐनकेन प्रकारेण कर भारतीय नारी को इज्जत के लिए शोषण प्रताड़ना सदियों से इतिहास उठाकर देखा जा सकता है! कि जिसकी कोई सीमा का अन्त नहीं है। देव दासी प्रथा को अध्ययन किया जा सकता है। मनु के संविधान के अनुसार नारी को हमेशा शिक्षा से वंचित रखा गया, किसी ग्रन्थ में उठा कर देखों नारी हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही है। मांसिक प्रसारवना की शिकार किया गया है। सामाजिक स्वंतत्रता बराबरी का हक कभी नहीं दिया गया बाहर से आए लोग भारतीय नारियों पर हमेशा शिकारी के तरह शिकार किया गया जो व्यक्ति जिस प्रकार मौका मिला उसी प्रकार शोषण किया गया भारतीय नारी की दुरदशा किस प्रकार किया गया इतिहास गवाह है। देवदासी प्रथा कुछ लोगों ने अपने मान सम्मान को बचाने

* शोधार्थी–पी.एच.डी. अवधेश प्राताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्यप्रदेश)

के लिए लोग नहीं सहन कर सके तो जगंलों में अपनी जान बचाने के लिए जंगल की और भोग तथा यही निवास के लिए शोषित लोगों ने निवास किया तो आदिवासी करार दिया गया जब किसी अच्छे परिवार को घर से बेघर कर दिया जाए तो क्या होगा। यह सवाल सोचने का विषय है। क्योंकि जंगलों में निवास करने लगे लोग आदिवासी कहलाए गए इस देश में बेईमानों का राज हजारों, लाखों साल पहले दिन प्रतिदिन पीढ़ी–दर पीढ़ी शोषण महिलाओं का होता चला आया है। महिलाओं में भी जाति का वितरण अलग–अलग दर्जे की महिलाओं में कटेगरी में किया गया है ग्रन्थों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को बटवारा कर (6756) जातियों का विभाजन है।

शब्द बीज :– आदिवासी, सामाजिक, अस्थिरता, महिलाएं, शोषण, जिम्मेदारी, जाति विभाजन आदि।

प्रस्तावना :–

महिलाओं की दास्ता या विषय वस्तु नारी जाति के संदर्भ में विधि विधान के विशेष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी की स्पष्ट मान्यता थी कि सदियों से नारी जाति का शोषण–पुरुष की अधीन्ता दास्ता और अत्याचार का शिकार रही है। उसे स्वंतत्र एवं स्वच्छन्द वातावरण में जीने का मौका ही नहीं मिला। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला तो दोहरी मार से ग्रस्त है एक महिला होना दूसरा पिछड़ी जाति में जन्म लेना। रही सही–सही कसर पूरी करदी शिक्षा के अभाव में और अधिकारों के लिए लड़ने की उसकी पुरानी आदत ने और जब पिछड़ी जाति का पुरुष ही अनपढ़ अशिक्षित है तो उनकी महिलाओं के शिक्षित होने का सवाल हो पैदा नहीं होता शिक्षा के अभाव में हमेशा अत्याचार अनाचार और शोषण का शिकार होती है। वे किसी भी जाति के विकास एवं उन्नति तथा तरक्की को इस जाति के महिलाओं द्वारा किये गए विकास के मापदण्ड से नापते हैं। उनका मानना था कि जहाँ पर महिलाओं का विकास नहीं होगा वहाँ पर विकास की बात सोची नहीं जा सकती। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर पंडित जवाहर लाल नेहरू की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत थें कि पुरुष के शिक्षित होने मात्र से एक व्यक्ति शिक्षित होना है। जबकि स्त्री के शिक्षित होनें से पूरा समाज शिक्षित होता है। डॉ. अम्बेडकर जी इस बात से भी पूर्णतः सहमत थे कि स्त्री एवं पुरुष एक ही गाड़ी के (दोनों) दो पहिए है। दोनों एक दूसरे की पूरक है। तथा नारी के बिना पुरुष तथा पुरुष के बिना नारी का जीवन अधूरा है इसलिए पत्नी को अर्द्धागिनी माना गया है। अतः स्त्री शिक्षा के बिना पुरुष शिक्षा अधूरी है। डॉ. बाबा साहेब स्वामी विवेकानन्द के इस बात से बिल्कुल सहमत थे कि स्त्री शिखा से ही मानवता का कल्याण होगा। जैसे एक पंक्षी पंख के बिना नहीं उड़ सकता ही उसी प्रकार मानव जाति के आधी स्त्री समाज को शिक्षा के बिना मनुष्य कैसे कुछ सकता है।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी संघर्षी मुद्रा में रहे और आजीवन घाव सहते रहे। घाव पर मरहम पट्टी लगाते रहे और जूझते रहे। न चिन्ता की उनके जूझने से क्या होगा और परिणाम से डरे कि सब कुछ उलट सकता है। उन्होंने उस बात को स्वयं स्वीकारा है कि– यह संभव हो सकता है कि मैं गलती पर होऊँ, परन्तु मैंने हमेशा यही मुनासिव समण की दूसरों का पथ निर्देशन और आदेशों को मानने तथा मौन बैठे रहने व स्थितियों को बिगाड़ देने की अपेक्षा त्रुटियॉ करना कहीं श्रेयकर है वे निडर थे और अन्त तक बराबर समाज के प्रहरी इसलिए बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज को तीन सूत्र दिए पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो, किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए इन त्रिसूत्री की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यहॉ पढ़ो (शिक्षित) से तात्पर्य न केवल पुरुष शिक्षा बल्कि स्त्री एवं पुरुष दोनों की शिक्षा से है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में

विकास अथवा शोषण से मुक्ति की कल्पना ही नही की जा सकती।

नारी के संदर्भ में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार वर्तमान में पूर्णतया प्रासंगिक है। लेकिन उनके समय या उनसे पहले ठीक विपरीत परिस्थितियाँ थी। उन्होंने प्राचीन भारत की उस परम्परा की याद दिलाई जिसके अनुसार लड़की का जन्म लेना अशुभ माना जाता था जबकि स्त्री ही दुनिया के शासको की जन्मदात्री है। बुद्ध ने स्त्री को संन्यास अथवा प्रव्रज्या का अधिकार प्रदान किया था जबकि ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे थे। डॉ. बाबा साहेब ने मनु की बात को प्रस्तुत कर यह सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की है कि हिन्दू धर्म में स्त्री के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। मनु की वाणी है। ''वूमैन हैव नो राइट टू स्टडी दा वेदाज दउटरिंग दैट इज हाई देयर संस्कार्स आर पर फोरम्ड विद आउट वेद मंत्राज, वूमैन हैज नो नालिज ऑफ रिलीजन विकाज दे हैव नो राइट टू नो द वेदाज दउटरिंग ऑफ द वेद मंत्राज इज यूज फुल आर रिम विंग सिन, ऐज वूमैन कैन नाट अदर द वेद मंत्राज दे आर अनटुश इज''। भारतीय नारी के साथ तो हिन्दू धर्म ने अन्याय किया है बिना किसी वजह के हिन्दू स्त्री ज्ञान प्राप्ति से वंचित रह जाती है। जबकि ज्ञान प्राप्त का तो प्रत्येक स्त्री रूप पुरुष का जन्मसिद्ध अधिकार है। वस्तुतः यह व्यवहार करके प्रति अत्यन्त क्रूर है। जिसकी कोई समानता नही है।

इसमें कोई संदेह नही है कि एक समय ऐसा भी इससे पूर्व रहा है। जब स्त्री मंत्रोचार करती थी, ब्रह्मचर्य व्रत लेती थी। वह गूरुकुल में पढ़ती थी। पतंजलि ने अपने महामाष्य में इस ओर स्पस्ट संकेत दिया है कि स्त्रियाँ अध्यापिका होती थी और छात्राओं को वेद पढ़ाया थी। शंकराचार्य के समय तक उनकी स्थिति अत्यन्त सम्माननीय थी।

डां. बाबा साहेब का यह निष्कर्ष है कि 'मनु स्मृति नारी की स्वतंत्रता और सम्मान की गिरावट का कारण है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने मनु स्मृति से उदाहरण देते हुए कहा कि मनु ने नारी को पुरुषाश्रित बनाया है और यह आवश्सक बतलाया है। कि वह पुरुष के संरक्षण में रहे। कि पर नुरुष के संरक्षण में रहे। बचपन में माता–पिता की देख–रेख में पले बढ़े। परिणामतया वह जन्म से मृत्यु तक पराधीन रहे। यहां ते कि वह चाहे बालिका हो या युवती अथवा अधेड़ औरत हो परन्तु वह अपने घर में स्वतंत्रता पूर्वक कुछ नहीं कर सकती है। डां. बाबा साहेब की मान्यता रही है कि मनु ने पुरुष को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकारों से मुक्त किया है जबकि स्त्री को पराधीन और अधिकारों से वंचित बना दिया है। उन्हें इस बात का दुखद आश्चर्य हुआ कि मनु पत्नी को बेचने की भी आज्ञा देता है। वे मनु के कथन को प्रस्तुत करते हैं जिसमें मनु ने कहा है कि–''नाइदर बार सेल नोर बाई इज दा बाइफ रिलीज फ्राम हर हर बैंड।'' इसका अर्थ हुआ कि पति अपनी पत्नी को बेंच भी सकता है। मनु यहां न्याय और अन्याय के लिए तनिक भी चिन्तित नहीं है। मनु ने हिन्दू कानून का निर्माण करते हुए इस बात पर जरा सा भी वंचित नहीं है। इसके साथ मनु स्त्री को (पत्नी) को सम्पत्ति के अधिकारों से भी वंचित करता है। वह पत्नी को उन सुविधाओं से वंचित करता है जो उसे वेदों द्वारा प्रदत्त हुई थी। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसकी दृष्टि में वह स्त्री नरक में जायेगी। मनु की नजर में स्त्री के लिए कोई स्थान नही है। यह आश्चर्यजनक निष्कर्ष ही है कि भारतीय स्त्रियों के पतन का कारण मूलतः मनु ही है। उसने सामाजिक सिद्धांतों को नियतबद्ध किया है ऐया करते समय उसने न्याय और अन्याय के बारे में कतई नही सोचा जिससे भारतीय नारी की गरीमा गिर गई। मनु के कारण ही भारत में ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ। मनु बौद्ध के खिलाफ था। महात्मा बुद्ध के ऊपर आरोप लगाया गया था कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के कारण भारतीय समाज में नारी की स्थिति निरन्तर गिरती गई। डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर का निष्कर्ष है कि भारतीय नारी के पतन कि लिए मनु पूरी तरह से जिम्मेवार है, महात्मा बुद्ध नहीं।'' डां0 बाबा साहेब अम्बेडकर का मुसिलम नारियों के बारे में कहना था कि विवाह का झगडा तो इस्लाम में हिन्दुओं से भी ज्यादा जटिल है। स्त्रियों वहां मस्जिद में जाकर नमाज भी नही अदा कर सकती। इस्लाम का खतरनाक ''वेगमवाद'' नारी की आत्मा की नहीं शरीर की चाह

भरी सिफारिश है और इस बात को बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पकड़ भी रहे थे कि खानदानवाद, नस्लवाद खलीफावाद का चक्कर इस्लाम में शैतानवाद का केन्द्र है इस्लाम की कट्टरता को सूफियों ने कम किया है पर सूफी धर्म नही है, जीवन जीने की उद्धार पद्धति है जो अच्छा मानव बनाती है।

उपर्युक्त वर्णित भारतीय नारी दशा को देखते हुए कानून मंत्री के रुप में डां0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर न केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए नही बल्कि सभी हिन्दुओं के लिए विशेष ''हिन्दू कोड बिल'' तैयार किया जिसके माध्यम से पहली बार हिन्दुओं के अधिकार को जो कि अब तक केवल रीति–रिवाजों के अनुसार चले आ रहे थे, संहिता बद्ध करने के का प्रयास किया गया है तथा पहली बार महिलाओं को पिता की सम्पत्ति या जायदाद में हिस्सा दिलाने की बात कही बई है। जिन विषयों को लेकर बिल पेश किये गये है उनमें खास बिन्दु इस प्रकार हैः–

1. केवल ''जन्म न कि योग्यता '' के आधार पर मिलें अधिकारों की समाप्ति।

2. महिला को अपने पति की सम्पत्ति में सम्पूर्ण अधिकार।

3. पुत्री को पिता की सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा।

4. महिलाओं के लिए भी तलाक का प्रावधान।

हिन्दू कोड बिल विल मुख्यतः स्त्री के लिए ही था। बाबा साहेब जी का कहना था कि इस देश में स्त्री को जो गौंड स्थान दिया गया है उसे नष्ट कर देना चाहिए स्त्री भी एक मनुष्य है ऐसी मानसिकता विकसित होना चाहिए। 'दलित' और स्त्री उनके दार्शनिक चिन्तन के दो प्रमुख केन्द्र बिन्दु थे। दलितों के लिए संवैध ाानिक व्यवस्था करने के बाद वे स्त्रियों के लिए वैसी स्वतंत्रता प्रदान करना चाह रहे थे। हिन्दू कोड बिल के अन्तर्गत स्त्री को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पुनर्विवाह व विधवा विवाह, स्वतंत्रता वे देना चाह रहे थे और अन्तर्जातीय विवाह को कानूनी संरक्षण और जो परिवार अन्य जाति के लड़के को दत्तक पुत्र लेना चाहते थे और ठीक उसी समय जाति प्रथा को समूल नष्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे इस कोड विल के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में नारी की दयनीय तथा उपेक्षित स्थिति को सुधारने और उसे समाज का स्वास्थ तथा शक्तिशाली अंग बनाने हेतु अथक परिश्रम के साथ यह कोड विल तैयार किया गया लेकिन उसके मंत्री पद पर बने रहने तक यह विल स्वीकार नही किया गया। आगे चल कर जब वे मंत्री नही रहे तब उस बिल की अनेक धाराओं को कांट–छांट करके उसे स्वीकार नही किया गया यह कैसी अनोखी बात है कि वे सामाजिक जीवन से उपेक्षित पक्ष को छूते थे और जिसके लिए कुछ करना चाहते थे। उसी का विरोध किया जाता था। लगता है कि विरोध उनका था, सिद्धांत का नही। आज कानून की दृष्टि से नारी को जो सुविधाएँ मिली है, उनके पीछे बाबा साहेब डां0 भीमराव अम्बेडकर जी का गहन दार्शनिक चिन्तन और मनन कार्य कर रहा है।

सामाजिक अस्थिरता में आदिवासी महिलाओं की भूमिका यह यज्ञों सम्मान का विज्ञान ज्ञान में कितना अन्तर साबित होगा यह बात गम्भीरता से प्रयोग में लाया जाए तो असली पता चलेगा आदिवासी सम्मान में महिलाओं की भूमिका कैसे–कैसे लिखा गया उदाहरण के लिए देवदासी प्रथा–अध्ययन किया– देवी–देवताओंका संस्था एवं संस्कार भी अजीव बात है।

आदिवासी आदिकाल से निवास करने वाली समाज को अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि आज भी स्वतंत्रता के लिए महिला की भूमिका दशा का वर्णन करने लायक ही नहीं। भारत की परम्परा के विकास में प्राचीन काल से ही आदिवासियों का विशेष योगदान रहा है जो आज भी है। आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत में भिन्नता देखने को मिलती है। समाज की सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में आदिवासी महिलाओं की अहम भूमिका होती है। सामाजिक स्थिरता में तो आज भी भारत सरकार विशेष रूप से सामाजिक राजनैतिक संस्कृतिक और परंपराओं के विशेष महत्व देते हुए इन जातियों के विकास की कड़ी में मुख्य रूप से महिलओं के कार्यक्रम को आगे बढाने का कार्य की स्थिरता पर बल देते हुए सामाजिक संस्कृतिक संस्कार को संजोये रखने में उनकी विशेष भूमिका होती है।

भारत देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद की साक्षरता विश्विषयक विशेषतः आदिवासी में वांछित लक्ष्य का प्राप्त न होना शिक्षा प्रबंधन में विसंगति के होने का द्योतक है।

शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिये देश कारण के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन के प्रकृति की समीक्षा करते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए तथा उन योजनाओं का कार्यक्रम कार्य रूप में परणित किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ''सामाजिक अस्थिरता में आदिवासी महिलाओं की भूमिका'' का अध्ययन क्षेत्र में जहां जनजातियों की जनसंख्या आवास करती है। संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद आशिक द्रष्टि से एवं अत्यन्त पिछड़े हुए भू–भागों में से एक है। पिछड़े क्षेत्रों में मुख्य रूप से जनजातियों के कोई समूह निवास करते हैं। जिनकी अपनी सामाजिक परम्पराओं को देखा जाए तो बिना शिक्षा के उनके आर्थिक जीवन यापन आधारित जो सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराओं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए जनजाति में विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रमुख धारा में जोड़कर शिक्षा के विकास की समूह रचना करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। तभी इन पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए अनेकों स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत है। परन्तु उनके कार्य आज भी इन पिछड़ी जनजातियों के बची नगण्य दिखाई पड़ रहा है। एक उदाहरण के लिए देखा जाए भारतीय पहली शिक्षिका सावित्री बाई फूले सा.मी./महात्मा ज्योतिवा फूलें सत्य शोध में समाज एक संघर्षे का अध्ययन किया जा सकता है कि मूल निवासी स्त्रियों भारतीय जाति समाज नारियों को किस प्रकार शिक्षा के लिए संघर्ष जीवन–यापन एक–एक घटना महिलाओं जागरूक पढ़ने लिखने का अधिकार हजारों शालों से सत्री समावन वंचित रखने वाले गन्थों में मनुस्मृति कितना झेलते हुए समाज को निकाल पाना कम टेढ़ी खीर के समान है आप–इन जनजातियों की महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारी ढांचे को और मजबूत एवं सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता है जिससे जनजातियों में विद्यमान अशिक्षा को दूर कर उनके जीवन–यापन के लिए आववश्यकता संसाधनों को जुटा कर उनकी समरस्था एवं सहयोग की जरूर होगी भारत स्वातंत्रता में चल रहे अभियान के साथ–साथ भारतवासी आदिवासी विशेष स्वरूप बेटी–बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान का सम्पूर्ण सभी संसथाओं से विनम्र प्रार्थना आशा रखता हूं। इन्हीं विभिन्न समस्यामूलक परेशानियों को दूर करने का इस आलेख में प्रयास किया गया है।

संदर्भ स्रोत :–

1. डॉ. नमिता शर्मा एवं नसीमा बेगम अंसारी : कृषि विकास वं खाद्य सुरक्षा, समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति (डॉ. एस. अखिलेश एवं डॉ. संध्या शुक्ल), गायत्री पब्लिकेशन्स बिछिया रीवा वर्ष 2014

2. राजेश रपरिया : अधिकार एवं चुनौतियाँ, योजना 'ग्रामीण विकास को समर्पित' दिसम्बर 2013।

3. कुरुक्षेत्र हिन्दी मासिक पत्रिका ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली (विभिन्न अंक)

4. योजना मासिक पत्रिका योजना भवन नई दिल्ली (विभिन्न वार्षिक अंक)

5. म.प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय भोपाल (विभिन्न अंक)

6. तथ्य भारतीय मासिक पत्रिका (विभिन्न अंक)म. प्र. के जिलेवार समार्मिक विकास के संकेतक आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय भोपाल

8. बैगा प्राधीकरण की विशेष रिपोर्ट के विभिन्न अंक।

9. वार्षिक प्रतिवेदन (2010–11), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

SHODH CHETNA Year-2019 Vol. 3 Allahabad

मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन एवं औषधीय गुण

❒ डॉ. ज्योति शुक्ला*

शोध सारांश

मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यप्रदेश में सोयाबीन की फसल से कृषक सर्वाधिक लाभ अर्जित करते हैं। सोयाबीन की फसल के उत्पादन से प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ सस्ती दरों पर प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से मिल रहा है। इसमें खाद्य तेलों की आपुर्ति आसानी से हो जाती है। यह अत्यन्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध हो रहा है। सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से उत्पादन ब्राजील, अर्जेटाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं भारत में होता है। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में सोयाबीन की खेती की जाती है जैसे–उज्जैन, शाजापुर, देवास, होशांगाबाद, रतलाम, सीहोर, सागर, इंदौर, सतना एवं रीवा जिलों में भी फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। सोयाबीन का पूरे विश्व में 91 प्रतिशत उत्पादन होता है। भारत से उत्पादित सोयाबीन को विदेशों में निर्यात किया जाता है। मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पादन में भी सोयाबीन का महत्वपूर्ण योगदान है। सोयाबीन पर आधारित कई उद्योग मध्यप्रदेश में संचालित हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर सोयाबीन की खेती कृषकों के लिए फायदे की है।

शब्दबीजः– सोयाबीन, उद्योग, उत्पादन, फायदे, तिलहन।

सोयाबीन की पैदावार एवं मूल्य की दृष्टि से खाद्यान्नों के बाद तिलहनी फसलों का भारत की कृषि अर्थाव्यवस्था तथा उद्योग जगत में बड़ा महत्व है। देश में खाद्य तेलों के कम उत्पादन को देखते हुए सरकार सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है जिससे खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके। सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को भी रोका जा सके।

सोयाबीन का बीज मध्यप्रदेश के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर तैयार किये जाते है उपचारित बीज को ही कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे खेती की तैयारी के बाद उन्हीं बीजों को बोया जाता है, जो अधिक उत्पादन दे सके।

सोयाबीन में पौष्टिक गुण :–

सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन होने के कारण इसका पोषण मान बहुत अधिक होता है। प्रोटीन के साथ–साथ इसमें विटामिन और खनिज तथा विटामिन 'बी' कॉमप्लेक्स और विटामिन 'ई' काफी अधिक मात्रा में होता है, जो शरीर निर्माण के लिए आवश्यक एमिनो ऐसिड प्रदान करते हैं। यह प्रोटीन का उच्च स्त्रोत तो होता ही है साथ ही फाइबर और कैल्शियम भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। सोया खाने में भी स्वादिष्ट होता है और विशेषकर बच्चों को यह काफी पसंद आता है।

सोया प्रोटीन और आइसोफ्लेवोंस से भरपूर आहार का सेवन रजोनिवृत्त महिलाओं में हड्डियों को कमजोर होने और हड्डियों के क्षरण से संबंधित बीमारी आरेस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचा जा सकता है, एक अध्ययन में यह दावा किया गया है, इंग्लैण्ड के हुल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक, सोयाबीन खाद्य उत्पादों में आइसोफ्लेवोंस नामक रसायन होता है और महिलओं को ओस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचा जा सकता है, उबले हुए सोयाबीन और टोफू

* पं. राम सुन्दर शुक्ला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, संस्थान पहड़िया रीवा (म.प्र.)

क्रमांक	प्रजाति का नाम	समयावधि	सोयाबीन में होने वाले बीमारियों एवं उपाय
1	जे.एस. 335	95–100 दिन 25–30 क्विंटल / हेक्टेयर	व्यापक क्षेत्र के लिए अनुकूल, श्रेष्ठ अंकुरण क्षमता, फली चटकन के लिए प्रतिरोधी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधता / सहनशीलता
2	जे.एस. 95–60	82–87 दिन क्विंटल / हेक्टेयर	अतिशीघ्र पकने वाली, चार दाने वाली, क्षेत्रों के लिये अनुकूल, अच्छी अंकुरण क्षमता सूखा एवं अधिक तापमान सहनशील कीटों तथा नीला भृंग व बीमारियों में जड़ सड़न तथा
3	जे.एस. 97–52	98–102 दिन क्विंटल / हेक्टेयर	व्यापक क्षेत्र के लिए अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ अंकुर बहुरोधी क्षमता फली चटकन के लिए प्रतिरोधी। मोजेक, जड़ सड़न एवं कीटो में तना छेदक एवं पत्ती भक्षक एवं अधिक नमी के लिए रोधी / सहनशील फूल का रंग सफेद
4	एन.आर.सी. 37	100–105 दिन 25–30 क्विंटल / हेक्टेयर	अधिक उत्पादन क्षमता, अच्छी अंकुरण क्षमता प्रतिरोधिता, प्रमुख कीट एवं बीमारियों की प्रतिरोध
5	एन.आर.सी. 7 (अहिल्या–2)	90–99 दिन 25–30 क्विंटल / हेक्टेयर	बैक्टीरिया पश्चूरीकरण, हरा विषाणु रोग, बैक्टीरिया रोग के प्रति प्रतिरोधिता, तनामक्खी, गर्डल के लिए सहनशीलता
6	एन.आर.सी. 12 (अहिल्या–2)	96–99 दिन 25–30 क्विंटल / हेक्टेयर	बैक्टीरियल पश्च्यू, माइरोथीसियम पर्ण राइजोक्टोनिया पर्ण झुलसन के प्रतिरोध मक्खी, चक्रभृंग कीट के प्रति सहनशीलता
7	एन.आर.सी. 2 (अहिल्या–1)	103–106 दिन 25–30 क्विंटल / हेक्टेयर	राइजोक्टोनिया पर्ण झुलसन, हरा विषाणु रोगी सरकोस्पोरा तथा एन्थ्रेक्नोज बीमारी के लिए
8	जे.एस. 20–34	80–85 दिन 25–30 क्विंटल / हेक्टेयर	अतिशीघ्र पकने वाली, जड़ सड़न रोधी, व्यापक अंकुरण।
9	जे.एस. 20–29	90–95 दिन 25–30 क्विंटल / हेक्टेयर	शीघ्र पकने वाली, जड़ सड़न एवं पीला मोजेक अनुकूल, श्रेष्ठ अंकुरण क्षमता।
10	जे.एस. 20–69	95 दिन 25–30 क्विंटल / हेक्टेयर	यह बहुप्रतिरोधी प्रजाति है, जो जैविक व्याधि सड़न, झुलसन, जीवाणु धब्बा, पर्णीय धब्बे, पश्रिभक्षकों के लिए रोधी एवं सहनषील है। उत्तम है। फूल का रंग सफेद

कैल्शियम के अच्छे स्त्रोत हैं, लेकिन सोया मिल्क से प्राप्त होने वाली कैल्शियम की मात्रा उस ब्रांड पर निर्भर करती है जो आप खरीदती हैं। जैसा कि आप जानती ही हैं कि सोया एक सर्वोत्तम उपयोगी आहार है, लेकिन हम सभी इसके इस्तेमाल के बेहतर तरीकों से भी पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सोयाबीन द्वारा विभिन्न रोगों में उपचार दिल के रोग में :–

इसमें 20 से 22 प्रतिशत वसा पाई जाती है। सोयाबीन की वसा में लगभग 85 प्रतिशत असन्तृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जो दिल के रोगियों के लिए फायदेमंद है। इसमें 'लेसीथिन' नामक पदार्थ होता है। जो दिल की नलियों के लिए आवश्यक है। यह कोलेस्ट्रॉल को दिल की नलियों में

जमने से रोकता हैं यह खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह दिल के रोगियों के लिये फायदेमंद है। ज्यादातर दिन के रोगों में खून में कुछ प्रकार की वसा बढ़ जाती है। जैसे–ट्रायग्लिसरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल, जबकि फायदेमंद वसा यानी एचडीएल कम हो जाती है। सोयाबीन में वसा की बनावट ऐसी है कि उसमें 15 प्रतिशत सन्तृप्त वसा, 25 प्रतिशत मोनो सन्तृप्त सोयाबीन में वसा और 60 प्रतिशत पॉली असन्तृप्त वसा है। खासकर 2 वसा अम्ल, जो सोयाबीन में पाये जाते हैं। यह दिल के लिए काफी उपयोगी होते है। सोयाबीन का प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एवं एलडीएल कम रखने में सहायक है। साथ ही साथ शरीर में लाभप्रद कोलेस्ट्रॉल एचडीएल भी बढ़ाता है।

मानसिक रोगों में :

सोयाबीन में फॉस्फोरस इतनी होती है कि यह मस्तिष्क (दिमाग) तथा ज्ञान–तन्तुओं की बीमारी, जैसे–मिर्गी, हिस्टीरिया, याददाश्त की कमजोरी, सूखा रोग (रिकेट्स) और फेफड़ों से सम्बन्धी बीमारियों में उत्तम पथ का काम करता है। सोयाबीन के आटे में लिथेसीथिन नामक एक पदार्थ तपेदिक और ज्ञान–तन्तुओं की बीमारी में बहुत लाभ पहुंचता है। भारत में जो लोग गरीब है। या जो लोग मछली आदि नही खा सकते है, उनके लिए यह मुख्य फास्फोरस प्रदाता खाद्य पदार्थ हैं। इसको खाना गरीबों के लिए सन्तुलित भोजन होता है।

उच्च रक्तचाप :

रोज कम नमक में भुने आधा कप इसका 8 हफ्तों तक सेवन करने से ब्लडप्रेशर काबू में रहता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कालीमिर्च भी डाल सकते है। सिर्फ आधा कप रोस्टेड सोयाबीन खाने से महिलाओं का बढ़ा हुआ ब्लेडप्रेशर कम होने लगता है। लगातार 8 हफ्ते तक सोयाबीन खाने से महिलाओं का 10 प्रतिशत सिस्टोलिक प्रेशर, 7 प्रतिशत डायस्टोलिक और सामान्य महिलाओं का 3 प्रतिशत ब्लेडप्रेशर कम हो जाता है। तो आप भी सोयाबीन को 8 से 12 घण्टे पानी में भिगोकर रख दें और सुबह ही गर्म कर के खायें।

पेट में कीड़े :

इसकी छाछ पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं।

मधुमेह (डायबिटीज) :

सोयाबीन मोटे भारी–भरकम शरीर वालों के तथा मधुमेह (डायबिटीज) वाले लोगों के लिए उत्तम पथ हैं। सोया आटे की रोटी उत्तम आहार है।

आमवात या गठिया : सोया आटे की रोटी खाने तथा दूध पीने से गठिया (जोड़ो का दर्द) रोग दूर होता है। आम तौर पर देखा गया है कि वृद्धों में जो 60 वर्ष से अधिक की उम्र पूर्ण कर चुके हैं उन व्यक्तियों (वृद्धों) में गठिया की शिकायत देखने को मिलती है उन्हें समझाइस दी जाती है कि वे अपने भोजन के रूप में सोया आटे का प्रयोग करे ताकि उन्हें गठिया या आमवात की ला–इलाज बीमारी से छुटकराया मिल सके।

दूध को बढ़ाने के लिए :

दूध पिलाने वाली स्त्री यदि सोया दूध (सोयाबीन का दूध) पीये तो बच्चे को पिलाने के लिए उसके स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। अनेको अध्येताओं द्वारा अनेकों खोजों के अवलोकन के दौरान पाया।

मूत्ररोग :

इस का रोजना सेवन करने से मधुमेह (डायबिटीज) के रोगी का मूत्ररोग (बार–बार पेशाब के आने का रोग) ठीक हो जाता है। प्रोस्टेठ कैंसर रोकने में सहायक सोयाबीन अथवा सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों में आइसोफ्लेवोन नामक फाइटोरसायन उपस्थित होते हैं। इन रसायनों के विभिन्न महत्व पाए गए हैं। वे शरीर में कैंसर के प्रतिरोधक का कार्य भी करते हैं, खासतौर पर स्तन व प्रोस्टेट कैंसर में। महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु के पश्चात् रजोनिवृत्ति (मोनीपॉज) की समस्या प्रारंभ हो जाती है। जिसके लक्षण हैं एक दम से रात में पसीना आना।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सोयाबीन के अधिक उत्पादन से एक ओर खाद्य तेलों की आपूर्ति में सुधार होगा, साथ ही सोया से बने भोज्य पदार्थों के उपयोग से शरीर में होने वाली अनेकों बीमारियों को दूर करने के लिए यह सोया उत्पाद रामबाण की तरह फायदेमंद है और कृषकों को दूसरी तरफ सोयाबीन के उत्पादन से उन्हें अच्छा बाजार भाव से उनके उत्पादित सोयाबीन फसल से लाभ भी मिल सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित, नवम्बर 2016, वर्ष 63, अंक 1, पृष्ठ 24–29,

2. म.प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय (म.प्र.)

3. कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा 2016 के समंकों के विश्लेषण पर आधारित।

4. Modern Techniques of Raising Field Crops by Dr Chhidda Singh.

5. संजय गांधी मेमोरियल, रीवा वर्ष 2016–17 से प्राप्त समंकसें तथा स्वतः साक्षात्कार के आधार पर।

6. www.google.com

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

''स्मृतियों में वर्णित संस्कार एवं आधुनिक समाज''

❒ विद्याकान्त तिवारी*
❒ डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी**

शोध सारांश

भारतीय संस्कृति में मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में संस्कारों का सर्वप्रथम स्थान है। जैमिनी सूत्र में कहा गया है–''संस्कारों का नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य।[1] ''संस्कार वह है जिसके हो जाने से पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य हो जाता है। प्राचीन काल में संस्कारों का सम्बन्ध व्यक्ति विशेष के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज से था। संस्कार के बिना मानव और पशु में कोई पार्थक्य नहीं है। मुनस्मृति में कहा गया है संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के जन्मगत दोष नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान समय में संस्कारों का प्रायः लोप जैसे दिखाई देता है। आधुनिक समाज को संस्कारों की महती आवश्यकता है। संस्कार मानव जीवन को प्राकृत तथा अतिप्राकृत संकटों से मुक्ति दिलाने का महानतम साधन है। संस्कार बिना जीवन सर्वथा अधूरा है और यदि जीवन की पूर्णता न हुई तो मानव शरीर धारण करने का क्या लाभ? अतः संस्कार को अन्तर्मन से अपनाना चाहिए एवं दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, तभी समाज का कल्याण होगा।

विभिन्न ग्रन्थों में संस्कारों की संख्या भी भिन्न-भिन्न है, परन्तु सम्प्रति सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार सोलह हैं, जिसे आधुनिकतम पद्धतियों ने स्वीकृत कर लिया है। जन्म के पूर्व तीन संस्कार हैं जिनका शुभ मुहूर्त्त होता है। मुहूर्त में सम्पन्न करने पर ये संस्कार मनवांछित फल देते हैं। आधुनिक समाज में लोगों का ध्यान इधर नहीं जाता जिससे असंस्कृत संतति रूप दुःख भोगना पड़ता है। संस्कार जीवन की आत्मवादी और भौतिक धारणाओं के बीच मध्य मार्ग का काम करते हैं। अतः इनका अभ्यास और सकारात्मकता वैदिक विधियों के अनुसार होना चाहिए।

जातकर्म संस्कार में पिता के द्वारा नवजात शिशु को दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान किया जाता था। वह कहता था कि सोम, ब्रह्मा, ऋषि, समुद्र और नदियों की तरह तुम भी दीर्घजीवी हो जाओ[2]। अनन्तर ब्राह्मणों को दानादि देकर संस्कार की पूर्णता मानी जाती थी। नामकरण संस्कार में उस देवता के नाम पर ही बालक का नामकरण कर दिया जाता था जो उसका रक्षक माना जाता है। मनु के अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक क्षत्रिय का बलसूचक, वैश्य का धनसूचक तथा शूद्र का जुगुप्सित अथवा कुत्सा सूचक रखना चाहिए।[3] जैसे लक्ष्मीधर, युधिष्ठिर, महाधन एवं नरदास क्रमशः होना चाहिए। वर्तमान समय में नामकरण संस्कार तो होता है परन्तु उक्त सिद्धान्तों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

अनन्तर बालक को घर की चाहार दीवारी से बाहर निकालने का प्रावधान है, जिसे निष्क्रमण संस्कार के अन्तर्गत माना जाता है और इसमें सूर्य का दर्शन कराना मुख्य कार्य है जिससे तेज का आधार होता है।[4] इस संस्कार का सम्पूर्ण महत्त्व शिशु की दैहिक आवश्यकता और उसके मन पर सृष्टि की असीमित महत्ता के अंकन में निहित है। जब शिशु में वृद्धि हो जाती थी तब उसे ठोस भोजन की आवश्यकता हुआ करती थी। इसकी आपूर्त्ति के लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। यह संस्कार शिशु के जन्म से छठवें मास में सम्पन्न करना चाहिए।[5] चूड़ाकरण संस्कार में बालक की दीर्घायु, सौन्दर्य एवं कल्याण की प्राप्ति की कामना की जाती है।[6] इस संस्कार को उत्तरायण सूर्य में करना चाहिए। यदि शिशु की माता

* शोधार्थी, शोधकेन्द्र (संस्कृत विभाग) टी.आर.एस. कालेज, रीवा (म.प्र.)
** शोध निदेशक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) शास.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

गर्भिणी हो तो क्षौर कर्म निषिद्ध माना जाता है।[7] अतः इस स्थिति में इसे सम्पन्न नहीं करना चाहिए। तृतीय वर्ष में सम्पन्न चूड़ाकरण को सभी के मत से सर्वोत्तम माना जाता है।

आचार्य गर्ग के मत से कर्ण वेध को षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम मास उपयुक्त माना गया है। शारीरिक सुविधा की दृष्टि से सुश्रुत षष्ठ अथवा सप्तम मास को प्राथमिकता देते हैं।[8] इसमें स्वर्ण मयी सूची सभी के लिए शोभादायिनी है। स्मृति महार्णव सभी के लिए तांबे की सूचिका का विधानकरता है।[9] इतना सब होने के बाद विद्यारम्भ होता था। इसे विद्यारम्भ, अक्षरारम्भ, अक्षर स्वीकरण आदि कई नामों से जाना जाता है। उत्तरायण सूर्य में इस संस्कार को सम्पन्न किया जाना चाहिए। लक्ष्मी गणेशादि का स्मरण करके इसे प्रारम्भ किया जाता है। इस संस्कार से मनुष्य का ऐहिक व पारलौकिक जीवन पवित्र होता है।[11]

उपनयन संस्कार प्राचीन काल में आश्रमों में होता था। आश्रमीय व्यवस्था में उपनीत शिष्य को स्वावलम्बी बनाने की शिक्षा दी जाती थी, ताकि भविष्य के स्वयं के परिवार का भरण-पोषण कर सके। इसी संस्कार के अन्तर्गत वेदों का अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया जाता था ताकि व्यक्ति उनके द्वारा अपने जीवन की सर्वोच्च ऊँचाई को प्राप्त कर सके। तत्पश्चात् केशान्त या समावर्तन संस्कार होता था, जिससे व्यक्ति के शैक्षिक कार्य के पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होती थी। ब्रह्मचारी को गुरु अन्तिम उपदेश देकर गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करने की आज्ञा प्रदान कर उसे गृह ग्राम के लिए भेजते थे और गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होकर ब्रह्म तत्त्व को प्राप्त करने का उपदेश देते थे। उनकी आज्ञा से ब्रह्मचारी घर आ जाता था।

घर आ जाने पर स्नातक योग्य कन्या से विवाह करता था। विवाह स्वयं एक यज्ञ माना जाता था और जो व्यक्ति विवाह कर गार्हस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता था उसे अयज्ञीय अथवा यज्ञहीन कहा जाता था।[12] वस्तुतः एकाकी पुरुष अधूरा है, ब्रह्म भी एकाकी नहीं रहना चाहता, ''एकोऽहं बहु श्याम'' विवाह न करने वाला हीन समझा जाता था। विवाह के 8 प्रकार हैं जिनमें ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ एवं समादरणीय माना जाता था। वर्तमान में यह भी एक रस्म अदा करने जैसा हो गया है। आधुनिक विवाह प्रक्रिया से डी.जे. और जयमाल हटा दिया जाए तो यह अपने मूल रूप में आ सकता है। वर्तमान समाज को इसके दुष्परिणाम को समझकर इससे पृथक हो जाना चाहिए। विवाह में ''योजक'' नामक अग्नि का स्थापन होता है जिसे फोटोग्राफर तत्काल हटवा देता है। जब वैदिक विधि के अनुसार विवाह का कोई साक्षी नहीं रहेगा तब तलक की स्थिति के अलावा क्या हो सकता है? अस्तु, इसे आधुनिक समाज समझे और वैदिक परम्परा को अपनाए, तभी दाम्पत्य जीवन सफल होगा और समाज कल्याण पथ में अग्रसर होगा।

जीवन का अन्तिम सत्य मृत्यु है जैसा कि गीता में कहा गया है- ''जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः''। अर्थात् जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जब प्राणी इस संसार से से जाता है तो- ''धर्माऽनुगो गच्छति जीव एकः''। अतः धर्म का आचरण करते हुए जीवन का परित्याग करना चाहिए। जीवन एक महान् रहस्य है, यह एक चक्र के समान है, जहाँ से आरम्भ होता है वहीं इसका अन्त होता है। जीवन, जन्म से मृत्युपर्यन्त जीवित रहने, विषयभोग तथा सुख प्राप्त करने, चिन्तन करने एवं अन्त में इस संसार से प्रस्थान करने के कामनामय मध्य बिन्दु के चारों ओर घूमने वाली घटनाओं की निरन्तर शृंखला है। इस शृंखला को समझने और स्वीकार करने में आधुनिक समाज कल्याण पथ को प्राप्त कर सकता है।

संस्कारों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों की योजना एक विशिष्ट प्रयोजन से की गई थी। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास एवं परिष्करण के लिए विभिन्न संस्कारों का विधान था। वर्तमान युग में नामकरण, उपनयन, विवाह, अन्त्येष्टि आदि कुछ ही संस्कार शेष बचे हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशिष्ट महत्त्व था। संस्कारित व्यक्ति में परोपकार की भावना का उदय होता है। आध्यात्मिक मानसिक शुद्धि के साथ-साथ मानव जीवन की उत्थानमयी परम्परा का विकास होता है जिससे व्यक्ति, समाज देश एवं राष्ट्र का उन्नयन होता है। अतः भारतीय समाज के कल्याण के लिए वर्तमान सन्दर्भ में संस्कारों का विधान नितान्त ग्राह्य एवं उपादेय है। आज हमारे राष्ट्र में चारित्रिक मानसिक विकृतियों का घना कुहरा छाया हुआ है। ऋषियों की पवित्र भूमि भारत में सर्वत्र हाहाकार का स्वर सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि मानवता एवं नैतिकता कहीं पलायन कर गई है। ऐसी विषम परिस्थितियों में समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए संस्कारों की महती उपयोगिता है।

सन्दर्भ :

1. जैमिनी सूत्र 3।3
2. पारस्कार गृह्य सूत्र 1/16/6
3. मनुस्मृति 2/31
4. पारस्कर गृह्य सूत्र 1/17/5-6
5. आश्वलायन गृह्य सूत्र 1/16
6. आश्वलायन गृह्य सूत्र 17/12
7. नारद स्मृति पृष्ठ 312
8. सुश्रुत सूत्र स्थान अ. 16/1
9. स्मृति महार्णव अ. 16/2
10. गोपी नाथ भट्ट संस्कार रत्नमाला
11. मनुस्मृति 2/26
12. तैत्तिरीय ब्राह्मण 2/2/2/6

SHODH CHETNA – YEAR-5
(JULY TO DEC., 2019) VOL. 3-4

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

Importance of Computer in Globalization

❐ Dr. M.P. Singh

ABSTRACT

Computer is an important discovery of science. Today's era is an era of information technology and technique and the cause of this communication revolution is computer and net. Computer is a basic requirement of world without which we can not imagine about globalization. It is a general solution of various complexity in the field of science, technology, management, defence, administration, teaching, astrology, agriculture, medical, banking, railway, astronomy, engineering, weather, marketing, trafic, airways etc., computer has created a new revolution in the field of communication which effects all the fields of social, economical, educational, political, business etc., today net and computer are the parts of our life. Our bank, railway stations, libraries are computerised, computer is playing an important role whether it be the field of games or education or our economical activities. New question is that what has made our life so easier and modern. What is the thing? It is an electronic device which takes data's from outside world to inside and process is on it and give the data's from its inside to outside world.

Meaning of Globalization :

General means of globalization is unification of world. Today's era is the era of globalization. Small event of a small place affects all the world like in stock exchange slump in market affects the world market. In globalization we depend on other countries for many things whether it is import-export or any one matter this time it is our dependent on other countries making their help for development and computer is playing an important role in the field of globalization, whether it be the field of education, economical or the political relation and important matters. We can discuss the role of computer under the following heads.

Role of Computer in Education Globalization :

Todays various changes are occurring in the field of education. Our students are going abroad in various universities for studies and research are accepting foreign degree and many students from foreign countries are coming here to learn Hindi and for doing research on Yoga and Spirituality, it was not possible without communication resolution. So computer plays a significant role in the direction of communication. In education a lot of materials from many discipline is available on wave site. Atlas of all countries, maps, encyclopaedia of all subjects, culture, history, literature and many things which you want to know and many informations about them are available on the internet. Educational institutes in developed countries are used net to complete their regular educational activities. Today's society is high-tech society you can attend the class anywhere sitting in your house by the cyber space. You can give exams, interviews on line and you can get degree and service. You can takes part in debates without physical

* Associate Professor (Chemistry), Govt. P.G. College, Khair (Chandigarh).

appearence. In our country, institution like IITs, IGNOU etc., have started on line educational programming, which you can see with the help of computer. Our libraries today are connected with internet and you can read any foreign author's books sitting in your library. Resolution of E-book and digital library have bring a revolution in educational panorama. This is not sufficient today, globalization of educatuion is done through computer you can find a no. of informations related to world by the internet in a room. Today's result of various examination are available at the net. Therefore in the field of education computer is working as a communication bridge to connect the world's education. That day is not far away when traditional teaching method of chalk, duster and board will be remove from classroom.

Role of Computer or Net in Economy :

Today whole world has converted into a market in this globalization. Our fruits are export to outside while many foods materials, electronics items are imports to our country. Others seeing a big market in our country. We can purchase many items of other countries in the India. This becomes possible by communication revolution you can establish industries by the computer. Intranet of various companies can be interconnected. This network is called extranet by this we can exchange informations from one company to another. Not only the supply but internet do possible direction connection with customers and production, purchasing, marketing and financial departments. E-Commerce is a new working system of consumer market. In which products are sale on internet the speciality of E-Commerce it that, by this, small business can be done by the businessman in any corners of world without any mediators. With this E-Commerce is also developed whose means is pipeline commerce because in which a domestic products are linked with internet by a pipeline or cable or satellite medium. For example, you can do order of any things during the seeing of television programe. For this a setup box is set in T.V. set. You can purchasing on going in wave page of any market, shop sited in any city by window shopping by sitting in your house. Video conferencing and whole business activities can be done by E-Commerce and E-Currency technology. We can see that whole work of stock exchange is done by the help of computer. Todays various vacancies are available on the net, by sending your bio-data, you can search a job.

Importance of Computer in Political Globalization :

Not only the exchange of important information, we can exchange important documents by the internet communication among the different countries. Whose party is coming in the politics and who will from government. This is all the game of datas which can play by the computer. What will be the effect of other's country mandate on the India's business, economical and political relations. This all tells by the computer analysis. Todays all results of elections are collected by the computer. Today more than 29 video conferencing studios are set up in the country by National Informatic Centre (NIC). Video conferencing system being available in 20 ministry and 9 sacratates of Delhi by the NIC. All cities of U.P., Jharkhand. H.P. and Uttarakhand are connected with video conferencing network by the NIC net. The aim of E-Governance is to provide all Govt. facilities to general public in their areas by which they can achieve fundamental requirements at reseanable prices with transferency, skillness and reliability. Therefore today's political activities are directing by the computer.

Importance of Computer in Modern Medical Science :

Patient at the long distance can consuit with specialist at any time, can take advise for operation by the help of internet similarly distribution of medicines can be done. Today very complex operations are doing by the help of computer. Where is specialist of particular disease in what hospital? How will be the expense for operation? These tings are available on net. This is the reason that many foreigners come to India for plastic surgery or by-pass surgery and vice-versa. All this has been made possible by the spread of information technology. It is because of this that Baba Ramdev's Yog has got world-wide recognition. Now a days many complicated operations are being carried out with the help of computers. Computers are also being used in higher research programmes. Many important informations are given by computers in the field of bio-technology and genome and is trying to find the treatment for cancer, old age and many other diseases. It also helps in

making people aware of spreading of many contagious disease like bird-flu, swine flu. Thus, computer is playing a very significant role in the field of medical science.

Importance of Comptuer in the field of Entertainment :

Computers have brought revolution in the field of entertainment. Todays is the world of CDs. Many new animation films like Jai Hanuman, Mogli, Jai Krishna, Jai Bheem have given healthy entertainment to children. One can enjoy many films and games on computers. Many games also helps in building the vocabulary of the students. The film Jurasik Park was made possible with the help of computer. Now a days computer even plays the role of third umpire in the game of cricket. Sometimes, it itself becomes a player in the game of chess. Because of modern computer technology, we are able to watch many foreign programmes.

Today, communication has been become so easy with the help of internet among known and even unknown persons. One can easily sent photos, music, video films and letters to his friends.

Not only this, one can even visit tourist places with the help of web. One can get all the information regarding foreign tourist places. It also helps in gathering knowledge about culture and civilization of other countries as well. Hence, today, computer has unified the whole world in the field of entertainment.

Importance of Computer in Social Life :

Today computer has become an integral part of our lives- whether it is booking of railway ticket or air ticket computer has made everything. Almost all of our post-offices and banks have been computerised. Everything has been made so easy by the computers whether it is analysis of some survey, buying of some products, transaction of any business or information regarding admissions or results.

Our government has also made many plans like Disk vision, E-crops, Akhya, E-Choupal, Friends, E-Series etc. for the citizens of various states so that our farmers would be benefitted by them and to create awareness among the various sectors of people. Thus, computers have linked our villages and cities. Even mobile revolution has brought people together. Today, internet can manage the whole house itself. In England, many internet homes are being made by the laying homes company. Such houses are being huild in the North area of London which are accomplished with 72 data bank, high speed internet connection, four personal computer and two plane screen ultra modern television. With the help of these instruments one can even control the burning health and even close the windows, doors along with their curtains. Not only this, even when one is out, all these things would be controlled by laptop. Every kind of services would be available on these computers. Students would get education sitting at home, house-wives would get different methods of recepies, purchasing of daily items would be done by giving order, even the taps and fountains in a garden would be automated with the help of computers. All this appears to be some fairy tale, when a want is moved and everything is done. But this is the truth of 21st century. Today, computer has linked our society with the whole world whether it is some problem of epidemic, war, climate change or some event. Today, even wars are being fought with the help of computers. Even love messages, proposals and marriages are being telecasted by computers. Computer also provides you the freedom to express your views. One can form groups or websites on computer and can work together. We get so worried when our computer stops working properly. That day is not far when even computer would have emotions and feelings of human-beings.

Thus computers are playing tremendous role in bringing out awareness among the masses. All of us hope that in future also computer would bind the whole world together.

Reference :

1. BBC Radio 27 Jan., 2015, "The Medium is the Message's, Retrieved from https :// www.youtube.com V = K06Jg, 1CgzE.
2. Abbas A.L., Social Media played role in facilitating Arab spring, 18 (2011).
3. Dharma, Dailey E.B., Social, Science Research Council (2010)
4. Mann. C.L., "Globalization of IT Services and white collar jobs. International Economics Policy Briefs, 1-13 (2003)
5. Thompson, D., the most important source of news, 26-3100 (2012)
6. Globalization of Computer.